सप्तम माला, खंड 3, अंक 11 मंगलवार, 25 मार्च, 1980/5 चैत्र, 1902 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[दूसरा सत्र]

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 14 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 11, मंगलवार 25 मार्च, 1980/5 चैत्र, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 183, 184, 186, 188 और 190 से 192		1— 23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 185, 187, 189. 193, से 199 201 और 202		24— 37
अतारांकि प्रश्न संख्या 1532-1649, 1642-1668 और 1670-1675		37—150
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	...	150—151
सभा पटल पर रखे गये पत्र	..	151—153
राज्य सभा से संदेश	...	153—158
अविलम्बनीय लोक महत्व के बिषय की ओर ध्यान दिलाना—	...	159—169
बिहार के सात करोड़पतियों की गिरफ्तारी का समाचार		
श्री के० पी० सिंह देव	...	159—163
श्री ज़ियाउर्रहमान अन्सारी	...	162—163
नियम 377 के अधीन मामले	—	170—255
(एक) पटना के अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु का समाचार **श्री कमल मिश्र मधुकर**	..	
(दो) बंगलौर में पीनयां बागान गाँव के चारों ओर सैनिक अधिकारियों द्वारा ऊंची दीवार का निर्माण करने के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को होने वाली कठिनाइयों के समाचार **श्री टी० आर० शमन्ना**	...	170—171
(तीन) भारतीय खाद्य-निगम द्वारा अंडाल कैप स्प स्टोरेज बन्द किए जाने का समाचार **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**	...	171
(चार) महाराष्ट्र में कृपि सेवा केन्द्र रूपण एककों के बारे में **श्री उत्तमराव पाटिल**	...	171—172

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में उद्घोषणाओं के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री जैलसिंह	...	172—176
श्री रशीद मसूद	...	176—179
श्री मोहनलाल सुखाड़िया	...	179—185
श्री गुलशेर अहमद	...	185—187
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	187—196
श्री सी० एम० स्टीफन	...	196—198
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	...	198—203
श्री शिवराज वी० पाटिल	...	203—209
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	...	209—212
श्री जयदीप सिंह	...	214—217
श्री विरधी चन्द्र जैन	...	217—219
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	219—228
श्री हरीश कुमार गंगवार	...	229—234
श्री फ्रेंक एन्थनी	...	235—239
श्री आर० आर० भोले	...	239—242
श्री मगन भाई बरोट	...	242—247
श्री चन्द्रपाल शैलानी	...	247—251
श्री ब्रजमोहन महंती	...	251—255
श्री मूलचन्द डागा	...	255—256

लोक सभा

मंगलवार, 25 मार्च 1980/5 चैत्र, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न । (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है । कृपया प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित कर दीजिए। यह नियम 41 के अन्तर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मती इन्दिरागांधी द्वारा उनके मार्ग निर्देशन में जानबूझ कर प्रारम्भ कीं गई आसाम की कार्यवाही की नाकेबन्दी पर इस सदन द्वारा चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, मैंने नियम 388 के अधीन उसको अस्वीकृत कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है आप नहीं। .... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वीकृत कर चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता हूं। मैं कोई बन्दूक लेकर ही आया हूं। मुझे तो केवल एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

ज्योतिर्मय बसु : एक बात ऐसी है जो आपको जाननी ही होगी·····(व्यवधान)। कृपया उसे समझने की कृपा कीजिए। (व्यवधान)।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : सपस्टीकरण (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न काल में कुछ नहीं । (व्यवधान) ।
प्रश्न काल में कुछ नहीं (व्यवधान) ।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : केवल एक स्पष्टीकरण । (व्यवधन)।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नेगी (व्यवधान)।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : व्यवधान *

*संसद के पूरे इतिहास में कोइ भी अधिवेशन ऐसा नहीं गया है जिसमें एक भी (व्यवधान) ॥ की अनुमति न दी गई हो, (व्यवधान) कृपया हमें बता दीजिए ।(व्यवधान) क्या आपने पक्का निश्चय कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं । (व्यवधान) ।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा :- केवल प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नेगी (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नही (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वींकृत कर चुका हूं । (व्यवधान) ।
मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

आकाशवाणी की विज्ञापन सेवाओं में परिवर्तन

* 183. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** आकाशवाणी के वाणिज्यिक केन्द्रों में स्टेशन डायरेक्टरों की नियुक्ति के बारे में 19 जुलाई, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी की विज्ञापन सेवाओं के स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न विज्ञापन सेवा केन्द्रों में नियुक्त किए गए स्टेशन डायरेक्टरों में से कुछ को स्टेशन डायरेक्टरों के पद के योग्य नहीं पाया गया और उन्हें प्रतिकूल टिप्पणियां संप्रेक्षित की गई ; और

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(ग) वाणिज्यि सेवाओं में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं जहां कि जन सम्पर्क अनिवार्य है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) :(क) वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों के प्रबन्ध के पहलुओं का अध्ययन करने का काम वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एक को सोंपा गया है । मामले में आगे की कार्रवाई उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर दी जाएगी ।

(ख) और (ग) : जैसा कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया था, कार्य निष्पादन में कमियों से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियाँ वाणिज्यिक केन्द्रों पर तैनात केन्द्र निदेशकों सहित कुछ केन्द्र निदेशकों बता दी गई थी । तथापि, उनमें से किसी को केन्द्र निदेशक के पद के लिए अयोग्य नहीं पाया गया ।

अध्यक्ष महोदय; मुझे नियमों के अनुसार इस सदन का संचालन करना है । (व्यवधान) । यह आपकी अथवा मेरी अपनी इच्छा की बात नही है, नियमों के अनुसार मुझे चलना होता है । मैं नियमों के अनुसार चलता भी हूं कृपया कार्यवाही में बाधा उत्पन्न न करें । (व्यवधान) ।

मैं इसे देख चुका हूं । (व्यवधान) ..... श्री बसु कम से कम इतना तो मैं जानता ही हूं कि आप सदन की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न कर रहें हैं । इतना मैं जानता हूं ।

श्री नेगी ..... (व्यवधान) ।

प्रोफेसर एन० जी० रंगा केवल प्रश्न । और कुछ नही । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय मैं इसे अस्वीकृत कर चुका हूं । जिस प्रकार से आप बर्ताव कर रहे हैं वह नियमों के विरुद्ध हैं । (व्यवधान)। नही, बिल्कुल नही । (व्यवधान) ।

श्री टी० एस० नेगी : मैं जानना चाहता हूं कि जो इनक्वायरी वर्षों से चल रही है यह कितने समय में पूरी हो जायगी ? तथा अगर यह अयोग्य है तो इनको दिल्ली में क्यों रखा जा रहा हैं ?

श्री वसन्त साठे : मैंने इसके बारे में सारी जानकारी अभी तक जितनी जांच हुई है, और अपने अफसरों से भी कहा है कि इसके बारे में हमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए । यह बात ठीक नही है कि कोई भी मामला इस तरह से जांच के लिये वर्षो तक पड़ा रहे । ओर इस लिए मैंने उनसे इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है, और उनसे कहा है कि यह रिपोर्ट चन्द महीनों में आनी चाहिये । तो जैसे ही इसकी रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है, इस स्टाफ इंसपैक्शन यूनिट की, वैसे ही सारी स्टाफ की पुनर्रचना के बारे में जो आपसी उनके मतभेद है या झगड़े है उनको किस तरह से हल किया जाय इसके लिये मैं शीघ्र निर्णय लेना चाहता हूं ।

श्री टी० एस० नेगी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच सी० बी० आई० से करायेगे क्योंकि बहुत समय हो गया इनक्वायरी को ?

श्री बसंत साठे :- किस मामले की आप कह रहे हैं ? अगर आपका मतलब पहले सवाल से है तो वह सारी कमर्शियल सर्विस की आल इंडिया रेडियो की पुनर्रचना की बात है। उसे सी० बी० आई० को भेजने का क्या मतलब हुआ ।

सूरत में रेडियो स्टेशन

***184 श्री छीतूभाई गामित: क्यासूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच कि सरकार ने गुजरात में सूरत में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है :

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेडियो स्टेशन का ढांचा किस प्रकार का होगा

(ग) रेडियो स्टेशन का निर्माण-कार्य कब आरंभ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) रेडियो स्टेशन के निर्माण पर कितना खर्च किया जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री छीतुभाई गामित : माननीय अध्यक्ष जी इस प्रश्न का उत्तर पढ़ कर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि गुजरात में सूरत औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है और गुजराती साहित्य, संगीत और कला के विशेषज्ञ सूरत में हुंए हैं और इस दृष्टिकोण से सूरत, जो साउथ गुजरात का एक प्रमुख शहर है, वहां के लोंगो ने कई सालों से सूरत में आल इंडिया रेडियो स्टेशन के बारे में मांग की है, और अभी भी उनकी यह मांग चल रही है । तो सूरत में रेडियो स्टेशन देने के लिये भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से कोई रिपोर्ट आपने प्राप्त की है ? यदि हां तो ,उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री बसन्त साठे : अध्यक्ष जी, सूरत के बारे में, उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वहां रेडियो स्टेशन बनाया जाय ऐसी कल्पना है जो चौथी पंचवर्षीय योजना से चल रही है । लेकिन चौथी, पांचवी और छठी योजनाओं में भी जब जब सूरत का प्रस्ताव आया तो प्लानिंग कमीशन ने आर्थिक कठिनाई के सवाल पर वहां अपनी असमर्थता बतायी पार्लियामेंट मालिक है, यदि संसद कल हमें आर्थिक सहायता के रूप में पैसा दे दे तो हमें सूरत में और अन्य स्थानों में भी रेडियो स्टेशन देने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में ..... (व्यवधान) मैं मामले को उठाने का प्रयास करूंगा । मैं योजना आयोग का मालिक नहीं हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: आगाखान को पूछिए ।

श्री बसन्त साठे : आप तो कई चीजों के लिये भारत से बाहर कई अन्य व्यक्तियों को पूछते रहे है । आपने काफी नुकसान कर लिया है हम आपका अनुकरण नही करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय कृपया आपस में मत उलझिये ।

श्री बसन्त साठे मैं इस मामले को एक बार फिर से योजना आयोग के साथ उठाना चाहता हूं और यदि हमें वित्तीय सहायता मिल जाती है तो मैं अपने दोस्त को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सूरत के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा ।

श्री छोतुभाई गामित मैं छठी लोक-सभा का भी सदस्य था, उस समय मैंने क्वेंश्चन किया था, सरकार की ओर से छटी पंचवर्षीय योजना में सूरत में रेडियो स्टेशन देने के लिये सुविधा दी जायेगी, ऐसा मुझे उस समय एश्योरेंस दिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या छठी पंचवर्षीय योजना में सूरत में रेडियो स्टेशन देने की सुविधा अब की गई है या नहीं ? यदि की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है और नहीं तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री बसन्त साठे : छठी योजना में इसे मंजूर नहीं किया गया है ।

श्री मगन भाई बरोट क्या मैं माननीय मंत्री से पुछ सकता हूं कि जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है तो गुजरात में एक दुरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग बहुत पहले से की जा रही हैं .....।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न आकाशवाणी केन्द्र के सम्बन्ध में है । हमें उचित प्रश्न पर आने दीजिए ।

उडीसा में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये विश्व बैंक सहायता

*186 **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक उड़ीसा में मध्य दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये सहायता दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रंगोली बांध परियोजना के लिये उक्त सहायता कितनी होगी और किस रूप में होगी ?

उर्जा और सिंचाई तथा कोयलामंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खना चौधरी): (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) ; जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है, अक्तूबर, 1977 में किए गए करार के अनुसार उड़ीसा सिंचाई परियोजना के लिए 58 मिलि-

यन अमरीकी डालर की ऋण साहयता दे रहा है । यह करार अक्तूबर, 1983 तक प्रभावी रहेगा । जिन आइटमों पर इस ऋण सहायता को खर्च किए जाने का प्रस्ताव है, वे ये हैं ;—

क्रम सं०	आइटम	अनुमानित लागत (मिलियन डालर)	ऋण सहायता (मिलियन डालर)
1.	मध्य सिंचाई परियोजना कार्य	102.74	52.2
2.	भूमि की चकबन्दी	13.26	3.3
3.	आन फार्म वर्क्स		2.4
	कुल	116.00	58.0

15 मध्यम सिंचाई परियोजना वर्क्स इस कार्यक्रम में शामिल किए गए है और इन्हे पांच वर्ष की अवधि में निर्मित किए जाने की योजना है । इन सिंचाई परियोजनाओं की सूचि संलग्न है ।

(ग) निर्माणधीन रेंगाली बांध परियोजना के लिए कोई सहायता लेने का प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, रेंगाली सिंचाई परियोजना को जिसमें रेंगाली बाँध के अनुप्रवाह में ब्राह्ममणी नदी के ऊपर सामल बराज का निर्माण और 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र के लाभ के लिए बाएं किनारे पर वितरण प्रणाली का निर्माण करना शामिल है, विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है ।

सूची

1. रमियाला सिंचाई परियोजना
2. सुनई सिंचाई परियोजना
3. दाहा सिंचाई परियोजना
4. कोनरिया सिंचाई परियोजना
5. दुमेरबहल सिंचाई परियोजना
6. रेमल सिंचाई परियोजना
7. गोहिरा सिंचाई परियोजना
8. तलसारा सिंचाई परियोजना

9. पिल्लासाल्की सिंचाई परियोजना
10. झारबंद सिंचाई परियोजना
11. सर्पगढ़ सिंचाई परियोजना
12. हरभंगी सिंचाई परियोजना
13. कंझारो सिंचाई परियोजना
14. हरिहरज़ोर सिंचाई परियोजना
15. बडानाला सिंचाई परियोजना

श्री के०पी०सिंह देव : मंत्री महोदय के उत्तर के आधार पर मैं यह जानना चाहूंगा कि चूंकि रेंगाली बाँध परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है । जिसमें बाढ नियंत्रण जल विद्युत उत्पादन तथा सिचाई की योजनायें सम्मिलित हैं और जिस पर उड़ीसा जैसा राज्य पूर्ण धन नहीं लगा सकता है इसलिए इसे केन्द्र सरकार तथा साथ ही विश्व कोष द्वारा सहायता दिए जाने की आवश्यकता है । बाई नहर की वितरण प्रणाली को तो केवल विश्व कोष की सहायता से ही सम्मिलित किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जब योजना आयोग मैंने रेगाली परियोजना को मूलरूप में अनुमोदित कर दिया है । तो क्या ऐसा विचार किया गया था कि बांई तथा दाँई दोनों ओर की नहरों को साथ प्रारम्भ कर लिया जाए ताकि केवल बाई नहर को अलग से प्रारम्भ करने की अपेक्षा दोनों से होने वाले लाभों को पहले से ही अर्जित किया जा सके ।

श्री ए०वी०ए० गनीखान चौधरी : यह परियोजना विश्व कोष के विचाराधीन है । अब तक विश्व कोष द्वारा किसी भी प्रकार का पक्का वायदा नहीं किया गया है ।

श्री के०पी०सिह देव : अभी कुछ ही दिनों पहले सर जौन क्राफोर्ड के नेतृत्व में विश्वकोष के सलाहकारों का एक दल भारत आया था और उसने रेंगाली परियोजना, जिस पर कि इस समय लगभग 214 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा जिसका संशोधित मुल्यानुमान 300 करोड़ रुपये का है के लिए दी जाने वाली वित्तिए सहायता को अन्तिम रूप देने के लिए रेंगाली बांध के स्थान का दौरा किया था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विश्व कोष की सहायता में बाई ओर की नहर के साथ-साथ दाई ओर को नहर को भी सम्मिलित करेगी क्योंकि दाई ओर की नहर की खुदाई करना ज्यादा आसान है । इसमें मजदूरों की ही अधिकता होगी और यह सस्ता पड़ेगा । दांई ओर की नहर के लिए लागत लाभ का अनुपात 5200/ रु० प्रति हेक्टेरयर है जबकि बाँई ओर की नहर के लिए उसका अनुपात 7700/ रु० प्रति हेक्टेयर है । क्या भारत सरकार प्रथम चरण के अन्त तक बांई ओर की नहर के साथ ही साथ दांई ओर की नहर को भी विश्व कोष की सहायता से प्रारम्भ कर देगी क्योंकि सिद्धान्तों के आधार पर जहां कहीं भी अधिकार क्षेत्र होता है वहां कोई दूसरी सिंचाई योजना प्रारम्भ नहीं की जा सकती है मेरा जिला धेनुकेनाल जिला 1964 से

लगातार सूखा ग्रस्त क्षेत्र रहा है। यदि दांई ओर की नहर नहीं बनाई जाती है तो हमें अगले 20-30 वर्षों तक कोई दूसरी सिंचाई परियोजना नहीं मिल पाएगी।

श्री ए०बी०ए० गनीखान चौधरी : जहां तक हमारा सम्बन्ध है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है विश्व कोष में भी कतिपय मानदण्ड है। यदि यह उन मानदण्डों के अन्तर्गत आ जाता है तो इसको प्रारम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसका उत्तर नहीं दिया गया है कि इस योजना के लिये कितनी राशि प्रदान की गई है।

श्री ए०बी०ए०गनीखान चौधरी : हमने उत्तर में बता दिया है कि विश्व कोष से हमें कुल कितनी निधि प्राप्त हुई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि धन को खर्च करने का एक तरीका हैं और हमने उसके अनुसार ही धन खर्च किया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय को बांई और दांई के बीच अन्तर उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी बात को कभी भी प्राथमिकता नहीं देते हैं ?

श्री एम०रामगोपाल रेड्डी : मैं पहले एक सुझाव दुंगा और उसके पश्चात प्रश्न पूछूंगा। चुंकि उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है इसलिए जो भी थोड़ा बहुत पानी वहाँ उपलब्ध है उसका किफायत के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जो कुछ विश्व कोष कहता है वह नगण्य है। क्या सरकार विश्व कोष को यह सुझाव देना चाहती है कि हम पानी को दोनों नहरों में प्रयोग करना चाहते हैं ?

श्री ए०बी०ए०गनीखान चौधरी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैंने कहा है कि हम अवश्य ही इस मामले पर विश्व कोष के साथ बात-चीत करेंगे परन्तु निर्णय लेने का कार्य विश्व कोष का ही होगा।

श्री एम०रामगोपाल रेड्डी : आपको इस पर जोर देना होगा -

श्री ए०बी०ए० गनीखान चौधरी :- मैं यह कैसे कह सकता हूं कि विश्व कोष इसे कर ही लेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हमारे राज्य में बांई और दांई दोनों ही ओर की नहरें हैं। और हमें दोनों से ही पानी मिल रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : शायद श्री रामगोपाल रेड्डी यह नहीं जानते हैं। कि मंत्री महोदय को बांई से चिढ है। माननीय मंत्री ने कहा है कि विश्व कोष ने अभी तक कोई वायदा नहीं

किया है चूंकि विश्व कोष के प्रतिनिधियों के दल द्वारा वहां का दौरा किया जा चुका है तो क्या उन्होंने कुछ शर्तों को बताया है जिन्हें वे रखना चाहते हैं ? आपने कहा है कि इसके लिए कुछ मानदन्ड हैं । और इसे उन मानदण्डों के अन्तर्गत आना आवश्यक है । तो वे मानदण्ड क्या हैं जो विश्व कोष ने इस परियोजना के लिए सहायता देने के विषय में अपनाये हुए हैं ?

श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी : विश्वकोष से सहायता लेने हेतु कुछ मानदण्ड सुझाये गए हैं । (क) परियोजना का भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं के साथ सामांजस्य होना चाहिए और 'परियोजना को एक योजित परियोजना होना चाहिए (ख) परियोजना को निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार की इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह पर्याप्त वित्त की व्यवस्था कर सके । (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए विश्वकोष की सहायता हेतु जोर नही दिया जाना चाहिए, (घ) आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा परियोजना का समान रूप से विस्तार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक राज्य उससे लाभान्वित हो सके ।

श्री अर्जुन सेठी : विश्व कोष ने परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया है । चूंकि ये क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं । और इनके लिए अधिक समय की आवश्यकता है । इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इस अवधि को कम से कम पाँच वर्ष कर देने के लिए विश्व कोष से अनुरोध करेंगे जिससे कि इस परियोजना को ठीक समय पर पूरा किया जा सके ।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : हमें विश्व कोष को एक वचन देना होगा कि हम निर्धारित समय के अन्दर अन्दर परियोजना को पूर्ण कर देंगे ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर नलकूपों की संख्या

* 188 **श्री राम लाल राही : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु किसानों के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने राजकीय नलकूप मंजूर किए गए ; और

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियां केन्द्रीय सिंचाई विभाग के माध्यम से व्यय की जा रही है और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए0बी0ए0 गनीखान चौधरी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है । और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर

कृषि विभाग द्वारा दिया जाना है, मुझे नहीं पता है कि यह मेरे पास कैसे आ गया है, इसलिए मेरा विभाग जानकारी एकत्रित नहीं कर पाया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उन्हें हस्तांतरित कर सकते थे ।

श्री ए० बी० ए० गनीखान : कृषि राज्य मन्त्री यहां उपस्थित हैं । वे जानकारी को तैयार करने में भी समर्थ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे उत्तर देने को तैयार हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनीखान : जी हाँ ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो मैं उन्हें उत्तर देने की अनुमति दे सकता हूं । (व्यवधान) ॥ वे अब इसको हस्तांतरित कर रहे हैं ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : क्या मुझे उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है ? उत्तर प्रदेश सरकार से जो जानकारी एकत्रित की गई है वह यह है कि वहां वर्ष 1978-79 तक 1,5283 नलकूप लगाये जा चुके हैं । इनमें से विश्व बैंक ने वर्ष 1961 में केवल 800 नलकूपों के लिए स्वीकृति दी थी और उन्हें वर्ष 1964 तक पूर्ण कर लिया गया था । हमें विश्व बैंक से 60 लाख डालर का ऋण प्राप्त हुआ था, उसे पूर्ण कर लिया गया है । अब हम विश्व बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने 500 नलकूपों की स्वीकृति दे दी है तथा हम 180 लाख डालर की सहायता के लिए बातचीत कर रहे हैं । इससे हम 30 करोड़ रुपये की लागत के 500 नलकूप लगा सकते हैं । यद्यपि 800 नलकूपों के लगाने के कार्य को पूरा करने में कम राशि खर्च हुई थी परन्तु अब मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हमें इन 500 नलकूपों पर 30 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे ।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं— जैसा इन्होंने अपने उत्तर में बताया कि सन् 1980-81 में उत्तर प्रदेश में 500 ट्यूबवैल बनाने जा रहे हूं, क्या प्रत्येक जिले में नियनानुसार कोई आधार बनाकर बांटा गया है ? यदि हां, तो लखनऊ डिवीजन के सीतापुर जनपद को, जिसमें अधिक कृषि योग्य भूमि है, क्यों छोड़ दिया गया है और क्या उसे इस योजना में शामिल करेंगे ? उत्तर प्रदेश के लिए विश्व बैंक सिंचाई सहायता स्कीम के अन्तर्गत छठी योजना में कुल कितना पैसा रखा गया है और कितने ट्यूबवैल छठी पंचवर्षीय योजना में बनाने का विचार है तथा कितनी धनराशि आप आवंटित कर रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक सहायता स्कीम के अन्तर्गत जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पैसा मिला, क्या वह पूरा पैसा देकर उस काम को कराया गया या अभी कुछ पैसा बाकी है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

परन्तु फिर भी (मैं बता दूं) कि हम विश्व बैंक के साथ पहले ही बातचीत कर चुके हैं और उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। साथ ही उन्होंने 20 लाख डालर की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इन नलकूपों को उत्तर-प्रदेश के 12 प्रमुख जिलों में लगाया जायेगा। इन नलकूपों का वितरण 40 नलकूप प्रति जिले के हिसाब से किया जायेगा। मैं उन जिलों का नाम भी बता सकता हूं। इन नलकूपों को निम्नलिखित 12 प्रशासकीय जिलों में लगाया जायेगा :—

1 सहारनपुर	7 हरदोई
2 अलीगढ़	8 फैजाबाद
3 इटावा	9 आजमगढ़
4 मैनपुरी	10 वाराणसी
5 लखनऊ	11 गाजीपुर
6 लखीमपुर	12 इलाहाबाद

ये जिले हैं : जिन दूसरे जिलों के लिए माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है, हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हम उन जिलों में भी इसका विस्तार कर सकते हैं।

श्री राम लाल राही : मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितना पैसा खर्च किया है और दूसरे जिलों में ट्यूबवैल को बाँटने का आधार क्या है ? जैसा कि आपने 12 जगहों के नाम दिए हैं, और बताया है कि मैनपुरी, हरदोई, इटावा और लखनऊ डिवीज़न में चारों तरफ हो गया है, लेकिन सीतापुर को क्यों छोड़ दिया है, जहाँ कि एक-एक इंच जमीन पर खेती होती है, नहर-नालों आदि को छोड़कर। मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि क्या 1980-81 में कम से कम 50 ट्यूबवैल सीतापुर जनपद को दिये जायेंगे और छठी पंचवर्षीय योजना में कम से कम 500 ट्यूबवैल सीतापुर को देने की कृपा की जायेगी ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। हम सीतापुर नलकूप लगाने के सम्बन्ध में विचार करेंगे। माननीय सदस्य छठी योजना के विषय में जो अगली जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यदि वे पृथक सूचना दें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो पहले सवाल का ही जवाब नहीं आया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश इतना विशाल प्रदेश है और कृषि प्रधान है और जो धनराशि विश्व बैंक द्वारा दी गई है वह बहुत कम है ...।

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलानी।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूबवैल सैंक्शन हुए हैं उनमें से कितने बन चुके हैं और कितनों पर निर्माण-कार्य चल रहा है तथा कब तक वह पूरे हो जायेंगे ? अलीगढ़ में 80,000 एकड़ भूमि ऊसर है उसके लिए कितने ट्यूबवैल मंजूर हुए हैं ? कितने ट्यूबवैल वर्किंग आर्डर में है और कितने कब तक बन जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है परन्तु वह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं यह इसलिए जानना चाहता हूं कि अगर प्रापर ट्यूबवेल्स की व्यवस्था हो जाए तो अलीगढ़ में जो 80,000 एकड़ भूमि ऊसर है उस पर हरीभरी फसल उग सकेगी । हसाइन ब्लाक में जहां सरकारी ट्यूबवैल की बहुत कमी है, दुनिया का सबसे अच्छा गुलाब पैदा होता है और अगर वहां पर ट्यूबवैलों के द्वारा पानी की व्यवस्था हो जाये तो विदेशी मुद्रा भी पर्याप्त मात्रा में अर्जित की जा सकती है और वहां की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यह केवल एक प्रायोगिक परियोजना है । इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी तथा मध्य भाग के 12 जिलों में किया जाना है । इस परियोजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 1980 से किया जाना है । जहां तक अलीगढ़ का प्रश्न है तो वहां हम 40 नलकूप दे रहे हैं । इसलिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने नलकूप सफल रहे हैं ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उत्तर प्रदेश में कुल 15,283 नलकूप लगाये गये हैं और सभी नलकूप सफल रहे हैं ।

बिहार के जिला मुंगेर में गंगा के जल द्वारा गाँवों का कटाव

*190 **श्रीमती कृष्णशाही** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिला मुंगेर में बड़ाहिया पुलिस थाना के अन्तर्गत लगभग 30 हजार की जनसंख्या वाले गांव खुटाहा का गंगा नदी के जल द्वारा कटाव हो गया है ;

(ख) क्या उसी अंचल के 28 अन्य गांवों पर भी कटाव का प्रभाव पड़ा है परन्तु उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, क्या अब सरकार का विचार कटाव द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) गंगा नदी के तटों का कटाव 1974-75 से बड़ाहिया-खुहाटा क्षेत्र में हो रहा है । इस मामले को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से जाँच किये जाने के पश्चात 1975 में तट-कटाव रोकने के उपाय हाथ में लिये गए थे । इन कार्यों में ये शामिल थे-बेडबार्स का निर्माण, साल-बल्लाइ लगाना, बोल्डर लगाना, आदि । विशेषज्ञों की एक समिति ने, जो इस क्षेत्र का समय-समय पर निरीक्षण करती रहती है, समय-समय पर अतिरिक्त कार्यों की सिफारिश की है । खुटाहा के निकट तट के कुछ भाग में नदी तट की सुरक्षा पलस्तर लगा कर की गई है परन्तु चुंकि कटाव अनुप्रवाह में स्थित क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, इसलिए समिति द्वारा दिसम्बर, 1979 में अपने अन्तिम निरीक्षण के बाद, और 1000 फुट में पलस्तर लगाने की सिफारिश की गई है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि खुटाहा क्षेत्र में इस कार्य पर लगभग 34 लाख रुपये लागत आने की संभावना है और बडाहिया क्षेत्र में लगभग 70 लाख रुपये की लागत के और कार्यों का निर्माण करना होगा ।

(ख) और (ग) : कटाव द्वारा प्रभावित ग्रामों की संख्या और पुनर्वास के लिए किए गए अथवा प्रस्तावित प्रबंधों के बारे में सूचना बिहार सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि गंगा नदी के द्वारा मुंगेर जिले के जिन गांवों का कटाव हुआ है उसका एरियल सर्वे भारत सरकार ने करवाया था, मंत्री महोदय ने भी अपने स्टेटमेन्ट में कहा है कि टेक्निकल एकसपर्टस ने इसकी जाँच की थी । हाइड्रोलाजिकल और जियोफिजिकल सर्वे का डाटा आई. आई. टी. खड़गपुर में है और जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया में प्राप्त है तो क्या उसके आधार पर भारत सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मुझे नहीं मालूम है कि क्या कोई एरियल सर्वे हुआ है अथवा नहीं । वास्तव में यह बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपाय है और यह राज्य का विषय है । यहां तक कि यह समवर्ती विषय भी नहीं है । वे योजनायें तैयार करते हैं और इन्हें अनुमोदन के लिये हमारे पास भेजते हैं । इस विशेष मामले में यह पूरी योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है । समय-समय पर हमारे विशेषज्ञ उनकी सहायता करने के लिये वहां पर गये हैं ।

श्रीमति कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि भारत सरकार ने हाइड्रोलाजिकल और जीओफिजिकल सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट आइ०आइ०टी० खड़गपुर और जिआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के पास है। अब यह रिपोर्ट इन संस्थानों के पास है तो उस के आधार पर आप क्या कार्यवाही कर रहे है ?

श्री ए०बी०ए० गनीखां चौधरी : मेरे पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमति कृष्णा साही : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि बिहार में 300 करोड़ रुपये की क्षति बाढ़ से होती है और उस में से 120 करोड़ रुपये की क्षति मात्र मुंघेर जिले में होती है ? क्या उस के आधार पर भारत सरकार कोई कम्पेन्सेशन देने जा रही है ?

श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी : मैं कह चुका हूं कि यह पूरी तरह से राज्य का विषय है। भारत सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

श्री डी0पी0 यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिल्कुल तैयारी कर के नहीं आये हैं। किस मंत्रालय ने क्या काम किया है, शायद इस की पूरी जानकारी उन को नहीं है। अभी परसों ही लोक सभा में यह रिपोर्ट रखी गई थी - यह राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट है इस में लिखा गया है कि भारत में जितना डेमेज फ्लड से होता है, उसका 23 प्रतिशत बिहार में होता है और बिहार में जितना नुकसान होता है, उसका 40 प्रतिशत केवल मुंघेर जिले में होता है। यह इस रिपोर्ट में कहा गया है - जिस का सम्बन्ध आप के मंत्रालय से है। मैं आप से जानना चाहता हूं कि बिहार में और विशेष कर मुंघेर में जो क्षति होती है, उस के लिये क्या आप कोई स्पेशल मेजर्ज लेने जा रहे हैं ?

श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी : यह मात्र एक सिफारिश हैं। पूरे भारत में भू - कटाव है। आम तौर पर यह होता है कि बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि राज्य की योजनाओं में उपलब्ध कराई जाती है। महत्वपूर्ण और आपाति योजनाओं के मामले में वास्तविक राज्य योजना को तैयार करते समय उचित ध्यान दिया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता कि है ऐसी योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रावधान किया गया है। विशेष मामलों में भारत सरकार कभी-कभी ऋण सहायता देने पर विचार करती है। पटना वाढ़ संरक्षण कार्य के लिये विहार राज्य को अग्रिम योजना सहायता दी गई थी। मुंघेर के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मुंघेर के लिये विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं।

श्री ए०बी०ए० गनीखां चौधरी : मैंने कहा है कि हम इस मामले पर विचार करेंगे लेकिन इसमें केन्द्र सरकार की बजाए राज्य सरकार की अधिक जिम्मेदारी है ।

श्री झारखण्ड राय ; मान्यवर, विशेषज्ञों की इस राय को ध्यान में रख कर कि बड़ी-बड़ी नदियों में बाढ़ इसलिए ज्यादा आ रही है कि नदियों के किनारों पर जंगलों को काट दिया गया है, नदियों के पानी तट तक खेत बनाकर जुताई-बुआई होती है ; हर साल बरसात में मिट्टी बह कर नदी में चली जाती है ; नदियों का पेटा ऊंचा होता जाता है, इसलिये बाढ़ ज्यादा आ रही हैं; क्या उपरोक्त के तथ्य की रोशनी में सरकार कम मे कम भारत की बड़ी-बड़ी नदियों के किनारों के दोनों तरफ दो-दो, तीन-तीन मील तक जंगल और घास लगाने की योजना पर विचार कर रही है जिस से मिट्टी न बहे और बाढ़ को रोका जा सके ?

श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी : मैं जानता हूं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या हैं । लेकिन यह राज्य का विषय है ।

श्री राम विलास पासवान : बाढ़ के कटाव से प्रति वर्ष जो नुकसान होता है उस में सब के पुनर्वास की व्यवस्था तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं उनके लिये व्यापक पैमाने पर पुनर्वास की योजना तैयार की जाये ? यदि इस तरह की निति पहले से है, तो बिहार में कितने भूमिहीन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ?

श्री ए०बी०ए० गनीखां चौधरी : हमारे पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । यदि राज्य सरकार इस बारे में प्रस्ताव करती है तो हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है । आप प्रश्न के तीसरे खंड को देखिये । इसमें लिखा हुआ है, यदि हां, तो क्या अब सरकार का विचार कटाव द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने का है ?

श्री ए०बी०ए० गनी खांन चौधरी : जैसा मैंने कहा है कि हमारे पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । लेकिन यदि राज्य सरकार हमसे ऐसा प्रस्ताव करती है तो केन्द्रीय सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी ।

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने स्टेटगवर्नमेंट से यह सूचना मंगवाई है कि कितने लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ? आपने स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में इन्फार्मेशन मंगवाई है ?

श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी : जैसा मैं कह चुका हूं कि हमें राज्य सरकारों से कोई जानकारी प्राप्त नही होती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जाती है ।

केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है लेकिन यदि राज्य सरकार हमसे यह प्रस्ताव करती है तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे ।

डा०राजेन्द्र कुमार वाजपेयी : अध्यक्ष जी, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से जो अलग अलग जगहों पर नुक्सान होता है, उस में मुंगेर जिले में 40 पर सेंट कटान और तरह तरह की बरबादी होती है । यह एक फैक्ट है और इसी तरह से दूसरी जगहों पर जब भी बाढ़ आती है, तो नुक्सान होता है और उसके लिए सेंन्ट्रल गवर्नमेंट से एक टीम जाती है और उसको देखती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट सैन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग करती है और तब वह उसकी मदद करती है। तो यह एक स्पेसीफिक क्वैश्चन है कि मुंगेर जिले में जहां इतनी बड़ी बरबादी हो रही है, इतना जमीन का कटान हो रहा है, तो क्या सरकार एक ऐसी योजना बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहेगी कि यह बरबादी रुके या अपनी टीम भेज कर कोई योजना बनावे ताकि जो नीह्यूमन मिजरी का दृश्य हर साल दिखाई देता है, वह समाप्त हो और सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी हर साल करोड़ों और अरबों रुपया इस पर खर्च करती है ? सैन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी योजना क्यों नहीं बनवाती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस विशेष प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि क्या इन गांवों के बारे में कोई पुनर्वास सम्बन्धी कार्यवाही की गई है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि मोकामा में रेलवे पुल के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हो गई है । क्या इसको देखते हुए भारत सरकार आश्वासन देगी की वह भू-कटाव कार्य को रोकने और पुनर्वास कार्य सम्बन्धी योजना में न केवल रुचि लेगी अपितु इस योजना के लिये वित्तीय सहायता भी देगी ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं इसको स्पष्ट कर चुका हूं ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले की कीमत में वृद्धि

***191. श्री सतीश अग्रवाल** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से कोयले की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री : श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले की कीमतें तीन बार बढ़ाई गई हैं । कोयले की खान मुहाना कीमत में दिनांक 17-7-1979 को अन्तिम बार की गई वृद्धि, राष्ट्रीयकरण के समय कोयला उद्योग में रही खान मुहाना कीमत की तुलना में 170 प्रतिशत है ।

श्री सतीश अग्रवाल : कोयले की कीमत में 170 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद, जो राष्ट्रीयकरण के समय प्रचलित थी सरकार का विचार कोल इंडिया में अदक्षता और भ्रष्टाचार को दूर करने तथा इसकी दक्षता में वृद्धि करने और कोयले की कीमत में स्थिरता लाने तथा इसे देश में कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : यह केवल अदक्षता अथवा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से इस बारे में विचार करने के लिये कहूंगा कि इसकी कीमत में किस प्रकार वृद्धि हुई है ? उदाहरणार्थ, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मजूरी वृद्धि तीन गुना हुई है जो 200 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त बिजली शुल्क में वृद्धि हुई है। यदि हम डम्पर जैसे उपकरणों की खरीद में वृद्धि पर विचार करें तो यह वृद्धि 45 प्रतिशत है। शावल (वेलचा) में वृद्धि 35 प्रतिशत है; ड्रेगलाइन में यह वृद्धि 200 प्रतिशत है। उपरोक्त सभी में वृद्धि हुई है। और जब कभी कोयले की कीमत में वृद्धि की जाती है तो इसे सदैव अलाभप्रद कीमत दी गई है। (व्यवधान)।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या यह सच है कि कोल इंडिया का सर्वाधिक घाटा 400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है ? यदि हां, तो कोल इंडिया के इस घाटे को कम करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि 'कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई है और कोल इंडिया को भारी घाटा हुआ है। क्या आप इसे कम करने के लिये प्रयास कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मूल रूप से उत्पादन में कमी हुई थी और यह 'उत्पादन का योजनाबद्ध स्तर तक' नहीं था जो उन्होंने कहा है। कुछ बाधाओं के कारण यह उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था। एक बाधा बिजली की थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य बाधा श्रमिक अशांति की थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह श्रमिक अशाँति किसने पैदा की है ? **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : वह बिगत की बात कर रहे हैं न कि वर्तमान की।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : तीसरी बाधा डीजल आदि की थी। हम इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय आप देख सकते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में प्रति माह जनता सरकार की तुलना में 20 करोड़ टन का अधिक उत्पादन हुआ है। वस्तुतः राष्ट्रीयकरण की अवधि के बाद 1976-77 तक उत्पादन में वृद्धि होती रही थी लेकिन इसके बाद के तीन वर्षों के लिये उत्पादन स्थिर रहा था। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने 20 लाख टन कहा है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : जी हां। यह स्थिर हो गया था; उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकी थी। अब हम बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने कहा है कि दो महीनों में यह 20 करोड़ टन अधिक हुआ था और उन्होंने इसे दोहराया है। इससे पता चलता है कि या तो वह गणित को नहीं समझते हैं अथवा मैं नहीं जानता।

आप इस सदन में तैयार हो कर क्यों नहीं आते ?

यह माजरा क्या है ?.....(व्यवधान)

हम आपकी समस्याओं के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। (व्यवधान)। आखिर कोई हद होती हैं। (व्यवधान)।

श्री वसंत साठे : उन्होंने केवल 20 लाख टन कहा है न कि 20 करोड़ टन।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप टेप से जांच-पड़ताल कर सकते हैं। उन्होंने दो बार 20 करोड़ टन दोहराया है। (व्यवधान)।

श्री वसंत साठे : उन्होंने 20 लाख टन कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: उन्होंने '20 करोड़' टन कहा है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शांति। अपना स्थान ग्रहण करें (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मंत्रीगण आते हैं और इस सदन के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं मानो यह एक प्रकार का किंडरगार्टन विद्यालय है .....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस कार्यवाही को नोट करके देखूंगा कि क्या कहा गया है। यह रिकार्ड किया गया मामला है। कृपया, शांति।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, टेप परिरक्षित किया जाना चाहिये। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं। मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा। (व्यवधान)। इस मामले के बारे में और कुछ नहीं कहा जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मंत्री महोदय लगातार सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह आम बात हो गई है.....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास रिकार्ड है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं।

कृपया, अब शांत हो जाइये । (व्यवधान) ।

आप क्या करने का प्रायस कर रहे हैं (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया ।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया अपना प्रश्न पूछेंगे ।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोयले की कीमत में वृद्धि के कारण वर्ष 1977 से पूर्व कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई थी ? और वर्ष 1977 के बाद स्थिति क्या है ? यदि यह कम है तो कृपया हमें उत्पादन कम होने के कारण बतायें ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : जैसा मैंने कहा है कि 1977 तक उत्पादन में वृद्धि हो रही थी । इसके बाद तीन वर्षों तक उत्पादन स्थिर बना रहा था । उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ था । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये । वह उत्तर दे रहे हैं । उनके उत्तर में व्यवधान न डालें ।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जनवरी-मार्च अर्थात् दो अथवा तीन महीनों में प्रति माह यह वृद्धि लगभग 100 लाख होगी ... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : तीन महीने ?

श्री ए० बी० ए० गनीखाँ चौधरी : जी हां, तीन महीने ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद हमें यह बतायेंगे कि क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसमें थोड़ा समय लगेगा ...(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक अनूपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूर्व भारत के अल्पज्ञात महाद्वीप से एक अनिभज्ञ प्रतिनिधि हूं... (व्यवधान) क्या माननीय मन्त्री हमें यह बतायेंगे कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अब तक कोकिंग कोल और कोयले की अन्य किस्मों की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई है और हर बार कितनी वृद्धि की गई है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खाँ चौधरी : यह वृद्धि तीन बार इस प्रकार की गई है । 1-4-1974 को जब कोयले की औसत मुहाना कीमत 37.50 रुपये से बढ़ाकर 47.50 रुपये प्रतिटन

की गई और यह वृद्धि 10 -रुपये प्रतिटन थी अर्थात् 26.6 प्रतिशत थी। दोबारा 1-7-197 को जब कोयले की औसत मुहाना कीमत 47.50 रुपये से बढ़ाकर 64.90 रुपये प्रतिटन कर दी गई थी। (व्यवधान) दोबारा 17-7-1979 को जब कोयले की औसत मुहाना कीमत 64.90 रुपये से बढ़ाकर 101.10 रुपये प्रति टन कर दी गई थी। लेकिन इस मामले में भी वृद्धि हुई थी; आप यहां से देख सकते हैं.. इगमें भी उत्पादन लागत शामिल की गई थी...।

श्री ज्योर्मिय बसु : मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पनिका।

श्री ए० बी० ए० गनी खाँ चौधरी : श्रीमान्, एक मिमट। मैं यह देखकर हैरान हूं कि सरकारी क्षेत्र के समर्थक अब बैन गये है.....(व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

श्री चन्द्रजीत यादव : वह इन शब्दों को वापस लें। यह एक माननीय सदस्य के बारे14 अ त्यन्त गम्भीर आक्षेप है। यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो वह उन्हें कहते हैं ** वह इन शब्दों को वापस लें .....।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या वह एक सदस्य को कह सकते हैं ** क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है ? वह इन शब्दों को वापस लें।

अध्यक्ष महोदय : आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। श्री पनिका।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि मैं उन्हें कहूं ** क्या असंसदीय है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

श्री पनिका।.....मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री राम प्यारे पनिका : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि अप्रैल 1977 से लेकर जनता रिजीम तक कितनी बार कोयले की कीमतें बढ़ीं ? तथा जो परसेंटेज आफ कास्ट है कोल इंडिया लिमिटेड का पूरे बिहार में वह 1977 से पहले क्या था और जनता पार्टी जब पावर से हटी तब क्या था ? कितनी बार प्राइसेज जनता रिजीम में बढ़ीं और दूसरे यह कि जो परसेंटेज आफ प्राइस था उसमें कांग्रेस सरकार और इनमें क्या फर्क था ? और तीसरे यह कि टोटल प्रोडक्शन का जो लोस रहा जनता रिजीम में वह क्या रहा ?

श्री ए० बी० ए० गनीखाँ चौधरी : जनता शासन के दौरान उत्पादन स्थिर हो गया था.....।

एक माननीय सदस्य : कीमतों में भी वृद्धि हुई थी।

श्री ए० बी० ए० गनीखाँ चौधरी : हमारे सत्ता में आने के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई थी। हमने कुछ प्रगति की है। जनता शासन के दौरान कितना घाटा हुआ था और हमारे शासन में कितना मुनाफा हुआ ? इस बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री ए० के० राय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको मालूम है कि अपने अंतिम दिनों में पिछले शासन की आखिरी देन मूल्य वृद्धि थी जिससे लोगों और प्रमुख उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के प्रमुख उद्योगों मुख्य रूप से इस्पात, बिजली और सीमेंट के उद्योगों पर इस मूल्य-वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है .....।

एक मानवीय सदस्य : उर्वरक उद्योग पर भी।

श्री ए० के० राय : दूसरे कोल इंडिया लिमिटेड में वितरण व्यवस्था सर्वाधिक खराब है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का विचार विशेष रूप से भारत के ग्रामीण लोगों के लिये नियंत्रित और निर्धारित मूल्यों पर कोयले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उपरोक्त मूल प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है।

श्री ए० के० राय : श्रीमान यह उत्पन्न होता है—विभिन्न वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव। मूल्य में वृद्धि करते समय मंत्रालय ने जन साधारण और प्रमुख उद्योगों आदि पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा होगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि प्रमुख उद्योगों पर इसका प्रभाव क्या होगा।

श्री ए० बी० ए० गनीखां चौधरी : मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं ।

श्री ए० के० राय : मेरा दूसरा प्रश्न यह है .....।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । आप इस प्रकार प्रश्न के अन्तर्गत आने वाले विषयों को बढ़ा नहीं सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह कोयले के उत्पादन में कमी के बारे में हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि हमारे इस्पात संयंत्रों में केवल दो दिन का कोयले का स्टाक है । औसतन उनके पास कम से कम 10 दिन का कोयले का स्टाक होना चाहिये लेकिन दो सप्ताह से तीन सप्ताह.....।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मामला इस मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : क्योंकि कोयले के उत्पादन में कमी हुई है .....।

अध्यक्ष महोदय : अब इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है । (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां पर विराजमान हैं आप क्यों शोर मचा रहे हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री बरोट, आप क्यों खड़े हैं ? कृपया बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सदन को आश्वासन देगें कि देश के इस्पात संयंत्रों की कोकिंग कोल की आवश्यकताओं को कम नहीं होने दिया जायेगा । क्या मंत्री महोदय इस सदन को आश्वासन देंगे कि इन्हें कोयले की कमी के कारण कोई कठिनाई नहीं होगी ?

अध्यक्ष महोदय : कोयले की कमी के कारण ।

श्री ए० बी० ए० गनीखां चौधरी : इस समय निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं हैं । हम इस बारे में भरसक कोशिश कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है इस समय बिजली की कमी है । अन्य कारण भी हैं । लेकिन हम इन दिक्कतों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं । हम देखेंगे ।

एक निर्वाचन निधि की स्थापना का प्रस्ताव

*** 192. श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

(क) क्या एक निर्वाचन निधि की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मण मलिक : हम चुनाव और चुनाव खर्च के बारे में अपनी सीमा जानते हैं । इन दिनों चुनाव खर्चे बहुत बढ़ गये हैं । अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण गरीब व्यक्ति इस प्रकार के भारी चुनाव खर्चा नहीं कर सकता है । यदि सरकार निर्वाचन निधि की स्थापना करके गरीब व्यक्तियों के बचाव के लिए आगे नहीं आती है तो गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आयेंगे । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार एक निर्वाचन निधि की स्थापना करने का है ?

श्री पी० शिवशंकर : जी नहीं । मैं ऐसा पहले कह चुका हूं ।

श्री अमर राय प्रधान : विभिन्न पार्टियों विशेष रूप से वामपंथी राजनीतिक पार्टियों की यह लम्बे अर्से से चली आ रही मांग है कि चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रावधान होना चाहिए । मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि तारकुंडे समिति ने इस बारे में कुछ सिफारिशे की है । उन्होंने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के लिये एक सिफारिश की है ताकि गरीब व्यक्ति और जन साधारण लोक सभा और विधान सभा के लिये चुनाव लड़ सके । मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने संबंधी इस मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग से कोई राय लेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : यह मामला राजनीतिक सुधार का एक हिस्सा है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जब कभी हम इस मामले पर विचार करेंगे तो हम निश्चित रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श करेंगे और निर्वाचन आयोग के विचारों को ध्यान में रखेंगे ।

डा० कर्ण सिंह : यदि मुझे ठीक तरह से याद है तो निर्वाचन आयोग ने कुछ महीने पूर्व स्वयं ही एक सुझाव दिया था कि सरकार चुनाव खर्चे के एक हिस्से को वित्त घोषित करने पर विचार करे । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जो चुनाव के अधिक खर्चे की समस्या को मूल रूप से छूता है । माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके

विचाराधीन नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या निर्वाचन आयुक्त द्वारा दी गई स्पष्ट टिप्पणियों को देखते हुए वह ऐसे किसी प्रस्ताव पर यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे ताकि चुनावों के अगले दौर की अवधि तक इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये जा सके ?

श्री पी० शिवशंकर : समय-सीमा के प्रश्न के बारे में इस चरण में आश्वासन देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री मगनभाई बरोट : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि चुनावों के दौरान इस राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र विरोधी और बहु राष्ट्रीय धनराशि आ रही है और वे चुनाव मशीनरी के लिये समस्यायें भी पैदा करते हैं। क्या मंत्री महोदय हमारी निर्वाचन मशीनरी की सुरक्षा के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये, कि इस धनराशि से हमारे चुनावों का निर्णय न हो, कोई तरीका ढूंढने पर विचार कर रही है ?

श्री पी० शिवशंकर : ऐसा दिखाई देता है कि मेरे माननीय मित्र के पास बहुत अधिक जानकारी है जो मेरे पास नहीं है। यदि वह इस जानकारी को मुझे प्रस्तुत कर दें तो मैं इस पर विचार करूंगा।

कर्नाटक में कोयले की कमी

* 185. श्री जी०वाई०कृष्णन : क्या **ऊर्जा और सिंचाई** तथा **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कर्नाटक राज्य में कोयले का अभाव है ;

(ख) क्या विशेषतया दक्षिण में रेलवे द्वारा कोयले के लदान की प्रणाली और स्थिति सन्तोषजनक है ;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य ने केन्द्र सरकार से राज्य के लिए अधिक कोटा मांगा है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) जी ,हाँ।

(ख) दक्षिण को कोयला भेजने के लिए वैगनों के की उपलब्धि में कुछ कमी रही है। सिंगरैनी कोलियरीज कं0 के बेलमपल्ली और रामागुंडम क्षेत्रों में बहुधा होने वाली हड़तालों का भी कोयले की लदान पर दुष्प्रभाव पड़ा है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) राज्य सरकार ने कर्नाटक में कोयले और कोक की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया था और सप्लाई बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था।

(घ) कोयले का उत्पादन बढ़ाने और संचलन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि कर्नाटक सहित सभी राज्यों की कोयले की मांग पूरी की जा सके।

"इन्फलेटेड पावर बिल्स अपसेट कन्ज्यूमर्स" शीर्षक समाचार

*187 **श्री सी०टी० दण्डपाणि :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 29 फरवरी, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली, में "इन्फलेटेड पावर बिल्स अपसेट कन्ज्यूमर्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस समय सभी बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए जाने के लिए बम्बई की एक फर्म को भेजे जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस फर्म के साथ ठेका किस प्रकार से किया गया तथा इस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(घ) यह पद्धति लागू करने से दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को वित्तिय दृष्टि से क्या लाभ हुआ है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री श्री (ए०बी०ए० गनीखान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी, नही। बिलों को कम्प्यूटर द्वारा तैयार करने का कार्य बम्बई/दिल्ली की चार फर्मो को समान रूप से दिया गया है। बिलों को कम्प्यूटर द्वारा तैयार करने की स्कीम दिल्ली में लग-भग कुल 9 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर लागू की गई है।

(ग) बाम्बे सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड, बम्बई, जिनके पास अपना कम्प्यूटर केन्द्र है, के द्वारा विकसित की गई और उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही प्रणाली का अध्ययन किया गया था और यह पाया गया था कि प्रयोगात्मक उपाय के रूप में पायलट परियोजना बाम्बे सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड को सोंपी जा सकती है। अतः लगभग 22,000 विद्युत उपभोक्ताओं के बिल कम्प्यूटर द्वारा बनाने का ठेका बातचीत द्वारा तय की गई दरों पर मैसर्ज बाम्बे सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड को दिया गया था। प्रथम बार का प्रभार, जिसमें प्रणाली डिजाइन, कार्यक्रम तैयार करना और मानक आंकडें तैयार करना शामिल है, लगभग 43,000 रुपए है तथा बिल तैयार करने का आवर्ती मासिक प्रभार लगभग 22,000 रुपए है।

5 के० डब्ल्यू० से कम बिद्युत उपभोग करने वाले घरेलू/गैर घरेलू/लघु उद्योग उपभोक्ताओं के बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार करने के ठेके सीमित निविदाओं के आधार पर निम्नलिखित चार फर्मों को दिए गग हैं :—

1. मैसर्ज बाम्बे सब-अर्बन कलेक्ट्रिक सप्लाई, लिमिटेड, बम्बई/नई दिल्ली ।

2. मैसर्ज टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज, नई दिल्ली ।

3. मैसर्ज मास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ।

4. मैसर्ज कम्प्यूट्रोनिक्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिब्ली ।

पहली बारे में प्रभार के रूप में एक रूपया प्रति कनेक्शन की दर से इसमें लगभग 4.5 लाख रुपए का व्यय शामिल है तथा 4·5 लाख कनेक्शनों के लिए आवर्ती त्रिमासिक प्रभार लगभग 2 लाख रुपए है ।

(घ) हाथ द्वारा बिल तैयार करने में लगने वाली लागत की तुलना में कम्प्यूटर-पद्धति के फलस्वरूप बिल तैयार करने की लागत काफी कम हो जाएगी । कम्प्यूटर-पद्धति के परिणाम-स्वरूप दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को निम्नलिखित लाभ भी होंगे :—

1. बिल बनाने की तारीख और बिलों की राशि की वसूली करने की तारीख के बीच की अवधि कम हो जाएगी ।

2. बकाया राशि की शीघ्र की वसूली की जा सकेगी चूंकि बकाया राशि की मासिक सूचियां तथा कनेक्शन काटने के नोटिस कम्प्यूटर एजेंसी से प्राप्त किए जा सकेंगे ।

———

समाचार पत्रों को विज्ञापन देने का मानदंड

*189. **श्री के० मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री :** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) समाचार पत्रों/पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) क्या ऐसे मामले हुए हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान समाचारपत्रों और पत्रीकाओं को विज्ञापन नहीं दिए गए थे, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे):

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सरकार की जिस विज्ञापन नीति का अनुपालन करता है, उसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं ।

(ख) जी, हां कुछ रिपोर्टें हैं जहां गत दो वर्षो के दौरान नीति के विपरीत समाचारपत्रों को विज्ञापन देने से इंकार किया गया था । इन मामलों की फिर से जाँच की जा रही है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे ।

(ग) मामलों की व्यापक समीक्षा करने पर ही कारणों का पता चलेगा ।

विवरण

सरकार की विज्ञापन-नीति

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय , जो भारत सरकार का एक केन्द्रीय प्रचार संगठन है, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संबद्ध एंव अधीनस्थ कार्यालयों और अनेक स्वायत्तशास्त्री निकायों की ओर से विभिन्न समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रो को विज्ञापन देता है सरकारी विज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यथा संभव अधिक प्रचार करना है सरकारी विज्ञापनों को देने में राजनीतिक संबद्धताओं को ध्यान में नही रखा जायेगा । तथापि, विज्ञापन उन समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों को जारी नही किए जाऐगे जो साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारते है या हिंसात्मक कार्रवाईयों का समर्थन करते है या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदर्शो संबंधी सर्वमान्य परम्पराओं का उल्लंघन करते हैं ।

2. लक्ष्य यह है कि विज्ञापनों को संतुलित और सम्यक रूप से दिया जाए । सरकारी विज्ञापनों का लक्ष्य वित्तीय सहायता करना नहीं है । तथापि सरकार के मुख्य सामाजिक उद्देश्यों के अनुसरण में, निम्नलिखित को महत्व दिया जायेगा :-

(क) छोटे और मझौले दर्जे के समाचारपत्र और नियतकालिक पत्र ;

(ख) भाषायी सामाचरपत्रों और नियतकालिक पत्र;

(ग) विशिष्ट, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं ;

(घ) पिछड़े, दूरस्थ या सीमावर्ती क्षेत्रो में प्रकाशित होने वाले पत्र और नियतकालिक पत्र ।

(ड़) अन्य कोई श्रेणी जिसे सरकार विशेष और वास्तविक कारणो से उपयुक्त समझे ।

(3) छोटे, मझौले और बड़े समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जायेगा :-

(1) छोटे — 15,000 परिचालन संख्या तक ।

(2) मझौले — 15,000 और 50,000 के बीच परिचालन संख्या

(3) बड़े — 50,000 से अधिक परिचालन संख्या ।

(4) विज्ञापन देने के लिए समाचारपत्रों का चयन करने में, उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जायेगा :- ।

(क) जीवन के विभिन्न क्षेत्रो के पाठकों में प्रचार करना विशेषकर राष्ट्रीय अभियानों के मामले में ।

(ख) विज्ञापनों के संदेश पर निर्भर करते हुए समाज के विशिष्ट वर्गो तक पहुंचना ।

(ग) केवल उन्हीं समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का उपयोग करना जिनका बिक्री की न्यूनतम संख्या 2,000 प्रतियों से कम न हो । निम्नलिखित मामले में ढ़ील दी जायेगी :-

(1) उर्दू और सिंधी के पत्रों के मामले में, बिक्री न्यूनतम 1000 प्रतियां सरकारी विज्ञापनों के अर्हक होगी ।

(2) विशिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं के मामले में बिक्री न्यूनतम 500 प्रतियां सरकारी विज्ञापनों के लिए अर्हक होगी ।

(3) संस्कृत के पत्रों और विशेषकर पिछड़े सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रो या जनजाति भाषाओं में या मुख्य रूप से जनजातियों के पाठकों के लिए प्रकाशित होने वाले पत्रों के मामलो में, बिक्री की न्यूनतम 500 प्रतियां सरकारी विज्ञापनों के लिए अर्हक होंगी ।

(घ) समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का कम से कम 6 महीने तक निर्बाध और नियमित प्रकाशन होना चाहिए ।

(ङ) केवल उन्ही यथार्थ समाचारपत्रों का उपयोग करना जो सामयिक मामलों पर समाचार या लेख प्रकाशित करते हैं ; इसी तरह केवल उन्ही मानक पत्रिकाओं/नियतकालिक पत्रों का उपयोग करना जो वैज्ञानिक, कला, साहित्य, खेलकुद, फिल्म, सांस्कृतिक मामलों इत्यादि के विषयों पर होते हैं ।

(च) घरेलू पत्रिकाओं और स्मारिकाओं को शामिल नही किया जायेगा ।

(छ) प्रभाव, मुद्रण स्तर तथा भाषा और क्षेत्र जिनमें प्रचार किया जाना हैं ।

5. मुद्रण स्तरों के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां लागू होगी :-

एक दैनिक समाचारपत्र के प्रतिदिन न्यूनतम चार पृष्ट होने चाहिए और उसका आकार 45 सेंटीमीटर×7 स्टेंडर्ड कालम चौड़ा या उसमें समकक्ष मुद्रित स्थान होना चाहिए। साप्ताहिकों और पाक्षिकों के पृष्ठ और उनका आकार निम्नानुसार होना चाहिए :-

मुद्रित क्षेत्र इससे कम न हो	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
30 सें०मी० × 4 कालम	6 या समकक्ष मुद्रित स्थान
20 सें०मी० × 3 "	12 तथैव
15 सें०मी० × 2 "	24 तथैव

साप्ताहिकों और पाक्षिकों से दूतर नियतकालिक पत्रों के निम्नलिखित पृष्ठ और आकार होने चाहिए :-

आकार	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
20 सें०मी० × 3 कालम	32
15 सें०मी० × 2 कालम	40

अपबाद केवल उन्ही समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों के भी मामले में जो जनजाति भाषाओं या जनजातियों के पाठकों के लिए प्रकाशित होती है।

6. बड़े और मझौले पत्रो/नियतकालिक पत्रो के मामले में परिचालन संख्या किसी व्यवसायिक ख्यातिप्राप्त निकाय या संस्थान के प्रमाण पत्रों के आधार पर स्वीकृत होगी। छोटे समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रो के मामले मे परिचालन संख्या के बारे में रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाँऊटेंट का प्रमाण-पत्र होना चाहिए परिचालन संख्या के आंकडे गलत पाए जाने पर समाचारपत्रों/नियत-कालिक पत्रों को विज्ञापनों के लिए अपात्र कर दिया जायेगा। इसके अलावा उनके विरूद्ध अन्य वह कार्रवाई भी की जा सकेगी जो सरकार उयुक्त समझे।

7. **विज्ञापन दरें** : सरकारी विज्ञापनों की दरों का ढांचा उपर्युक्त सिद्धान्तों पर आधारित होगा।

दामोदर घाटी निगम के ताप बिजलीघर में ट्यूब निःसरण

*** 193. श्रीमति गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के ताप बिजलीघर में बार-बार होने वाले ट्यूब निःसरण (ट्यूब लीकेज) के बारे में कोई तकनीकी अध्ययन किया गया है :

(ख) यदि हां तो उस अध्ययन के परिणाम क्या हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसा न हो, वास्तव में क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : बायलर ट्यूबों में खराबी होने के कारणो का अध्ययन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया गया है। इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप यह पता लगा है कि खराबी इन कारणों से हुई : (क) कोयले में राख की मात्रा अधिक होना, (ख) बायलरों में जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है उसमें अपघर्षी सामग्री होना, (ग) अधिक समय तक कार्य करते रहने के कारण बायलरों के भीतरी भाग में जमाव हो जाने के कारण ओवर-हीटिंग, (घ) बायलरों के डिजाइनों पैरामीटरों की अपर्याप्तता तथा कुछ मामलों में काम के अधिक भार के कारण खराबियाँ तथा (ङ) जल रसायन तथा दहन नियंत्रण से सम्बद्ध समस्याएं।

(ग) इन खराबियों को कम से कम करने की दृष्टि से बायलरों के आन्तरिक रूप भेद, देशी और विदेशी स्रोतों से प्राप्त किए जा रहे हैं। बृहद ताप विद्युत केन्द्रों में खराबियों की जांच करने, इन समस्याओं को देखने और जहां आवश्यक हो, वहां उपचारी उपाय सुझाने के लिए अगस्त, 1979 में एक टसक-फोर्स का गठन किया गया है।

उत्तर भारत में बिजली की कमी

*** 194. श्री पी०के० कोडियन** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में अभी भी बिजली का गंभीर अभाव बना हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में निरन्तर चली आ रही बिजली की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनीखान चौधरी) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उत्तर भारत में बिजली की कमी के बारे में 25-3-1980 को लोकसभा उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं0 194 के भाग (क) से (ग) उत्तर में निर्विष्ट विवरण

(क) : उत्तरी क्षेत्र के कुछ राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान इस समय बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) : इन राज्यों में बिजली की कमी के मुख्य कारण 1979 में मानसून का फेल हो जाना है जिसके परिणामस्वरूप जलाशयों में जल का स्तर कम रहा और इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के जल विद्युत केन्द्रों से कम विद्युत उपलब्ध हुई। मांग में, विशेषकर सूखे के कारण तथा फसल के स्वरूप में परिवर्तन होने से भी कृषि क्षेत्र में मांग में वृद्धि हुई है। देहरपोंग तथा राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र, कोटा के कुछ उत्पादन यूनिट बन्द हो जाने के कारण भी उत्पादन में कुछ हानि हुई है। इन कारणों से क्षेत्र में समग्र रूप से लगभग 25% की कमी हुई है। पिछले कुछ दिनों में बदरपुर यूनिट चार तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पुनः चालू हो जाने से, तथा अप्रेल 1980 के पहले सप्ताह तक कृषि संबंधी भारों में प्रत्याशित कमी से, स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

(ग) : इन राज्यों में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) जबरन बन्द पड़े यूनिटों को शीघ्रता से चालू करके मौजूदा ताप-विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना।

(2) क्षेत्र में ताप-विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाना;

(3) पड़ोसी राज्यों को बदरपुर तथा मध्य प्रदेश से विद्युत की सप्लाई की व्यवस्था करना।

दूरदर्शन केन्द्रों में काम करने का समय

* 195. **श्री नरसिंह मकवाना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कितने दूरदर्शन केन्द्र पूर्णकालिक आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा कितने अंशकालिक आधार पर; और

(ख) किन राज्यों में दूरदर्शन केन्द्र हैं और किन राज्यों में नहीं हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अनुमानतः, प्रश्न में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्रों और प्रक्षेपण केन्द्रों/प्रसारण केन्द्रों के बारे में सूचना मांगी गई हैं। फिलहाल, 7 पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र, 3 प्रक्षेपण केन्द्र और 7 उत्तर वर्ती "साइट" प्रसारण केन्द्र हैं।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिनमें दूरदर्शन केन्द्र है :

1. आन्ध्र प्रदेश	2. बिहार	3. गुजरात
4. जम्मू और काश्मीर	5. कर्नाटक	6. मध्य प्रदेश
7. महाराष्ट्र	8. उड़ीसा	9. पंजाब
10. राजस्थान	11. तमिलनाडु	12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल	14. दिल्ली (संघशासित क्षेत्र)	

राज्य/संघशासित क्षेत्र जिनमें दूरदर्शन केन्द्र नहीं हैं :

1. असम	2. हरियाणा	3. हिमाचल प्रदेश
4 मणिपुर	5. मेघालय	6. केरल
7. नागालैंड	8. सिक्किम	9. त्रिपुरा
10. अरूणाचल प्रदेश	11. मिजोरम	12. अंडमान एवं निकाबार द्वीपसमूह
13. पांडिचेरी	14. गोवा, दमन और दीन	15. लक्षदीप, मिनिकाय एवं अमीन दीव द्वीप समूह
16. चंडीगढ़	17. दादरा और नागर हवेली	

: संघ शासित क्षेत्र

नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिये पूर्वविरचित ढांचों के निर्माण के लिये एकक

*** 196. श्री आर०पी० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाल नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए बड़े-बड़े पूर्व-विरचित ढांचों के निर्माण हेतु एककों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सोवियत

विशेषज्ञों के एक दल ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों के साथ दक्षिण गुजारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हाँ तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) सोवियत दल ने विभिन्न क्षमताओं वाले पूर्व-विरचित ढांचों के निर्माण के लिए एक उद्यम की स्थापना हेतु प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं । इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

फिल्म सेंसर के लिए नये मापदंड

*** 197. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में फिल्म सेंसर के लिए नये मापदंड बताये हैं । और इसमें चुम्बन के दृश्य दिखाये जाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो नये मापदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेंसर के मापदंडों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

निजी व्यक्तियों द्वारा चोरी-छिपे बहुत सी कोयला खानों का संचालन

*** 198. श्री आर०पी० यादव** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी व्यक्तियों द्वारा बहुत सी कोयला खानें सरकार को किसी प्रकार की कोई सूचना दिए बिना चोरी-छिपे चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि कुछ गैर सरकारी व्यक्ति कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम, 1976

की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए कोयले का गैरकानूनी खनन कर रहे हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, लोहा और इस्पात कम्पनियों को छोड़ कर, सभी गैर-सरकारी लोगों के खनन पट्टों को रद्द कर दिया गया था।

(ख) जहाँ कहीं ऐसे मामले पता चले हैं वहां उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियमों की व्यवस्थाओं की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

सुपर तापीया परियोजनाएं

*199 **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार सुपर तापीय परियोजनाओं की प्रगति इस समय किन चरणों में हैं ;

(ख) क्या सभी परियोजनाओं को समय सूची के अनुसार आरम्भ किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं तो उनके क्या कारण हैं ;

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) से (ग) : राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपी गई चार सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी जाती है :—

सुपर ताप विद्युत केंद्र का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2
1. सिंगरौली— (1) चरण-1 (3 × 200 मेगावाट)	1976 में स्वीकृत इस परियोजना के इस चरण के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पायलिंग कार्य पूरा कर लिया गया है तथा नींव का कंकीरीट कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। मुख्य संयंत्र और उपस्कर का ठेका फरवरी, 1978 में दे दिया गया था। बायलर का उत्थापन कार्य चल रहा है तथा टर्बो जेनरेटर का उत्थापन कार्य हाथ में लिया गया है। प्रथम यूनिट के 1981-82 में चालू होने की आशा है तथा कार्यक्रम के अनुसार, शेष दोनों यूनिटों के 1982-83 में चालू होने की संभावना है।

1	2
(2) चरण-2 (विस्तार परियोजना) (2×200 मेगावाट+ (2×500 मेगावाट)	इस चरण की घुलाई, 1979 में स्वीकृत किया गया था। 200 मेगावट की यूनिटों के टर्बोजेनरेटर तथा बायलर के लिए आर्डर दे दिया गया है। स्थल पर पायलिंग और नींव का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार, 200-200 मेगावाट वाली दो यूनिटों के 1983-84 के दौरान चालू होने की आशा है। 500-500 मेगावाट वाली दो यूनिटों को 1984-85 तथा 1985-86 में चालू करना मूलरूप से परिकल्पित हैं। यद्यपि, प्रतिष्ठापित की जाने वाली इस आकार की ये यूनिटें देश में दूसरी तथा तीसरी यूनिटें होंगी। इन यूनिटों का आर्डर दिए जाने से पहले पर्याप्त तकनीकी प्रारम्भिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस कारण, 500 मेगावाट वाली इन यूनिटों को चालू करने में मूल कार्यक्रम की तुलना में कुछ देरी होने की संभावना है।
2. कोरबा चरण-1 (3×200 मेगावाट 1×500 मेगावाट)	इस परियोजना के लिए सरकार ने स्वीकृति अप्रैल, 1978 में दी थी। मुख्य संयंत्र के क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। स्थल को समतल करने का कार्य तथा प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। पायलिंग तथा नींव का कार्य चल रहा है। मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए ठेका जनवरी, 1979 में दिया गया है। बायलर का उत्थापन कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 200 मेगावाट के प्रथम यूनिट के 1982-83 में चालू होने की आशा है तथा 200-200 मेगावाट वाली दो यूनिटों के 1983-84 में चालू होने की संभावना है। इस परियोजना के मामले में भी 500 मेगावाट वाली यूनिट को, मूल कार्यक्रम की तुलना में कुछ देर से चालू किया जाएगा।
3. रामागुंडम— चरण-1 (3×200 मेगावाट+ 1×500 मेगावाट)	इस परियोजना के लिए सरकार ने स्वीकृति अप्रैल, 1978 के दौरान दी थी। परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के एक बड़े भाग का अधिग्रहरण कर लिया गया है तथा शेष भूमि अधिग्रहण की विभिन्न अवस्थाओं में है। स्थल

1	2
	पर अवसंरचनात्मक कार्य चल रहे हैं। स्थल को समतल करने तथा ग्रेडिंग करने का कार्य चल रहा है। 200-200 मेगावाट की यूनिटों के लिए मुख्य संयंत्र उपस्कर का ठेका फरवरी, 1980 में दे दिया गया है। तदनुसार अब ये यूनिट 1983-84 तथा 1984-85 में चालू होंगे। रामागुंडम में भी 500 मेगावाट की यूनिट को चालू करने का कार्यक्रम, आर्डर दिए जाने की तारीख के अनुसार, आगे बढ़ा दिया जाएगा।
4. फरक्का — चरण-1 (सोपान-एक) (3 × 200 मेगावाट)	परियोजना के लिए सरकार की स्वीकृति मार्च, 1979 में दी गई थी। मुख्य संयंत्र के क्षेत्र के लिए भूमि के बड़े भाग का अधिग्रहण कर लिया गया है। शेष भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। स्थल को समतल करने का कार्य स्थल पर आरम्भ कर दिया गया है। निर्माण के लिए विद्युत और जल की आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए टेन्डर मंगाये गए हैं। 200 मेगावाट की प्रथम यूनिट को मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने से चार वर्षों के भीतर चालू करने का कार्यक्रम है तथा 200-200 मेगावाट वाली बाद की यूनिटों को इसके बाद छः-छः महीने के अन्तर से चालू करने का कार्यक्रम है।

यह उल्लेखनीय है कि सुपर ताप-विद्युत परियोजनाओं में 500 मेगावाट के ये यूनिट भारतीय विद्युत प्रणाली में जोड़े जा रहे कुछ ऐसे पहले यूनिट हैं जिनकी प्रोद्योगिकी तथा विशेषज्ञता भारतीय विद्युत उद्योग के लिए नई है। अतः इनकी विशिष्टियाँ सावधानीपूर्वक तैयार करनी होंगी।

उपर्युक्त सुपर ताप-विद्युत केन्द्रों के अलावा, नेवेली में 630 मेगावाट क्षमता वाले सुपर ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति सरकार ने फरवरी, 1978 में दे दी है। इस केन्द्र का विस्तार 1260 मेगावाट तक किए जाने का प्रावधान है। यह परियोजना नेवेली लिग्नाइट निगम को क्रियान्वयन के लिए सौंप दी गई है। पहले और दूसरे उत्पादन यूनिट के 1983-84 में तथा तीसरे यूनिट के 1984-85 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

कोल इण्डिया लिमिटेड को देय राशि

* 201. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं से बकाया अदायगी के रूप में लगभग 80 करोड़ की राशि कोल इण्डिया को देय है ;

(ख) क्या बकाया भुगतान न करने वालों में रेलवे, इस्पात संयंत्र और विद्युत संयंत्रों जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मुख्य हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बकाया राशि को तेजी से वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) बिक्री बकाया की वसूली और भुगतान के लिए बकाया रकम से सम्बधित विवादों को तय करना एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है । कोयला कम्पनियां इस बारे में विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ लिखा पढ़ी जोर कार्रवाई कर रही है ।

कोयला उद्योग को विस्फोटकों की कमी

* 202. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष के मध्य में देश में कोयला उद्योग के लिए विस्फोटकों की कमी होने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) विस्फोटक पदार्थों का आयात करने के लिए की गई कार्रवाई के फलस्वरूप वर्ष के मध्य में इनकी कमी होने की कोई संभावना नहीं है ।

"व्हाई सो मच इररेगुलरिटीज ईस्टर्न कोल फील्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1532. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, के एक बंगाली साप्ताहिक "कोल फील्ड टाइम्स" संस्करण में "व्हाई सो मच इररेगुलरिटीज इन ईस्टर्न कोल फील्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो सविस्तार बताइये कि इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समाचार पत्र की रिपोर्ट के पूरे मामले की जांच कराने की है; और

(ग) यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) (ख) और (ग) इस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस लेख के सम्बन्ध में कोल इण्डिया लि० से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो विस्तृत रिपोर्ट मिल जाने के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

साफ्ट कोक की कमी

1533. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू उपयोग के लिए साफ्ट कोक की कमी के कारण दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में परेशानी पैदा हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कीमतों में कई गुणा वृद्धि होने के कारण उपभोक्ताओं पर भारी दवाब पड़ा है; और

(ग) इस वस्तु को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने तथा इसकी कीमतों को भी कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल वैगन अपर्याप्त संख्या के मिलने के कारण दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में साफ्ट कोक की कमी अनुभव की गई है।

(ख) साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमत रु० 110- प्रति टन नियत की गई है। कुछ उपभोक्ता अपनी जरूरत का कुछ साफ्ट कोक अधिक भाड़ा देकर सड़क द्वारा भी ले गए अत: उपभोक्ता केन्द्रों में साफ्ट कोक की कीमतों के बढ़ने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) मार्च महीने से विभिन्न राज्यों को 270,000 टन साफ्ट कोक प्रति माह भेजने की एक योजना बनाई गई है। इस उद्देश्य के लिए वैगनों की सप्लाई बढ़ाने की योजनाएं भी रेल

मंत्रालय से परामर्श करके बनाई गई हैं। कोयला अधिक मिलने पर तथा कोयले की ढुलाई रेल द्वारा होने पर कीमतों में कमी होने की आशा है।

इकोनामिक टाइम्स, कलकत्ता का प्रकाशित न होना

1534. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा निकाले जा रहे समाचार पत्र "दि एकोनामिक टाइम्स", कलकत्ता के प्रकाशित न होने का पता है और क्या इसका प्रकाशित न होना कर्मचारियों एवं प्रबन्धकों के बीच विवाद के कारण है;

(ख) क्या सरकार को इकोनामिक टाइम्स के कलकत्ता के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन द्वारा औपचारिक रूप से स्थिति बता दी गई है; और

(ग) सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कराने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) **और (ख)** : जी, हां।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत ईकनामिक टाइम्स से संबंधित औद्योगिक संबंध राज्य क्षेत्र में आते हैं और वह पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह मामले में उपयुक्त कार्यवाई करे।

न्याय को कम खर्चीला बनाने का प्रस्ताव

1535. **श्री मधु दंडवते** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय प्रक्रिया को कम खर्चीली बनाने और उसमें शीघ्रता लाने के लिए कोई ठोस योजना बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :

(क) और (ख) : इस तथ्य के होते हुए भी कि विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में यह कहा कि बुनियादी तौर पर न्याय प्रशासन की प्रणाली ठीक और कुल मिला कर

बिजली की दरों में वृदधि

1536 **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की दरों में वृद्धि करने का विचार है जैसा कि किसी अध्ययन दल ने सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां; तो कितनी ; और

(ग) यदि नहीं; तो अध्ययन दल की इन सिफारिशों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) : विद्युत सप्लाई उद्वयोग के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री वी० जी० माजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विद्युत समिति नियुक्त की है । अन्य मामलों के अलावा यह समिति टैरिफ की संबंधी बिभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है । हकीकत की रिप्रोर्ट अभी प्राप्त होनी है ।

(ख) **और** (ग) : उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी कलकत्ता से आदिवासियों पर गोली चलाये जाने के बारे में समाचार बुलेटिन

1537. **श्री शिशु सोरेन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से 5/6 फरवरी, 1980 को प्रसारित उस समाचार बुलेटिन का पता है जिसमें पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के नेतुरिया पुलिस थाने पर आदिवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने का समाचार था ।

(ख) क्या यह सच है कि समाचार बुलेटिन में घटना का गलत ब्यौरा बता कर यह मुख्य तथ्य छिपाया गया है कि पुलिस के गोली चलाए जाने के कारण श्री राघव क्युजभ नामक एक आदिवासी की मृत्यु हो गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य द्वारा इस वारे में लिखित रूप से बताए जाने के उपरांत भी आकाशवाणी कलकत्ता ने अपने पहले के प्रसारण को ठीक नही किया ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) और (ख) : जी, नहीं 5 या 6 फरवरी, 1980 को आकाशवाणी, कलकत्ता ने ऐसा कोई समाचार नहीं दिया। तथापि, इस बारे में 8 फरवरी 1980 को सांय 6.10 बजे के संथाली बुलेटिन में और सांय 6.35 बजे के ग्रामिण बुलेटिन में एक समाचार प्रसारित किया गया था। पुलिस स्रोत का उल्लेख करते हुए, समाचार में यह कहा गया था कि पुलिस द्वारा गोली चलाने पर एक आदिवासी को गहरी चोट आई है और चोट के कारण उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विदेशों के समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापन

1538. श्री नारायणचन्द पाराशर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय विदेशों में प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को कोई विज्ञापन देता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में सरकार द्वारा अपनाई गई निति की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) विदेशों में प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को नियमित रूप से विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं - तथापि, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे विशेष अवसरों पर विदेश मंत्रालय या संबंधित भारतीय मिशन के अनुरोध पर विदेशी समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं। क्योंकि विदेशों में समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए नवम्बर, 1977 की विज्ञापन नीति में कोई प्रावधान नहीं है ऐसे समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं, विशेषकर विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा प्रकाशित, को विज्ञापन देने के लिए कोई कार्य प्रणाली निधारित करने के प्रश्न पर विदेश मंत्रालय की सलाह से जाँच की जा रही है।

दोषपूर्ण भार-प्रबन्ध तकनीकों के कारण बिजली की कमी

1539. श्री के० राममूर्ति : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित बिजली के 20 प्रतिशत भाग की दोषपूर्ण भार प्रबन्ध तकनीकों के कारण हानि हो जाती है, जेसा कि पटना में हाल ही में हुए भारतीय मानव संस्था के 18वें सम्मेलन में कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : हाल ही में पटना में हुए भारतीय मानक संख्या के 13वें सम्मेलन में ये कहा गया था कि उत्पादित विद्युत ऊर्जा के लगभग 20% की हानी पारेषण और वितरण के दौरान हो जाती है। वर्ष 1978-79 के दौरान देश में प्रणाली हानियां, जिसमें पारेषण, ट्रांसफार्मेशन तथा विवरण हनियां शामिल है, 19.81% थीं। विकसित देशों की तुलना में भारत में ये हानियां काफी अधिक हैं। इन हानियां, को कम करने के लिए किए जाने वाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों की जानकारी राज्य बिजली बोर्डो को है। मौजूदा साधनों सम्बन्धी सीमाओं के भीतर ही, राज्य विजली बोर्ड इन हानियों को कम करने के लिए प्रणाणी सुधार परियोजाएं हाथ में ले रहे हैं।

उच्चत्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवनिवृत्त न्यायाधीशों को विशेष कार्य सौंपा जाना

1540. श्री अर्जुन सेठी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चत्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विशेष कार्य सौंपे गये हैं ;

(ख) उनको सोंपे गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सौंपे गये उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी चल रहे हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में बिजली की आवश्यकता

1541 श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या ऊर्जा तथा सिंचई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उद्योग, कृषि तथा घरेलु उपयोग के लिए विभिन्न कार्यों के लिए मलग-अलग कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है ;

(ख) राजस्थान में विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोत क्या हैं तथा प्रत्येक में कितनी बिजली उत्पादित होती है ; और

(ग) राजस्थान में बिजली की आवश्यकता किन विभिन्न स्रोतों से पूरी की जाती है तथा प्रत्येक सोत से कितनी-कितनी बिजली सप्लाई की जाती है।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की ऊर्जा की वर्तमान दैनिक आवश्यकता 15.7 मिलियन यूनिट है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

1- कृषि	: 8.00 मिलियन यूनिट
2- घरेलु तथा वाणिज्यिक	1·5 मिलियन यूनिट
3- उद्योग	6.2 मिलियन यूनिट
	जोड़ 15.7 मिलियन यूनिट

(ख) और (ग) राजस्थान में विद्युत उत्पादन के स्रोत तथा प्रत्येक स्रोत द्वारा उपलब्ध की जाने वाली विद्युत की वर्तमान मात्रा नीचे बताई गई है :—

विद्युत का स्रोत	उत्पन्न विद्युत की मात्रा मिलियन यूनिट/प्रतिदिन
1- भाखड़ा-नंगल (राजस्थान का हिस्सा)	2.1
2- देहर (राजस्थान का हिस्सा)	0 7
3- पोंग (राजस्थान का हिस्सा)	1.4
4- राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर (राजस्थान का हिस्सा)	2 8 चम्बल सतपुड़ा
5- नीमच-उदयपुर पारेषण लाइन पर मध्य प्रदेश से सहायता	0.2
6- राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र	शून्य
7- लचु ताप विद्युत	0.19
	7.4

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र 22 फरवरी, 1980 से जबरन बन्दी में है और इसके 23 मार्च, 1980 तक पुन: चालू हो जाने की उम्मीद है। जब यह यूनिट चालू हो जायेगा, राजस्थान को प्रतिदिन 4 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध होगी। उपर्युक्त के अलावा, दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केन्द्रीय सेक्टर के बदरपुर ताप बिद्युत केन्द्र से राजस्थान को प्रतिदिन 0.6 मिलियन यूनिट तक विद्युत राहत के रूप में सप्लाई की जा रही है।

गुजरात में नर्मदा परियोजना के लिये पूर्व-विरचित ढांचों के निर्माणार्थ कारखाना :

1542. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में नर्मदा परियोजनाओं के लिये पूर्वविरचित ढांचों का निर्माण करने के प्रयोजन से एक कारखाने की स्थापना के लिये भारत और सोवियत संघ के बीच एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जैसा कि 3 मार्च, 1980 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों के अधिकारियों के क्या नाम हैं और सोवियत शिष्टमंडल के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) उक्त परियोजना में उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ; वहां किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा और उक्त परियोजना पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च होगी ; और

(घ) इस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ;

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) नहरों, उन पर बननेवाली संरचनाओं के निर्माण और नहरों की लाइनिंग जैसे कार्यों के वास्ते पूर्व-निर्मित सामग्री के निर्माण के लिए गुजरात राज्य में एक उद्मय स्थापित करने की व्यवहार्यता पर भारतीय और सोवियत विशेषज्ञों के बीच हुए विचार-विमर्श के आधार पर एक प्रोटोकोल पर 3 मार्च, 1980 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) इस विज्ञप्ति पर भारतीय पक्ष की ओर से श्री जी० एम० वैद्य, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग ने तथा सोवियत पक्ष की ओर से डा० एस० आई० बोरोदवत्चेंको ने हस्ताक्षर किए। सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के नाम नीचे दिये गए हैं :

1 डा० एस० आई० बोरोदवत्चेंको
2 मि० ए० एस० मजुरिन
3 मि० बी० वी० ओरलेव
4 मि० ए० आई० हितरोव
5 मि० आई० पी० मेरगीव
6 डा० वी० एल० कोरनीव
7 मि० बी० के० केसयोकोव/नई दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास से
8 मि० एन० बोरोन्कोव :

(ग) और (घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। पूर्व-निर्मित नहर संरचनाओं के निर्माण के वास्ते संयंत्रों की स्थापना के लिए सोवियत विशेषज्ञों ने प्रारंभिक प्रस्ताव दिए है। राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

थार रेगिस्तान की फिल्म बनाने के लिए भेजी गई दूरदर्शन टीम

1543. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की माउन्टेनियरिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित सर्वप्रथम थार रेगिस्तान अभियान की फिल्म बनाने के लिए अक्तूबर, 1979 में दिल्ली दूरदर्शन की एक टीम भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण घटना के लिए टीम का चुनाव किस आधार पर किया गया था;

(ग) इस्तेमाल की गई कच्ची फिल्म की लागत सहित इस टीम पर कुल कितना व्यय किया गया था;

(घ) क्या फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) दल के सदस्यों का चयन उनकी उपयुक्तता, क्षेत्र में रूचि, कार्य करने की क्षमता आदि के आधार पर किया गया था ।

(ग) कुल 6,807/- रुपए ही खर्च किए गए थे ।

(घ) और (ङ) फिल्म के एक छोटे भाग का 19 अक्तूबर, 1979 के दूरदर्शन समाचार बुलेटिन में उपयोग किया गया था । इसके शेष भाग का प्रयोग दूरदर्शन की दो डाकुमेंट्री फिल्मों के निर्माण में किया जा रहा है ।

जबलपुर में सूक्ष्म तरंग टावर की स्थापना

1544. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर को टेलीविजन रेंज के अन्तर्गत लाने के लिए जबलपुर में या उसके निकट किसी अन्य स्थान पर सूक्ष्म तरंग "टावर" स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) वह किस स्थान पर तथा कब स्थापित की जायेगी तथा जबलपुर में टेलीविजन सेवा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) डाक व तार विभाग की दिल्ली और नागपुर को जोड़ने की योजना के एक अंग के रूप में नागपुर और जबलपुर के बीच एक सूक्ष्म तरंग संपर्क कार्य कर रहा है। तथापि, इसमें फिलहाल दूरदर्शन के संकेतों को प्रक्षेपित करने की क्षमता नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार को कम प्राथमिकता देने के कारण, चालू योजना अवधि (1978-83) के दौरान जबलपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औरंगाबाद और पूना में उच्च न्यायालय बेंचों की स्थापना

1545. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोई ऐसी सिफारिश प्राप्त हुई है कि औरंगाबाद और पूना में उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी बिजली घरों के निर्माण-कार्य का निजी क्षेत्र को दिया जाना

1546. **श्री हरी कृष्ण शास्त्री** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी बिजली घरों के निमार्ण-कार्य को निजी क्षेत्र को दिए जाने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जी, नहीं। सरकारी बिजली घरों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र को दिए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। बिजली घरों के वास्तविक निर्माण के बारे में वर्तमान प्रथाओं के अनुसार या तो विभागीय निर्माण संगठन को निर्माण कार्य सौंप दिया जाता है या निजी ठेकेदारों से सरकारी क्षेत्र के निर्माण निगमों से इनका निर्माण कराया जाता है।

राजस्थान नहर का विकास और पूरा किया जाना

1547. श्री सतीश अग्रवाल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने राजस्थान नहर क्षेत्र और राजस्थान नहर को विकसित और पूर्ण किये जाने में रुचि दिखाई है और उसमें सहयोग का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित की गई सहायता किस प्रकार की है;

(ग) नहर प्रणाली और निकटवर्ती क्षेत्रों के अलग-अलग विकास के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला कुल अंशदान कितना होगा और इस योजना के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त श्रमिको को काम पर लगाया जा सकेगा; और

(घ) क्या प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और यदि हाँ, तो इसकी शर्तें क्या हैं और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए०गनीखान चौधरी) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना पर कार्यरत श्रमिकों के लिए सितम्बर 1968 से खाद्य सहायता दी जा रही है।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम ने गेहूं, खाद्य तेल, सूखा क्रीम-रहित दूध, दालें तथा सेम जैसी चीजें प्रदान की हैं। ये चीजें श्रमिकों को रियायती मूल्य पर बेची जाती हैं।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम का कुल अंशदान लगभग 21 मिलियन डालर (16.8 करोड़ रुपये) होगा और अनुमान है कि इससे लगभग 98 मिलियन श्रम-दिनों का रोजगार मिलेगा।

(घ) भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शर्तों के अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम वस्तुओं की सप्लाई करता है और ये चीजें राजस्थान नहर पर कार्यरत श्रमिकों को विद्यमान बाजार भाव के लगभग आधे मूल्य पर बेची जाती हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं के बिक्रय से प्राप्त हुई धन राशि का उपयोग कृषि, भू-संरक्षण, पशु-पालन, वन-रोपण तथा बागान से संबंधित विकास स्कीमों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त विकास के चालू चरण के दौरान इस धन राशि को चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, पीने के सुरक्षित पानी की सप्लाई, स्कूलों की व्यवस्था, पशु

पालन के विकास के लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, विश्व खाद्य कार्यक्रम को सहायता 1983 तक जारी रहेगी ।

कोयला उद्योग के राष्ट्रीकरण के पश्चात् कोयले के मुल्य और उपलब्धता

1548. **श्री हरी कृष्ण शास्त्री** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य और उसकी उपलब्धता की स्थिति असंतोषजनक रही है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन 1973-74 के 78 मिलियन टन से बढ़कर 1976-77 में 101 मिलियन टन हो गया और इसके बाद वह बढ़कर 1978-79 में 102 मिलियन टन हुआ । खान मुहाना स्टाक भी अप्रेल, 1974 के 6.43 मिलियन टन के मुकाबले अप्रेल, 1979 में बढ़कर 14.34 मिलियन टन हो गया । कोयले की मांग 1976-77 तक कुल मिलाकर पूरी ही की जाती रही । कुल विशेष किस्म के कोयले के उत्पादन में कमी और रेल परिवहन की उपलब्धि में कमी के कारण 1977-78 और 1978-79 में उप-भोक्ताओं को कोयला कम मिला ।

जो खान मुहाना कीमत 1-4-1975 में नियत की गई थी वह 17-7-1979 तक वही बनी रही । इस तारीख को इसमें संशोधन किया गया था । इसमें संशोधन आवश्यक हो जाने के कारण थे— मजदूरी में वृद्धि और उत्पादन के साधनों आदि की लागत बढ़ जाना ।

सुवर्णरेखा बाढ़ नियंत्रण

1549 **श्री चिन्तामणि जेना**: क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सुवर्ण रेखा नदी पर चान्दिल और खादकोर स्थित सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों के बीच आपस में कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो क्या इस प्रकार के समझौते को एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) इस बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है और इस समन्वित योजना को पूरा किए जाने का प्रस्तावित वर्ष कौन सा है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनीखान चौधरी) : (क) जी, हां । करार की एक प्रति उपाबंध 'क' के रूप में संलग्न है ।

(ख) बिहार में 202,869 हैक्टेयर तथा उड़ीसा में 146,788 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए, घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए जल की सप्लाई करने और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के लाभ के लिए बाढ़-नियंत्रण के वास्ते इस परियोजना में चांडिल में स्वर्णरेखा पर एक बाँध के निर्माण, स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई पर एक बांध के निर्माण तथा इन नदियों पर व्यपवर्तन ढ़ाचा बनाने की परिकल्पना की गई है। बिहार और उड़ीसा सरकारों से कुछ स्पष्टीकरणों के प्राप्त न होने से इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

बिहार ने खरकई बराज पर निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया है। मार्च, 1979 के अन्त तक किया गया खर्च 1.28 करोड़ रुपये है। 1979-80 के लिए प्रत्याशित खर्च 5 करोड़ रुपये है।

धन उपलब्ध हो जाने पर स्वर्णरेखा परियोजना 6-8 वर्षों में पूरी हो सकती है।

(मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 625/80)

धनबाद कोयला क्षेत्र में पानी का अकाल

1550. श्री ए०के० राय : क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि धनबाद कोयला क्षेत्र में पानी का भारी अकाल पड़ गया है जिसके कारण मजदूरों के स्वास्थ्य और उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोयला खान के मजदूर को साफ पानी की सप्लाई की योजना पिछड़ गई है, यदि हां, तो की गई प्रगति के क्षेत्र-वार विवरण सहित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या बी०सी०सी० एल० के पास अपने सारे मजदूरों को अपनी ही जलपूर्ति योजना के आधीन लाने की कोई अनुसूची और समय-सारणी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनीखान चौधरी) : (क) धनबाद कोयला पट्टी में पीने के पानी की कमी का सरकार को पता है।

(ख) यह सही नहीं है कि कोलियरी कामगारों को शुद्ध जल की सप्लाई से सम्बन्धित योजनाओं पर काम पिछड़ा हुआ है। विभिन्न योजनाओं के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(1) झरिया जल बोर्ड 2.5 मि०गै०प्र०दि० तक पानी की सप्लाई कर रहा है।

(11) भा०को०को०लि० ने कोलियरी के कामगारों को पीने के पानी की सप्लाई के लिए 140 स्कीमें हाथ में ली हैं । इन 140 स्कीमों में से कुल मिलाकर सभी प्रकार की 89 स्कीमें अब तक पूरी हो चुकी हैं । 40 स्कीमों को लागू किया जा रहा है तथा 11 स्कीमों को मंजूरी देने की कार्रवाई की जा रही है । पूरी हो चूकी 89 स्कीमों में से 55 जल संयंत्र चालू हैं । और पानी की सप्लाई कर रहे हैं । शेष 34 सुधार और स्वच्छता सम्बधी हैं । अब तक पानी की कुल सप्लाई जिसमें झरिया जल बोर्ड की सप्लाई भी शामिल है, 10.5 मि०गै०प्र०दि० है ।

(ग) जी हां ।

(घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	सन्तुष्टि का प्रतिशत	अतिरिक्त स्कीमों की संख्या जो पूरी की जानी हैं ।	पानी की माँग जो पूरी की जानी है
1979-80	68.2%	6	13.86 मि०गै०प्र०दि०
1980-81	78.0%	6	16.86 मि०गै०प्र०दि०
1981-82	86.7%	6	19.86 मि०गै०प्र०दि०
1982-83	94.6%	6	22.86 मि०गै०प्र०दि०
1083-84	100%	5	24.14 मि०गै०प्र०दि०

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विधि आयोग के स्थान पर विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का प्रस्ताव

1551. श्री उत्तमराव पाटिल :

श्री मगन भाई बरोट : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या विधि आयोग के स्थान पर एक न्यायिक सुधार संबंधी विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी०शिवशंकर) : (क) तथा (ख) विधि आयोग के स्थान पर किसी अन्य निकाय को स्थापित करने का सरकार का इस समय कोई विचार नही है । तथापि न्याय-प्रणाली के सभी पहलुओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक विशेष समिति को नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

गुजरात लघु उद्योग निगम द्वारा कोयले की मांग

1552. श्री मोती भाई आर०चौधरी : क्या ऊर्जा सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात लघु उद्योग निगम द्वारा विगत वर्ष के दौरान कोयले की कुल कितनी मांग की गई और उसमें से कितनी मांग पूरी की गई और निगम को कितनी मात्रा में कोयला मिला।

(ख) उक्त निगम की 1980-81 के लिए क्या मांग है और उसमें से कितनी मांग पूरी की जाएगी तथा मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ; और

(ग) गत 2 वर्षों में कोयले की कीमत में कितनी वृद्धि की गई हैं ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनीखान चौधरी) : (क) वर्ष 1978-79 में गुजरात राज्य लघु उद्योग निगम ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को 218 वैगन कोयले का आर्डर दिया किन्तु रेलवे ने केवल 100 वेगन दिए अतः इस कम्पनी (वे०को०लि०) ने इतने ही वैगन कोयला भरकर भेजा। वास्तविक मात्रा की प्राप्ति के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु साधारणतया तो प्राप्त होने वाली मात्रा भेजी गई मात्रा के बरावर ही होनी चाहिए।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए उक्त निगम ने अभी तक कोई माँग पत्र नही भेजा है।

(ग) पिछले दो वर्षों में कोयले की खान मुहाना कीमत केवल 17 जुलाई, 1979 को ही बढी है जबकि कोयले की औसत खान मुहाना कीमत रु० 64.71 प्रति टन से बढ़ाकर रु० 101.10 प्रति टन कर दी गई।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, एकरा-वासुदेवपुर कोयला खान में महिला श्रमिकों की भरती

1553. श्रीमति विभा घोष गोस्वामी : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, एकरा-वासुदेवपुर कोयला खान द्वारा जनता शासन के दौरान छंटनी शुदा कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची में रखे गए 53 श्रमिकों की सूची में से 27 पुरुष श्रमिक लिए जाने की व्यवस्था किये जाने के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इनका चयन वरिष्ठता के आधार पर न करके लिंग के आधार पर किया गया था जिससे 26 महिला श्रकिकों का भविष्य अंधकारपूर्ण हो गया और वे आजीविका के साधन से वंचित हो गई हैं;

(ग) क्या श्रमिक श्रेणी को लिंग के आधार पर विभाजित करना और पुरुष श्रमिकों को महिला श्रमिकों की तुलना में प्राथमिकता देना संविधान के मूल आधार पर आघात नहीं करता है जिसमें काम के मामले में पुरुष और महिला की समानता सुनिश्चित की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार रोजगार में पुरुषों की बराबरी के आधार पर महिला श्रमिकों को भरती करके स्थिति तत्काल सुधारने के लिये आदेश देने का है, यदि हां, तो कितनी जल्दी ऐसा किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत खंड (ब्लाक)

1554. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या उर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में किन-किन खंड़ों को अब तक उनके मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ख) कुल कितने खंडों ने धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया है और अब तक खंडवार कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए उस राज्य द्वारा इस जिले के लिए किन-किन नई योजनाओं का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) इस जिले में इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत आने वाली, स्कीमों ब्लाकों के नाम तथा उनके अन्तर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या उपाबन्ध -1 में दिखाई गई है । अभी तक किसी भी ब्लाक ने उसके लिए स्वीकृत की गई पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया है ।

(ग) : 29 फरवरी, 1980 तक राज्य सरकार से हमें 6 स्कीमें प्राप्त हुई हैं जोकि जांचाधीन/विचाराधीन है ।

(घ) : 267.479 लाख रुपये ।

विवरण

उड़ीसा के कोरापुट जिले में ग्राम, विद्युतीकरण निगम की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले ब्लाकों के नाम तथा दिसम्बर, 1979 तक उनमें विद्युतीकृत किए गए गांवों को दिखाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	स्कीम/ब्लाक	विद्युतीकृत गाँवों की संख्या
1.	कल्याण सिंहपुर तथा कोलनारा	57
2.	विस्सम, कटछ तथा अमवेदरा	55
3.	कोटापड़ तथा कोडिंगा	100
4.	बोईपारिगुडा तथा कुरडा	82
5.	लम्पटपुट	9
6.	डाबुगाँव तथा उमेरकोट	78
7.	नारायण पटना, लक्ष्मीपुर तथा पन्दुगांव	12
8.	रमनागुडा, पदमपुर तथा गुदरी	54
9.	काशीपुर	—
10.	बारीगुमा	50
11.	कालीमेला तथा पोडिया	9
12.	नन्दापुर	29
13.	दसमन्थपुर	2
14.	रायगढ़	—
15.	नवरंगपुर तथा पापड़ाहान्डी	3
16.	तन्तुलिखुन्टी तथा नन्दाहान्डी	9
17.	झारीगांव तथा चन्दाहान्डी	1
	जोड़	550

विशाखापत्तनम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

1555. **श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कितने नए क्षेत्रों को दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत लाया जाएगा और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) : सरकार संचार मंत्रालय के सहयोग से सूक्ष्म तरंग संपर्क द्वारा देश के विभिन्न भागों में रिले केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ख) : अगर संम्भव हुआ तो प्रस्ताविक योजना के अन्तर्गत, विशाखापत्तनम् को भी ध्यान में रखा जाएगा।

राजस्थान नहर योजना का कार्यान्वयन

1556. श्री विरधी चन्द जैन : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कंवर सेन द्वारा तैयार की गई राजस्थान नहर योजना की प्रतियाँ और मानचित्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

(ख) उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं और क्या इस बारे में विस्तृत सूचना सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान नहर बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर के लिए अलग से कोई स्कीम तैयार नही की गई। लेकिन राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1975 में मैसर्स वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लि० (भारत सरकार का एक उपक्रम) को राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो में लिफ्ट सिंचाई को शामिल करने के लिए अन्वेषण करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने के लिए कहा गया था, इस समय इस चरण के अन्तर्गत केवल 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की प्रवाह-सिंचाई की व्यवस्था है। यह कार्य एक समिति के मार्गदर्शन में किया जाना था जिसमें श्री कंवर सेन भी शामिल थे। अप्रैल, 1976 में वाटर एण्ड पावर कंसेल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रवाह-सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र को 6 लाख हैक्टेयर से घटा कर 3.5 लाख हैक्टेयर किया जाए और 3.89 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए लिफ्ट सिंचाई करने की स्कीम में शामिल किया जाए। इस रिपोर्ट और अन्य प्रस्तावों पर

विचार करने के बाद राजस्थान सरकार ने फरवरी, 1977 में राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो के लिए एक संशोधित स्कीम तैयार की ताकि प्रवाह-सिंचाई वाले कृषि योग्य कमान क्षेत्र को 6 लाख हैक्टेयर से घटा कर 5 लाख हैक्टेयर करके, 2.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। बाद में, 1978 में राज्य सरकार ने मूल स्कीम को ही अपनाने के लिए पुनः विचार किया ताकि केवल प्रवाह-सिंचाई की जाए। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-व्यास जल विवाद

1557. **श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच रावी-व्यास जल विवाद के बारे में केन्द्रीय सरकार ने जो निर्णय किया है उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अब तक केन्द्रीय सरकार के निर्णय को लागू नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि हरियाणा सरकार का सतलुज लिंक परियोजना पंजाब सरकार की उस पर सहमति न मिलने के कारण रुक गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो पंजाब सरकार को अविलम्ब निर्णय क्रियान्वित करने का आदेश देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 के उपबंधों के अन्तर्गत 24-3-76 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह निदेश दिया गया था कि ब्यास परियोजना के पूरा होने पर भूतपूर्व पंजाब राज्य को जितना जल प्राप्त होता, उसमें से हरियाणा राज्य को 3.5 मि० ए० फु० जल मिलेगा और पंजाब राज्य को शेष जल, जो 3.5 मि०ए०फु० से अधिक नहीं होगा, मिलेगा।

(ख) से (घ) हरियाणा सरकार ने जल में आवंटित हिस्से का जैसाकि ऊपर (क) में निर्धारित है, उपयोग करने के लिए सतलुज-यमुना लिंक परियोजना तैयार की। इस परियोजना में सतलुज-यमुना लिंक नहर के कुछ हिस्से का निर्माण पंजाब के क्षेत्र में करना परिकल्पित है। पंजाब ने हरियाणा को किए गए जल के आबंटन के विरुद्ध, जैसाकि ऊपर (क) में निर्धारित है, अभ्यावेदन दिया और पंजाब के क्षेत्र में सतलुज-यमुना लिंक के संरेखन और डिजायन के बारे

में आपत्तियां उठाई । दूसरी ओर हरियाणा ने अनुरोध किया कि हरियाणा को जल के आवंटन का मामला फिर से न खोला जाए और पंजाब के क्षेत्र में सतलुज-यमुना लिंक का निर्माण शीघ्र करने का अनुरोध किया । भारत सरकार दोनों राज्यों के बीच सहमति कराने की कोशिश कर रही थी । लेकिन अप्रैल, 1979 में हरियाणा सरकार ने पंजाब के क्षेत्र में सतलुज-यमुना लिंक परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में मामला दायर कर दिया। पंजाब ने भी उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर कर दिया, जिसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसके अन्तर्गत 24 मार्च, 1976 को आदेश जारी किया गया था; उन्होंने 24 मार्च, 1976 के आदेश की वैधता को भी चुनौती दी । अब यह मामला दो मुकदमों के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास निर्णय के लिए पड़ा है ।

विधि आयोग के 71वें प्रतिवेदन पर कार्यवाही

1558. **श्री ए०सी०दास** : क्या **विधि, न्याय और कंम्पनी कार्य मंत्री** विवाह विच्छेद के बारे में न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में 5 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10713 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के 71वें प्रतिवेदन पर जो लगभग 2 वर्ष पूर्व पेश किया गया था, कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों को राहत देने के विचार से जिनके विवाह असमाहार्य रूप से टूट चुके हैं और जिनके मुकदमें गत 20 वर्षों से न्यायालयों में विचाराधीन हैं, विधि आयोग की सिफारिसों को कार्यान्वित करने के लिए चालू सत्र के दौरान एक विधेयक लाने और उसे पारित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में कार्रवाई करने तथा एक विधेयक लाने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई है और साधारणत : वे आयोग की सिफारिशों के स्वीकार किए जाने के पक्ष में हैं ।

(ग) और (घ) सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है और जब केन्द्रीय सरकार इन सिफारिशों पर अंतिम विनिश्चय कर लेगी तब कार्रवाई की जाएगी ।

बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयला, नदी और समुद्र का पानी तथा लकड़ी के संसाधनों का उपयोग करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजना

1559. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयला, नदी और समुद्र का पानी तथा लकड़ी के संसाधनों का उपयोग करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजना क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना धन लगेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : 1978-83 की अवधि के विद्युत कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्राथमिक ईंधन के रूप में कोयले पर आधारित 11,890 मेगावाट की अतिरिक्त ताप-विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 4,126.5 मेगाबाट जल-विद्युत उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की गई है। 1978-83 की समय-सीमा में परिकल्पित समूचे उत्पादन कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9212. करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, 1982-83 के बाद की अवधि में लाभ के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में मुख्यतः कोयले पर आधारित कुल 9580 मेगावाट की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता की स्कीमें और 6841 मेगावाट की जल-विद्युत उत्पादन क्षमता की स्कीमें अनुमोदित की गई है।

देश की जल-विद्युत शक्यता का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण छठे दशक में किया गया था। इस सर्वेक्षण ने यह अनुमान लगाया था कि आर्थिक दृष्टि से काम में लाये जाने योग्य जल. बिद्युत शक्यता, 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 41 मिलियन किलोवाट है के 216 बिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के बराबर है । इस मूल्यांकन को अद्यतन बनाने के लिए, 30 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली पांच वर्ष की अवधि की एक परियोजना को हाथ में लिया गया है। देश की ज्बारीय शक्यता सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रारम्भिक अध्ययन किए गए हैं। संभाव्व ज्वारीय स्कीमों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण अभी किए जाने हैं। समुद्री ताप ऊर्जा को परिवर्तित करने की प्रोद्योगिकी (गोशन थर्मल इनर्जी कनबर्शन टेक्नालाजी) विश्व में अभी अनुसंधान और विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ही है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों को हाथ में लेने के लिए प्रारम्भिक तौर पर कुछ ध्यान दिया गया है और विश्व में इस टेक्नालाजी के विकास की वर्तमान अवस्था में किस प्रकार के अनुसंधान और विकास कार्य हाथ में लिए जाएं और किस सीमा तक हाथ में लिए जाएं इसका निर्णय करने के लिए और विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है। विद्युत-उत्पादन हेतु लकड़ी के साधनों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र में केन्द्र निदेशक के विरुद्ध विभागीय जांच

1560 श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अक्तूबर 1978 से अब तक की अवधि के दौरान आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र के केन्द्र निदेशक के विरुद्ध कुछ विभागीय जांच की गई थी, यदि हां, तो की गई जांचों की संख्या कितनी थी उन पर कुल कितना खर्च किया गया था और उन पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त सांठे) : जी, हां। आकाशवाणी, भोपाल के वर्तमान केन्द्र निदेश के विरुद्ध अक्तूबर, 1978 से अब तक आकाशवाणी, भोपाल में केन्द्र निदेशक के रूप में और इससे पहले आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम में केन्द्र निदेशक के रूप में कार्य करते समय उनके दुर्व्यवहार/अनियमितताओं से संबंधित चार शिकायतों की छानबीन की गई थी। छानबीन करने वाले अधिकारियों के यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ते के भुगतान पर कुल 3948.7o रुपए खर्च किए गए।

जबकि भोपाल केन्द्र से सम्बन्धित तीन शिकायतों को सही नहीं पाया गया, त्रिवेन्द्रम केन्द्र पर कथित अनियमितताओं के संबंध में विभागीय कार्यवाहियां उक्त अधिकारी के विरूद्ध अब शुरू कर दी गई है।

एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवादी

1561. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की है जो अपने को एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं करा पाये है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में, और उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रकिया अधिनियम का उल्लंखन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध 1 अप्रैल 1977 से लेकर 31 मार्च, 1979 तक क्या कार्यवाही की गई थी ?

विधि, न्यान और कम्पनी कार्य मंत्री, (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां, श्रीमानजी, आरम्भ में सरकार द्वारा एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 की

26 के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से उपक्रमों, को उस ममय दोषी होने का नोटिस जारी किया जाता है जबकि उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टि पंजीकरण का मामला बन जाता है। अन्ततः जहां आवश्यक हो, दोषी कम्पनियों के विरूद कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ख) 31-12-1979 को 370 दोषी नोटिस विचाराधीन थे और उसी तारीख से दो कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

(ग) 1 अप्रेल, 1977 से 31 मार्च 1979 के दौरान 235 कम्पनियों को दोषी होने के नोटिस जारी किये गये थे और अधिनियम की धारा 48 (2)के अन्तर्गत दो कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त दो अन्य कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये थ क्योंकि उनके निदेशक एक नये उपक्रम की स्थापना करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इन दोनों कम्पनियों तथा उनके निदेशकों से प्राप्त होने वाले उजरों की जांच की जा रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के विक्रय कार्यालय पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

1562. श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :

श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जांच ब्यूरो ने धनबाद स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विक्रय कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वहां भ्रष्ट प्रकियासों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं।

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी) : (क) तथा (ख) धनबाद तथा निकटवर्ती कोयला क्षेत्रों में केन्दीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल के दौरान कुछ मामले दर्ज किये गये तथा कुछ अन्य स्थानों के साथ-साथ धनबाद स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विक्रय कार्यालय में तलाशियां ली गयीं। बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्द किए गये जिनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) कोल इडियां लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(एक) विलम्ब तथा लालफीताशाही को दूर करने के उद्देश्य से विक्रप संबंधी प्रक्रिया को सुधारा जा रहा है।

(दो) बोर्ड द्वारा कोयले की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय विक्रय डिपो खोले जाने की योजना बतायी जा रही है।

(तीन) विक्रय संगठन में निश्चित अवधि के लिए नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का बारी बारी से स्थानांतरण ।

(चार) कोयले तथा अन्य स्टाक पर कड़ी सतर्कता और सम्पत्ति पर नियंत्रण को सख्त करना,

(पाँच) कम्पनियों के सर्तकता संगठनों को मजबूत बना दिया गया है और उनको आगे और पुनर्गठिन किया जा रहा है ।

बागमती परियोजना के संबंध में नेपाल के साथ वार्ता

1563. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागमती परियोजना के संबंध में भारत और नेपाल के बीच कोई बातचीत चल रही हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत किस दौर में हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) चूंकि बागमती नदी में आने वाली बाढ़ों से नेपाल और भारत दोनों के क्षेत्र जलमग्न हों जाते हैं, इसलिए ऐसी बाढ़ों से होने वाली हानियों से बचने के लिए अपनाए जाने बाले कुछ अल्पकालीन उपायों पर 1977 में नेपाल की सरकार के साथ सहमति हुई थी । नेपाल में बाढ़ के कुछ फालतु जल के संचय की भी भावना है, जिससे दोनों देशों के आपसी हितों के लिए बहुद्देश्यीय लाभ पहूंच सकते है । परन्तु ऐसी किसी परियोजना के सम्बंध में कोई बातचीत नहीं हुई है ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुर्नवास

1564. श्री चित्त महाटा : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 से 31 दिसम्बर, 1979 तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार, पाकिस्तान और बंगलादेश से आए कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है; और

(ख) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अब तक इन्हे दी गई वित्तीय सहायता और अन्य प्रकार की सहायता के आँकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) एक विवरण (I) संलग्न है।

(ख) एक विवरण (II) संलग्न है।

विवरण—1

राज्य का नाम	विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी		
	पाकिस्तान (भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान)	पाक अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश)
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	4,000		8,600
2. आसाम	—		4,64,000
3. बिहार	—		72,7000
4. गुजरात	5,800		—
5. हिमाचल प्रदेश	5,000		—
6. हरियाणा	(पंजाब के आँकड़ों में शामिल किए गए है)		—
7. जम्मू और काश्मीर	—	1,35,000	—
8. कर्नाटक	7,000		2,900
9. महाराष्ट्र	4,15,000		26,400
10. मध्य प्रदेश	2,09,000		41,500
11. मणिपुर	—		2r700
12. मेघालय	—		9,700
13. उड़ीसा	—		14,200
14. पंजाब	27,37,000		15
15. तमिलनाडु	9,000		—
16. त्रिपुरा	—		3,49,308
17. राजस्थान	3,92,000		5,400
18. उत्तर प्रदेश	4,80,000		28,700
19. षश्चिम बंगाल	—		20,95,000
योग	42,63,800	1,35,000	31,21,413

1	2	3	4
संघ शासित क्षेत्र			
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	11,700
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	13,000
3. दिल्ली	5,01,000	—	—
योग	5,01,000	—	24,700
दण्डकारण्य	—	—	88,500
कुल योग	47,64,800	1,35,000	32,34,613 अनुमानित

विवरण II

	भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान)	पाक अधिकृत जम्मू और काश्मीर से आए प्रवासी	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश)	योग
	1	2	3	4
			(करोड़ रुपयों में)	
सीधा व्यय तथा अनुदान	107.14	—	221.48	328.62
दण्डकारण्य विकास योजना	—	—	142.03	142.03
पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन	—	—	22.78	22.78
पुनर्वास के लिए अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह का विकास	—	—	9.40	9.40
पुनर्वास उद्योग निगम लि०	—	—	13.27	13.27
भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान विस्थापित हुए व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सहायता	60.00	—	—	60.00
ऋण	26.96	—	67.30	94.26
आवास	66.78	—	51.56	118.34
स्थापना	3.23	—	8.48	11.71
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा 31-12-60 तक दिया ऋण	7.28	—	3.94	11.22

	1	2	3	4
विविध	0.01	—	6.08	6.09
पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान	192.13	—	—	192.13
पाक अधिकृत जम्मू और काश्मीर क्षेत्रों के प्रवासियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	—	4.76	—	4.76
	463.53	4.76	546.32	1014.61

चूंकि व्यय परियोजना-वार रखा गया है अतः वित्तीय सहायता के आंकड़े राज्यवार एंव संघ-शासित क्षेत्रवार उपलब्ध नही हैं ।

निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने के बारे में समितियों की सिफारिशों पर कार्यवाही

1565. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री विरधी चन्द जैन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (।) न्याय मूर्ति श्री कृष्ण अय्यर द्वारा 1973 में और (।।) न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती द्वारा अगस्त, 1977 में प्रस्तुत की गई दो उच्च शक्ति प्राप्त समितियों की रिर्पोटो में उन समितियों ने जो विभिन्न सिफारिशें की हैं सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उक्त दो समितियों की रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के बाद से निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष बजट में कितना धन आबंटित यिा गया ओंर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस उद्देश्य के लिये आर्बटित राशि का उपयोग नहीं किया गया है और वह व्यपगत हो गई ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ड़) इस कार्य के लिए आर्बटित धनराशि का उचित उपयोग करने और उसे व्यपगत न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाहां की गई हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री : (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1973 में कृष्ण अययर समिति की रिपोर्ट के पश्चात एक व्यापक और गतिशील विधि सेवा कार्यक्रम स्थापित करने और उसे चलाने के लिए समुचित सिफारिसें करने के उद्देश्य से भगवती समिति

स्थापित की गई थी । भगवती समिति की रिपोर्ट के पश्चात उस रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले दूरगामी महत्व के अनेक प्रश्नों को छांट कर अलग करने के लिये एक अन्तर विभागीय समिति गठित की गई ।

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिये एक लाख रुपय प्रतिवर्ष की साँकेतिक व्यवस्था की गई थी किन्तु उसमें से कोई रकम खर्च नहीं की गई हैं ।

(ग) यह सही है कि उक्त राशि का उपयोग नही किया गया है और इसलिये वर्ष 1978-79 के लिये रखी गई राशि व्यपगत हो गई है ।

(घ) कानूनी सहायता और सलाह की कोई स्कीम लागू नही हो सकी इसलिये एक लाख रुपये की सांकेतिक राशि खर्च नहीं की जा सकी ।

(ड़) सरकार उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक कार्यान्वयन समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा के अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए विज्ञापन

1566 **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी दिल्ली की विज्ञापन सेवा के अधिकारियों ने जनता युवा मोर्चा, दिल्ली द्वारा प्रायोजित राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली की एक सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका के लिए विज्ञापन प्राप्त किए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त एकक के उच्चतम अधिकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय कर्मचारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या एक राजपत्रित कर्मचारिको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहेगी जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लाभ के लिए इस मंत्रालय का दुरुपयोग किया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आकाशवाणी, दिल्ली की विज्ञापन सेवा का कोई अधिकारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सक्रिय सदस्य है या जनता युवा मोर्चा, 1979 द्वारा प्रायोजित राजेन्द्र नगर नई दिल्ली स्थित सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका के लिए कोई विज्ञापन प्राप्त किये हैं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

कोयला उद्योन के लिये विस्फोटकों की आवश्यकता

1567. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उद्योंग के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान विस्फोटकों की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है :

(ख) यदि हां तो उक्त आवश्यकता को देशीय उत्पारन द्वारा पूरा करना संभव होगा ; और

(ग) यदि हां, तो वे देश में ही कितनी मात्रा में उपलब्ध है और तथा उसमें कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नही ।

(ग) देश में उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों की मात्रा 1979-80 में लगभग 24,000 टन होने का अनुमान है ऊर्जा की मांग 27,000 टन की है । शेष मांग आयात करके पूरी की जा रही है ।

जामनगर के लिए एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

1568. श्री डी० पी० जदेजा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है, क्योकि जामनगर एक सीमावर्ती क्षेत्र है ; और

(ख) यदि नही, तो क्ता सरकार का विचार सौराष्ट्र क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति पुर्नवास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) : वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार को कम प्राथमिकता देने के कारण, चालू योजना अवधि (1978-83) के दौरान जामनगर या सौराष्ट्र प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नही है ।

फिल्म निर्माताओं को फिल्म वित्त निगम द्वारा धन देने की पेशकश

1569. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माताओं ने फिल्म वित्त निगम को (अपने द्वारा अर्जित अतिरिक्त धन) देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिसा है ।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) : जी नही ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

प्रेस आयोग के सदस्यों के सम्बन्ध में सुझाव

1570. श्री शिवकुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे समाचारपत्रों के संगठन ने अपने वार्षिक सम्मेलन में सरकार से अनुरोध किया है कि प्रेस आयोग के आधे सदस्यों का चुनाव उनमें से किया जाए;

(ख) यदि हां, तो छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं, इसकी स्थायी समिति की फरवरी, 1980 में हुई बैठक में अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र संघ ने यह कहा था कि इसके दो प्रतिनिधियों को प्रेस आयोग में शामिल किया जाए जिसका पुनर्गठन शीघ्र ही हो रहा है ।

(ख) तथा (ग) : सरकार ने अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र संघ सहित विभिन्न प्रेस संस्थाओं/संगठनों से प्रेस आयोग के निर्देश पदों को किस प्रकार अधिक व्यापक बनाया जाय, के बारे में सुझाव भेजने के लिए कहा है । जैसा कि ऊपर कहा गया है एसोसिएशन की स्थायी समिति की इस प्रयोजन के लिए बैठक हुयी थी । समिति ने इस संबंध में सुझाव दिए थे तथा प्रेस की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया । इन सब सुझावों पर यथोचित विचार किया जायेगा । प्रेस आयोग के संशोधित निर्देश पदों को प्रतिवादित करते समय भी इनको ध्यान में रखा जायेगा ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में शाहजनवा के निकट एक तापीय बिजलीघर कीस्थापन ।

1571. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में शाहजनवा के निकट एक तापीय बिजलीघर को लगाए जाने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है तथा उसके लिए सर्वेक्षण कार्य काफी समय पूर्व कर लिया गया है;

(ख) क्या बिजली की कमी के कारण से पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण सम्भव नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि हां तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट शाहजनवा में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के बारे में परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दिसम्बर, 1971 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई थी । किन्तु यह परियोजना रिपोर्ट अपूर्ण थी और लागत अनुमान भी ब्यौरेवार नहीं दिए गए थे । परियोजना के लिए ईधन और जल आपूर्ति के बारे में आवश्यक अन्वेषण करने के बाद प्रस्ताब को संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से मार्च, 1972 में अनुरोध किया गया था । मई, 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि गोरखपुर में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना शाहजनवा में करने का उनका विचार नहीं है तथा इसके स्थान पर उनका विचार पूर्वी उत्तर देश में फैजाबाद जिले में टान्डा के निकट केन्द्र स्थापित करने का है । 4 110 मेगावाट मता वाले टाण्डा ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना किए जाने की स्कीम 28 मार्च, 1978 को ोजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) : प्रश्न नही उठता ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में विधि आयोग की 80वीं रिपोर्ट

1572. **श्री छडुआर्डो फैलीरो :**

श्री समर मुखजी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या विधि आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की रीति के बारे में अपनी 80वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हाँ ।

(ख) रिपोर्ट तारीख 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रख दी गई थी; सिफारिशों का सारांश रिपोर्ट के अध्याय 9 में दिया गया है ।

(ग) सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

1573. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में नर्मदा जल से संबंधित विभिन्न लघु/मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने उन पर काम आरम्भ कर दिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) गुजरात में नर्मदा के जल के प्रयोग से संबंधित पांच वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं । इन परियोजनाओं के नाम, उनकी अनुमानित लागत तथा प्रत्याशित लाभ नीचे दिए गए हैं :

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
1. हिरन	3490	32.60
2. करजन	5700	61.97
3. सुखी	2835	21.25
4. सरदार सरोवर	333,300	1525.70
5. ओरसंग	2500	31.79

जहां तक अन्य सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है, इनके बारे में कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । यह सूचना इतनी अधिक व्यापक है कि इसे एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों की तुलना में बहुत कम होगा ।

(ख) उपर्युक्त पहली तीन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य हो रहा है ।

बिजली घरों के निर्माण-कार्य को निजी क्षेत्र को दिए जाने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

अरुणाचल प्रदेश में केमेंग पन बिजली परियोजना

1574. श्री पी0 के0 थुंगोन : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश के केमेंग पन बिजली परियोजना की जांच सम्बन्धी कार्य को कम प्रामिकता दी जा रही है यद्यपि यह गत 14 वर्षों से जांच की स्थिति में है : और

(ख) क्या उनको पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली की कमी है यदि हां, तो क्या (1) केमेंग पन बिजली परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी ; क्या सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित की है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए0 बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : अरुणाचल प्रदेश में जल-विद्युत परियोजना का अन्वेषण भूतपूर्व केन्द्रीय जल और विद्युत जाएगा (अब केन्द्रीय जल आयोग) द्वारा 1968 में शुरु किया गया था और जुलाई, 1974 में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी । उसके बाद, योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसने केमेंग जल-विद्युत परियोजना के परियोजना-ढ़ांचे को अन्तिम रूप देने के लिए अतिरिक्त उप-तल (सब सर्फेस भूवेज्ञानिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया था तदनुसार, शेष अन्वेषण-कार्य, उत्तर पूर्वी परिषद् की ओर से केन्द्रीय जल आयोग ने अप्रैल, 1976 के दौरान आरंभ किए थे और उक्त अन्वेषण-कार्य प्रगति पर है ।

केमेंग जल-विद्युत परियोजना के अन्वेषण-कार्य, में मार्गदर्शन करने तथा समन्वय करने के लिए गठित स्थायी समिति द्वारा अन्वेषण-कार्य में हुई प्रगति का पुनरीक्षण किया गया है और उम्मीद है कि मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र का अन्वेषण तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य 1981 तक पूरा हो जाएगा ।

भाषा समाचार एजेंसियों को प्रोत्साहन

1575. मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाषा समाचार एजेंसियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना की रुपरेखा क्या है : और

(ख) यदि अभी तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है तो यह काम कब तक किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे)

(क) सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना तैयार नही की गयी है और न ही तैयार करने का किचार है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

तमिलनाडु तथा केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयोग

1576. **श्री के०टी० कोसलराम :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयोग करने सम्बन्धी अध्ययन करने के प्रयोजन के लिये गठित तकनीकी दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफरिशें की गई हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पालना ताप विद्युत संयंत्र

1577. **श्री दौलत राम सारण :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोबला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली की कमी की समस्या को स्थाई रूप से हल करने के विचार से प्रस्तावित पालना ताप विद्युत संयंत्र के लिए अनुमति शीघ्र दे दी जाएगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए0 बी0 ए0 गनी खान चौधरी) : पालना में 60-60 मेगावाट के दो यूनिटों वाले लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार, के विचाराधीन है।

देश में बिजली की मांग और उसका उत्पादन

1578. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के उत्पादन की मांग के राज्यवार आंकड़े क्या हैं और उसका कितना उत्पादन केन्द्र करता है और कितना राज्य सरकारें और गैर सरकारी क्षेत्र करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जैसाकि सरकार की रिपोर्टों से पता चलता है कि 3 वर्ष पूर्व तक तापीय विद्युत केन्द्रों के संयंत्र और मशीनरी के रख-रखाव और मरम्मत का काम पूरी तरह से उपेक्षित था;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1947 और 1977 के बीच अधिक मूल्य का भुगतान करके अनेक घटिया और दोषपूर्ण संयंत्रों का आयात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी (क) : राज्यवार विद्युत की सकल आवश्यकता, सकल उत्पादन (विद्युत की उपलब्धता) तथा केन्द्र, राज्य सरकारों और प्राइवेट कम्पनियों के स्वामित्व वाले विद्युत केन्द्रों से फरवरी, 1980 में हुए विद्युत उत्पादन का विवरण संलग्न है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्रों और मशीनरी का अनुरक्षण और ओवर हालिंग लगभग पिछले तीन वर्ष तक पूर्णतः उपेक्षित रही है।

(ग) और (घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 1947-77 की अवधि के दौरान जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 7268 मेगावाट क्षमता आयातित थी। इस क्षमता में से लगभग कुल 900 मेगावट क्षमता के विद्युत उत्पादन संयंत्रों की मरम्मत बार-बार करने की आवश्यकता पड़ी और दूसरे विद्युत उत्पादन यूनिटों का कार्य संतोषजनक रहा। जहां तक ताप-विद्युत उत्पादन संयंत्रों का संबंध है, इस अवधि के दौरान लगभग 7214 मेगावाट के आयातित संयंत्र स्थापित किए गए और इन संयंत्रों का कार्य निष्पादन दूर्गापुर परियोजना लिमिटेड, पतरातू तथा एन्नोर विद्युत केन्द्रों के कुछ यूनिटों को छोड़ कर, समग्र तौर पर संतोषजनक रहा। उक्त स्थानों पर इन यूनिटों का कार्य निष्पादन कई कठिनाइयों के कारण संतोषजनक नहीं रहा। इन कारणों में, इन विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता भी शामिल है। डिजाइन, राख की जिस मात्रा के लिए है उस मात्रा से अधिक राख इस कोयले में थी।

विवरण

फरवरी, 1980 के महीने में राज्यवार विद्युत की आवश्यकता और सकल उपलब्धता

मिलियन यूनिटों में

राज्य	आवश्यकता (सकल)	उपलब्धता (सकल)	केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले केन्द्र	राज्य सरकार के स्वामित्व वाले केन्द्र	प्राइवेट सेक्टर
1-उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	369	236	—	236	—
हिमाचल प्रदेश और बीएसएल	34	35	—	35	—
जम्मू व कश्मीर	81	60	—	60	—

पंजाब	498	397	—	397	—
राजस्थान	461	289	24	265	—
उत्तर प्रदेश	1337	857	—	764	93
दिल्ली	209	263	135	128	—
चंडीगढ़	18	10	—	10	—
उत्तरी क्षेत्र	3007	2147	159	1895	93
2-पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	858	871	41	699	131
मध्य प्रदेश	604	470	—	470	—
महाराष्ट्र	1675	1384	41	1056	287
गोवा	24	20	—	20	—
पश्चिमी क्षेत्र	3161	2745	82	2245	418
3-दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	624	520	—	520	—
कर्नाटक	787	397	—	397	—
केरल	297	416	—	416	—
तमिलनाडु पांडिचेरी समेत	942	797	152	645	—
दक्षिणी क्षेत्र	2650	2130	152	1978	—
4-पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	307	212	—	212	—
पश्चिम बंगाल	501	415	—	280	135
दा०था०नि०	486	360	360	—	—
उड़ीसा	290	174	—	174	—
पुर्वी क्षेत्र	1584	1161	360	666	135
5-उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	97	50	—	50	—
अखिल भारत	10499	8233	753	6834	646

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयले का अनिधिकृत खनन

1579. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयले के गैर-कानूनी खनन का कोल इण्डिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार गैर कानूनी खनन को रोकने का है ? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खान राष्ट्रीयकरण (शंशोधन) अधिनियम वर्ष, 1976 में पारित किया गया था और इसकी व्यवस्थाओं के अनुसार लोहा और इस्पात कम्पनियों को छोड़कर अन्य सभी गैर सरकारी व्यक्तियों और संगठनो के कोयला खनन पट्टे रद्द कर दिए गए थे। इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का उलंघन करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष की कैद और रु० 20,000/- तक जुर्माने का दंड देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद कुछ पार्टियों के बारे में पता चला है कि वे कोयले का गैरकानूनी खनन कर रही है। ऐसे मामले जहां भी पता चले हैं वहां संबद्ध लोगों के खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई की गई है।

शंकरपुर कोयला खान में आग के कारण उपकरणों, मशीनों तथा कोयले की हानि

1580. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शंकरपुर कोयला खान में आग लगने के फलस्वरूप, जिसे 1 जनवरी, 1979 को सील किया गया था, उपकरणों, मशीनों तथा कोयले की कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या खान सुरक्षा महानिदेशक ने प्रबन्धकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की अनेक गलतियों का उल्लेख किया था जिनके कारण आग लगी;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने भी आग लगने के कारणों की जांच तथा उत्तरदायित्व नियत करने के विचार से कोई समिति नियुक्त की थी;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो खान सुरक्षा के महानिदेशक तथा जांच समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और सम्बद्ध अधिकारियों के नाम क्या हैं और यदि हां, तो कब।

(ङ) क्या सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ; और यदि तहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं 9 और

(च) अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कब तक पूरी जायेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही हे और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत भनोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

1581. **श्री नारायण चौबे** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 अक्तूबर, 1979 को ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के अन्तर्गत भनोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए ;

(ख) क्या यह सच है कि खान सुरक्षा महानिदेशक ने जांच के बाद सरकार और प्रबन्धकों को, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खान अधिनियम और विनियमों में किये गये उन गम्भीर उल्लंघनों के बारे में बतलाया, जिनकी वजह से अनेक व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और खान सुरक्षा महानिदेशक के अनुसार किन-किन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया ;

(घ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबन्धकों द्वारा भनोरा कोयला खान के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भनोरा कोलियरी में 9 अक्टूबर, 1979 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में पांच व्यक्ति मारे गए तथा पाँच व्यक्ति घायल हो गए ।

(ख) और (ग) : जी, हां । खान सुरक्षा महानिदेशालय ने बताया है कि कोयला खान विनियम, 1957 के निम्नलिखित विनियमों के उल्लंघन किए गए : 44(3)(क),100.102 और 190.

(घ) और (ङ) : खान सुरक्षा महानिदेशक की रिपोर्ट 20-3-1980 को सभा पटल पर रख दी गई है । ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है ।

उड़ीसा के ब्रजराज नगर में सुपर तापीय बिजली घर

1582. **डा० कृपा सिन्धू भोई** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा के ब्रजराज नगर में 2 बी वैली कोयला भण्डारों पर आधारित सुपर तापीय बिजली घर बनाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो निकट भविष्य में कार्य आरम्भ करने के लिए क्या आरम्भिक कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : इन घाटी के कोयले का उपयोग करते हुए उड़ीसा में ब्रजराज नगर में सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1583. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में उज्जैन, इन्दौर, रतलाम, मन्दसौर, खांडवा, खारगोन, ग्वालियर और भोपाल में दूरदर्शन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी और क्या इस संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार को कम प्राथमिकता देने के कारण, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि (1978-83) के दौरान, मध्यप्रदेश में फिलहाल नया दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, भविष्य में दूरदर्शन प्रसार की योजनाओ को प्रतिपादित करते समय सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

हरियाणा में साहबी नदी पर बांध

1584. **श्री राम सिंह यादव** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा राज्य के जदथल गांव की राजस्व सीमा में 'साहबी नदी' पर बांध का निर्माण चल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त बाँध का पानी राजस्थान राज्य के लालपुर अकोलो, उजोली, धामवास और रबादका गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों और सारी की सारी कृषि को जलमग्न कर देगा ; और

(ग) क्या सरकार का उक्त गाँवों को जलमग्न होने से बचाने के और उन गाँवों के निवासियों की सम्पत्ति का बचाव करने की दृष्टि से उस बांध पर खुला बराज बनाने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) हरियाणा सरकार ने राज्य के मोहिन्दरगढ़ जिले के मसानी गांव के निकट साहिबी नदी पर मसानी बराज के निर्माण की परियोजना-रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को जांच के लिए भेजी है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा अभी मंजूरी दी जानी है। लेकिन हरियाणा की 1980-81 की वार्षिक योजना में यह बताया गया है कि इस स्कीम पर 1978-79 में 108.97 लाख रुपये व्यय किए गये हैं और 1979-80 में 500 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस परिव्यय से, बाढ़-तटबंधों का निर्माण-कार्य, जो बराज का हिस्सा है, शुरू कर दिया गया है।

(ख) परियोजना-रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान राज्य के निम्नलिखित गांव डूब में आ सकते हैं :—

1. रबडका
2. करियाबास
3. लालपुर
4. धानी
5. मट्टू धानी
6. झोकावास
7. अकोली

(ग) परियोजना रिपोर्ट में एक बराज प्रस्तावित है। लेकिन परियोजना के अन्तिम हिस्सों का फैसला सम्यक जांच के बाद और राजस्थान के जलमग्न होने वाले क्षेत्रों सहित सभी पहलुओं को ध्यान में लेने के बाद किया जाएगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा धरना

1585. **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन महानिदेशालय के कर्मचारियों ने हाल ही में धरना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और धरना समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : आकाशवाणी और दूरदर्शन के कुछ कर्मचारियों ने क्षेत्रीय अभियंता (पूर्वी), आकाशवाणी के कार्यालय और दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता के अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन/छंटनी/बदली के विरुद्ध कलकत्ता में 12.11.79 से एक आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन को, अधिकारियों के इस आश्वासन पर कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी और प्रभावित व्यक्तियों को उसी क्षेत्र में मिलाने के सभी प्रयत्न किए जाएंगे, पर 27-12-79 को आंदोलन वापस ले लिया गया।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना का प्रस्ताव

1586. **श्री ए० नीललो हितदासन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी स्रोत से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में, केरल उच्च न्यायालय की एक बेंच, जिसमें मामले फाइल किए जा सकें, आरम्भ करने के बारे में अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या किया है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केवल त्रिवेन्द्रम ही राज्य की एक ऐसी राजधानी है जिसमें उच्च न्यायालय नहीं है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना का एक प्रस्ताव

सितम्बर, 1971 में भेजा था । कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक पत्र जुलाई, 1973 में लिखा गया था । उस समय उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था । राज्य सरकार ने जून, 1978 में सूचित किया कि इस विषय पर वह अभी विचार कर रही है ।

(घ) त्रिवेन्द्रम ही राज्य की ऐसी एकमात्र राजधानी नहीं है जहां किसी उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान (प्रिंसिपल सीट) या उसकी स्थायी बेंच नहीं है। भोपाल, इम्फाल, अगरतला, शिलांग और कोहीमा, राज्यों की ऐसी अन्य राजधानियां हैं जहां अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय का न तो मुख्य स्थान है और न उसकी कोई स्थायी बेंच है ।

पोंग बांध के विस्थापितों को फिर से बसाया जाना

1587. **श्री विक्रम महाजन** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से पहले हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के कितने विस्थापितों को राजस्थान में बसाया गया था । तथा मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान कितने विस्थापितों को बसाया गया है ; और

(ख) पोंग बांध के विस्थापितों को फिर से बसाए जाने में होने वाले विलम्ब के कारण क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : पोंग बाँध के विस्थापितों को पुन: बसाने के संबंध में निर्णय मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौते और मंत्रिमण्डल सचिव के पंचाट के आधार पर किए गए थे । दोनों राज्यों के मतभेदों की जांच करने का अनुरोध मंत्रिमण्डल सचिव से किया गया था । विस्थापितों को भूमि आबंटन संबंधी ब्यौरे को शासित करने के लिए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत 1972 में विशेष नियम" राजस्थान उपनिवेशन (पोंग बांध विस्थापितों को राजस्थान नहर कालोनी में सरकारी भूमि का आबंटन) नियम 1972 बनाया गया था । पोंग बांध के पात्र विस्थापितों से भूमि के आबंटन के लिए आवेदन मांगे गए थे । । पोंग बांध के पात्र विस्थापितों को, हिमाचल प्रदेश के प्रमाणनकर्त्ता प्राधिकारियों द्वारा पात्रता-प्रमाण पत्र जारी किए जाने से तीन महीने के भीतर भूमि के आबंटन के लिए आवेदन करना था । इस व्यवस्था के अनुसार, अधिकांश आवंटन किया गया था । मार्च, 1977 तक, पोंग बांध के 9070 विस्थापितों को राजस्थान में बसाया गया और मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक 99 विस्थापितों को बसाया गया ।

पुन: बसाने में देरी इस कारण से हुई है कि कई विस्थापित भूमि के आबंटन के लिए आवेदन करने में अनिच्छुक थे क्योंकि इसमें उन्हें हिमाचल प्रदेश छोड़कर राजस्थान जाना पड़ता । कई मामलों में, विस्थापित सीधे ही अथवा उक्त नियमों में बताए गए व्यक्तियों के जरिए खेती का कार्य करने की स्थिति में नहीं थे ।

गंगा और भागीरथी नदियों से भूमि का कटाव रोकने के उपायों का पता लगाने के लिये समिति

1588. **श्री जयिनुल अबेदिन :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा और भागीरथी नदियों से भूमि का बड़े पैमाने पर होने वाले कटाव के बारे में जानकारी है।

(ख) यदि हां, तो क्या इतने बड़े क्षेत्र को ऐसे कटाव से बचाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या यह सच है भूमि के कटाव के कारणों पर विचार करने और उसे रोकने के लिए उपयुक्त उपायों का पता लगाने के लिए श्री प्रीतमसिंह की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इन सिफारिशों को कहां तक स्वीकार किया है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) गंगा और भागीरथी नदी के किनारों का कटाव काफी समय पहले से हो रहा है। यह स्थिति सभी जलोद नदियों में एक सी है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में तट कटाव विशेष रूप से देखा गया है। इस प्रकार का कटाव फरक्का बराज के निर्माण होने से पहले भी देखा गया था। गंगा नदी के दोनों तटों, फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में कटाव की समस्या की जांच करने के लिए तथा उसके लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपचारात्मक उपायों को सुझाने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने 1978 में एक समिति गठित की थी। यह समिति केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य श्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) मनीकोहक घाट के अनुप्रवाह में बाएं किनारे पर, माडल प्रयोगों के आधार पर एक लम्बी ठोकर का निर्माण।

(2) फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में बाएं पार्श्व तटबंध से आगे निर्मित वर्तमान ठोकरों को सुदृढ़ करना।

(3) फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में बाएं ओर के नदी के किनारे की सुरक्षा तथा फरक्का बराज के बाएं गाइड बांध का विस्तार।

(4) फरक्का बराज के अनुप्रवाह में 94 किलोमीटर लम्बे बाएं तट की सुरक्षा ।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि समिति की फरवरी 1980 में प्राप्त सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

अहवा-डांग क्षेत्र में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की मांग

1589. **श्री यू०एच०पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलसार-डांग और गुजरात के अन्य भागों के विभिन्न लोगों ने एक आदिवासी क्षेत्र अहवा-डांग में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की मांग की है ;

(ख) क्या उन्हें पंचायत-डांग अहवा के अध्यक्ष और कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हाल ही में पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कांग्रेस (आई) के चुनाव घोषणा पत्र में देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को और अधिक सुविधाएं देने का वादा किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे रेडियो स्टेशन बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुर्नवास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क), (ख) और (ग) गुजरात के आहवा-डांग क्षेत्र में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की मांग रही है । आजकल, आहवा-डांग को आकाशवाणी के किसी भी मीडियम वेव ट्रांसमीटर द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया जाता है । आहवा-डांग में रेडियो केन्द्र स्थापित करने की योजना को चौथी, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया था । किन्तु वित्तीय साधनों की कमी के कारण योजना को बंद कर दिया गया । दूरदर्शन के संबंध में भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आहवा-डांग क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) : जी, हां ।

(ङ) : आहवा-डांग में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग को आकाशवाणी और दूरदर्शन की भावी योजनाओं को प्रतिपादित करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

एरनाकुलम में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना ।

1590. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोचीन कार्पोरेशन से एरनाकुलम में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क), (ख) **और (ग)** : एर्नाकुलम में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अनुरोध किए गए हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के प्रसार को कम प्राथमिकता देने के कारण चालू योजना की अवधि (1978-83) में एर्नाकुलम में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चालू योजना अवधि के दौरान त्रिवेन्द्रम में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र खोलने का छठी योजना में स्वीकृत प्रस्ताव है।

सिंचाई के लिए जल संसाधनों का विकास करने के बारे में राष्ट्रीय नीति

1591. श्री गदाधर साहा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधनों का विकास करने और उसका उपयोग अधिकतम सिंचाई के लिए और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का समन्वय करने और देश में बाढ़ तथा सूखे की पुनरावृति पर रोक लगाने संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्यों की सहायता करने के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : हमारे देश में उपयोग में लाए जा रहे जल में से अधिकतम मात्रा सिंचाई के काम में आती है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के समान वितरण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार विभिन्न नदी प्रणालियों के जल के विकास को उच्चतम प्राथमिकता देती रही है। स्वतंत्रता के पश्चात बड़ी संख्या में बृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है और पिछले 30 वर्षों के दौरान देश की सिंचाई शक्यता दुगनी से अधिक हो गई है। अधिकतम जन-संख्या को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हों इसके लिए जल-संसाधनों के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया जाता रहा है। आगामी योजनाओं में सिंचाई के विकास और बाढ़-नियंत्रण के लिए बढ़े-हुए परिव्ययों की व्यवस्था की जा रही है और पिछले 5 वर्षों अथवा लगभग इतने वर्षों में सिंचाई के विकास के साथ-साथ बाढ़-सुरक्षा कार्यों की गति को काफी तेज किया गया है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की नितियों और कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए

समय-समय पर सिंचाई राज्य मंत्रियों के सम्मेलन होते हैं और नीति संबंधी मामलों का अतिक्रमण करते हुए कई निर्णय लिए जाते हैं।

केन्द्र, तकनीकी सलाह देकर, कुछ मामलों में अन्वेषणों में सहायता देकर, समय-समय पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके और कार्यों के शीघ्र, कुशल और मितव्ययता-पूर्ण क्रियान्वयन के लिए प्रगति का मानीटरिंग करने में राज्यों की सहायता कर रहा है। केन्द्र, दुलर्भ बस्तुएं जैसे स्टील, सीमेंट और विस्फोटकों को प्राप्त करने में भी राज्यों की सहायता कर रहा है। केन्द्र, इन आवश्यक वस्तुओं और अन्य उपस्करों को लाने लेजाने में रेल परिवहन में उच्च प्राथमिकता देकर भी राज्यों की सहायता कर रहा है।

सिंचाई के विकास की गति को तेज करने के लिए एक अन्य कदम के रूप में केन्द्र इस समय नदियों को आपस में मिलाकर जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (पर्स्पेकटिव) तैयार करने में लगा हुआ है ताकि फालतू जल को सूखा-प्रवण क्षेत्रों को ट्रांस्फर किया जा सके।

कागज की कमी के कारण न्यायालय के कामकाज का रोक दिया जाना

1592. श्री के० लकप्पा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज की कमी के कारण दिल्ली में न्यायालय के कामकाज रोक दिए गए हैं, यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय न्यायालयों के कामकाज के लिए कागज का प्रदाय करके स्थिति को सुधार सकता है ; और

(ग) ऐसा कब तक किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक कार्य दिवस अर्थात् 7 मार्च, 1980 को कागज की कमी के कारण तीन-चार मामले केवल एक न्यायालय में जो नई दिल्ली के महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय था, स्थगित कर दिए गए थे।

(ख) और (ग) न्याय विभाग न्यायालयों को कागज उपलब्ध नहीं करता है। कागज का प्रदाय मुद्रण और लेखन सामग्री के नियंत्रक द्वारा किया जाता है जो निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मांग पत्र (इन्डैंट) उसी को भेजे जाते हैं।

उच्च न्यायालय के अनुसार सुसंगत तारीख को पटियाला हाउस का वह लेखन सामग्री लिपिक, जो तीस हजारी न्यायालयों से लेखन सामग्री प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है,

तीस हजारी नहीं आ सका, क्योंकि वह उस दिन रोकड़ लिपिक का, जो छुट्टी पर चला गया था, कार्य देख रहा था। वह तीस हजारी न्यायालयों में 7 मार्च, 1980 को ही आया था और उस दिन उसे लेखन सामग्री सम्यक् रूप से दे दी गई थी। किन्तु इसके पूर्व कि वह तीस हजारी से पटियाला हाउस पहुंचता, संबंधित महानगर मजिस्ट्रेट सभी तीन-चार मामलों को स्थगित कर चुके थे।

उच्च न्यायालय के अनुसार जिला और सेशन न्यायाधीश ने सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं जिससे कि ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो।

नर्मदा जल विवाद संबंधी न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया पंचाट

1593. श्री विरधी चन्द्र जैन : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) न्यायाधिकरण द्वारा विशेषकर राजस्थान राज्य के संबंध में दिये गये पंचाट की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पंचाट के अनुसार नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा कितना है ;

(घ) उपरोक्त पंचाट को कब तक कार्यरूप देने का विचार है ; और

(ङ) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं। जब रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए, श्री वी० रामास्वामी अध्यक्ष थे और श्री एम० आर० ए० अन्सारी तथा श्री अनिल कुमार सिन्हा सदस्य थे।

(ख) न्यायाधिकरण के पंचाट की मुख्य बातें उपाबंध में दी गई हैं।

(ग) नर्मदा के जल में राजस्थान का हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फुट है परंतु जल की अधिकता अथवा जल की कमी वाले वर्षों में उसी अनुपात में भिन्न-भिन्न होगा।

(घ) पंचाट 12-12-1979 से, जिस दिन यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, लागू हो गया है।

(ङ) न्यायाधिकरण ने अपनी पहली रिपोर्ट 16-8-1978 को प्रस्तुत की थी और तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्री ने उसी दिन सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें पंचाट की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया था। अगली रिपोर्ट, जिसमें न्यायाधिकरण के अन्तिम

आदेश तथा फैसले दिए गए थे, न्यायाधिकरण द्वारा 7-12-79 को प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टों की प्रतियां और भारत के राजपत्र (असाधारण), दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 की प्रति भी, जिसमें न्यायाधिकरण का निर्णय प्रकाशित हुआ था, संसद के पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी हैं ।

विवरण

नर्मदा न्यायाधिकरण के पंचाट की महत्वपूर्ण बातें (1979)

लागू होने की तारीख 12-12-1979

(1) नर्मदा के जल की वार्षिक समुपयोज्य मात्रा, जो 100 में से 75 वर्ष में निर्भर हो सकती है, 28 मिलियन एकड़ फुट आंकी गई है ।

(2) 75 प्रतिशत निर्भरयोग्य 28 मिलियन एकड़ फुट जल की समुपयोज्य मात्रा में से मध्य प्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फुट, गुजरात को 9 मिलियन एकड़ फुट, राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फुट तथा महाराष्ट्र को 0.25 मिलियन एकड़ फुट जल आबंटित किया गया है । जल की अधिक मात्रा अथवा कमी वाले वर्षों के दौरान पक्षकार राज्य इसी मात्रा में जल लेंगे ।

(3) सरदार सरोवर से नवागांव नहर के निकास का पूर्ण सप्लाई स्तर इसके शीर्ष पर +300' निश्चित किया गया है ।

(4) गुजरात में नवागांव पर सरदार सरोवर बांध का पूर्ण जलाशय स्तर +455' निश्चित किया गया है और अधिकतम जल स्तर 460' निश्चित किया गया है ।

(5) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सरदार सरोवर पर उत्पादित विद्युत का क्रमशः 57 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आबंटित किया गया है । शेष 16 प्रतिशत गुजरात को आबंटित की गई है । मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी सरदार सरोवर काम्पलेक्स के विद्युत भाग के आनुपातिक व्यय का हिस्सा वहन करने के निदेश दिए गए हैं ।

(6) गुजरात और राजस्थान के लिए जल के देय हिस्से को नियमित आधार पर जारी करने के लिए मध्य प्रदेश को विशिष्ट निदेश दिए गए हैं । इन नियमित नियुक्तियों के लिए सरदार सरोवर परियोजना द्वारा नर्मदासागर बांध यूनिट-एक के वास्तविक व्यय का 17.63 प्रतिशत नर्मदा सागर परियोजना को दिया जाना अपेक्षित है । नियमों और जल-लेखे को तैयार करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए गए हैं ताकि पक्ष राज्यों का देय हिस्सा सुनिश्चित किया जा सके ।

(7) सरदार सरोवर बांध एफ० आर० एल० 455 के अन्तर्गत मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जल मग्न होने वाला कुल क्षेत्र 37,030 हेक्टेयर है जिसमें से 12,140

हेक्टेयर क्षेत्र कृषि-योग्य है। सरदार सरोवर के लिए इन भूमियों का अधिग्रहण करने और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को विस्थापितों के तुरंत पुनर्वास और पर्याप्त मुआवजे की अदायगी के लिए विस्तृत निदेश दिये गए हैं।

(8) न्यायाधिकरण के निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक टू-टायर मशीनरी को गठित करने का निदेश दिया गया है। इस मशीनरी में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जिसमें केन्द्र द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक इंजीनियर सदस्य और प्रत्येक पक्ष राज्य द्वारा एक-एक सदस्य की नियुक्ति करके चार अंशकालिक इंजीनियर सदस्य शामिल होंगे।

(ख) एक उच्च शक्ति प्राप्त पुनर्वीक्षा समिति होगी जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्री सदस्य होंगे और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री अध्यक्ष होंगे। पुनर्वीक्षा समिति उसको भेजे गए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के किसी भी निर्णय की समीक्षा करेगी और इसका निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

(ग) एक निर्माण सलाहकार समिति होगी, जिसके अध्यक्ष सचिव, भारत सरकार, सिंचाई विभाग होंगे और अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और सभी चार राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि सरदार सरोवर बांध के यूनिट-एक और तीन और विद्युत काम्पलेक्स का शीघ्र और सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। पुनर्वीक्षा समिति को सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है और उसका निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

(9) इस पंचाट की, पंचाट दिए जाने की तारीख से 45 वर्षों की अवधि के पश्चात किसी भी समय पुनर्वीक्षा की जा सकती है।

प्रेस संवाददाताओं को आवासों का आवंटन

1594. श्री मगन भाई बरोट : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस-पूल के अन्तर्गत आवासों के आवंटन संबंधी मानदण्ड अथवा नियम क्या हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने संवाददाताओं को प्रतीक्षा-सूची में रखा गया और उनमें से कितने संवाददाताओं को आवास दिए गए ; और

(ग) क्या किन्हीं ऐसे संवाददाताओं को भी आवंटन किया गया जो (एक) वेतन सीमाओं, (दो) उपसहायता-प्राप्त दरों में दी गई भूमि पर अपना मकान बना लेने, (तीन) मान्यता

प्राप्त न होने और (चार) कार्यालय द्वारा पूरा मकान किराया अदा किए जाने के कारण आवंटन पाने के पात्र नहीं थे ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) : प्रत्यायित संवाददाताओं और समाचार कैमरामैनों को प्रेस पूल से सरकारी मकान के आवंटन के बारे में निम्नलिखित मानदंड हैं :—

(I) वे जिनकी आय मासिक 2,000/-रु० या इससे कम है ;

(II) वे जिन्हें प्रबंध मंडली से मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है ;

(III) वे जिनका दिल्ली में अपना मकान नहीं है ।

संवाददाताओं/समाचारपत्र कैमरामैनों को मकान के आवंटन, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा उनको प्रत्यायित करने की तिथि, के आधार पर की जायेगी ।

संवाददाताओं/समाचारपत्र कैमरामैनों से, एफ. आर. 45-ए के अंतर्गत सामान्य किराया या उनके वेतनों का 10%,जो भी अधिक हो, लिया जायेगा ।

(ख) : जैसे कि जाँच समिति ने सिफारिश की थी गत 2 वर्षों के दौरान 53 प्रत्यायित संवाददाताओं/समाचारपत्र कैमरामैनों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया जबकि 29 को मकानों का आवंटन किया गया ।

(ग) : एक संवाददाता को 25.5.1978 को सरकारी मकान का आवंटन (एक से चार तक) किया गया जबकि वह 2000/-रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करता था । उनके मामले में यह शर्त लागू नहीं की गई क्योंकि उनके पास पहले सरकारी मकान था जिसे उन्होंने 30 11.1976 को खाली किया । एक व्यंग्य-चित्रकार को 25-1-1979 को प्रेस संवाददाताओं के पूल से तदर्थ आधार पर मकान दिया गया जबकि वह 2000/-रु० की निर्धारित सीमा से अधिक वेतन प्राप्त करते थे । उनके मामले में भी इस शर्त पर जोर नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें संसद सदस्यों के पूल का मकान खाली करना था ।

कोयले का एक बफर स्टाक बनाना

1595. श्री छीतू भाई गामित : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोयले का बफर स्टाक बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संभावित मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : खान मुहानों पर 1-3-1980 को कोयले का अनुमानित स्टॉक 12·8 मिलियन टन है। यह स्वयं ही एक बफ़र स्टॉक है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापन

1596. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि भाषा समाचार पत्र पत्रिकाओं सहित मध्यमदर्जे और छोटे समाचार पत्र को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पर्याप्त विज्ञापन दिए जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं या उठाने का बिचार है ; और

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन दिए जाने संबंधी नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : वर्तमान विज्ञापन नीति में छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को महत्व/वेटेज दिया जाता है। इस तथ्य को देखते हुए कि देश में छोटे और मध्यम समाचारपत्रों की संख्या, बड़े समाचारपत्रों की तुलना में अधिक है, इस प्रकार के समाचारपत्रों को अधिक विज्ञापन सहायता देने की गुंजाइश है. उदाहरणार्थ रोजगार अवसरों की सूचना का प्रसार, लघु उद्योगों के लिए व्यापारिक प्रतिभा, आवश्यक उपभोगता वस्तुएं आदि। सरकार इस सिल-सिले में वर्तमान विज्ञापन नीति को सुविधाजनक ढंग से पुनः बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

(ग) : उन समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को, जो न्यूनतम प्रसार संख्या के मापदण्डों और विज्ञापन नीति में निर्धारित प्रकाशन की नियमितता और प्रिण्ट एरिया की शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देने के लिए सरकार के पेनल में रखा गया है। विज्ञापन देने में, विज्ञापन की आवश्यकताओं के अनुसार, विस्तृत संभव प्रसार का उदेश्य, समाज के विशिष्ट वर्गों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के पाठकों तक पहुंचाना है।

आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य

1597. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान आकाशवाणी और

दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली की कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा समिति के सदस्यों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : 1977-78, 1978-79 और 1979-80 वर्षों के दौरान आकाशवाणी, दिल्ली और दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के लिए कोई कार्यक्रम सलाहकार समिति नहीं थी ।

तापीय संयंत्रों के लिये कोयले का स्टाक बनाना

1598. श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी ग्रीष्म ऋतु में बिजली की स्थिति के बिगड़ जाने की संभावना को देखते हुए, तापीय संयंत्रों के लिये, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में जहां कोयला समय पर नहीं पहुंच पाता है, कोयले का पर्याप्त भंडार बनाने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : दक्षिणी राज्यों समेत देश के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इनमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें ।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय अन्तर मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं ।

(3) विद्युत केन्द्रों को दैनिक अधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है ।

(4) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग मंत्रिमंडली औद्योगिक अवसरंचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है । इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की ढुलाई रेल-सह-समुद्री मार्ग से भी की जाती है ।

'डेसू' के महाप्रबंधक से मिलने का समय

1599. श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डेसू' के महाप्रबंधक ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए प्रतिदिन मिलने का कोई समय निर्धारित कर रखा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या अधिक राशि के बिल बनाए जाने, मीटर के गलत ढंग से चलने, उनके अनियमित कार्यकरण के मामलों में अत्यधिक वृद्धि तथा संगणकीकरण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न बहुत-सी अनेक समस्याओं को देखते हुए सरकार का विचार 'डेसू' प्रबंध को यह निदेश देने का है कि वह जनता की शिकायतें सुनने के लिए कोई समय निर्धारित करे ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में कोयला खानों में खनन प्रौद्योगिकी में सुधार करना

1600. श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में फैली हुई कोयला खानों में खनन संबंधी प्रौद्योगिकी में सुधार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) बड़ी यंत्रीकृत ओपेनकास्ट खानों के द्वारा उन्नत खनन प्रौद्योगिकी और लांगवाल भूमिगत यंत्रीकरण योजनाएं मध्य प्रदेश और पश्चिमी उड़ीसा में प्रारंभ की जा रही हैं ।

बड़ी ओपेनकास्ट खानें झीनगुरडा और गोरबी में पहले से ही चालू हैं और मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र में जयन्त में एक नई परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। उड़ीसा के तालचेर जिले में साउथ बलांडा और जगन्नाथ इन दो बड़ी यंत्रीकृत खानों में उत्पादर हो रहा है ।

लांगवाल यंत्रीकरण फेसों में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की कई खानों में या तो पहले से ही उत्पादन हो रहा है अथवा ऐसे फेस वहाँ शुरू किए जा रहे हैं । यह खानें हैं—नांदिरा और ओरिएंट कोलियरियां उड़ीसा में तथा चुरचा, बांकी, सुराकचार, बिजुरी, राजनगर और और पाथरखेरा कोलियरियां मध्य प्रदेश में ।

दूरदर्शन केन्द्रों के लिए चलचित्रों का चयन करने के लिए मानदंड

1601. श्री अर्जुन सेठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारित करने हेतु चलचित्र के चयन के लिए क्या मानदंड हैं ;

(ख) दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं ; और

(ग) क्या सरकार "फादर डियर फादर" के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों को अधिक समय देने पर विचार रक रही है क्योंकि अधिकतर लोग, विशेष रूप से बच्चे इस कार्यक्रम से अनुरंजित होने के लिए अंग्रेजी भाषा से भिज्ञ नहीं हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) निम्नलिखित मुख्य मानदंड अपनाए जाते हैं :—

1. दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली कोई भी फिल्म या अन्य सामग्री केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को फिल्मों के प्रमाणित करने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुरूप होगी ।

2. वे फिल्में जिन्हें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा "यू" प्रमाणपत्र दिया गया है, प्रसारित नहीं की जाएगी ।

3. यहां तक कि ऐसी फिल्में जिन्हें "यू" प्रमाणित किया गया है, का भी एक निर्धारित गठित समिति द्वारा पूर्ण दर्शन किया जाना चाहिए और फिल्मों को प्रसारित करने से पूर्व उनकी स्वीकृति लेनी चाहिए ।

4. ऐसी फिल्म जिसके प्रदर्शन पर रोक लगी हो, अप्रमाणित समझी जाएगी तथा उसे दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाएगा; और

5. दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली फिल्मों का सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए और परिवार के साथ देखने लायक होनी चाहिए ।

(ग) : जी, हां । तथापि, सरकार अंग्रेजी जानने वाले दर्शकों के लिए भी रुचिकर कार्यक्रम प्रसारित करना जारी रखेगी ।

राजस्थान में तापीय बिजलीघर तथा उनकी क्षमता

1602. श्री सतीश अग्रवाल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्थित तापीय बिजली घरों के नाम एवं उनकी क्षमता कितनी है ;

(ख) इस समय कितने बिजलीघर काम कर रहे हैं तथा प्रत्येक द्वारा कितनी बिजली पैदा की जा रही है ; और

(ग) शेष बिजलीघरों के काम न करने के क्या कारण हैं तथा उनकी बाधाएं दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उन्हें शीघ्र चालू किया जा सके और इन काम न कर रहे बिजली घरों को कब तक चालू किया जायेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी) : (क) : राजस्थान में कोई बड़ा ताप विद्युत केन्द्र प्रचालन में नहीं है। 220-220 मेगावाट के दो सेटों वाला एक परमाणु विद्युत केन्द्र कोटा में है। तथापि, कुछ छोटे ताप (स्टीम/डीजल) उत्पादन यूनिट हैं। इन यूनिटों की प्रतिष्ठापित तथा ह्रासित क्षमता नीचे दी जाती है :—

क्रम सं०	स्टीम केन्द्र का नाम	क्षमता, मेगावाट में		
		प्रतिष्ठापित	ह्रासित	फर्म
1-	जयपुर	15.50	8.50	4.50
2-	जोधपुर	9.00	7.50	5.00
3-	अलवर	2.00	1.60	0.80
4-	भरतपुर	4.00	3.00	2.40

सारे राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर स्थित 22 डीजल बिद्युत घरों की कुल ह्रासित क्षमता 5.985 मेगावाट है। ये सेट बहुत पुराने हैं और इनका प्रचालन लाभकर नहीं है। 110-110 मेगावाट के दो सेटों का उत्थापन कोटा के ताप विद्युत केन्द्र में किया जा रहा है।

(ख) राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र, कोटा की एक यूनिट का प्रचालन किया जा रहा है। यह यूनिट लगभग 180 मेगावाट के स्तर पर या प्रतिदिन 4 मिलियन यूनिट के स्तर पर उत्पादन करने के लिए सक्षम है। इस समय चार स्टीम विद्युत केन्द्र प्रचालनाधीन हैं। प्रत्येक केन्द्र से प्रतिदिन उत्पादन की जाने वाली बिजली की मात्रा निम्नानुसार है।

क्रम सं०	केन्द्र	अनुमानित दैनिक उत्पादन, लाख यूनिटों में
1-	जयपुर	0.60 से 0.90
2-	जोधपुर	0.95 से 1.05
3-	अलवर	0.23 से 0.30
4-	भरतपुर	0.33 से 040

(ग) : सारे राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर स्थित 22 छोटे डीजल सेट पुराने होने के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं तथा प्रचालन में पूर्ण रूप से अलाभकर हैं और इन्हें सतत् आधार पर प्रचालित भी नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त इस समय निम्नलिखित ताप विद्युत उत्पादन यूनिटें भी काम नहीं कर रही हैं। उनके कार्य न करने के कारण तथा कार्य आरम्भ करने की संभावित तारीखें भी दी जाती हैं :—

विद्युत केन्द्र	क्षमता प्रचालन में नहीं	प्रचालन में न होने के कारण	कार्य, आरंभ करने की संभावित तारीख
भरतपुर	2×1 मेगावाट	दी टर्बाइनों की मरम्मत की जा रही है।	मार्च, 1980 के अंत तक
जोधपुर	1×3 मेगावाट	मशीन की मरम्मत की जा रही है	मार्च, 1980 के अंत तक
जयपुर	2×2.5 मेगावाट	टर्बाइन रोटर की क्षति	बेकार है

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्यकरण में अनियमितायें

1603. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के अनेक मामलों का पता चला है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच किये जाने तक उपा निदेशक दो अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ; और

(ग) भ्रष्टाचार के उन्मूलन के विचार से दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय की सारी पद्धति, प्रशासन तथा प्रबंध का पुनर्गठन करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) : जी, हां, हाल ही में मुद्रकों को काम देने में अनियमितताओं के कुछ उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के एक उपनिदेशक और एक सहायक उत्पादन व्यवस्थापक को निलम्बित किया गया था । तथापि, उनका निलम्बन अब रद्द कर दिया गया है । इन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं ।

(ग) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के विचार से निविदाओं को खोलने के बारे में संशोधित अनुदेश अब जारी कर दिए गए हैं । विज्ञापन और दृश्य प्रचार के निदेशक को संगठन पर कड़ा नियंत्रण रखने और प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाने के लिए भी परामर्श दिया गया है ।

सुदामडिह कोयला धोवनशाला (कोल वाशरीज) के निर्माण-कार्य श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

1604. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत सुदामडिह कोयला धोवनशाला के निर्माण कार्य श्रमिक संयंत्र के कार्य-संचालन में आवश्यक अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए काफी लम्बे अर्से से आन्दोलन कर रहे थे ;

(ख) क्या निर्माण-कार्य श्रमिकों को प्राथमिकता देने के लिये यह पद्धति पाथेरडिह और डुग्दा कोल वाशरीज में अपनाई गई थी ;

(ग) क्या कोयला विभाग के सचिव ने गत वर्ष अगस्त में सुदामडिह कोल वाशरीज को, जब इसका प्रतिनिधि मंडल उन्हें दिल्ली में मिला था, इस आशय का आश्वासन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) यह सही है कि ठेकेदार अर्थात मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लि० द्वारा

सुदामडिह कोयला वाशरी के निर्माण में लगाए गए निर्माण श्रमिक, अगस्त, 1979 से इस मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं कि उन्हें भा० को० को० लि० में अकुशल श्रमिकों के रूप में उन कार्यों पर लगाया जाए जिनकी संयंत्र के परिचालन के लिए आवश्यकता होती हैं।

(ख) मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० ने रोजगार देने के मामले में पाथरडीह और दुगदा वाशरी में ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए निर्माण श्रमिकों को अपने यहां रोजगार देने में कोई तरजीह नहीं दी क्योंकि भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से तथा खुले विज्ञापन के आधार पर की गई थी।

(ग) कोयला विभाग में सचिव द्वारा दिए गए किसी ऐसे आश्वासन का रिकार्ड नहीं उपलब्ध है कि सुदामडीह वाशरी में अकुशल श्रमिक वर्ग की रिक्तियों पर उन श्रमिकों को लगा लिया जाएगा जो ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में लगाए गए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में कमी

1605 श्री ए० क० राय : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों में बिजली उपलब्ध न होने के कारण और कोयला के उपलब्ध न होने से विद्युत जनन में कमी के कारण पूरे तौर पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में कितनी कमी हुई है (महीने-वार आंकड़ों तथा सविस्तार तथ्य सहित) ; और

(ख) कोयले के उत्पादन में कमी के लिए अन्य क्या कारण है और उसी अवधि में इसके लिए वे कितने उत्तरदायी है (सविस्तार तथ्य सहित) और इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पर्याप्त कोयला न मिलने से बिजली के उत्पादन में तथा पर्याप्त बिजली न मिलने से कोयले के उत्पादन में हुई अनुमानित हानि का गत छह महीनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	बिजली के उत्पादन में हुई हानि (मिलियन यूनिट)	उत्पादन में हुई हानि	
		भा० को० को० लि०	को० इं० लि० (हज़ार टन)
दिसम्बर, 79	21.60	172	504
नवम्बर, 79	72.24	251	827
अक्टूबर, 79	62.88	219	614
सितम्बर, 79	34.32	145	574
अगस्त, 79	70.08	125	448
जुलाई, 79	29.26	147	461

(ख) उत्पादन में हुई कमी के अन्य कारक हैं—औद्योगिक अशांति विस्फोटक पदार्थों की कमी, गैरहाज़िरी और अन्य विविध कारण। भारत कोकिंग कोल लि० और कोल इंडिया लि० में उनका उत्पादन की हानी में अंशदान और प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

कारण	भारत कोकिंग को० लि०		कोल इंडिया लि०	
	अंशदान (000/टन)	कुल का प्रतिशत	अंशदान (000/टन)	कुल का प्रतिशत
बिजली की कमी	1059	47	3431	41
गैर हाज़िरी	427	18	2505	30
औद्योगिक अशांति	72	3	299	4
विस्फोटक पदार्थ	—	—	201	2
विविध	715	32	2004	23
कुल	2273	100	8440	100

खानों में बिजली की उपलब्धि में सुधार करने के लिए, कुछ राज्य बिजली बोर्डों के पास उपलब्ध कुल 40 मे. वा. क्षमता वाले ताप और गैस टरबाइन सेटों को खरीदने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा दामोदर घाटी निगम में बिजली के उत्पादन में सुधार किए जाने से भी खानों को अतिरिक्त बिजली मिलने की आशा है।

विस्फोटक पदार्थों की विदेशी उपलब्धि में रही कमी को पूरा करने के लिए उनका आयात किया जा रहा है।

कोयला कम्पनियों में औद्योगिक सम्बंध की समस्याओं और गैर हाजिरी को कम करने के लिए औद्योगिक सम्बंध मशीनरी को युक्तिपूर्ण और मजबूत बनाया जा रहा है।

बिहार में गैर-सरकारी कोयला खनन

1606. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1980 के "इकनामिक टाइम्स" में प्राइवेट कोल माइनिंग इन बिहार शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इन गैर-सरकारी कोयला खानों में खान अधिनियम के किसी भी उपबंध का अथवा सुरक्षा के किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता जिससे कोयले के निक्षेप वेकार हो जाने के अतिरिक्त यदाकदा दुर्घटनाएं और मौतें होती रहती हैं। यदि हां, तो इस प्रकार का खनन रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां,।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

1607. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों (1977-78, 1978-79 और 1979-80) के दौरान गुजरात की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और उनकी लागत क्या है तथा इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है और उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि का प्रावधान किया तथा इसमें अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है और अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है और उससे कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी/हो रही है ; और

(ख) कितनी परियोजनाएं स्वीकृति के लिए पड़ी हैं और कब तक उन पर स्वीकृतिं मिल जाएगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों (1977-78, 1978-79 और 1979-80) के दौरान गुजरात को दो बृहद और 7 मध्यम स्कीमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी। इन स्कीमों की लागत इन पर किये गये व्यय, अन्ततः सृजनीय क्षमता और मार्च, 1980 तक सृजित की जाने वाली सम्भावित क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन और उनके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(ख) 9 वृहद (सीपू, वतरक, जनखारो जलाशय, सरदार सरोवर, फतहवाडो नहर प्रणाली का सुधार और आधुनिकीकरण, दन्तीवाडा जलाशय परियोजना, बदर परियोजना का आधुनिकीकरण, शतंरजी पालीताना का आधुनिकीकरण और मच्छू-एक का आधुनिकीकरण) और 9 मध्यम स्कीमें (हरनव चरण-दो, केलिया, मुक्तेश्वर, झुज, गुहाई, मजम, हदफ, देव और देमीन्दो) गुजरात सरकार से तकनीकी जांच और योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई हैं। इनमें से 2 वृहद स्कीमें नामश सीपू और जनखारी और 2 मध्यम स्कीमें नामश : केलिया और झुज परयोजना आयोग की तकनीकी हसलाकार समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है और इन स्कीमो को स्वीकार्य पाया गया है। आयोग में अन्य स्कीमों पर राज्य सरकार से सलाह करते हुए जांच की जा रही है और यह जांच विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण

लाख रुपये/हजार हैक्टेयर

स्कीम का नाम	अनुमोदित लागत	अनुमोदन की तारीख	अद्यतन अनुमानित लागत	1979-1980 तक व्यय (प्रत्याशित)	अन्तत: सृजनीय क्षमता	मार्च, 1980 तक सृजित की जाने वाली सभावित क्षमता
I वृहद स्कीमें						
1. करजन	3720.00	18-5-77	5700	1259	61.97	—
2. हिरन	2526.00	10-4-78	3490	458	36.42	—
II मध्यम स्कीमें						
1. कालूवार	313.48	13-5-77	631	283	3.93	2.00
2, कबूतरी	113.55	16-3-78	144	49	1.78	—
3. फुलजार-दो	38.65	11-4-78	39	40	0.80	0.80
4. वीनू-दी	324.77	11-8-78	367	153	5.29	0.50
5. मीट्टी	188.44	11-8-78	175	107	1.97	0.60
6. फोफल-दो	310.00	11-8-79	350	4	4.18	4.18
7. पादर	422.00	20-11-79	781	238	17.17	—

बहुदा नदी के बारे में आंध्र और उड़ीसा राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल विवाद का समाधान

1608. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में बहुदा नदी के बारे में आंध्र और उड़ीसा राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल विवाद का समाधान हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों द्वारा स्वीकार किये गये समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बहुदा नदी पर बाघलटी मध्यम सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा विलम्ब करने के क्या कारण हैं हालांकि इस विवाद का समाधान हो चुका है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1978 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों के बीच बहुदा नदी के बारे में एक करार हुआ था जिसमें यह व्यवस्था है कि उड़ीसा प्रतिवर्ष जून से दिसम्बर तक की अवधि में, आंध्र प्रदेश के लिए 1.5 टी० एम० सी० जल को छोड़कर, बहुदा नदी के सारे जल का उपयोग कर सकता है।

(ग) उड़ीसा सरकार ने उपर्युक्त करार की रोशनी में बाघालटी सिंचाई परियोजना की संशोधित अद्यतन रिपोर्ट आगे कार्रवाई के लिए अभी तक केन्द्र को नहीं भेजी है।

विकासपुरी, नई दिल्ली में स्थायी बिजली कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र देने वालों की संख्या

1609. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1979 में विकासपुरी, नई दिल्ली में स्थायी बिजली कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिया और बी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली स्थित दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यालय में प्रतिभूति राशि जमा की है ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को, अलग-अलग अब तक बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं/नहीं दिए गए हैं और उन सबको बिजली के कनेक्शन न दिए जाने के सविस्तार कारण क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के जनकपुरी जिला कार्यालय में जून, 1979 में विकासपुरी में स्थायी बिजली के कनेक्शनों के लिए 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) : उपर्युक्त 10 आवेदन पत्रों में से 9 आवेदकों को बिजली के कनेक्शन दे दिये गए थे। किन्तु शेष एक कनेक्शन जिस पाकिट्र विशेष में मांगा गया था उस पाकिट का विद्युतीकरण पूरा न होने के कारण नहीं दिया जा सका। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि विकासपुरी की इस पाकिट का भी विद्युतीकरण अब पूरा हो गया है तथा अनुमानित प्रभारों के भुगतान के लिए मांग पत्र जारी कर दिया गया है। इसका भुगतान प्राप्त हो जाने पर उपभोक्ता को कनेक्शन दे दिया जायेगा।

असम में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी

1610. **श्री चित्त बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम सरकार को "सही तथा पूरी" निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनको तैयार करने के लिये क्या इस बीच कोई मार्गदर्शी निदेश जारी किये जा चुके हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन मार्गदर्शी निदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) संसद और राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उसके पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ख), (ग) और (घ) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से, भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी, दिल्ली की विज्ञापन सेवा के विरुद्ध शिकायतें

1611. **श्री टी. एस. नेगी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञापन एजेंसियों द्वारा आकाशवाणी, दिल्ली की विज्ञापन सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर झूठी शिकायतें की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो विज्ञापन एजेंसियों द्वारा ब्लेकमेल की इस प्रवृत्ति से अधिकारियों तथा कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ;

(ग) क्या प्रशासन एक उच्चस्तरीय समिति अथवा सतर्कता विभाग से उन शिकायतों की जांच कराना चाहेगा ;

(घ) विभाग के अधिकारियों को तंग करने के लिए इस प्रकार की झूठी शिकायतें करने वाली उन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा भविष्य में करने का विचार है; और

(ङ) क्या उन एजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान झूठी शिकायत की थी ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पहले ऐसे अवसर आये हैं जब प्राप्त शिकायतों को झूठा निराधार पाया गया ।

(ख) ऐसी झूठी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । जब तक लगाये गये आरोप प्रमाणित न हो जाएं तब तक किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

(ग) ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में निर्धारित व्यवस्थायें पूर्णतया पर्याप्त हैं ।

(घ) और (ङ) यद्यपि, ऐसी विज्ञापन एजेंसियां जो झूठी शिकायतें करती हैं उनसे व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद करने के रूप में उपर्युक्त कार्यवाही की जा सकती है, पिछले दो वर्षों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब प्राप्त शिकायत पर किसी विज्ञापन एजेंसी के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने का उचित कारण हो ।

विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण

1612. श्री छीतूभाई गामित : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राशि का ऋण दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर क्या थी ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितना-कितना ऋण दिया गया था और राज्यों से लिए जाने वाले ब्याज की दर क्या थी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) विश्व बैंक (अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) के साथ दो करार हुए हैं जिनके अन्तर्गत वह भारत को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण देता है। 57 मिलियन डालर के पहले ऋण का करार वर्ष 1975-76 में किया गया था और यह 23 अक्तूबर, 1975 से प्रवर्तित हुआ तथा यह 31 दिसम्बर, 1980 तक लागू रहेगा। इस ऋण के अन्तर्गत, विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 22.199 मिलियन डालर की राशि का भुगतान किया है। दूसरे ऋण करार के अन्तर्गत, जो 1 अप्रैल, 1980 से प्रवर्तित होगा, विश्व बैंक ने अभी तक कोई ऋण नहीं दिया है।

(ख) कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तथापि, इन ऋणों के अन्तर्गत ली गई और बकाया राशि पर विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार से ¾ प्रतिशत की दर से सेवा-प्रभार लिया जाता है।

(ग) प्रत्येक राज्य को दिए गए ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों से ब्याज 5.75% से 9.25% तक की वार्षिक दर से लिया जाता है। यह दर स्कीमों की श्रेणियों और उनकी अवधियों पर निर्भर करती है।

विवरण

राज्य	दिया गया ऋण (मिलियन अमरीकी डालरों में)
आंध्र प्रदेश	2.006
असम	1.349
बिहार	2.724
गुजरात	2.417
कर्नाटक	2.823
केरल	0.909
मध्य प्रदेश	3.071
महाराष्ट्र	1.452
उड़ीसा	1.023
पंजाब	0.353
राजस्थान	1.917
तमिलनाडु	1.864
पश्चिम बंगाल	0.291
जोड़	22.199

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में अनियमितताओं की शिकायतें

1613. **श्री जी० बाई० कृष्णन्** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी मुद्रकों द्वारा किए गए मुद्रण के बारे में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में कुछ अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकर ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) ; जी, हां। हाल ही में मुद्रकों को काम देने में अनियमितताओं के कुछ उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) : आरोपों की छान-बीन की जा रही है और पूछ-ताछ चल रही है।

(ग) : ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के विचार से, निविदाओं को खोलने के बारे में संशोधित निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के निदेशक को संगठन पर कड़ा नियंत्रण रखने और प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाने के लिए भी सलाह दी गई है।

उड़ीसा के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनायें

1614. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में कितनी बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और उन पर आने वाली लागत तथा "आयकर" क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजनाओं पर आने वाली वित्तीय लागत क्या होगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) छठी योजना में उड़ीसा में 18 बृहद तथा 24 मध्यम परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) सूचना उपाबंध में दी गई है।

विवरण

करोड़ रुपयों/हजार हैक्टेयरों में

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	अन्ततः सिंचाई क्षमता
	2	3	4
I	बहूद्देश्यीय और वृहद स्कीमें		
1.	रंगाली		
	(क) बांध का भाग	20.40	423.60
	(ख) सिंचाई	214.89	
2.	अपर कोलाब		
	(क) बांध का भाग	28.95	93.93
	(ख) सिंचाई	67 75	
3.	महानदी डेल्टा	68.00	562.54
4.	सालंदी	16.18	60.14
5.	आनन्दपुर	9.65	40.18
6.	अपर इन्द्रावती		
	(क) बांध	34 92	
	(ख) सिंचाई	42.74	185 83
7.	महानदी विरूपा बराज (पुनर्निमाण)	42.09	वर्तमान सिंचाई का स्थिरीकरण
8.	समाकोइ	15.30	18.40
	I का जोड़	560.87	1,384.62
II	मध्यम स्कीमें (सं० 34)	198.90	226.31
III	हाथ में लेने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त वृहद स्कीमें		
1.	स्वर्ण रेखा	95.02	156.6
2.	डेल्टा डेफर्ड क्षेत्र	15.00	113.7
3.	मणिभद्र (चरण 1)	95.00	151.3
4.	आई. बी.	64 90	165.0

1	2	3	4
5.	रूशीकुल्या बांध	15.00	45.00
6.	इन्द्रा बांध	23.00	37.00
7.	चिरोली	23.00	37.00
8.	बरतांग	16.00	27.6
9.	कानुपुर	28.00	48.4
10.	लोअर लांथ	25.00	44.0
	III का जोड़	399.92	825.0

उड़ीसा में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण

1615. श्री के॰ पी॰ सिंह देब : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितनी मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया गया है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के लिए कितनी परियोजनाओं का चयन किया गया है और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) अब तक कितनी सहायता मंजूर की गई हैं ; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए॰ बी॰ ए॰ गनी खान चौधरी) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में पिछले दस वर्षों के दौरान 30 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया गया है। इन स्कीमों के नाम उपाबंध में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : सूखा क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत एक परियोजना, नामश. : बोंडापिपिली के लिए 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान 148.85 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना से इसके पूरा होने पर, खरीफ मौसम में 1500 हैक्टेयर तथा रबी मौसम में 750 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ मिलने की उम्मीद है।

विवरण

पिछले दस वर्षों के दौरान उड़ीसा में सर्वेक्षण की गई मध्यम सिंचाई स्कीमों की सूची।

1. उत्तेल
2. बचुआ
3. पीतमहल
4. रमियाला
5. ओंग
6. दहुका
7. सुन्दर
8. साइपाला
9. कालो
10. दादिराघाटी
11. खडकई
12. रेमल
13. रामनदी
14. दाहा
15. नेम्सा
16. पोलासल्की
17. बोंडापिपिली
18. डुमेरबहल
19. गोहीरा
20. सुनई
21. ओनली
22. कुनरिया
23. झाराबंध
24. सराफगढ़
25. तलसारा
26. हरबंगी
27. कन्झारी
28. हरिहरजोर
29. अपर सुकतेल
30. बधुआ चरण-दो

तालचेर कोयला क्षेत्रों से कोयले का निर्यात

1616. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर कोयला क्षेत्रों से कोयले का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस समय तालचेर कोयला क्षेत्र से कोयले का निर्यात करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिलों में केन्द्रीय प्रचार एकक

1617. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिलों के लिए केन्द्रीय प्रचार एकक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए कितने और किन-किन जिलों के लिए ऐसे एकक निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा के ढांकानाल जिले के लिए कोई एकक निर्धारित और मंजूर किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें विशिष्ट जिलों के लिए अलग अलग नहीं हैं और प्रायः एक से अधिक जिलों के क्षेत्राधिकार में आती हैं ।

(ख) उड़ीसा में 11 केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें हैं जो बालासोर, भुवनेश्वर, भवानी पटना, कटक, जैपोर, क्योंझर, फुलबनी पार्लाखेमादी, पुरी, सम्बलपुर और बारीपदा में स्थित हैं ।

(ग) भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय प्रचार यूनिट का क्षेत्राधिकार ढाँकानाल जिला और पुरी जिला के उप विभाग भुवनेश्वर है ।

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के लिए अनुदान

1618. श्री सो.टी. दण्डपाणि : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित संवैधानिक तथा ससदीय अध्ययन संस्थान की स्थापना के समय से वर्ष 1979-80 तक इस संस्थान को सरकार ने वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि का अनुदान दिया है;

(ख) संस्थान के कामकाज पर सरकार का वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य नियंत्रण कहां तक है;

(ग) 1,000/- रुपए प्रति मास और इससे अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और क्या पदों को विज्ञापित किया जाता है अथवा उनके लिए संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों को परिपत्र भेजे जाते हैं; और

(घ) क्या मंत्री महोदय यह जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए कार्यरत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं, उनकी व्यावसायिक और अन्य योग्यताएं क्या हैं तथा उनको कितने वेतन और भत्तों का भुगतान किया गया; उनकी पदावधि कितनी है और उनका चयन और नियुक्ति किस प्रकार की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) संस्थान को उसकी स्थापना के समय से वर्ष 1979-80 तक दिया गया सहायता अनुदान इस प्रकार है :—

1.	1965-66	86,200.00	लोक सभा सचिवालय
2.	1966-67	2,00,000.00	...यथोक्त...
3.	1967-68	2,00,000.00	...यथोक्त
4.	1968-69	2,00,000.00	...यथोक्त
5.	1969-70	2,00,000.00	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
6.	1970-71	2,00,000.00	...यथोक्त ..
7.	1971-72	2,00,000.00	...यथोक्त...
8.	1972-73	2,00,000.00	...यथोक्त...
9.	1973-74	2,00,000.00	...यथोक्त...
10.	1974-75	2,00,000.00	...यथोक्त...
11.	1975-76	2,00,000.00	...यथोक्त—
12.	1976-77	4,00,000.00	...यथोक्त...
13.	1977-78	4,00,000.00	...यथोक्त...
14.	1978-79	4,00,000.00	...यथोक्त...
15.	1979-80	अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।	

(ख) सरकार वित्तीय या प्रशासनिक किसी भी प्रकार का दिन-प्रतिदिन नियंत्रण नहीं करती है क्योंकि संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम 21) के अधीन एक रजिष्ट्रीकृत निकाय है । तथापि, भारत सरकार से मिलने वाला वार्षिक सहायता अनुदान (जो विधि कार्य विभाग के माध्यम से दिया जाता है) कर्मचारियों के वेतन और भत्ते जर्नल आफ कॉंस्टीट्यूशनल एन्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज के प्रकाशन, लोकतंत्र समीक्षा के प्रकाशन, कार्यालय स्थान, मुद्रण और लेखन सामग्री तथा डाक खर्च और टेलीफोन जैसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट होता है । सरकार संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कार्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है । सरकार को संस्थान से चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षित और प्रमाणित लेखा विवरण प्राप्त होता है । उक्त प्रमाणपत्र इस आशय का होता है कि मंजूर किए गए सहायता अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिस प्रयोजन के लिए वह दिया गया था । आगे अनुदान देने से पूर्व मंत्रालय का लेखा नियंत्रक इस विवरण की समीक्षा करता है ।

(ग) विभिन्न पदों पर नियुक्तियां संस्थान द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती हैं। सामान्यतया सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाती हैं। ये विभिन्न मंत्रालयों को परिचालित नहीं की जाती हैं।

(घ) संस्थान द्वारा आयोजित अधिकारियों के नाम और पदनाम दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। संस्थान से कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त नहीं हुआ है क्योंकि किसी व्यक्ति ने 58 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं की है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 625 ए/80))

लघु किसान सिंचाई योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में खर्च की गई राशि

1619. **श्री रामपाल राही :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु किसान सिंचाई योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई राशि में से इसके प्रत्येक जिले में कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न जिलों में इस कार्य पर लगे हुये व्यक्तियों को नलकूप विभाग के अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कार्य में बाधा पहुच रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को गति देने के लिये क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नलकूप लगाया जाना

1620. **रामलाल राही :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में, जिसमें सिंचाई सुविधाओं का अभाव है विश्व बैंक की सहायता के साथ आरम्भ की गई लघु किसान सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं की (राजकीय नलकूपों की) व्यवस्था हेतु नलकूप लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन नहीं किया गया है जिसके कारण पर्याप्त संख्या में नलकूप नहीं लगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सीतापुर जनपद को लघु तथा सीमान्त किसानों के लिये 50 अतिरिक्त नलकूप आवंटित किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फिल्म सेंसर बोर्ड

1621. **श्री के. मालन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) सेंसर बोर्ड में किसी सदस्य की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने में सेंसर बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सरकार ने सेंसर बोर्ड के निर्णय को बदला है; और

(ड़) फिल्मों में अपराध, हिंसा, बलात्कार, डकैती और मद्यपान के दृश्यों के बारे में सेंसर बोर्ड को हाल ही में जारी किए गए मार्गनिदेशक सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) इस समय फिल्म सेंसर बोर्ड में निम्नलिखित शामिल है :-

1.	श्री के० एल० खाडपुर	अध्यक्ष
2.	श्री ऋषिकेश मुखर्जी	सदस्य
3.	श्री एन० भक्तवत्सल	
4.	श्री तपन सिन्हा	
5.	श्री वी० वी० जान	
6.	श्री के० बी० जगन्नाथन	
7.	श्रीमती माधुरी शाह	
8.	श्री वी० नागी रेडो	

(ख) बोर्ड का सदस्य बनने का मानदंड यह है कि वे ऐसे व्यक्ति हों जिनमें व्यक्तिगत गुणवत्ता और उपयुक्तता हो और फिल्मों का जनता पर प्रभाव की जांच करने से योग्यता रखते हों ।

(ग) और (घ) गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान सरकार ने "स्वजारसिस्ट" (संशोधित) (अंग्रेजी) तथा "जादू टोना" (हिन्दी) शीर्षक की दो फिल्मों को अप्रमाणित कर दिया था जिनको पहले बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र दे दिया गया था।

(ङ) फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त (27-1-1979 तक संशोधित)

केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि लोक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देने में, फिल्म सेंसर बोर्ड का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार होगा :

1. फिल्म सेंसर व्यवस्था के उद्देश्य यह सुनिश्चित करने होंगे कि :-

   (क) फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदन-शील बना रहे;

   (ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक [स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए; और

   (ग) सेंसर व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो।

2. उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म सेंसर बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :-

   (1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहरायी जाए;

   (2) अपराधियों या अन्य दृश्यों या शब्दों को ऐसी कार्य-प्रणाली, जिससे किसी अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

   (3) हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाए जाए;

   (3-क) वे दृश्य जो मद्यपान को उचित ठहराते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं नहीं दिखाए जायें;

   (4) अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक [संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए;

   (5) जातीय, धार्मिक या अन्य समूहों के अवहेलक दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए;

   (6) भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता प्रश्नगत न की जाए;

   (7) देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में न डाली जाए;

(8) विदेशों से मित्रता सम्बन्धों में मनोमालिन्य न आए;

(9) लोक व्यवस्था खतरे में न पड़े ;

(10) न्यायालय को मानहानि या अवमान वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए;

3. फिल्म सेंसर बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि फिल्म :-

(1) अपने समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से अपने पूर्ण रूप में निर्यात की जाए; और

(2) उस देश और उन लोगों के, जिनसे फिल्म सम्बंधित है, तत्कालीन मानकों के प्रकाश में परीक्षित की जाए ।

4. ऐसी फिल्में, जो ऊपर उल्लिखित मापदण्ड को पूरा करती है, किन्तु अवयस्कों को प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त समझी जाती है, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी ।

5. भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना स० सा० का० नि० 169, तारीख 6 फरवरी, 1960 को अधिक्रान्त किया जाता है ।

(प्राधिकार : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना सख्या एफ 5/5/77-एफ० सी०, दिनांक 27 जनवरी, 1979 के साथ अधिसूचना सख्या एफ 5/5/77-एफ० सी० दिनांक 7 जनवरी, 1978 पढ़ी गई)

कोयले की उत्पादन लागत

1622. **श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा, सिचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के उत्पादन की औसत लागत क्या है ;

(ख) क्या आयातित कोयले और स्वदेशी कोयले की लागत में बहुत अधिक अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर की प्रतिशत क्या है ?

ऊर्जा, सिचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) देश में दिसम्बर, 1979 तक कोयले के उत्पादन की औसत लागत लगभग रु० 110 प्रतिटन थी।

(ख) आयातित कोक कर कोयले की कीमत, जिसमें वाहन भाड़ा भी शामिल है, रु० 510/- से रु० 800/- प्रतिटन तक अलग अलग है यह कीमतें उत्पादक देश और भाड़े की दर पर निर्भर करती हैं । स्वदेशी कोक कर कोयले की कीमत खदान स्थल पर रु० 220/-से

रु० 240/- प्रतिटन तक अलग अलग हैं जो उसके किस्म पर निर्भर करती हैं। आयातित कोक कर कोयले में राख का अधिकतम अंश 10% के लगभग होता है जबकि स्वदेशी कोक कर कोयले में राख का अंश 17.5% से लेकर 22% तक अलग अलग रहता है।

(ग) आयात किए गए कोक कर कोयले की कीमतें, स्वदेशी कोक कर कोयले की तुलना में लगभग 230% से 330% तक अधिक हैं।

दूरदर्शन में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति

1623. श्री टी० एस० नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, अप्रैल, 1979 के दौरान प्रोड्यूसरों के पदों के लिए चुने गये सभी उम्मीदवारों का स्तर निर्धारित स्तर से कम था ;

(ख) प्रोड्यूसरों के पदों के लिए चुने गये उम्मीदवारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक की अर्हताएं क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी नियुक्ति के बारे में पुनर्विचार करने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) : चुने गए और नियुक्त किए गए प्रोड्यूसरों का, उनकी योग्यताओं सहित, एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं०	नाम	शैक्षिक अर्हताएं	अन्य अर्हताएं	भाषा	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एस०के०सिंह	बी.एस.सी.	एन.एस.डी. से निर्देशन में डिप्लोमा, पुस्तकें प्रकाशित	हिन्दी अंग्रेजी	3-11-46

1	2	3	4	5	6
2.	श्री बी०के०मिश्रा	बी.एस.सी.	1970 से दूरदर्शन में प्रोडक्शन सहायक, टेलीविजन में प्रशिक्षण प्राप्त किया	हिन्दी अंग्रेजी मराठी भोजपुरी	21-1-49
3.	श्री बी.पी.सिन्हा	एम. ए. एन.एस.डी. से ड्रामा में 3 वर्ष का कोर्स	रेडियो और टेलीविजन का अनुभव है	हिन्दी अंग्रेजी बंगला उर्दू	1-7-37
4.	श्रीमती दुर्गावती सिंह	बी. ए. थोमसन प्रतिष्ठान से ड्रामा और सुगम मनोरंजन का विशेष प्रशिक्षण	1960 में आकाशवाणी में भर्ती हुई। इस समय यू.डी.के. दिल्ली में स्क्रिप्ट राइटर हैं। उनके नाम पर कई प्रकाशन हैं।	हिन्दी अंग्रेजी अवधी भोजपुरी	1-7-31
5.	श्री राकेश कुमार भाटिया	बी. ए.	जुलाई, 1971 से प्रोडक्शन सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं।	हिन्दी अंग्रेजी	15-8-49
6.	श्रीमती सुधा किरण सिन्हा	बी. ए.	उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली में 13-8-76 से प्रोडक्शन सहायक	हिन्दी अंग्रेजी	1-10-46
7.	श्री आनन्द शिवपुरी	बी. ए.	आकाशवाणी में प्रोडक्शन सहायक (6 वर्ष) दूरदर्शन में प्रोडक्शन सहायक (4 वर्ष)	हिन्दी अंग्रेजी राजस्थानी पंजाबी	21 7 40

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पद

*1624 **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित उन पदों की संख्या कितनी है जो 1 फरवरी, 1980 को रिक्त रहे ; और

(ख) उन पदों को भरे न जाने के क्या कारण हैं तथा उन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अनुसूचित

जातियां	अनुसूचित जनजातियां	कुल
37	32	69

(ख) इन 18 पदों के लिए उम्मीदवार न मिलने के कारण इनको नहीं भरा जा सका। 12 पदों के लिये नियुक्ति की जा रही है तथा बाकी 39 पदों के लिये कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग को सूचित कर दिया गया है।

दूरदर्शन का राज्यों की राजधानियों तक विस्तार करने का प्रस्ताव

1625. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में इस समय दूरदर्शन सुविधाएं चल रही हैं वहां पर इन सुविधाओं का विस्तार करने की सरकार की क्या योजनाएं हैं ;

(ख) त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) : चालू पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 1978-83 के दौरान अहमदाबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने और जयपुर में जहां प्रसारण केन्द्र पहले से हैं कार्यक्रम निष्पादन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत छठी योजना में है। वित्तीय संसाधनों पर कड़े प्रतिबंध और दूरदर्शन के प्रसार को कम प्राथमिकता देने की वजह से चालू योजना के

दौरान निकट भविष्य में अन्य राज्यों की राजधानियों में नये दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना संभव नहीं होगा ।

(ख), (ग) और (घ) : त्रिवेन्द्रम में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने हेतु 10-8-79 को राज्य सरकार द्वारा उपहार में दी गई 6 एकड़ माप की भूमि प्राप्त कर ली गई है । वित्तीय मंजूरी और मुख्य उपकरणों के प्रबंध के लिए औपचारिक कार्यविधि को अब पूरा किया जा रहा है । आशा है केन्द्र चालू योजना की अवधि के अन्तिम वर्ष में, अर्थात 1982.83 में कार्य करना आरंभ कर देगा ।

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापन

1625. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से प्रकाशित ऐसे दैनिक समाचारपत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों के लिए सूचना और जन सम्पर्क विभाग निदेशालय, उत्तरप्रदेश ने मान्यता दी हुई है ;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे विभागों का ब्यौरा क्या है जिनके स्वविवेक पर निर्भर है कि वे सूचना और जन सम्पर्क विभाग निदेशालय, उत्तरप्रदेश द्वारा अनुमोदित इन समाचारपत्रों को विज्ञापन न दें ; और

(ग) अलीगढ़ से प्रकाशित ऐसे दैनिक समाचारपत्र कौन-कौन से हैं जिन्हें समान आधार पर उत्तरप्रदेश सरकार के विभागों से विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) तक : मामला राज्य सरकार से संबंधित है सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर यथासमय रख दिया जाएगा ।

विभिन्न कोयला खानों में कोयले का उत्पादन

1627. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विगत तीन वर्षों में कोल इण्डिया के अन्तर्गत विभिन्न कोयला खानों में वर्ष-वार कोयला उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : गत तीन वर्षों में देश में हुआ कोयले का उत्पादन निम्नलिखित है :-

	(मिलियन टन)
1976-77	101.04
1977-78	101.00
1978-79	101.95

इन कोलियरियों में से प्रत्येक के तीन वर्षों के उत्पादन के आंकड़े तैयार करने का काम काफी बड़ा है और इस में बहुत परिश्रम और काफी समय लगेगा। फिर भी, छह से सात कोलियरियों तक का एक "एरिया" अथवा क्षेत्र बना दिया जाता है। इन तीन वर्षों का क्षेत्रवार उत्पादन संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

विवरण

कोल इण्डिया लि० में वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में कोयले का क्षेत्रवार उत्पादन

(आंकड़े हजार टनों में)

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	1976-77	1977-78	1978-79
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
1-	पाण्डवेश्वर	2307	2355	2137
2-	बंकोला	2570	2670	2473
3-	केंडा	2186	1900	1663
4-	कजोरा	2628	2871	2474
5-	कुनुस्तोरिया	3354	3263	2672
6-	सतग्राम	3314	3016	2290
7-	श्रीपुर	2883	2391	2000
8-	दिशेरगढ	2952	2717	2574
9-	सालनपुर	1465	1350	1251
10-	मुगमा	2805	2726	2511
	कुल	26464	25259	22045
भारत कोकिंग कोल लि०				
1-	बरोरा	1988	2029	2128
2-	महुदा	762	667	664
3-	धर्मबिन्द	1637	1565	1659
4-	कटरास	2161	2136	2136
5-	सिजुआ	2126	2207	2166

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5
6-	कुसुन्डा	1937	1965	1924
7-	भागबन्द	1910	1827	1654
8-	कुस्टोर	970	997	1046
9-	बस्ताकोला	1804	1728	1701
10-	लोडना	1646	1485	1354
11-	भौरा	2107	1784	1401
12-	चर्च-विक्टोरिया	999	1201	1145
13-	सेन्ट्रल झरिया	636	623	694
	कुल	20683	20214	19672
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०				
1-	बरकाकाना	3037	3120	3300
2-	अरगदा	2476	2521	2764
3-	हजारीबाग	2107	2438	2676
4-	उत्तरी करनपुर	2256	2250	2372
5-	कारगली	3623	3714	4004
6-	कठारा	2549	2523	2464
7-	उड़ीसा	1316	1260	1620
8-	सिंगरौली	3361	3371	4311
	कुल	20725	21197	23434
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
1-	वर्धा	1595	1647	2020
2-	नागपुर	1905	1899	2300
3-	पाथखेरा	1018	1019	1177
4-	पोंच	1886	1832	2005

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5
5-	कान्हन	1571	1468	1623
6-	कोरबा	2945	3109	3295
7-	सोहागपुर	2879	3206	3600
8-	चिरीमिरी	3175	3050	2979
9-	कुन्ठपुर	2089	2207	2507
10-	झगराखण्ड	1147	1341	1705
11-	ईब घाटी	828	895	1063
	कुल	21038	21673	24274
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स		570	620	620
कुल कोल इण्डिया लि०		89480	88960	90058

वर्ष 1978-79 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

पावर सैक्शनों और कोयला उद्योग में केन्द्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एक कार्यकारी दल की स्थापना

1628. **श्री चित्त बसु**: क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पावर सेक्शनों और कोयला उद्योग में केन्द्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी अधिकारियों के एक कार्यकारी दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां; तो अब तक इसके द्वारा अपनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क), (ख) और (ग) : विद्युत विभाग और कोयला विभाग ने मिलकर अक्टूबर, 1979 में कर्मचारियों के एक कार्यकारी-दल (टास्क फोर्स) का गठन किया था जिसे बंगाल, बिहार क्षेत्र की कोयला खानों को अधिक बिजली देने की संभावनाओं का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा बंगाल, बिहार क्षेत्र की कोयला खानों

को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की है। कोयला खानें और इस कार्य से सम्बद्ध अन्य प्राधिकारी इन सिफारिशों के लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। बिजली की सप्लाई बढ़ाने का लाभ इन सिफारिशों के पूरी तरह लागू कर दिए जाने के बाद ही मिलने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति

16.9. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के श्री एन० सी० बसु के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए हाल ही में कलकत्ता गया था;

(ख) यदि हां; तो क्या उस दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां; तो प्रतिवेदन के मुख्य पहलू क्या हैं ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट से निम्नलिखित मुख्य बातें सामने आई हैं :

(1) बायलर तथा टर्बाइनों के ओवरहालिंग के लिए एक उचित समय सूची बनाई जानी चाहिए ताकि किसी भी समय योजनाबद्ध अनुरक्षण के अधीन केवल एक ही यूनिट रहे। बायलरों का वार्षिक अनुरक्षण 30 दिन की अवधि के अन्दर पूरा हो जाना चाहिए।

(2) ट्यूब लीकेज की मरम्मत करने तथा यूनिट को पुनः उत्पादन करने योग्य बनाने में लगने वाले समय में कटौती की आवश्यकता है।

(3) परिसंचारी जल पम्पों के इनटेक में पानी का स्तर बहुत नीचा है। इस संबंध में, तेनुघाट बान्ध से पानी दिए जाने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार बिहार सरकार से बातचीत करे।

(4) विद्युत केन्द्रों में शीघ्र ही इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशालाओं तथा विद्युत वर्कशापों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उचित अनुरक्षण के लिए अवलम्ब रूप आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(5) संथालडीह यूनिट-4 तथा बंडेल यूनिट-5 में ओपरेटरों तथा इंजीनियरों की भरती के लिए तथा उन्हें नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिए जाने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए।

(6) रिपोर्ट में अनेक तकनीकी बातें बताई गई हैं जिन पर विद्युत केन्द्र के इंजीनियरों द्वारा तथा उनके सलाहकारों द्वारा शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित हो।

(घ) दल की खोजों पर अनुगामी कार्रवाही करने के लिए रिपोर्ट की एक प्रति, ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री ने 25 फरवरी, 1980 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भेज दी है।

गंगा द्वारा फरक्का से ऊपरी क्षेत्र (अपस्ट्रीम) और निचले क्षेत्र (डाउन स्ट्रीम) के कटाव को रोकने की योजना

1630. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा द्वारा फरक्का से ऊपरी और निचले क्षेत्रों में कटाव रोकने की योजना हेतु 293.7 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिये केन्द्र से मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस बारे में क्या निर्णय है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि बाढ़-नियंत्रण वर्क्स को तैयार करने और उन्हें अपनी योजना-राशियों से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, इसलिए गंगा द्वारा होने वाले कटाव को रोकने के वर्क्स की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी जानी होगी। लेकिन फरक्का बराज परियोजना के विभिन्न घटकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक वर्क्स के लिए मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी।

वर्ष 1980 के दौरान अतिरिक्त एकड़ भूमि की सिंचाई करना

1631. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष 1980 के दौरान अतिरिक्त एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा वित्त-पोषित ऐसी उठाऊ सिंचाई और गुरूत्व सिंचाई दोनों ही प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या-क्या हैं, जो पूर्ण होने वाली है तथा इस वर्ष के दौरान सिंचाई के काम आने वाली हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए0 बी0 ए0 गनी खान चौधरी) : (क) वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा 1980-81 में 2.5 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) किसी भी वृहद और मध्यम स्कीम का वित्त-पोषण केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में नहीं किया जाता ।

बाढ़-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर धनराशि की व्यवस्था की जाती है । इन स्कीमों का विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है और बाद में सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता

1632. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नये फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या उन्हें वित्तीय सहायता देने के कुछ प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में फिल्म वित्त निगम की कार्य प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत मिली है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) फिल्म वित्त निगम का गठन अच्छी गुणवत्ता और स्तर की फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए किया गया है । सादी फिल्मों के लिए 3.00 लाख रुपए तक के लिए और रंगीन फिल्मों के लिए 4.5 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं । ऋण फिल्म की स्क्रिप्ट और विषय वस्तु के आधार पर दिए जाते हैं । यह योजना नये फिल्म निर्माताओं को सहायता देने के लिए है जिनके पास प्रतिभा तो है किन्तु वित्तीय साधन नहीं हैं । फिलहाल और कोई योजना अथवा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) ऋणों के प्रदान करने के लिए फिल्म वित्त निगम के उप नियमों के सम्बन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(घ) ये अधिकतर निगम द्वारा रणों हेतु आवेदन करते समय मागें गए आवेदन शुल्क और जमा राशि या रणों की वापसी की गारन्टी के रूप में मांगी प्रतिभूति को हटा दे सेने संबन्धित हैं।

कोयला खनन क्षेत्र में सहयोग देने के लिये कोरिया की रुचि

1633. श्री एम०रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरिया गणतन्त्र गणराज्य ने कोयला खनन क्षेत्र में इस देश के साथ सहयोग करने की इच्छा अभिव्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। दक्षिणी कोरिया ने भारत में कोयले के खनन कार्य में भारत सरकार से सहयोग करने में अपनी रुचि दिखाई है ताकि इन कोयला खानों से किए गए उत्पादन में यदि निर्यात योग्य फालतू कोयला हो तो उसका निर्यात दक्षिणी कोरिया को दिया जा सके।

नेपाल को शामिल करने के प्रश्न पर भारत-बंगला देश वार्ता विफल होना

1634. श्री जनार्दन पुजारी, श्री माधवराव सिंधिया : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगला देश के मन्त्री कार्जा अनवातुल हक के इस कथित वक्तव्य जो दैनिक समाचार में प्रकाशित हुआ था, की ओर दिलवाया गया है कि नेपाल को शामिल करने के प्रश्न पर वार्ता विफल हो गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की 27 फरवरी से 29 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में हुई 18वीं बैठक में फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे और उसके प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में नवम्बर, 1977 के करार में आयोग को सौंपे गए कार्य अर्थात गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह में वृद्धि करने पर विचार-विमर्श किया गया।

बंगला देश के प्रस्ताव के अध्ययन में नेपाल को शामिल करने के मामले पर मतभेद बने रहे। बैठक में हुए विचार-विमर्श के रिकार्ड को अंतिम रूप देने तथा मतभेद वाले मुद्दों के लिए शीघ्र ही पुन: बैठक करने का प्रस्ताव है।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में नल कूपों का लगाया जाना

1635 **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे से हुए अत्यधिक नुकसान को देखते हुए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि लोग भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का सामना कर सकें;

(ख) क्या सूखे से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिये अधिक से अधिक नल-कूपों को लगाया जाना आवश्यक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या सुविधायें प्रदान करने जा रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने और सूखे से राहत पहुंचाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय दल नियुक्त किया गया था । इस दल की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए अधिक से अधिक 31.21 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की मंजूरी दी है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) खर्च की उच्चतम सीमा मंजूर करने के अलावा, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय भुगत जल बोर्ड के माध्यम से तकनीकी सहायता देने और रिग्स की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था की है ।

मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच के लिये

1636. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ क्षेत्र से लगातार यह मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की मेरठ में एक बेंच स्थापित की जाये क्योंकि मेरठ इलाहाबाद से बहुत दूर है तथा गरीब लोगों को आसानी से न्याय प्राप्त करने के लिये अपील दायर करने में वित्तीय कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क), (ख) और (ग) समय-समय पर यह माँग की गई है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच मेरठ में स्थापित की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से इस आशय का एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

लोगों को सिनेमा संबंधी शिक्षा देना

1637. **श्री एड्आर्डो फैलीरंग** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लोगों को सिनेमा के महत्व संबंधी शिक्षा देने और कलात्मक चलचित्रों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के पास उच्च स्तरीय फिल्मों को सिनेमा मान्यताओं और प्रोत्साहन के विकास के लिए बहुपक्षीय प्रस्ताव है। देश के फिल्म निर्माताओं को प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करके संसार के उत्तम चलचित्रों से अवगत कराया जाता है। सरकार द्वारा, पूर्ण रूप से सहायक अनुदानों द्वारा समर्थित बाल फिल्म संस्था, बाल फिल्मों के निर्माण और वितरण को बढ़ावा देती है। फिल्म संस्कृति के फैलाव के लिए सरकार सहायक अनुदानों द्वारा भारत में फिल्म संस्थाओं के संघ को समर्थन देती है और संस्था को राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और फिल्म वित्त निगम द्वारा समस्त ससार को उच्च स्तरीय फिल्मों का वितरण करती है। इसके अतिरिक्त, फिल्म वित्त निगम श्रेष्ठ लिपिकों का चयन करता है और अच्छे सिनेमा स्तर को फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसी फिल्मों के वितरण का कार्य भी फिल्म वित्त निगम करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, प्रति वर्ष, विशिष्ट योग्यता की फिल्मों का भी चयन किया जाता है। इस प्रकार की नीतियों ने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण सृजनात्मक विचारधाराएं उत्पन्न की हैं और हमारी बहुत-सी फिल्मों ने अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मंच पर ख्याति प्राप्त की है। सरकार ने फिल्म उद्योग को वर्तमान दशा का अध्ययन और राष्ट्रीय फिल्म नीति सुझाने के लिए एक कार्यदल की भी नियुक्ति की है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा पन-बिजली बनाना

1636. **डा० वसन्तकुमार पण्डित** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने बाढ़ग्रस्त वर्ष 1980 की अपेक्षा सूखा-ग्रस्त वर्ष 1979 में अधिक पन-बिजली पैदा की थी ;

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा अप्रैल, 1978 से दिसम्बर, 1979 के दौरान प्रतिमास कितनी पन-बिजली पैदा की ;

(ग) क्या मैथोन तथा पंचेट जलाशयों में पानी का स्तर अब तक के सबसे नीचे के स्तर पर पहुंच गया है ;

(घ) यदि हां तो सिंचाई, उद्योगों तथा नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की आपूर्ति करने हेतु क्या प्रबन्ध किए जा रहे है ; और

(ङ) क्या सरकार ने असावधानी की जांच की है और बिजली उत्पादन के लिए जल के अनुचित उपयोग में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व नियत किया है ?

ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1990 की बाढ़-ऋतु अभी आनी है ।

(ख) अप्रैल, 1978 से दिसम्बर, 1979 तक के जल विद्युत उत्पादन का मासिक विवरण निम्न लिखित है :—

1978	मैथोन	पंचेत	तिलैया	जोड़ (मिलियन यूनिटों में)
अप्रैल	6.2	—	—	6.2
मई	5.8	—	—	5.8
जून	6 8	—	0.1	6 9
जुलाई	29.1	—	2.2	31 3
अगस्त	30.5	—	2.9	33.4
सितम्बर	34.5	—	2.9	37.4
अक्तूबर	32.2	—	2.9	35.1
नवम्बर	10.10	—	2.9	13.2
दिसम्बर	7.0	—	2.9	9.9
1979				
जनवरी	8.1	—	2.8	10.9
फरवरी	9.3	—	2.1	11.4
मार्च	22 3	—	—	22.3
अप्रैल	15 3	12.3	—	28.2

1878	मैथोन	पंचेत	तिलैया	जोड़ (मिलियन यूनिटों में)
मई	3.3	11.6	—	14.9
जून	1.3	5.9	—	7.2
जुलाई	20.0	17.9	0.4	38.3
अगस्त	26.0	24.0	1.2	51.2
सितम्बर	4.9	7.1	—	12.0
अक्तूबर	17.8	15.2	0.2	33.2
नवम्बर	1.2	1.4	—	2.6
दिसम्बर	0.5	0.2	—	0.7

(ग) जी, नहीं । 1979 के दौरान मैथोन और पंचेत जलाशयों में जल न्यूनतम स्तर, अब तक के सबसे निम्न स्तरों से ऊंचा था ।

	अब तक का सबसे निम्न स्तर		न्यूनतम स्तर	
	दिनांक	फुट	दिनांक	फुट
मैथौन	30.6.72	436.26	20.6.79	438.27
पंचेत	8.5.72	360.00	30.10.79	390.97

(घ) और (ङ) ; प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी इन्दौर पर मराठी कार्यक्रमों की मांग

1639. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर की मराठी भाषी जनता ने आकाशवाणी इन्दौर केन्द्र पर नियमित रूप से मराठी कार्यक्रम प्रसारित करने की मांग की है;

(ख) क्या यह सच है कि मराठी भाषी लोगों ने इस बारे में आन्दोलन करने की धमकी दी है; और

(ग) इस मामले में सरकारी नीति और निर्णय क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) मराठी भाषी जनता के लम्बे ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक प्रभाव, जो वे इन्दौर जैसे स्थानों में निरन्तर प्राप्त करते आ रहे हैं, को विचारते हुए हम इन्दौर जैसे रेडियो स्टेशन से मराठी कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं ।

नए तापीय बिजली घर स्थापित करने के लिए कोयले की आवश्यकता

1640. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में बिजली की मांग में वृद्धि हुई है जिसके लिए राज्य बिजली बोर्डों को नए तापीय बिजली घर स्थापित करने होंगे तथा वर्तमान बिजलीघरों का विस्तार करना होगा, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि नए बिजली घरों के लिए कोयले की सप्लाई बिजली उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप हो;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोयले के भण्डारों को अन्य राज्यों के बिजली घरों के साथ सम्बद्ध किया गया है तथा मध्य प्रदेश में भावी तापीय बिजली घरों के लिए कोयले की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कोयला आरक्षित नहीं किया गया; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में बिजली की स्थाई कमी के लिए भारत सरकार की, कोयला 'लिंक' करने की नीति उत्तरदायी है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ। नए प्रस्तावित विद्युत केन्द्रों की वर्ष 1987-88 तक की कोयले की आवश्यकताओं पर स्थायी कोयला लिंकेज समिति द्वारा विचार किया गया है तथा ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की आवश्यकताओं के अनुरूप ही कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई खानों का विकास करने तथा विद्यमान खानों इत्यादि का विस्तार करने के लिए कदम उठाने के लिए निदेश कोयला उत्पादक कम्पनियों को दे दिए गए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है ।

देश में सृजित की गई अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता

1642. श्री पी०के० कोडियन : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया;

(ख) इस समय कितनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 3.2 मिलियन हेक्टेयर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से और 3.4 मिलियन हेक्टेयर लघु स्कीमों से।

(ख) (अ) 1.86 मिलियन हेक्टेयर वृहद और मध्यम परियोजनाओं से ।

(ब) 3.4 मिलियन हेक्टेयर लघु स्कीमों से ।

(ग) और (घ) जी, हां । सृजित क्षमता का तेजी से उपयोग करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए 42 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गये हैं, जिनके अन्तर्गत 70 चुनी हुई परियोजनाएं आती हैं। राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी ऐसे प्राधिकरण स्थापित किये जाएं ।

नलकूपों को लगाने के लिऐ उत्तर प्रदेश में किसानों से बिजली अधिभार वसूल करना

1643. श्री निहाल सिंह : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई प्रयोजनों के लिए नलकूप लगाने हेतु तीन या चार खम्भे लगाने के लिए भी किसानों से लाइन-अधिभार मांगा जा रहा है; और यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के लिए "बोरिंग प्वाइंट" तक मुफ्त बिजली की लाइन देने के लिए प्रबंध करेगी; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक साथ तीन या चार कनेक्शन लेने पर नि:शुल्क बिजली की लाइन प्रदान करने के प्रबंध करने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं । वर्तमान नियमों के अनुसार, राज्य बिजली बोर्ड निजी नलकूप उपभोक्ताओं को प्रति बी०एच०पी० 60 मीटर की लाइन, परन्तु प्रत्येक कनेक्शन के लिए अधिक से अधिक 300 मीटर

की लाइन नि:शुल्क देता है। उपर्युक्त नि:शुल्क सीमा से अधिक लाइन की कीमत उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाती है। यह नि:शुल्क लाइन अधिक से अधिक लगभग चार खम्भों के बराबर होती है।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि निजी नलकूलों के आवेदक अपना समूह बना लेते हैं तो प्रति वर्ष बी०एच०पी० 1200 रुपए की दर से सम्पूर्ण प्रभार उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है और इस वित्तीय सीमा से अधिक की कोई भी राशि उपभोक्ताओं से, यथानुपात आधार पर, उनके भारों के अनुपात में ली जाती है।

जम्मू व कश्मीर राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए सलाल पन-बिजली परियोजना के काम को जल्दी पूरा करना

1644 .डा० फारुक अब्दुल्ला : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व कश्मीर सरकार ने राज्य में बिजली की कमी को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से सलाल पन-बिजली परियोजना के काम को जल्दी पूरा करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे सलाल पन-बिजली परियोजना के काम को पूरा करने के लिये तुरन्त कदम उठायें ;

(ग) यदि हां, तो सलाल पन-बिजली परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(घ) इससे राज्य में बिजली की कमी किस हद तक कम हो जायेगी ;

(ङ) जम्मू व काश्मीर राज्य को बिजली की कमी पर काबू पाने में सहायता देने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार का विचार अन्य क्या कदम उठाने का है ; और

(च) क्या बिजली की कमी का राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : कंक्रीट बांध के निर्माण के दौरान गभीर वैज्ञानिक दोषों का सामना करना पड़ा जिसके कारण प्रगति, निर्धारित कार्यक्रम से कम हुई। इन समस्याओं के कारण पहले के अभिकल्पों की पूर्ण समीक्षा आवश्यक हो गई थी। तकनीकी सलाहकार समिति और केन्द्रीय जल आयोग ने अध्ययन करने के बाद अब इनका समाधान निकाल लिया है। परियोजना के अब 1986-87 में पूरी हो जाने की आशा है।

(घ) परियोजना के पूरा हो जाने पर, प्रतिवर्ष 2,062 मिलियन यूनिट उत्पादन होने की आशा है। इससे जम्मू और कश्मीर की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि जो विद्युत उत्पादन होगा उसमें इस राज्य का हिस्सा है।

(ङ) उपलब्धता के आधार पर और भागीदार राज्य की सलाह से भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड ने आवश्यकता के समय में जम्मू और कश्मीर राज्य की सहायता की है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर को मिलाने वाली पारेषण लाइनों को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) इसकी मात्रा का ठीक निर्धारण नहीं हुआ है।

गत लोक सभा चुनावों में अनियमितताएं

1645. श्री रामावतार शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग का ध्यान गत लोक सभा चुनावों में की गई बेईमानी और अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने क्या उपचारात्मक उपायों पर विचार किया है तथा क्या राज्य विधान सभाओं के चुनावों में उनको लागू करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी०शिवशंकर) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र से शिकायतें निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं जिसमें लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों में की गई धांधलियों और अन्य अनियमितताओं का अभिकथन किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त गम्भीर और विनिर्दिष्ट शिकायतों की विशिष्टियां देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 625-बी/80]

(ग) धांधली और अन्य अनियमितताओं को रोकनें के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जो उपाय किए जा चुके हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करनें के लिए राज्य पुलिस बल के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का तैनात किया जाना ;

(2) विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में जोनासैक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति ;

(3) निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करने के लिए 1780 प्रेक्षकों की नियुक्ति जो भ्रष्ट आचरणों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण के रूप में कार्य करेंगे ;

(4) उन क्षेत्रों में जहाँ हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की जनसंख्या प्रमुख है, बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों की स्थापना ;

और अधिक सुधार के उपायों पर निर्वाचन आयोग द्वारा सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साथ होने वाली एक बैठक में विचार किया जाएगा। यह बैठक नौ राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के पूर्व करने का प्रस्ताव है।

बिहार में पटना जिले के विक्रम खण्ड के गांवों में बाढ़ का खतर।

1646. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना जिले के विक्रम खण्ड में पटना के पश्चिम में रक्षा-बाँध को हर वर्ष सोन नदी की बाढ़ का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो उस से प्रभावित होने वाले गाँवों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गांवों के निवासियों को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के पटना जिले में गांवों का विद्युतीकरण

1647. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के पटना जिले में कुल कितने गाँव हैं ;

(ख) वहाँ विद्युतीकृत गाँवों की खण्डवार संख्या कितनी है ; और

(ग) अब तक विद्युतीकृत नहीं हुए गांवों को विद्युतीकृत करने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1,311

(ख) पटना जिले के 17 ब्लाकों में मार्च, 1979 तक 1,116 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है।

(ग) शेष गाँवों में से 57 गांवों के विद्युतीकरण की एक स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है। बच रहे गांवों के विद्युतीकरण के लिए भी राज्य सरकार एक नई स्कीम पर विचार कर रही है।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन का मांग-पत्र

1648. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन (दक्षिण मांडिरी) ने राज्य सरकार को एक मांग-पत्र पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन (दक्षिण मांडिरी) के महा सचिव ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को हड़ताल नोटिस दिनांकित 10-3-1980 को दिया है। इसमें धमकी दी गई है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 8 अप्रैल, 1980 से हढ़ताल की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त हड़ताल नोटिस में निम्नलिखित मांगें की गई हैं :

(1) दूसरे वेतन बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वेतन में संशोधन जोकि 1-4-1975 से अनिर्णीत है।

(2) मजदूरों के हित लाभों में की गई कटौतियों की बहाली और समझौते की जो मदें कार्यान्वित नहीं की गई हैं उनका कार्यान्वियन।

(3) बिहार में विद्युत संकट को कम करने के लिए कोइल-कारो परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना।

(ग) इन मांगों पर उचित निर्णय लेने में बिहार राज्य सरकार और बिहार राज्य बिजली बोर्ड सक्षम हैं।

अलीगढ़ के समाचार पत्रों का उत्तर प्रदेश जल निगम के पास पंजीकरण

1649. **श्री चित्त महाटा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ शहर के कुछ स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादकों ने निगम के विज्ञापनों को उनके समाचार पत्रों को देने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के पास अपने समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं और इस संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख) : मामला राज्य सरकार से संबंधित है। सूचना, संबंधित राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

अलीगढ के समाचार पत्रों का उत्तर प्रदेश राज्य लाटरीज के पास पंजीकरण

1650. श्री चित्त महाटा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ शहर के कुछ स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादकों ने निदेशालय के विज्ञापन उनके समाचार पत्रों को देने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य लाटरीज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं और उत्तर प्रदेश राज्य लाटरीज, लखनऊ द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) तथा (ख) मामला राज्य सरकार से संबंधित है। सूचना, संबंधित राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

अलीगढ के समाचार पत्रों का उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक के पास पंजकीरण

1651. श्री अमर राय प्रधान : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ शहर के कुछ स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादकों ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ के विज्ञापन उनके समाचार पत्रों से देने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ के पास अपने समाचार-पत्रों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं; और

(ख) यदि हां तो उन समाचार पत्रों के नाम क्या है और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : मामला राज्य सरकार से संबंधित है। सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

अलीगढ़ के समाचार पत्रों का उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के यहां पंजीकरण

1652. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ नगर के कुछ स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादकों ने अपने समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कानपुर के विज्ञापन लेने हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कानपुर के यहां अपने समाचार-पत्रों को पंजीकृत करवाने के लिए आवेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कानपुर ने अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) : मामला राज्य सरकार से संबंधित है । सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

आकाशवाणी केन्द्र जबलपुर

1653. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश में जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जहां हाई स्कूल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल का मुख्यालय, रक्षा प्रतिष्ठान तथा सैकड़ों साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन है और वहां जो आकाशवाणी केन्द्र खोला गया है वह पूर्णकालिक नहीं है जबकि छत्तरपुर, जगदलपुर, रीवा, अम्बिकापुर और रायपुर जैसे शहरों में आकाशवाणी केन्द्रों को पूर्णकालिक केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया है ;

(ख) क्या जबलपुर आकाशवाणी केन्द्र को पूर्णकालिक केन्द्र में बदलने के लिए लगातार मांगे की जाती रही हैं और स्टूडियो के निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर प्रारम्भिक तैयारियां कर ली गई हैं ;

(ग) क्या जबलपुर केन्द्र को पूर्णकालिक केन्द्र में बदलने से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक किये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या स्थानीय बुद्धिजीवियों और संगठनों के लिए कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आकाशवाणी जबलपुर केन्द्र द्वारा अपनाये जा रहे भिन्न रवैये को समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये जा रहें हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क), (ख), (ग) **और** (घ) : यद्यपि आकाशवाणी, जबलपुर एक सहायक केन्द्र होने की वजह से अभी तक पूर्ण रूपेण केन्द्र नहीं है, फिर भी, यह एक पूर्णकालिक रेडियो केन्द्र है जो समस्त तीनों ट्रांसमीटरों से प्रसारण कर रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में यह निर्णय किया गया है कि स्थायी स्टूडियो स्थापित करके इसको पूर्णरूपेण रेडियो केन्द्र में परिवर्तित कर दिया जाय। जबलपुर में स्थायी स्टूडियो की 1983-84 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ङ) उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं के साथ स्थानीय प्रतिभा का यथासंभव उपयोग किया जाता है। अधिक उपयोग तभी संभव होगा जब स्थायी स्टूडियो स्थापित हो जायेंगे।

कोयला परिवहन में ठेकेदारों का समाप्त किया जाना

1654. **श्री के०एम० मधुकर** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिवहन और अन्य विभागों में ठेकेदारों को समाप्त करने की दिशा में फरवरी, 1980 के अन्त तक कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन कोयला खानों के नाम क्या है जहां कोयला परिवहन का काम अभी भी गैर-सरकारी ठेकेदारों के हाथ में है;

(ख) सरकारी ठेकेदारों द्वारा इस समय विभिन्न कोयला कम्पनियों में काम पर लगाए गए मजदूरों की कम्पनी-वार संख्या क्या है;

(ग) विभिन्न कम्पनियों तथा ई०सी०एल०, सी०सी०एल०, डब्ल्यू०सी०एल० तथा अन्य द्वारा ठेकेदारों को 1976. 1977, 1978, 1979 में और फरवरी, 1980 के अन्त तक अदा की गई रकम के कम्पनी वार आंकड़े क्या है;

(घ) कोयला परिवहन जैसे स्थायी किस्म के लाभ में ठेका व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गये हैं और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनका क्या प्रभाव हुआ है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) **और** (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कोयला कम्पनियों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि निम्नलिखित है :—

	(करोड़ रुपए) 1976-77	1977-78
ई०को०लि०	7.97	7.62
भा०को०को०लि०	24.13	25.11
से०को०लि०	8.35	10.11
वे०को०लि०	7.94	3.36

वर्ष 1978-79 तथा फरवरी, 1980 तक की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) कोयले, कोक और रेत की ढुलाई का प्रबन्ध क्रमिक रूप से विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय किया गया है। कुछ ट्रक खरीदे जा चुके हैं तथा कुछ और खरीदे जा रहे हैं।

जामेहरी खास कोयला-खान के फालतू कर्मचारियों का खपाया जाना

1655. **श्री नारायण चौबे** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू जामेहरी खास कोयला खान, जो बन्द हो गई है, के सभी फालतू कर्मचारियों को पहले दिये गए आश्वासन के अनुसार निमाचा इन्कलाईन (घासिक) स्कीम के अंतर्गत खपा लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यू जामेहरी खास कोयला खान के कितने कर्मचारी निमाचा इन्कलाईन जेकेनगर कोयला खान और उसी क्षेत्र की अन्य खानों में खपा लिए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जे०के० नगर कोयला खान पर ड्यूटी की रिपोर्ट करते समय इन कर्मचारियों को किसी बाधा का सामना करना पड़ा था ;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(च) क्या एन०जे०के०सी० कोयला खान के कर्मचारियों को जयका नगर खान सहित, अन्य खानों में अपनी ड्यूटी संभालने की अनुमति दे दी गई थी; यदि हां, तो कब से; और

(छ) क्या एन०जे०के०सी० के फालतू कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोयला खान मजदूर सभा के साथ कोई चर्चा और समझौता किया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ), (च) और (छ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में कोयले की कमी

1656. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को पता है कि उड़ीसा में कोयले की अत्यधिक कमी हो गई है और उसकी कीमतें अत्यधिक ऊंची हो गई हैं; यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने तथा नियमित पर्याप्त सप्लाई को बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : उड़ीसा को कोयले की सप्लाई में कुछ कमी रही है जिसके कारण हैं कुछ किस्मों के कोलले के उत्पादन में कमी तथा कोयला और कोक ले जाने के लिए रेल वैगन नहीं मिलना। उपभोक्ता केन्द्रों पर कोयले की कीमत बढ़ने का कारण यह है कि उपभोक्ता अपनी मांग पूरी करने के लिए सड़क से कोयला ले जा रहे हैं । मंत्रिमंडल की औद्योगिक आधारभुत-सुविधाएं समिति कोयले के उत्पादन और ढुलाई पर लगातार नजर रख रही है । कोयले के लिए अधिक वैगन मिलने पर यह आशा की जाती है कि कोयले की कीमतों में कमी आएगी ।

भीमकुण्ड पनबिजली परियोजना

1657. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भीमकुण्ड पन बिजली परियोजना की देश में बिजली उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है; और

(ख) क्या देश में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का विचार उड़ीसा स्थित भीमकुण्ड पन बिजली परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन लाने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित भीमकुण्ड बहुद्देशीय परियोजना की समूची उत्पादन क्षमता चरण-एक में 393 मेगावाट (3×15 मेगावाट+3×16 मेगावाट) होगी और चरण-दो में 115 मेगावाट होगी । यह परियोजना, पूर्वी क्षेत्र में प्रस्तावित वृहद परियोजनाओं में से एक है । अनुमान है कि इससे 1358 जी०डब्ल्यू०एस० (155 मेगावाट सतत) वार्षिक फर्म ऊर्जा उत्पादन तथा 422 जी०डब्ल्यू० एच० तक सेकेण्डरी ऊर्जा उत्पादन 50 प्रतिशत निर्भरता योग्य वर्ष में हो सकेगा । तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से यह परियोजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है ।

केन्द्रीय सेक्टर में इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार उपयुक्त समय पर, राज्य सरकार से सलाह करके, किया जाएगा ।

उड़ीसा के कुछ जिलों में टेलीविजन

1658. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के कटक, पुरी, बालासोर, मयूरभंज, गंजम तथा फुलवाड़ी जिलों में टेलिविजन सिस्टम कब चालू होगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : जहां तक उड़ीसा का संबंध है, चालू योजना के दौरान कटक में जहां कार्यक्रम बनाने की सुविधा पहले से विद्यमान है, एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का स्वीकृत प्रस्ताव है । कार्य शीघ्र आरंभ होने की आशा है । उड़ीसा के अन्य स्थानों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के सुझाव को आगामी योजना के प्रस्तावों को प्रतिपादित करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में प्रसारणों का सुना जाना

1656. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या सूचना, और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के जोधपुर और दिल्ली केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले प्रसारण राजस्थान के सीमावती जिलों-बाड़मेर और जेसलमेर में ठीक ढंग से सुनाई नहीं देते हैं जिसके परिणामस्वरूप सीमावती क्षेत्र के लोगों को आकाशवाणी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर में शक्तिशाली रेडियो स्टेशन खोलने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) सीमावती क्षेत्रों के लोगों की उचित मांग को पूरा करने के लिए विभाग शक्तिशाली रेडियो स्टेशन कब तक खोलेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) बाड़मेर और जेसलमेर जिलों के पश्चिमी भाग दिन के समय की प्राथमिक सेवाएं आकाशवाणी, जोधपुर और दिल्ली से प्राप्त नहीं करते । फिर भी, राजकोट में परिचालित 1000 कि०वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर, जो विदेश सेवाओं के लिए है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में दिन में अच्छी सेवाएं और रात्रि के समय श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान भी करता है । जोधपुर में 100 कि०वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर इन क्षेत्रों में संतोषजनक रात्रि सेवा प्रदान करता है ।

(ख) जी, नहीं । संसाधनों की कमी के कारण सरकार के पास फिलहाल बाढ़मेर में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में बिजली की कटौती का कृषि तथा उद्योग परिवहन तथा जल आपूर्ति पर प्रभाव

1660. श्री विरधी चन्द जैन : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में फरवरी, 1980 से अब तक बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण राज्य में और विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के राजस्थानी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, परिवहन तथा जल आपूर्ति पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है और उसके कारण औद्योगिक प्रतिष्ठान लगभग बन्द करने पड़े, औद्योगिक उत्पादन को धक्का लगा तथा गम्भीर जल समस्या पैदा हुई तथा शहरी एवं ग्रामीण लोगों में बहुत अधिक असंतोष उत्पन्न हुआ; और

(ख) क्या राजस्थान को कोई सहायता अथवा सहयोग दिया गया है और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राजस्थान में 29 जनवरी, 1980 से भिन्न-भिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं पर भिन्न-भिन्न मात्रा की विद्युत कटौतियाँ और प्रतिबंध लागू हैं। इस समय 25 अश्व शक्ति तक के भार कनेक्शन वाले लघु उद्योगों पर 50% विद्युत कटौती लागू है, 125 के०वी०ए० तक की अनुबंधित मांग वाले मध्यम उद्योगों पर 60% विद्युत कटौती लागू है, 2000 के०वी०ए० तक की अनुबंधित माँग वाले वृहत् उद्योगों को विद्युत की सप्लाई अव्यस्ततम समय के दौरान मिलती है तथा उन पर 67% विद्युत कटौती भी लागू है, 2000 के०बी०ए० से अधिक अनुबंधित मांग वाले वृहत् उद्योगों पर 100% विद्युत कटौती है और परिवहन वर्कशापों पर 25% विद्युत कटौती है किन्तु कृषि उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार की अधिसूचित कटौतियां नहीं हैं और पानी सप्लाई संबंधी कार्यों पर केवल 10% विद्युत कटौतियां हैं। विद्युत की कमी का प्रभाव अनेक सेक्टरों पर पड़ता है जैसे उद्योग पर और किसी सीमा तक कृषि पर भी। पानी की सप्लाई समेत ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई प्रतिदिन 12 से 14 घंटे के लिए सुनिश्चित की जाती है और शहरों में पानी की सप्लाई के लिए विद्युत की सप्लाई, साँयकाल के व्यस्ततम समय को छोड़कर पूरे दिन के लिए सुनिश्चित की जाती है। तथापि जब भी विद्युत उपलब्धता कम रही तब डिसकनेक्शन के परिणामस्वरूप और रेडियल फीडर डिसकनेक्ट हो जाने के कारण रेडियल फीडरों से सप्लाई प्राप्त करने वाले कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई थी।

(ख) राजस्थान में बिजली की कमी को कम करने के लिए मध्य प्रदेश से प्रतिदिन 4 लाख यूनिट तक की सहायता का प्रबंध 2 मार्च, 1980 से कर दिया गया है। 4 लाख से 6 लाख यूनिट तक की सहायता का प्रबंध केन्द्रीय सेक्टर के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से भी किया गया है।

गुजरात को सप्लाई किये गये कोयले की मात्रा

1661. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को जनवरी, 1979 से फरवरी, 1980 के दौरान कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया;

(ख) गुजरात से अन्य उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें उसकी मांग से कम कोयला सप्लाई किया गया और कितना कम सप्लाई किया गया; और

(ग) गुजरात को कोयले की मासिक आवश्यकता कितनी है और राज्य को कब तक अपनी मांग के अनुसार कोयला मिलना शुरू हो जायेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से गुजरात को जनवरी, 1979 से फरवरी, 1980 तक की गई कोयले की माहवार सप्लाई निम्नलिखित है :—

महीना	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से की गई कोयले की सप्लाई (हजार टन)
जनवरी, 79	419
फरवरी, 79	319
मार्च, 79	466
अप्रैल, 79	439
मई, 79	448
जून, 79	453
जुलाई, 79	486
अगस्त, 79	435
सितम्बर, 79	393
अक्टूबर, 79	428
नवम्बर, 79	474
दिसम्बर, 79	523
जनवरी, 80	534
फरवरी, 80	499

इसके अतिरिक्त ई० को० लि० से भी थोड़ी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई थी जिसके बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) विभिन्न उपभोक्ता सेन्टरों के लिए कोयले की मांग का निर्धारण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है, राज्यवार आधार पर नहीं । राज्यवार मांग का निर्धारण केवल बिजली और सीमेंट सेक्टर के लिए ठीक ठीक किया जा सकता है । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अन्य उद्योगों के लिए कोयले की मांग का राज्यवार निर्धारण नहीं किया जा सकता । अतः राज्यवार माँग की तुलना में सप्लाई में हुई कमी का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

(ग) गुजरात में बिजलीघरों और सीमेंट संयंत्रों की कोयले की वर्तमान माँग का अनुमान क्रमशः 2.90 लाख टन तथा 61,000 टन प्रति माह है । अन्य औद्योगिक सेक्टरों की मांग का निर्धारण ऊपर उत्तर के पैरा (ख) में बताये गए कारणों की वजह से नहीं किया जा सकता । गुजरात की कोयले की जरूरत अन्ततः कुल मिलाकर तब पूरी हो जाएगी जब कोयले के संचलन के लिए वैगनों की उपलब्धि में सुधार हो जाए । ई०को०लि० से सप्लाई किए जाने वाले उत्तम ग्रेड के कोयले की उपलब्धि में सुधार तब हो जाएगा जब कम्पनी में इसका उत्पादन बढ़ जाए ।

कोयले के अकाल की भविष्यवाणी

1662. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री हरि कृष्ण शास्त्री : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बिड़ला वैज्ञानिक शोध संस्थान द्वारा हाल ही में किये गये इस आशय के अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें निकट भविष्य में देश के अन्दर कोयले का अकाल पड़ने की भविष्यवाणी की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह संस्थान की इस भविष्यवाणी से सहमत है जोकि कोयले के "अति-केन्द्रीयकरण" के सिद्धान्त पर आधारित है और इसके लिए एक संयुक्त क्षेत्र स्थापित करने की जरूरत बताई गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । वर्तमान कमी केवल सीमान्त अर्थात् बहुत थोड़ी ही है जिसका कारण कुछ किस्म के कोयले के उत्पादन में कमी और परिवहन के साधन अपर्याप्त होना है । कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं और अगले उपायों की जाँच हो रही है । इन विचाराधीन उपायों में एक उपाय कोल इण्डिया लि० के संगठन की पुनरीक्षा भी है ।

स्टाफ आर्टिस्टों के पदों पर नियुक्ति हेतु स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रितों के लिए कोटा

1663. **श्री आर० एल० पी० वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों (अनुबन्ध पर रखा जाने वाला स्टाफ) के पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रितों के लिए कोई व्यवस्था की गई है अथवा उनका कोई कोटा रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रितों की नियुक्ति के लिए नियम बनाकर उनके लिए आरक्षण कोटे की व्यवस्था करने और कुछ नियम बना कर उन्हें विशेष सुविधाएं देने का भी है; और

(ग) यदि हाँ तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता :

बनासकांठा जिला गुजरात में एक बांध का निर्माण करने सम्बन्धी निर्णय

1664 **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए जिला बनासकाँठा, गुजरात में घनेरा गांव के निकट रेल नदी पर एक बाँध का निर्माण करने संबंधी निर्णय ले लिया गया है और क्या इस निर्माण-कार्य का अनुमोदन कर दिया गया हैं;

(ख) इस बाँध का निर्माण-कार्य कब शुरू किया जायेगा और यह कब तक पूरा हो जायेगा और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इस पर निर्माण-कार्य शीघ्र शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि बनासकांठा जिले में धनेरा टाउन के 18 किलोमीटर प्रतिप्रवाह में रेल सिंचाई स्कीम की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्रस्ताव में बाढ़ों को कम करने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) परियोजना का अन्वेषण कार्य पूरा होने, तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने और केन्द्र द्वारा मंजूरी दे दिए जाने के बाद ही इस

परियोजना पर निर्माण-कार्य आरम्भ किया जा सकता है । तथापि, परियोजना पर 8:30 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है और परियोजना पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो जाने के बाद इसके चार वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

वरमानापुरम सिंचाई परियोजना की क्रियान्विति

1665. **श्री ए० नील लोहितम्दासन** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने प्रस्तावित वरमानापुरम सिंचाई परियोजना के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ;

(ग) प्रस्तावित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) वामनपुरम सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुई थी । आयोग में परियोजना-रिपोर्ट की जांच की गई और 1974 में केरल सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई थीं । राज्य सरकार ने कुछ टिप्पणियों के जबाव भेज दिये हैं लेकिन अन्य टिप्पणियों के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । इस सम्बन्ध में उनका सबसे आखिरी पत्र जून, 1979 में प्राप्त हुआ था ।

परियोजना को मंजूरी दिये जाने के लिए उसकी तकनीकी जाँच तेजी से करने के लिए, केन्द्रीय जल आयोग ने केरल सरकार से अनुरोध किया है कि सम्बन्धित अधिकारी को विचार-विमर्श के लिए आयोग में भेज दिया जाए ।

इदुक्की पन-बिजली परियोजना, केरल

1666. **श्री ए० नील लोहितम्दासन** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने इदुक्की पन-बिजली परियोजना के दूसरे चरण के बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : केरल की इदुक्की जल विद्युत परियोजना, चरण-दो की संशोधित परियोजना रिपोर्ट को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। 130-130 मेगावाट (3×130 मेगावाट) की तीन उत्पादन यूनिटों की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना इसमें की गई है।

पटना स्थित आकाशवाणी केन्द्र में आग लगना

1667. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना स्थित आकाशवाणी केन्द्र में भयानक आग लगी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आकाशवाणी के पटना केन्द्र में, रविवार 9 मार्च, 1980 को आग लगी। इसका पता दोपहर लगभग 3.45 बजे लगा। इस आग में संगीत स्टूडियो और इसके बूथ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पहले की आग अन्य स्टूडियो में फैले और वहाँ पर लगे उपकरणों को क्षति पहुंचे, समय पर की गई कार्यवाही से आग पर काबू पा लिया गया। ट्राँसमीटिंग केन्द्र के आपातकालीन स्टूडियो से प्रसारण उसी शाम निर्धारित समय पर मुख्य चैनल से किया गया। रेडियो केन्द्र में ही रात्रि के दौरान स्थापित अन्तरिम स्टूडियों से मुख्य और व्यापारिक दोनों चैनलों की सेवाएं अगली सुबह सामान्य तौर पर शुरू की गयी। पुलिस अधिकारी आग के कारणों की जांच कर रहे हैं। तोड़-फोड़ का कोई भी प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। प्रतीत होता है कि सम्भावित कारण दुर्घटना है। आग लगने के तुरन्त बाद किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार उपकरणों और अन्य सामग्री को हुई क्षति का अनुमान लगभग 5 या 6 लाख रुपए है। प्रभावित उपकरणों और सामग्री को बदलकर तथा मरम्मत करके क्षतिग्रस्त स्टूडियो को पुनः स्थापित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों की काम की शर्तें

1668. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में संविदा के आधार पर सेवारत काम पर लगे कलाकारों में बहुत अधिक असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कलाकारों की काम की शर्तें तथा वेतनों के बारे में जांच करने का है और इस बात को सुनिश्चित करने का है कि उनकी स्थिति में सुधार हो ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनकी सेवाओं को स्थायी/अर्ध-स्थायी बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि उन्हें आगे कोई दिक्कत न हो ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) स्टाफ आर्टिस्टों के विभिन्न संगठन/संघ सेवा शर्तों में सुधार लाने हेतु समय-समय पर अपनी शिकायतें व्यक्त करते रहे हैं। इन विशेष शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है और जहाँ आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तों में सुधार लाने का प्रश्न सरकार के लिए निरन्तर समीक्षा का विषय रहा है।

(ग), (घ) और (ङ) : स्टाफ आर्टिस्टों को आरम्भ में दो वर्ष की परिवीक्षा सहित, तीन वर्ष के ठेके पर नियुक्त किया जाता है। स्टाफ आर्टिस्टों को, परिवीक्षा अवधि की सफलता-पूर्वक समाप्ति पर, 58 वर्ष की अवधि तक के लिए लम्बे समय का ठेका दिया जाता है। 58 वर्ष की आयु होने पर समीक्षा के आधार पर उनको 60 वर्ष की आयु तक रखा जाता है, जबकि सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में बैरा-स्योल परियोजना के निर्माण पर व्यय

1670. **श्री विक्रम महाजन** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में बैरा-स्योल परियोजना के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) इसकी मूल लागत क्या थी और यदि इसकी लागत में कोई वृद्धि हुई है तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है तथा वहां कितनी बिजली उत्पादित होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बैर-स्योल परियोजना के निर्माण पर फरवरी, 1980 के अन्त तक 98 40 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ख) 1970 में इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत 20.49 करोड़ रुपये थी जो कि संशोधन किए जाने पर मार्च, 1979 में 92·22 करोड़ रुपये हो गई थी। परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण निम्नलिखित है :

(1) श्रम, स्टील, पी० वी० एल० आदि जैसी आधारभूत सामग्री तथा विद्युत उपस्कर के मूल्यों में बढ़ोत्तरी ;

(2) ऐसी नई मदों का कार्यान्वयन, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया था, इनमें ये शामिल हैं :

(क) विद्युत घर की पहाड़ी में ड्रेनेज ड्रिफ्टस, तथा ड्रेनेज होल्ज का ड्रिलिंग कार्य,

(ख) उच्च स्तर के मुहाने की सुरक्षा संबंधी कार्य,

(ग) व्यपवर्तन सुरंग सं०-दो का निर्माण,

(घ) फरवरी, 1979 में हुए स्खलन के कारण नदी तल को नीचा करना तथा व्यपवर्तन सुरंग में से गाद निकालना,

(ङ) उच्च स्तर के मुहाने तथा गुज-नेक ।

(3) 1974-75, 1977 तथा 1979 में हुए बड़े-बड़े भूमि स्खलनों तथा प्राकृतिक अपदायों के कारण व्यय में वृद्धि ।

(4) निर्माण कार्य स्थलों के बहुत अधिक अगम्य होने के कारण कार्य की विभिन्न मदों की दरों में वृद्धि ।

(ग) चरण एक की 60-60 मेगावाट की पहली दो यूनिटों के मार्च, 1980 में चालू होने की संभावना है। परियोजना के जून, 1981 तक पूरा हो जाने की आशा है। यह अनुमान लगाया गया है कि चरण-दो सहित इस परियोजना के पूरा हो जाने पर, प्रतिवर्ष 874 मिलियन यूनिट का उत्पादन होगा।

दूरदर्शन कैमरामैनों को बाहर भेजने की कसौटी

1671. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन कैमरामेनों, प्रोड्यूसरों और साउन्ड रिकार्डिस्टों अथवा प्रशासकीय कर्मचारियों को (यथा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट डायरेक्टर, और स्टेशन डायरेक्टर (को विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए (विदेश छात्र वृत्ति पर) बाहर भेजने के लिए क्या कसौटी निर्धारित की जा रही हैं ;

(ख) कितने कैमरामैन, प्रोड्यूसर तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डायरेक्टर) और स्टेशन डायरेक्टर को गत तीन वर्षों में विशेष प्रशिक्षण (विशेषज्ञ कार्य) के लिए बाहर भेजा गया और किन छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत भेजा गया ; और

(ग) क्या कसौटी निर्धारित करने में आयु, सेवा निवृत्ति की तारीख, कार्य के बारे में पिछला अनुभव (नियुक्ति से पूर्व) आदि पर विचार किया जायेगा; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ग) दूरदर्शन के कर्मचारियों को विदेशों या विदेशी संगठनों द्वारा विदेशों में शिक्षावृत्ति/छात्रवृत्ति के प्रशिक्षण हेतु आमंत्रण पर चयन किया जाता है तो निम्नलिखित मानदण्ड ध्यान में रखे जाते हैं।

(1) अध्ययन का विषय, चयन होने वाले व्यक्ति की उल्लिखित/वांछनीय अर्हताओं आयु इत्यादि से संबंधित उपयुक्तता।

(2) संबंधित व्यक्ति की वरीयता, अनुभव और अभिरुचि; और

(3) जो पहले कभी विदेश न गये हों उनको प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 1-4-77 से 24-3-1980 तक विदेशों में प्रशिक्षण कार्यशालाओं और लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भेजे गए दूरदर्शन स्टाफ आर्टिस्ट (निर्माता और कैमरा मैन) तथा कार्यक्रम अधिकारी।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम तथा पद	प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम	स्थान	अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री अशोक वैष्णवी निर्माता ग्रेड-II	इण्डो एफ. आर. जी. सहयोग करार के अंतर्गत टी. वी. शैक्षणिक कार्यक्रम	एफ. आर. जी.	2-7-1977 से 28-9-1977 तक
2.	श्री एस० एन० धीर निर्माता ग्रेड-II			

1	2	3	4	5
3.	श्री एच० बी० माथुर कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शन	राष्ट्रीय ईरानी रेडियो और टी. वी. द्वारा आयोजित समाचार कार्यशाला में भाग लेने हेतु	तेहरान	10.8-1977 से 12-8-1977 तक
4.	श्रीमती जथिका दत्ता निर्माता ग्रेड-11	बहुत छोटे बच्चों के लिए टी. वी. कार्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए	क्वालालम्पुर	23-1-78 से 28-2-78 तक
5.	श्री मनोहर पिंगले निर्माता ग्रेड 11	टी. वी. निर्माण में क्षेत्रीय पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु	क्वालालम्पुर	20-8-78 से 21-9-79 तक
6.	श्री मोहमद शमीम निर्माता ग्रेड-11	छोटे बच्चों और माता-पिता के लिए टी. वी. कार्यक्रमों में	क्वालालपुर	24-9-79 से
7.	श्रीमती विमल आइसर निर्माता ग्रेड-11	क्षेत्रीय कार्यशाला में शामिल होने हेतु		18-10-79 तक
8.	श्रीमती मीना वैष्णवी निर्माता ग्रेड-11	जनसंख्या संचार (टी. वी.) में क्षेत्रीय पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु	क्वालालम्पुर	29-10-79 से 30-11-79 तक
9.	श्री सुधीर टंडन कैमरामैन ग्रेड-1	प्रसारण विकास के लिए एशिया पेसीफिक इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित समाचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	क्वालालम्पुर	11-6-79 से 6-7-79 तक
10.	श्री एम. एस. ओवराय कैमरामैन ग्रेड-1	जनसंख्या संचार (दूरदर्शन) में क्षेत्रीय पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए	क्वालालम्पुर	29-10-79 से 30-11-79 तक

जनता पार्टी तथा लोकदल की सरकारों द्वारा कतिपय समाचारपत्रों के प्रकाशन में बाधा डाला जाना

1672. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि जनता पार्टी तथा लोक दल की सरकारों ने नेशनल हैराल्ड, नवजीवन तथा कौमी आवाज के प्रकाशन में बाधा डाली थी और उनके कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए भड़काया तथा प्रोत्साहित किया था तथा उन्हें विज्ञापन देना बन्द कर दिया था ;

(ख) इनके फलस्वरूप नेशनल हेराल्ड नवजीवन तथा कौमी आवाज को कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें क्षतिपूर्ति देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) यह सच है कि औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य विभागों ने क्रमशः औद्योगिक (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, अप्रेल, 1979 में जांचों के आदेश दिए थे। पहले की जांच मैसर्स एसोसियेटिड जर्नल्स की मुद्रण प्रेसों के बन्द होने की परिस्थितियों के विषय में थी जबकि दूसरी कम्पनी कार्य विभाग में कथित श्रम देय की गैर-अदायगी, कम्पनी की वित्तीय कठिनाइयों इत्यादि के विषय में प्राप्त शिकायतों की पुष्टि के लिए थी। प्रथम बताये गये अधिनियम के अन्तर्गत की जांच रिपोर्ट को कम्पनी कार्य विभाग में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। कम्पनी कार्य विभाग के आदेश द्वारा दी गई जांच को 1979 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया और तब से कोई परिणाम नहीं आए हैं।

कर्मचारियों की हड़ताल का विषय, जिसका नाम औद्योगिक विवाद है, अर्थात दिल्ली प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

इन समाचार पत्रों को जब तक वे प्रकाशित होते रहे, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन बन्द नहीं किए गए।

(ख) इस विषय पर सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

"मन का आंगन" चलचित्र के अवांछित दृश्य

1673. श्री शिवकुमारसिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रीलीज किये गये चलचित्र "मन का आंगन" में कुछ अश्लील एवं अवांछनीय दृश्य है जिनका राष्ट्रीय चरित्र पर कुप्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दृश्यों को निकाले बिना सेंसर बोर्ड द्वारा इसे किन कारणों से पास कर दिया गया; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क), (ख) और (ग) मामले पर सरकार ध्यान दे रही है ।

दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को समयोपरि भत्ता देना

1674. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों तथा स्थायी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने के लिये विभिन्न मानदंड अपनाये जाते हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या स्टाफ आर्टिस्टों को राजपत्रित छुट्टियों के लिए स्थायी कर्मचारियों की भांति समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है ; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या स्टाफ आर्टिस्टों (दूरदर्शन के टंक-बद्ध कर्मचारियों) के मामले में एक घंटे का समयोपरि भत्ता काट लिया जाता है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्टाफ आर्टिस्टों को समयोपरि भत्ता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) समयोपरि भत्ते की अदायगी हेतु जो नियम असैनिक सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, वह स्टाफ आर्टिस्टों पर भी निम्नलिखित के अलावा लागू होते हैं :

(1) शिफ्ट ड्यूटी के सिविल कर्मचारी नानशिफ्ट ड्यूटी के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक समयोपरि भत्ते की दरों के हकदार हैं ।

स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति के लिये अर्हतायें

1675. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं ; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्टाफ आर्टिस्टों संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वही अर्हतायें निर्धारित करने का है जो फिल्म्स डिवीजन के लिये निर्धारित है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) अनुमानतः, यह प्रश्न, दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों के पदों हेतु भर्ता नियमों के विषय में हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी से 1-4-1976 को पृथक हुआ। दूरदर्शन के लिए मंजूर हुए विभिन्न श्रेणी के पदों हेतु नियमित भर्त्तों, नियमों के गठन का विचाराधीन होने के कारण स्टाफ आर्टिस्टों के पदों की भर्त्ती तदर्थ भर्त्ती नियमों के आधार पर की गयी थी। प्रत्येक श्रेणी के पदों की काम की आवश्यकताओं पर विस्तृत विचार करने के पश्चात स्टाफ आर्टिस्टों के लिए नियमित भर्त्ती नियमों को अन्तिम रूप दिया गया और अगस्त, 1979 में जारी किये गये कुछ मामलों में यह सच है कि नियमित भर्त्ती नियमों में उल्लिखित आयु सीमाओं और आवश्यक तथा वांछनीय अर्हतायें पुराने तदर्थ नियमों में उल्लिखित नियमों से कुछ रूप में भिन्न हैं।

(ख) जी, नहीं। दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों (ठेका स्टाफ) के कर्तव्य और काम की आवश्यकताएं फिल्म प्रभाग के सिविल स्टाफ के समान नहीं हैं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के लिए पहले से सूचना दे रखी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम 377 के अधीन अनुमति दे दी गई है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे कुछ निवेदन करना है। हम विरोधी पक्ष वाले पहले दिन से यह देख रहे हैं कि चाहे जितना भी महत्वपूर्ण अथवा तात्कालिक विषय क्यों न हो, आपने किसी मामले को ग्रहीत नहीं किया। आपने इस सत्र में एक भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। महोदय आसाम में नाकाबन्दी के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है।* ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति नहीं दी है। मैं उनकी बात का उत्तर दूंगा। मैं नियमानुसार कार्य कर रहा हूं। यदि कोई और बात है तो आप मेरे साथ मेरे कक्ष में बातचीत कर सकते हैं। परन्तु मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप पीछे देखें··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूर्व उदाहरण, परम्पराएं और रिकार्ड को देखा है। मैं नियमों और प्रकिया से एक इंच भी हट कर काम नहीं करूंगा। (व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय देश को खतरा है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आकर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। (व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। वह संगठन शासक-दल का अंग है। वे इस आर्थिक नाकाबंदी का संचालन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मेरे लिए शासक दल का प्रश्न नहीं है। मैं आप सब का प्रतिनिधि हूं।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बया) : महोदय, श्री दंडवते ने एक टिप्पणी की है। यह अध्यक्ष पर आक्षेप है। उन्होंने अध्यक्ष की निष्पक्षता को चुनौती दी है। इसे कार्यवाही वृतांत में से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत को पढ़ूंगा और यदि उसमें कोई ऐसी टिप्पणी हुई तो उसे उसमें से निकाल दिया जायेगा। अब कार्य सूची की दूसरी मद को लिया जाय—सभा पटल पर रखे गये पत्र। श्री साठे·····।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूणे का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और एक विवरण।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूणे के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 620/80]

मध्य प्रदेश दीवानी न्यायालय (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1979 तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (ब) के अंतर्गत, 28 नवम्बर, 1979 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित मध्य प्रदेश दीवानी न्यायालय (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 7) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 621/80]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम के कार्यकरण तथा प्रशासन पर वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 622/80]

दिल्ली नगरीय कला आयोग के मई, 1974 से मार्च 1978 तक की अवधि के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा समीक्षा और एक विवरण।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली नागरी कला आयोग के मई, 1974 से मार्च, 1978 तक की अवधि के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 623/80]

दिल्ली महानगर परिषद् के भंग किये जाने के बारे में दिल्ली प्रशासन अधिनियम के अधीन अधिसूचना।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

अधिसूचना संख्या सां० आ० 200(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है तथा जिसमें दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी किया गया दिनांक 21 मार्च, 1980 का राष्ट्रपति का आदेश किया गया है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों का निलम्बन किया गया है, दिल्ली महानगर परिषद भंग की गई है और यह निदेश दिया गया है कि कार्यपालिका पार्षद अपने पद पर नहीं रहेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 624/80]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980 जो लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1980 को पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी शिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताता है कि इस सभा को उपरोक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है"।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे उड़ीसा विनियोग विधेयक 1980, जो लोक सभा द्वारा 17 मार्च 1980 को पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ हैं और बताता है कि इस सभा को उपरोक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अध्यक्ष महोदय : अगली मद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। (श्री के० पी० सिंह देव)..... **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। मैं सब कुछ सुनूंगा परन्तु इस प्रकार नहीं। मुझे नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य चलाना है (**व्यवधान**) आप मेरे कक्ष में आकर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। (**व्यवधान**) यदि आप बैठ जाये तो मैं सुनूंगा .....।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : नियम 57 के अधीन .....।

श्री एड्आर्डो फलारो (मारमागाओ) : नियमों के अनुसार केवल सभा के समक्ष कार्य के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैंने नियम 57 के अधीन स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और उसकी एक प्रति आपको, संबंधित मंत्री व सचिव को भेजी है। यदि मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का हो तो आप नियम 58 के अधीन स्थगन प्रस्ताव के बारे में अपनी स्वीकृति दे सकते हैं (**व्यवधान**) यह एक महत्वपूर्ण मामला है और समुचे देश में इस के बारे में चिन्ता है। इस तथ्य के बावजूद कि प्रधान मन्त्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था, शासक दल के दो महत्वपूर्ण अंग आर्थिक नाकाबंदी करने के काम का संचालन कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : उठें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बाधा डालने का क्यों प्रयत्न कर रहे हैं ? मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं है कि हमारे पक्ष का एक सदस्य बोल रहा है और उधर से उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। कम से कम आप उन्हें मना तो करें। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें मना कर रहा हूं। श्री टाईटलर, आप उनके साथ क्यों झगड़ रहे हैं ? मैंने श्री यादव को बोलने की अनुमति दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह राष्ट्रीय महत्व का एक अत्यन्त नाजुक मामला है और देश के अत्यन्त नाजुक क्षेत्र से सम्बन्धित है। अतः यह अविलम्बनीय महत्व का मामला है और इसके सम्बन्ध में नियम 58 के अधीन स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए। उस क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; रेलगाड़ियों को रोक दिया गया है और हज़ारों ट्रकों को रोक रखा है, प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं की आम

और सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचने से रोक दिया गया है। आसाम के मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के सचिव से सम्पर्क किया है और उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है ....।

अध्यक्ष महोदय : आप जो बात कहना चाहते हैं मैंने उसे समझ लिया है। अब मैं इसका उत्तर देता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मामला अविलम्बनीय महत्व का है क्योंकि इसमें एक राज्य के लोगों का दूसरे राज्य के लोगों के साथ झगड़ा हो सकने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। यह अभूतपूर्व मामला है। शासक दल के दो अंग नाकाबंदी की कार्यवाही कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। इससे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जायेगी। इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिये, महोदय, आप को स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे देनी चाहिए जिससे सभा को इस मामले पर विचार विमर्श करने का अवसर मिल सके, (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप 'सदस्यों की निदेशिका' के नियम 14 को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अनुमति वहीं दी जायेगी जहां अध्यक्ष संतुष्ट होगा। यदि आप चाहें तो आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं और मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपको इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने का अनुरोध करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरे कक्ष में आयें तो मैं आप से बातचीत करूंगा।

श्री जार्जफर्नान्डिस (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि आप हमारी बात सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुनली है (व्यवधान)।

श्री जार्जफर्नान्डिस : यह मामला किसी एक सदस्य और अध्यक्ष के बीच नहीं है, इस मामले का सम्बन्ध हम सब से है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न और किसका है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : आपने नियमों का हवाला दिया है (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक व्यक्ति की बात सुन सकता हूं (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मैं निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु ।

श्री जार्ज फर्नांन्डिस : प्रश्न यह है कि आपने नियमों का हवाला दिया है । आप सुझाव दे रहे हैं कि इस मामले पर कक्ष में चर्चा की जाये । (**व्यवधान**) आज देश के एक भाग को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और उनको बताया जा रहा है कि वहां पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पहुंचने नहीं दी जायेगी । वहाँ कोई सरकार नहीं है । वहां पर राष्ट्रपति का शासन है ।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर सरकार है । वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार है ।

श्री जार्ज फर्नांन्डिस : क्या हमें इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जायेगा (**व्यवधान**) इस संसद का क्या लाभ है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह देव (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, नियम आपको (**व्यवधान**) मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं, महोदय (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : श्री टाईटलर, आप कृपया बैठ जायें । मैं श्री रथ को भी अनुमति दूंगा । पहले मुझे श्री वसु की बात सुन लेने दीजिये, फिर मैं आपको अनुमति दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आप कृपया पढ़े ...(**व्यवधान**) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) महोदय, उन्होंने सूचनाएं नहीं दी हैं । आपको हमारा निवेदन सुनना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता, आप मेरी ओर से निर्णय करने जा रहे हैं । मुझे सुनने दीजिये, मैं अनुमति दे सकता हूं

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप हमारी बात आज सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता, मैं आपकी बात सुन चुका हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया सदस्यों की निर्देशिका, पृष्ठ 31, पैरा 14, उप-पैरा 6 को देखें (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री बसु और सभा के सूचनार्थ एक चीज पढ़ूं ? "एक बार" (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिल्कुल नहीं । मुझे समाप्त कर लेने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये । मैंने आपकी बात सुनली है । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह व्यवहार करेंगे, तो ठीक है । मुझे कोई चिन्ता नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप ने कहा था कि आप उनकी बात सुनेंगे (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : उनका शिष्टाचार से कोई वास्ता नहीं हैं । जब मैं खड़ा हूं, वह खड़े नहीं हुए (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप जबरदस्ती मुझे सुनाना चाहते हैं । मैं ऐसे नहीं सुनूंगा । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) महोदय, आपने उनको बोलने की अनुमति दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, मैंने अनुमति दी थी, परन्तु मैं उद्धृत करने वाला था ..... (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ क्यों नहीं जाते ? आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभा को यह बात समझनी चाहिये । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस सभा की कार्यवाही नियमों और विनियमों के अनुसार चलनी चाहिये तो आपको मेरे साथ सहयोग करना होगा । यदि आप चाहते हैं कि मैं नियमों के अनुसार कार्यवाही चलाऊं तो आपको भी नियमों का पालन करना होगा । जब अध्यक्ष खड़ा हो तो सभा में किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा नहीं होना चाहिये । यह पहली शर्त है । यदि मैं किसी माननीय सदस्य को पुकारता हूं तो वह उसको दी गई अनुमति के अनुसार अपनी बात कहेगा और फिर कोई अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा । इसके बाद क्या श्री बसु कुछ कहना चाहेंगे ? (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, मैंने श्री बसु को पुकारा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्षपीठ के सहायतार्थ मैंने आपका ध्यान सदस्यों की निर्देशिका के कुछ उपबन्धों की ओर दिलाया है । कुछ मदों पर माननीय सदस्य अपने उद्गार प्रकट करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बता दीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहली बात आसाम की स्थिति के बारे में है और आसाम की सीमा पर (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा । (**व्यवधान**) ।

श्री संजय गांधी (अमेठी) : नियम 376 (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं । मैं उन से पूछूंगा (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : श्री संजय गांधी, देखिये, मुझे उनको अनुमति देनी होगी या नहीं देनी होगी ।

श्री संजय गांधी : आपने पहले ही उनको अनुमति देने से इन्कार कर दिया है । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात कहलेने दीजिये । मैं फिर कहूंगा । (**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोगों के मन में अनेक मदें हैं मैंने सम्बन्धित पैराग्राफ उद्धृत किया है (**व्यवधान**) यदि आप बीच में बोलेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, समस्या यह है कि यह ऐसा मामला है जिसके बारे में स्पष्ट वक्तव्य दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है । मैं स्पष्ट बात चाहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री संजय गांधी ने कहा है कि वे अपना आन्दोलन समाप्त कर देंगे । यह स्पष्ट रूप से कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (2) सीमा (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम उद्धृत कर रहा हूं । इसमें लिखा है "सदस्य को अध्यक्ष के अपनी सहमति न देने के निर्णय की एक बार सूचना दिये जाने पर, सूचना की विषयवस्तु या उसकी अस्वीकृति के कारणों के बारे में सभा में कोई चर्चा अथवा सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० सिंह देव । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो आ र मेरे कक्ष में आ सकते हैं । मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा । मैंने नियम 184 के अधीन पहले ही एक प्रस्ताव की अनुमति दे दी है । प्रो० मधु दण्डवते को उसी मामले के बारे में नियम 377 के अधीन अनुमति दी जा चुकी है ।

(**व्यवधान**,*

(**इस पर श्री चन्द्रजीत यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ बोला जायगा उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार के सात करोड़पतियों की गिरफ्तारी का समाचार

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें :

"करोड़ों रुपये के नमक और कोयले की तस्करी के षड्यंत्र के सम्बन्ध में बिहार के सात करोड़पतियों की गिरफ्तारी का समाचार"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : महोदय, मैं करोड़ों रुपये के नमक और कोयले की तस्करी के षड्यंत्र के सम्बन्ध में बिहार के सात करोड़पतियों की कथित गिरफ्तारी के बारे में दिए गए ध्यानाकर्षण नोटिस के संदर्भ में वक्तव्य दे रहा हूं।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस के पास सात मामले, एक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 भारतीय दंड संहिता 471 के तहत और शेष आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन दर्ज किए गए हैं और सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उप मण्डल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके जमानत के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है अपील जिला न्यायाधीश के पास विचाराधीन है और सभी गिरफ्तार व्यक्ति जेल में हैं। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम ये हैं -- हेनराज झुनझुनवाला, मदन कुमार पाल, रत्न रंगता, हरिप्रसाद लोधा, मोती प्रसाद अग्रवाल, सीताराम सिंह और एक अन्य। इस मामले में और ब्यौरेवार विवरण की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर से स्पष्ट है कि यह घटना इस महीने की 19 तारीख को अर्थात 6 दिन पूर्व घटी थी। उत्तर के अन्तिम में माननीय मंत्री ने कहा है : "इस मामले में और अधिक ब्यौरेवार विवरण की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।" मतलब यह है कि इस बारे में संक्षिप्त समाचार देने में भी सरकार को 6 दिन लगे हैं। इस महीने की 21 तारीख को 'इंडियन नेशन' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कुछ समाचार छपे थे और मैं चाहता था कि माननीय मंत्री उनके बारे में कुछ प्रकाश डालें।

गिरफ्तार किये गये सात करोड़पतियों के अलावा 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो फरार हैं और जो भूमिगत हो गये हैं। सिंहभूम के एस०पी० और ढलभूम के एस०डी०ओ० ने छापा मारा था।

उन्होंने समाचार पत्रों को भी बताया था (व्यवधान)। समाचार पत्रों में यह समाचार छपा हुआ बताया जाता है कि इस षडयंत्र से सम्बन्धित ऐसे कागजात प्राप्त हुए हैं जिनसे पता लगता है कि इस षडयंत्र में बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, पूर्ति विभाग के कर्मचारी और बिहार सरकार के खाद्य विभाग के कर्मचारी शामिल थे।

एस० डी० ओ० और एस०पी० ने यह भी कहा है कि ढलभूमगढ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने छापा मारने वाली पार्टी से बचने की कोशिश की थी। जब मालडिब्बों की कमी थी तब ढलभूम अनुमानतः 2100 मालडिब्बे आये थे। (व्यवधान) क्या यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अनुरूप है ? मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के सदस्य इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके लोग इस षडयंत्र में शामिल हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक लड़के की हत्या हुई है। पूरी दिल्ली में आतंक का वातावरण फैला हुआ है। क्या.....।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं झुकने वाला नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्लाइंट आफ आर्डर है। एक लड़के की हत्या हुई है—पूरी दिल्ली में आतंक फैला हुआ है। क्या आप हाउस को इस तरह से चलायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह पता होना चाहिये कि आपको व्यवस्था का प्रश्न कब और कैसे उठाना चाहिए (व्यवधान)। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, आपको मालूम होना चाहिये (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह नहीं कर सकते। इसमें व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल नहीं है। श्री देव, आप जारी रखिये। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये। (व्यवधान)*।

श्री के० पी० सिंह देव : मालडिब्बो का अभाव है और इसका खाद्यान्नों, पैट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को देश के एक भाग से दूसरे भाग को लाने-ले जाने पर दुष्प्रभाव पड़ा है। (व्यवधान)।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिये ।

श्री के०पी० सिंह देव : एस०डीओ० ने कहा है कि जो व्यापारी इस मामले से सम्बन्ध थे, उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम और एक सब-डीविजन से दूसरे सब-डीविजन को नमक लाने-ले जाने पर लगे पटना उच्च न्यायालय के रोकादेश का उल्लंघन किया था । अतः··· ··· (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मै एक मिनट लेना चाहूंगा । (व्यवधान) आप बैठ जाइये । जब तक दोनों ओर के सदस्य सहयोग न करेंगे तब तक सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती । अतः मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि·····(व्यवधान) उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और मैंने कहा था कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है और वह बैठ गये हैं । (व्यवधान) ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम हाउस को नहीं चलने देंगे । हम लोग तो बैठ गये, लेकिन आप बोल रहे हैं । आप गृह मंत्री जी से कहिये कि वे कुछ बतलायें····· ।

श्री रामविलास पासवान : हमारा पूरा इरादा कोआपरेट करने का है । आपने "डोन्ट रिकार्ड" क्यों कहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम सभा की कार्यवाही न चला सकेंगे । अतः आप से मैं सहयोग के लिए अपील करता हूं ।

श्री रामविलास पासवान : आप ने यह आदेश क्यों दिया है कि 'कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये ।'

उपाध्यक्ष महोदय : जब पीठासीन अधिकारी कुछ कह रहे होते हैं तो तब किसी भी सदस्य को बोलने के लिए नहीं उठना चाहिए । आप नियम समझने की कोशिश कीजिए । क्या आप मुझे यह बतायेंगे कि जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, क्या वह चर्चाधीन विषय से किसी प्रकार से सम्बन्धित है ? यह आप केवल अव्यवस्था पैदा करने के लिए कर रहे हैं ।

श्री राम विलास पासबान :*

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हो रही है । श्री के०पी० सिंह देव ने कुछ मुद्दे उठाये हैं और मंत्री महोदय को उनके उत्तर देने हैं । क्या उठाया गया व्यवस्था का

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रश्न किसी प्रकार से इस चर्चा से सम्बद्ध है ? यदि ऐसा है तो आप मंत्री के उत्तर के बाद अपनी बात कहिए। अब आप बैठ जायें।

श्री के० पी० सिंह देव : यह एक गम्भीर मामला है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था एक नाजुक दौर से गुजर रही है तब ये तस्कर उन सरकारी कर्मचारियों की साठ-गांठ से एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जिन पर कानून लागू करने का दायित्व है। इससे न केवल खाद्यान्नों की ढुलाई प्रभावित हो रही है बल्कि इसका दुष्प्रभाव पैट्रोलियम उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई पर भी पड़ रहा है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है।

क्योंकि सिंहभूम में जहां कि छापा मारा गया था, नमक और कोयले के षड्यंत्र में 2100 मालडिब्बे लगे थे। चार वर्ष पहले भी इस विषय पर सभा में चर्चा हुई थी। पुनः ऐसा मामला हुआ था जहां रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे। मैं जानना चाहूंगा कि यह घटना लगभग एक सप्ताह पहले हुई थी, क्या सरकार को इस बारे मे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है; क्या सरकार सभा को बतायेगी कि यह षड्यंत्र कब से चल रहा है और इसके कारण कितनी हानि हुई ? अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 को लागू किया जा रहा है। चूंकि इन करोड़पतियों को निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा, जैसा कि इस सभा में पैदा किये गए दृश्य से स्पष्ट है जो इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है कि सभा में कुछ भी न सुना जा सके। मैं सरकार से यह आश्वासन लेना चाहूंगा कि इन करोड़पतियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि इन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त किया है। जैसा कि जांच अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इसमें अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है, मैं चाहता हूं कि इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध धारा 8 या अन्य उचित अधिनियम के अन्तर्गत अपराध बढ़ाने के लिए कठोर कार्यवाही की जाये। ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? इस मामले पर सभा में एक बार नहीं, तीन-चार बार चर्चा की जा चुकी है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा गया है कि मामले से सम्बन्धित पूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं है। जो भी तथ्य हमें प्राप्त हुए थे, वे वक्तव्य में दे दिये गये हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : समाचार पत्र तत्सम्बन्धी खबरों से भरे पड़े हैं और सरकार को उस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जहां तक सरकार द्वारा कार्यवाही की जाने का सम्बन्ध है, मैं सभा को और माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी। किन्तु स्थिति क्या है ? प्रशासन ने

सात स्थानों पर छापे मारे थे। उन्होंने सात लोगों को गिरफ्तार किया था उनके मामले सब डिवीजनल ज्यूडिशिअल मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द कर दिये गये थे और वे मामले अब डिस्ट्रिक्ट शेशन जज के पास लम्बित पड़े हैं। चूंकि हम इस पर कल पूरी तरह से चर्चा करने जा रहे हैं और मेरे विचार से तब तक हमें पूर्ण जानकारी मिल जायेगी और तभी हम सभा को पूर्ण तथ्य दे पायेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : बिहार सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि तस्करों द्वारा नमक और कोयले की तस्करी में 2100 मालडिब्बे लगाये जा रहे हैं और यह सरकारी कर्मचारियों की साठ-गांठ से हो रहा है परन्तु वक्तव्य के अनुसार केवल सात करोड़पति ही गिरफ्तार किये गये हैं और जो सरकारी कर्मचारी साट-गाँठ करके अपराध बढ़ाने में मदद दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपराध बढ़ाने में मदद देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। मैं सभा को इतना आश्वासन दे सकता हूं। मुझे आशा है कल चर्चा शुरू होने से पहले ही हमें पूर्ण तथ्य प्राप्त हो जायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय.....।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे केवल इतना कहना है कि स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति रोक ली गई और आप अध्यक्ष महोदय से मिल लें।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। नियम 56 और 197 के तहत मैंने दिल्ली में एक छात्र गौतम जयसिंघानी के सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है और कालिंग अटेंशन भी दिया है। गत 6 मार्च से वह लड़का लापता है। सरकार उसका पता लगाने में अभी तक विफल रही है। क्या यह पब्लिक इम्पार्टेंस का सवाल नहीं है ? फिर आपने मेरा एडजार्नमेंट मोशन और कालिंग अटेंशन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया है ? यदि आप इसे कहते हैं कि यह पब्लिक इम्पार्टेंस की चीज है तो आपने इसे एडजोर्नमेंट मोशन और कालिंग अटेंशन के तहत क्यों नही लिया है ? दिल्ली में भी पूरा असम का सा वातावरण फैल गया है। संजय और गीता हत्या कांड के बाद यह दिल्ली में कांड हुआ है।

इतनी बुरी तरह उसका मर्डर किया गया है लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारे का पता नहीं चला पाई हैं। आप सदन के मालिक हैं। होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उनको कहिये कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : दिल्ली में ला एंड आर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन बलात्कार, लड़कियों से

छेड़खानी, चोरी, डकैती, हत्या का समाचार पढ़ने को न मिल जाता हो । उन्नीस वर्षीय विद्यार्थी गौतम जयसिघानी की हत्या कर दी गई है । पुलिस बिल्कुल निष्फल बैठी हुई है और अभी तक हत्यारों का पता नही चला पाई है । होम मिनिस्टर बैठे हुए है । उनको तो कम से कम इस्तीफा देकर देश के सामने अपना चेहरा दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम यहाँ के क्राइम्ज को रोक नहीं पा रहे हैं, ला एंड आर्डर की स्थिति को बिगड़ने से रोक नही पा रहे हैं, इसलिए हम गद्दी छोड़ कर आ रहे हैं ।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) :* बोलने वाले को क्या सजा होगी । जनता पार्टी का राज नहीं रहा है जब रोज चोरियां, डकैतियां आदि होती थीं । अब इस तरह की घटनाएं कम हो रही है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, माननीय सदस्य ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि आपने यह बात उठाई है इसलिए में कार्यवाही-वृतांत देखूंगा और यदि उसमें कोई शब्द असंसदीय होगा तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा ।

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने केवल कानून और व्यवस्था के बारे में कहा था और वह असंसदीय नही है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि आप उसे बार-बार नहीं उठाओगे और सभा का समय नही लोगे । तभी आप उन सदस्यों के साथ न्याय कर पायेंगे, जो नियम 377 के अन्तर्गत अनेक मामले उठाना चाहते हैं (**व्यवधान**) मैं अपने विवेक के अनुसार आपको कारण बता रहा हूं । इस पर कुछ मिनट पहले ही चर्चा हुई थी ।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 361 में यह व्यवस्था है कि जब भी अध्यक्ष बोलने के लिए उठता है तो उसकी बात शान्ति पूर्वक सुनी जायेगी और कोई भी सदस्य जो बोलने वाला हो या बोल रहा हो, वह अपने स्थान पर तत्काल बैठ जायेगा । परन्तु मैं प्रातः से ही यह देख रहा हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु जैसे वरिष्ठतम सदस्य भी इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं मैं आशा करता हूं कम से कम प्रो० मधु दंडवते, जो भूतपूर्व माननीय मंत्री हैं, तो ऐसा व्यवहार नही करेंगे । किन्तु मैं देखता हूं कि ऐसा करने की बजाय वह दूसरे सदस्यों को नियम का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि ऐसी बातें समाप्त की जानी चाहिए । मैं यह भी याद दिलाना

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी सभा की गरिमा बनाये रखने की शक्ति प्राप्त है। नियम 377 के अन्तर्गत अध्यक्ष आवश्यक समझने पर, किसी भी ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो पीठासीन अधिकारी के अधिकार का निरादर करता है या सभा की कार्यवाही में जान बूझकर और लगातार बाधा पहुंचाने के लिए नियमों का दुरुपयोग करता है। वस्तुत: मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि किसी सदस्य का नाम लिया जाये। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि नियमों का पालन करें सभा की गरिमा बनाये रखें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय यह पहले ही कह चुके हैं कि यदि किसी सदस्य को किसी ऐसी बात के बारे में कुछ कहना हो, जिस पर अनुमति नहीं दी गई है तो वह उनसे कक्ष में मिल सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकता।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, यह चैम्बर वाली क्या बीमारी है ? यह तो हाउस में बात होनी चाहिये।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : हाउस में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए यह शोभा नहीं देता। मै आपसे अपील करता हूं। मुझे सभा की कार्यवाही भी चलानी है। जब तक आप मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अतः अब आप कृपा करके बैठ जायें। अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाये जायेंगे। अब मैं किसी भी सदस्य को कोई अन्य मामला उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं कह चुका हूं कि अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिये जायेंगे। प्रो० मधु दंडवते। (व्यवधान) व्यवस्था के प्रश्न हर विषय पर और हर समय नहीं उठाये जा सकते। मैं अब व्यवस्था के किसी भी का उठाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न सभा में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए नहीं उठाया जाता।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष जी, यह लोगों की चुनी हुई बौडी है। अगर हिन्दुस्तान में डीजल न हो, बिजली न हो, पानी न हो, हत्यायें हों और अकाल हो तो कैसे यहाँ का काम चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं। आप एक वरिष्ठ सदस्य है। (व्यवधान) मैं नियम 377 के अन्तर्गत मामलों के लिए कह चुका हूं। मैं अब किसी को भी कोई और बात कहने की अनुमति नहीं दूंगा। अब आप बैठ जाइये। श्री दण्डवते।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कृपया आप 'सदस्यों की निर्देशिका' नामक पुस्तिका के पृष्ठ 14 पर उप-नियम (छः), पैरा 831 को देखें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने वह पढ़ लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, सदस्य कई बातों को लेकर आन्दोलित हैं। श्रीरामविलास पासवान ने गौतम जयसिंहानी के कत्ल के बारे में कहा है। इस आगे . . . .।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह चुनौती दी जा रही है कि यह छोकरे ठीक करेंगे। यह कह रहे हैं कि छोकरे लोग हम लोगों को ठीक करेंगे। इस को आप नोट करें, और हमारी बात आप सुन नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। श्री पासवान ने जो बात उठाई है उसे अध्यक्ष ने रोक रखा है। अतः आपसे अनुरोध है, श्री पासवान (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अध्यक्ष से मिलें।

श्री राम विलास पासवान : क्यों, आप इस समय पीठासीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि मैं इस समय पीठासीन हूं। इसीलिए मैं आपको उस मामले पर यहां कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसी ही स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा अपना विनिर्णय दिया जाता है। अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिए जाये। प्रो० दंडवते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आपको सभा का कार्य नियमानुसार चलाना है। मैंने आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित किया है। (व्यवधान) महोदय, श्री राम विलास पासवान ने गौतम जयसिंहानी के कत्ल के बारे में बताया है और पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में विफल रही है। अब सम्पूर्ण विपक्ष ने देश के एक महत्वपूर्ण मामले अर्थात आसाम के मामले पर चर्चा कर ली है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा प्रधान मंत्री को खुले पत्र द्वारा चापलूसी की जाने का मामला उठाया गया। (व्यवधान) महोदय, मैंने जो बात 'सदस्यों की निर्देशिका' से उद्धृत की है, उससे आप के लिए न्यूनाधिक रूप से यह अनिवार्य हो जाता है कि आप उस स्थगन प्रस्ताव को पढ़ दें, जो आपको प्राप्त हुआ है। अतः आप उस स्थगन प्रस्ताव को पढ़ दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गौतम के कत्ल के मामले पर स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने अपनी अनुमति रोकी हुई है। जहां तक श्री ज्योतिर्मय बसु की अन्य बातों का सम्बन्ध है वह उस बारे में अध्यक्ष के कक्ष में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं और मामले पर चर्चा कर सकते हैं, जैसा

कि मैं पहले ही कह चुका हूं। अतः इस विषय पर मेरा यही विनिर्णय है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को भंग करा दीजिये, हम चैम्बर में ही अपनी समस्याओं का हल करा लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : सब बातों के चैम्बर, चैम्बर करते हैं, यह चैम्बर क्या होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि सभा की कार्यवाही कुछ नियमों और विनियमों के अन्तर्गत संचालित की जाती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह आदेश कर दीजिये कि यह हाउस खत्म, हम सारी बातें चैम्बर में ही करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया हूं। मैं आपके भाव-भाव से ही समझ गया हूं कि आप क्या कहने वाले हैं। आप अध्यक्ष से उनके कक्ष में मिल चुके हैं और उनसे इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं और एक निर्णय पर पहुंच चुके हैं। इस बारे में मेरा यही निर्णय है। प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मुझे आसाम नाकाबन्दी के मामले को नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति मिल गई है। मैं कहना चाहता हूं कि ..।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको वह पढ़ना चाहिए जो आपने लिखकर भेजा है। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। हो सकता है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग ही न करना चाहते हों।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो मंत्री आदि भी रह चुके है। मुझे परेशानी में न डालो। आपको वही पढ़ना चाहिए जो आपने लिखकर दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री रहने के अतिरिक्त मैं 1971 से संसद सदस्य भी हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अध्यक्ष महोदय ने मुझे नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दे दी है, किन्तु चूंकि इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई है इसलिए हम सभी इस मामले को

अध्यक्ष के साथ उठायेंगे और मैं नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने का अपना अधिकार छोड़ता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक रूलिंग चाहता हूं इस सवाल पर कि जब नियम 377 के अधीन एक दस्तावेज यहां पर आ जाये, अगर संबंधित सदस्य उसे न भी पढ़ें, तो भी वह सब को सर्कूलेट किया जाये, क्योंकि नियम 377 के अधीन संबंधित मामले की कापी स्पीकर को दी जाती है, इसलिये वह सदन का दस्तावेज हो जाता है। आप उसको पटल पर रखिये। अगर किसी मेम्बर ने अंडर प्रोटैस्ट उसको नहीं भी पढ़ा है तो क्योंकि वह कौम का मसला है, आपने उसको यहां एलाऊ किया हैं, सभी सदस्य उससे आगाह हो सकें, इसलिए उसे आप यहां पर रखिए। (**व्यवधान**)।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री दंडवते ने नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने का नोटिस दिया था, वह उसे अब वापस नहीं ले सकते। (व्यवधान) श्री बसु, आप पीठासीन अधिकारी नहीं हैं। इसलिए चुप रहिए। मेरे साथ खिलवाड़ न कीजिए। मैं एक वरिष्ठ सदस्य हूं और मैं उसी भाषा में उत्तर दूंगा जिस आपमें बोलेंगे।

श्री दंडवते ने नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य देने का नोटिस दिया था और जैसे ही यह स्वीकार कर लिया जाता है, यह सभा की सम्पत्ति बन जाती है। अतः ऐसी स्थिति में जब तक इसके लिए सभा की अनुमति नहीं ली जाती तब तक वहां एकपक्षीय रूप से वापस नहीं ले सकते। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वह अब इस मामले को नहीं उठा रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : क्या वह निर्णय एकपक्षीय आधार पर ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने का सभा से अनुपस्थित रहने का उन्हे दोनों ही अधिकार प्राप्त हैं।

प्रो० मधु दंडवते : अब मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं, चुंकि ऐसी घटनायें बार-बार घटेंगी। इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। कोई भी प्रस्ताव जिसकी सूचना दी जाती है और जो प्रचालित कर दी जाती है, सभा की सम्पत्ति तभी बनता हैं जबकि उसे सभा में पेश कर दिया जाता है। परन्तु जहां तक नियम 377 के अन्तर्गत मामले का सम्बन्ध है, जब तक मैं इसे सभा में नहीं पढ़ता, तब तक यह सभा की सम्पत्ति नहीं बनता और इसको वापस लेने के लिए सभा की अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री के० पी लकप्पा (तुमकुर) : मेरा नियम 339 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। उक्त नियम निम्न प्रकार है।

"जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव किया हो वह उसे सभा की अनुमति से वापस ले सकेगा।

अनुमति, प्रश्न पर नही, अपितु अध्यक्ष द्वारा सभा की इच्छा जानकर व्यक्त की जायेगी। अध्यक्ष पूछेगा, "क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाये"....."

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं तथा मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि यह प्रस्ताव नहीं है बल्कि एक वक्तव्य है।

श्री के० लकप्पा : नियम बहुत ही स्पष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक वक्तव्य है।

श्री के० लकप्पा : मैं नियम 399 में दी गई प्रक्रिया को पढ़ रहा हूं जो यहां स्वाभाविक रूप से लागू होती है। प्रक्रिया स्पष्ट है। यह स्वतः वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। टाइप कराकर एक नोट अध्यक्ष को भेजा गया और आपने इसके लिए उनका नाम पुकारा है। जैसे आपने उनका नाम पुकारा, नियम 339 लागू हो जाता है। और उसमें दी गई औपचारिकता पूर्ण की जानी चाहिए, जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 339 में स्पष्ट दिया है कि :—

"सदस्य जिसने प्रस्ताव किया है....." अब नियम 377 के अधीन वक्तव्य दिया जाता है, प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता।

श्री के० लकप्पा : क्या यह प्रस्ताव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव नहीं है।

श्री के० लकप्पा : यह एक प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने लिखकर दिया है। वह प्रस्ताव नहीं है। यह मेरा विनिर्णय है।

श्री के लकप्पा : पेश किए गये प्रस्ताव पर नियम 339 लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पटना के अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु का समाचार

श्री कमल मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान ि लाना चाहता हूं :—

बिहार में पटना के किसी सर्जन ने श्री रामबाबू प्रसाद यादव नामक एक मरीज का आपरेशन किया । उसके पेट में कैंची छोड़कर ही टाँका मार दिया गया । साल भर उसका इलाज चलता रहा और जब उसके पेट का दर्द और भयंकर हो गया, तो वह फिर पटना लाया गया । उसके एक्सरे किए गये तथा एक्सरे में पेट में पड़ी कैंची की तस्वीर आई । बेचारा रोगी मर गया । लेकिन ऐसी असावधानी से आज अनेकों इन्सानों की जान जाती है । सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इस बात की छानबीन की जाये । तथा अपराध के भागी को सजा दी जाए तथा मृत व्यक्ति के लिए मुआवजा दिलाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इरामोहन —अनुपस्थित ।

(दो) बंगलौर में पीनया बागान गांव के चारों ओर सैनिक अधिकारियों द्वारा ऊंची दीवार का निर्माण करने के परिणामस्वरूप ग्रामीणों को होने वाली कठिनाइयों के समाचार

श्री टी०आर०शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत बंगलौर-560015 के पीनया प्लान्टेशन वैस्ट आफ हास्पीटल टाऊन नामक गांव के निवासियों की कठिनाइयों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :—

इस गांव में लगभग 1000 कच्चे-पक्के मकान हैं । यहां के निवासी अधिकांश अनुसूचित जातियों के हैं । वे यहां पिछले 40 वर्षों से रहते चले आ रहे हैं । उनके पूर्वज सैनिक संस्थानों में काम करने वाले अंग्रेज अधिकारियों के यहां नौकरी करने के लिए तमिलनाडु से वहां आए थे । (इस गांव के नजदीक इटली के युद्ध-बन्दियों को रखा गया था) । दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, इन तमिलवासियों ने एक कालोनी बना ली और वहीं स्थायी रूप से रहने लगे । ये लोग आस-पास की फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे हैं । अथवा छोटे-मोटे कुछ अन्य काम कर रहे हैं । सड़क, प्रकाश और जल-निकासी जैसी सभी नागरिक सुविधाओं से वे अभी तक वंचित हैं ।

इन अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के लिए एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है । सेना के प्राधिकारी इस गांव के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा रहे हैं । मुझे यह बताया गया है कि 4-5 फुट का एक सकरा रास्ता छोड़ दिया जाएगा और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं हैं कि यह गांव एक छोटी जेल बन जाएगा । नींव का काम पूरा हो चुका है और

मुझे यह पता चला है कि यह दीवार शीघ्र ही, लगभग 2-3 महीनों में बन कर पूरी तैयार हो जाएगी ।

लोगों की अनेक याचिकाओं (जो सिविल और सेना दोनों के अधिकारियों को भेजी गई) से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है । दिनाँक 9 मार्च, 1980 को दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मैं मौके पर गया था और इस बात से सन्तुष्ट था कि उनकी शिकायत वास्तविक है । यह एक ऐसा मामला है, जिसमें केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ।

मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का विनम्र निवेदन करता हूं । चारदीवारी का निर्माण शीघ्र स्थगित कर दिया जाना चाहिए । मामले की जाँच के बाद उचित राहत दी जा सकती है । मेरा विश्वास है कि सरकार गांव के इन गरीब निवासियों की मदद करेगी ।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अंडाल कैप स्टोरेज बन्द किये जाने का समाचार

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठा रहा हूं ।

चार महीने पहले भारतीय खाद्य निगम ने अंडाल-कैप-स्टोरेज बन्द कर दिया है । इसके परिणामस्वरूप 600 कर्मचारी नौकरी से बाहर फेंक दिए गए, जो सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं । 22 फरवरी को कर्मचारी कलकत्ता में क्षत्रीय कार्यालय तक मार्च करते हुए गए और अंडाल-कैप-स्टोरेज को पुनः प्रारम्भ करने के लिए धरना दिया । यह कैप-स्टोरेज-आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में स्थित है । चूंकि पश्चिम बंगाल को भारी सूखे का सामना करना पड़ रहा है, ये स्टोरेज दुर्गापुर और आसनसोल के औद्योगिक क्षेत्र तथा बांकुरा और पुरुलिया के सूखाग्रस्त जिलों के लिए खाद्यान्न की मांग की पूर्ति करते थे । इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से स्टोरेज बन्द करने के आदेशों को वापिस लेने और 600 कर्मचारियों को भुखमरी से बचाने हेतु उन्हें पुनः नौकरी पर लिए जाने का अनुरोध करता हूं । कृषि मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और सदन में वक्तव्य देने का निवेदन किया जाता है ।

(चार) महाराष्ट्र में कृषि सेवा केन्द्रों के रुग्ण एककों के बारे में

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निमय 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

महाराष्ट्र राज्य में शिक्षित बेरोजगारों के लिए भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित और एम० ए० आई० डी० सी० द्वारा कार्यान्वित कृषि सेवा केन्द्रों संबंधी योजना के

अन्तर्गत अनेक एकक अलाभकारी हो गए हैं और ऐसे उद्यमी, जिन्होंने ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए ऋण लिए थे, दोषी परियोजनाओं, ट्रैक्टर-एककों की अनुपलब्धता, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय बाजार से प्रतियोगिता, दोषी प्रक्रिया आदि के कारण ऋण का पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं।

सम्बन्धित बैंकों ने ऐसे एककों के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिये हैं और उनके गारन्टी-दाताओं को, जो अच्छे उद्देश्य से आगे बढ़े थे, अब हानि उठानी पड़ेगी।

इस मामले में सरकार के शीघ्र ही हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और सरकार को सभी मुकदमे वापस लिवा लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। तथा ब्याज की कुल रकम राज-सहायता के रूप में प्रदान करके, ऐसे एककों आदि को दिये गए ट्रैक्टरों के बारे में ट्रैक्टर-कर में छूट प्रदान करके उन्हें पुनः व्यवस्थित करना चाहिए अथवा एम०ए०आई०डी०सी० को ऐसे अलाभकारी एककों को अपने अधिकार में लेकर इन एककों का पुनर्गठन करना चाहिए।

बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में उद्घोषणाओं के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी संकल्पों का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री जैल सिंह★ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुछेद 356 के अधीन 17 फरबरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

★ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है"।

★ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद

356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

★ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

★ में प्रस्ताव करता हू :

'कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

★ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राजस्थान राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

★ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

★ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपको पहले ही नोटिस दे चुका हूं। मैं अपनी बात कहूंगा और उस पर आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं।

यह एक सुस्थापित प्रणाली है कि राष्ट्रपति शासन, जिसकी स्वीकृति चाही गई है लागू करने की उद्घोषणा से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण पहलू की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जासकता है और इस महत्वपूर्ण पहलू को संकल्प में संशोधनों के प्रस्ताव रखने के द्वारा सदन के ध्यान में लाया जाता है। उदाहरणों के लिए, संक्षेप में मैं एक एक उदाहरण देना चाहूंगा.....।

श्री जैल सिंह : महोदय, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं··· ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने व्यस्था का प्रश्न उठा रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया हुआ है । उन्हें अपनी बात समाप्त कर लेने दी जाए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : वर्ष 1961 में भी, जब उड़ीसा से सम्बन्धित उद्घोषणा पर सदन में विचार हो रहा था, दो-तीन संशोधन रखे गये थे । इसलिए, महोदय, मैंने यह कहने के लिए सदन का ध्यान उद्घोषणा से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करने हेतु एक संशोधन का इन शब्दों का नोटिस दिया था कि हमें खेद है, विशेषरूप से सन्देह और तनाव के वर्तमान वातावरण तथा अनुच्छेद 356 की सीमा से सम्बन्धित कटु विवाद को दृष्टि में रखते हुए, कि अच्छे मानदण्ड स्थापित करने के प्रयास में संसद से कोई पूर्व-मन्त्रणा नहीं की गई, जिससे तमाम सन्देह और तनाव का वातावरण दूर हो जाता और साथ-साथ अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय की भी व्यवस्था हो जाती । अतः हमें खेद है, शब्दों को जोड़ने का नोटिस दिया गया था और यह चाहा था कि इन शब्दों को इस विशेष संकल्प के अन्त में जोड़ दिया जाए । अब, महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ····· ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय के सामने उठा चुके हैं और उन्होंने अपना विनिर्णय दे दिया है । मैं इस पर अपना विनिर्णय देता हूं·····।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए; मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बात पूरी कीजिए । आप यह प्रश्न पहले उठा चुके हैं । हम अपना विनिर्णय दे सकते हैं ।

श्री जी०एम० बनातवाला : अनुच्छेद 356 और उससे सम्बन्धित सभी बातों के बारे में, मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं ; मैं विभिन्न नियमों और इस तथ्य का उल्लेख करते हुए पहले ही आपको लिखित रूप में दे चुका हूं, कि यह नोटिस एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया जा रहा है और इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए । मुझे अब इस विशेष संकल्प के विषय में अपना संशोधन रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को पहले ही लिख चुके हैं और उन्होंने जो विनिर्णय दिया, उसको मैं यहाँ पढ़ कर सुनाता हूं ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं सदन के लिए निर्वाचित हुआ हूं, अध्यक्ष महोदय के कक्ष के लिए नहीं । महोदय, कृपया मुझे बताएं । 'हां' अथवा 'नहीं', जो कुछ भी विनिर्णय हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने कही है । मैं अपना विनिर्णय देता हूं । आपने जो कुछ कहा है, मैंने सुन लिया है ।

सांविधिक आवश्यकता यह है कि सरकार को इसे सदन में अवश्य रखना चाहिए और जब तक यह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता, यह स्वतः ही दो महीने बाद प्रतिसंहृत अथवा समाप्त हो जाएगा । यह एक ढांचा है, जिसके अनुसार सरकार सदन की स्वीकृति प्राप्त करती है । यदि सदन स्वीकृति नहीं प्रदान करता, तो निस्संदेह यह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा । लेकिन किसी ऐसे सांविधिक संकल्प पर कोई प्रतिस्थापी प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते, जो उस विशेष ढांचे के लिए संविधान से किसी प्रकार सम्बन्धित हो । यदि यह इसी स्वरूप में पारित किया जाता है तो इसे विस्तार देने के लिए कोई अन्य ढाँचा पर्याप्त नहीं होगा । अतः किसी अन्य ढांचे का कोई प्रश्न नहीं उठता । या तो सदन इस पर स्वीकृति प्रदान कर दे अथवा यह स्वतः, ही समाप्त हो जाएगा । इसमें कोई सुधार अथवा संशोधन नहीं किया जा सकता ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा कोई प्रतिस्थापी प्रस्ताव नहीं है । यहां एक गलतफहमी है । मेरा तात्पर्य तो एक साधारण किस्म के संशोधन से है, जिसके अनुसार प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएं, अर्थात्, "....लेकिन खेद है ..।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें कोई सुधार अथवा संशोधन नहीं किया जा सकता ।

श्री जैल सिंह ।

श्री जी०एम० बनातवाला : ऐसा यहां हो चुका है । मैंने आपको संदर्भ दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री जैल सिंह ।

श्री जैलसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 11 मार्च, 1980 को इस सदन के मेज पर प्रोक्लमेशन्ज की कापियां रख दी गई थीं और यह जरूरी था कि पार्लियामेन्ट इनको परवान करे, चूंकि 2 महीने की अवधि 16 अप्रैल को खत्म हो जाती है और 16 अप्रैल से पहले इलेक्शन करवाना नामुमकिन है । इलैक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर्स की सूची शोध कराने का समय दिया गया था और उसके बाद उनके प्रकाशन का जो समय था, उसके मुताबिक जरूरी हो गया कि इलैक्शन दो महीने के अन्दर नहीं हो सकते, कुछ समय और लगेगा । सरकार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी लोकप्रिय सरकारें वहां बना दी जाँय । मैं सदन से अपील करता हूं कि इन प्रोक्लेमेशन्ज को मन्जूर करने के लिए वह सर्व-सम्मति से अपना "मिलवर्तन" दे ।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह कार्यवाही जम्हूरियत के महान उसूलों को मद्देनजर रखकर की गई है । जिन प्रान्तों में जनता ने रूलिंग पार्टी को रिजेक्ट कर दिया और भारी बहुमत

से उनके खिलाफ फैसला दिया, वहां की हालत बहुत पतली हो गयी थी, वे लोग वहां की जनता की नुमाइन्दगी नहीं कर रहे थे, इस ख्याल से सरकार ने यह फैसला किया और प्रेजिडेन्ट साहब ने उसके लिए आर्डर जारी कर दिया। आपको और सदन को यह मालूम है कि 1977 में भी ऐसा ही फैसला हुआ था और 9 राज्यों की असेम्बली को भंग कर दिया गया था। उसके मुताल्लिक हमारी सुप्रीम-कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था और अब भी कुछ हाई-कोर्टस् के पास लोग गये थे, उन हाई-कोर्टस ने भी प्रोजिडेन्ट साहब के इस फैसले को परवान किया। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस महान ऊंचे आदर्श को मद्देनजर रखते हुए और लोगों के जजबात को पूरी तरह से समझते हुए जनता को मौका दिया जाय कि वे अपने सही नुमाइन्दगान चुन सके।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है—

मैं आह भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम,
ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

इस किस्म के प्रोक्लेमेशन्ज को डेमोक्रेसी को चाहने वालों को कभी भी पेश नहीं करना चाहिए था, वशर्ते कि यह डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, मुल्क में अच्छा राज कायम करने होता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रोक्लेमेशन्ज इस के लिए शुल्क के मुफाद की खातिर नहीं बल्कि इन्दिरा कांग्रेस के मुफाद की खातिर पेश किये गये हैं। जिन 9 असेम्बलीज को डिजाल्व किया गया है, इसलिए नहीं डिजाल्व किया गया कि वहाँ ला-एण्ड-आर्डर सिचुएशन खराब थी, बल्कि ईसलिए कि वहां पर इन्दिरा गांधी की पार्टी के खिलाफ दूसरी हकूमतें थीं और इसको हुकमरान पार्टी बरदास्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं चाहती थी कि हिन्दुस्तान में उनकी हुकूमत को चलाने के लिए कोई चीज रुकावट पैदा करे। यह डिक्टेटरशिप की मंजिल की तरफ पहला कदम था, वरना नारायणपुर के मामले में प्राइममिनिस्टर वहां पहुंचती हैं, तकरीर करती हैं, लेकिन उसके मुकाबले आन्ध्र प्रदेश में जहाँ जेनब बीबी के साथ 14 सिपाहियों ने जिना किया, उसके शोहर को मार दिया और जब वहां के हिन्दू-मुसलमानों ने आवाज बुलन्द की तो पुलिस ने उनको गोलियों से भून दिया और उसके खिलाफ इनके मुंह से एक लफज तक न निकला। यही नहीं, 1979 के अन्दर हिन्दुस्तान में जो कम्यूनलफिसादात हुए, उनमें आन्ध्र प्रदेश का दूसरा नम्बर है, वहां पर 44 फिसादात हुए, पूरा साल हिन्दू और मुसलमान खौफ की हालत में रहे, लेकिन इनकी जुबान से एक लफज भी कन्डेमनेशन का नहीं निकला, क्योंकि वहां पर हुकूमत इनकी पार्टी के हाथ में थी। क्या हिन्दुस्तान पार्टी के लिहाज से चलाया जायगा, हिन्दुस्तान में रहने वालों के मुफाद को नहीं देखा जायगा ? ये चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में इनकी पार्टी की हुकूमत बनी रहे, दूसरों की आवाज न उठे और अगर उठाई जाय तो उनको कत्ल कर दिया जाय।

आप ला-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन को देखिए—उस वक्त जब कि वहां पर दूसरी पार्टियों की हुकूमत थी, ला-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन ज्यादा बेहतर थी या आज ज्यादा बेहतर है .....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे सम्बोधित कर रहे हैं .....।

श्री रशीद मसूद : मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें नहीं देख सकते।

श्री रशीद मसूद : मैं अपनी आंखें और कान बन्द नहीं कर सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ये आपको और सदन को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री रशीद मसूद : मैं अर्ज कर रहा था कि ला-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन को देखा जाय—उन स्टेट्स के अन्दर ला-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन उस वक्त के मुकाबले ज्यादा बेहतर है या खराब है ?

अगर आप यह महसूस करते हो, अगर आपके अन्दर इखलाकी जुर्रत है, तो इस हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस हुकूमत में ला-एण्ड-आर्डर पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं इस दिल्ली के अन्दर इस सरकार के जमाने में क्या हुआ। इसी दिल्ली में किसी आदमी का सिर कलम करके उसकी लाश भरी सड़कों पर गाड़ी से फेंक दी गई औ मुल्जिम आराम से निकल गये। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसी कांग्रेस सरकार की हुकूमत के अन्दर गोमती एक्सप्रेस को दिल्ली से 30 या 40 किलोमीटर दूर दिन में साढ़े चार बजे लूटा गया। इससे ज्यादा ला एण्ड आर्डर की पोजीशन और क्या खराब होगी कि करौलबाग के इलाके में दिन में साढ़े तीन बजे डकैती पड़ती है। यही हुकूमत है। पहले लोकदल और जनता सरकार के जमाने में दिन में डकैतियां नहीं पड़ीं। इस सरकार के जमाने में साढ़े तीन बजे करौलबाग में एक ही गेंग ने चार डकैतियां डालीं और पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही।

एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकदल की सरकार के जमाने में कभी कमिटेड जूडीशियेरी का नारा नहीं लगा और इस हुकूमत के जमाने में इस तरह की बात होती है यह हुकूमत कहां जा रही है? हुकूमत को खुश करने के लिए जजेज इनको खत लिखते हैं और उन खतों को अखबारों में शाया दिया जाता है। यह मुल्क किधर जाएगा ? क्या यह चीज मुल्क के मफाद के लिए है ? मैं अपने इन दोस्तों से जो आज उधर बैठे हैं, दरखास्त करता हूं कि वे हमसे सबक लें। जब हम तुम्हारी जगहों पर बैठे थे तो अगर यह महसूस करते थे कि किसी मामले में सरकार की दिलाई है, तो हमने खामोशी अख्तियार नहीं की। ...(व्यवधान)... इस तरह की बात कहने से कुछ नहीं होता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनियां के अन्दर आपने यह देखा होगा कि जो अपोजीशन पार्टी होती है, वह रूलिंग पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं स्ट्राइक करवाती है और कहीं दूसरे मामलात उठाती है लेकिन आप यहां देखें कि यह हिन्दुस्तान है जहां की रूलिंग

पार्टी इस बात में फख्र करती है कि इस मुल्क के ही एक हिस्से में रोटी, अनाज, आटा वगैरह न पहुंचे और उसके वहां न पहुंचने के लिए ट्रेनों को रोकती है, ट्रेनों की पटरियों को उखड़वाती है और फिर यह इस बात में खुश होते हैं कि हम इस मुल्क में राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको 20-1-80 का एक वाक्या बता रहा हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को-जरा होम मिनिस्टर साहब इस बात पर ध्यान दें-एक खत भी लिखा है इस सिलसिले में। मैं गंगोह का रहने वाला हूं जो जिला सहारनपुर में आता है। 20 मार्च की शाम को किशनलाल नाम का एक आदमी जा रहा था। तो जो कांग्रेस के एम० एल० ए० थे और मिनिस्टर भी रहे हैं चौधरी यशपालसिंह—वे नकुड़ के हैं—उनके घर पर दो आदमी चढ़ गए और शराब पीकर उस आदमी को गाली देने लगे। जब उसने पुलिस को टेलीफोन किया, तो पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस ने खाली उन दोनों आदमियों को पकड़ने की बजाय उस आदमी को भी पकड़ लिया और उसको थाने ले जा कर मारा पीटा। यह सब उनके कहने से हुआ जो कांग्रेस (आई) के एम० एल० ए० थे। और मिनस्टर भी रहे थे। उनके कहने से उस शरीफ आदमी को पकड़ कर थाने ले गये। पुलिस ने यह जरूर किया कि उसने उन आदमियों को भी पकड़ा। वे दोनों बदमाश 395 के मुल्जिम थे लेकिन उस शरीफ आदमी के साथ 151 में उस मामले को बदला हालांकि दूसरी तरफ न कोई मारपीट हुई थी और न कोई झगड़ा हुआ था। उन दोनों को और उस आदमी को पकड़ कर पुलिस ने एक ही लाकर में बन्द कर दिया। यह मैं हाउस की इज्जत के खिलाफ समझता हूं कि उन्होंने उस आदमी के साथ रात भर क्या हरकतें कीं। मैं उनको बता नहीं सकता। तमाम रात वे गुंडे उस के साथ एक ही लाकर में होने की वजह से बेजा हरकतें करते रहे और जब उसने एतराज किया तो उसको यह जबाव दिया गया और यह कहा कि आप को कोई हक नहीं है कोई बात करने का।

मैं आप के थ्रू होममिनिस्टर साहब को एक और बात बताना चाहता हूं। अगर इन लोगों में कोई शर्म हो, अगर ये सब लोग शर्म महसूस करते हों, तो ऐसी बातों के खिलाफ अपनी आवाज उठायें। रात को दो बजे जब उसकी मां रोती हुई थाने के अन्दर पहुंचती है और यह कहती है कि मेरे बच्चे को, जो क्रिमिनल नहीं है, जो एक गरीब आदमी है, क्रिमनलों के साथ क्यों रखा है, जो 395 के मुल्जिम हैं, और यह कहा कि देखो ये क्या कर रहे हैं, तो पुलिस ने उससे कहा कि तुम चली जाओ। सिपाहियों ने यह कहा कि तुम चली जाओ क्योंकि तुम उम्र में हम से बड़ी हो वरना तुम्हारा रोना-धोना भी हम बन्द कर देते। उसको जब थाने ले गये तो न उस के लिए खाना जाने दिया, न उसको कम्बल दिया और न उसको पानी देने दिया जब उसने यह कहा कि पानी चाहिए तो सिपाहियों ने उन बदमाशों से यह कहा कि इसके मुंह में मूत दो, पेशाब कर दो इसके मुंह में। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बात की इंक्वायरी जरूर करायी जाए कि उसको खाना क्यों नहीं दिया गया, कम्बल क्यों नहीं दिया गया क्या यही आपकी हुकूमत है और यही ला एण्ड आर्डर है, जिसके लिए आपने यह प्रोक्लेमेशन निकाल दिया और ऐसेम्बलियों का डेज़ूलूशन कर दिया। सुबह को जब उसको ले जाने की बात

आती है, तो हथकड़ी डालकर उसको पैदल ले जाया गया और जलूस निकाल कर नकुड़ में उसको ले गये। नकुड़ एक तहसील है और वहाँ पर जो एस० डी० एम० बैठता है, वह उस समय वहां नही था और 151 में जमानत के लिए जब कहा गया, तो यह कहा गया कि सहारनपुर जाना चाहिए क्योंकि एस० डी० एम० उस समय नकुड़ में नहीं था और सहारनपुर में बैठा था। तहसील हैडक्वाटर नकुड़ में है। परवाना नकुड़ तहसील में ही बनेगा, इसलिए कि जुलूस निकाला जा सके। और दिखाया जा सके और खौफ पैदा किया जा सके लोगों में कि कांग्रेस आई के खिलाफ बोलने वाले लोगों का यह असर होगा जो एमर्जेन्सी में था। उसके बाद वे लोग सहारनपुर लाये गये और वहाँ रहे और वहां पर भी उनका जलूस निकाला गया।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रोवलेमेशन इसीलिए लाया गया है कि इस तरह की हुकूमत कायम करें और ला एण्ड आर्डर की प्राव्लम पैदा करें। यही नहीं डिप्टी स्पीकर साहब, वहां एस० ओ० मौजूद नहीं थे, लेकिने जब एस० ओ० वहां आये तो उनमें और सिपाहियों में गाली गलोज इसी बात पर हुई। मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे वाकये की तहकीकात कराई जाए।

मैं इस हाऊस से ईमानदारी के साथ दरख्वास्त करता हूं कि हमें इसको अप्रूवल नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री मोहन लाल सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि इस चर्चा के लिए कितने घण्टे का समय आवंटित किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय। इस चर्चा के लिए नौ घंटे का समय आवंटित किया गया है। यदि आप दल-वार स्थिति जानना चाहते हैं, तो मैं वह भी बता सकता हूं। कुल नौ घंटे का समय आवंटित किया गया है। अब श्री मोहन लाल सुखाड़िया शुरू करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो 9 प्रदेश सरकारें भंग की गयीं और उनका प्रोक्लेमेशन किया गया, उसके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव यहां आया है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब 1977 में लोक सभा के चुनाव हुए थे तो उस मौके पर कोई भी यह मान कर नहीं चल रहा था कि यदि लोक सभा चुनावों में किसी अन्य दल की जीत होगी तो प्रदेश की सरकारें बरखास्त कर दी जाएंगी और वहां चुनाव कराये जाएंगे। किन्तु इसके विपरीत जब 1980 में लोक सभा के चुनाव हुए तो उस समय रूलिंग पार्टी की तरफ से भी और अन्य पार्टियों की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि इस चुनाव के अन्दर कहीं जनता पार्टी हार जाती है तो उसकी सरकार को बरखास्त कर दिया जाएगा। कही लोकदल की सरकार थी तो वहां भी यही प्रचार किया जाता था कि अगर वहाँ लोकदल हार जाता है तो वहां की सरफार को बरखास्त कर दिया जाएगा। जहां तक जनता का प्रश्न है, आमतौर पर यह मानकर

चला जा रहा था कि 1977 में जो उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया गया है वही बात अब भी दोहरायी जाएगी और लोक सभा के चुनावों का असर विधान सभा के चुनावों पर भी पड़ेगा। यहां तक कि प्रदेश के मुख्य मंत्री हों, या पार्टी के अन्य सदस्य हों, वे लगातार यह कहते रहे। हमारे राजस्थान के जो मुख्य मंत्री थे या अन्य मंत्री थे उन्होंने बराबर यह कहा और आमतौर से राज्य के अन्दर जो उपलब्धियां हुई हैं उनको मुख्य मुद्दा बनाकर उन्होंने वहां का चुनाव लड़ा। महोदय, एक मंत्री ने तो यहां तक कहा कि अगर इस चुनाव के अन्दर जनता पार्टी हार जाती है और कांग्रेस आई जीत जाती है तो जागीरदारों के इस शासन काल में जो ठाट बाट रहे हैं या उन्हें जो आराम रहा है वह सब समाप्त हो जाएगा क्योंकि विधान सभा भंग कर दी जाएगी और फिर चुनाव होंगे, फिर जनता पार्टी का जीत कर आना असंभव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन चुनावों में जनता ने जो वोट दिया वह यह जानकर दिया कि प्रदेशों के अन्दर भी इन चुनावों का असर पड़ने वाला है। जबकि 1977 के चुनावों में इसका किसी को मालूम नहीं था कि प्रदेश की विधान सभाएं भी भंग कर दी जाएंगी। इस समय तो आम लोगों को मालूम था कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। यह सब बातें समझते हुए लोगों ने और आम जनता ने अपना वोट दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जनता ने जहांकेन्द्र में एक स्थायी और मजबूत सरकार कायम करने के लिए वोट दिया वहां जनता ने इस बात के लिए भी वोट दिया कि विभिन्न प्रदेशों में जो दूसरी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं उनको समाप्त करके वहाँ पर दुबारा सरकारें कायम की जाएं।

फिर भी चुनाव हो जाने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि अगर प्रदेश की सरकारें केन्द्र से पूरी तरह से सहयोग करें तो वे काम कर सकती हैं, वे प्रदेश सरकारों से किसी प्रकार का कंफ्रन्टेशन नहीं चाहती है। लेकिन इस आह्वान के बाद भी परिणाम क्या हुआ? बजाय सहयोग की भावना से काम किया जाता, सबसे पहले राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पर जब धन्यबाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो पहली बार उस अभिभाषण पर प्रस्ताव का विरोध किया गया और उसको नामंजूर किया गया। इसको कंफ्रन्टेशन न कहकर के और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण की अवधि दस साल बढ़ाने का जो कानून यहां से पास किया गया उसको भी जान-बूझ कर प्रदेशों की कई सरकारों ने पास नहीं किया। कहीं तो विधान सभा के सत्र चल रहे थे तब भी वह कानून वहां पास नहीं किया गया। कई जगह तो उस कानून को पास करने के लिए विधान सभाएं बुलायी ही नहीं गयीं। हालाँकि कानून और विधान के लिहाज से यह आवश्यक नहीं था कि विधान सभाओं से इस कानून की स्वीकृति प्राप्त की जाए फिर भी भारत सरकार ने यह उपयुक्त समझा कि विधान सभाओं से इसकी स्वीकृति प्राप्त की जाए। कई जगह आम तौर से इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव तक भी नहीं लाया गया।

और तो और, मैं समझता हूं कि सभी इस बात को जानते थे कि जहाँ एक ओर यह कहा जाता था कि डेमोक्रेसी और फैड्रल स्ट्रक्चर के लिए हमें एक दूसरे की बात का सम्मान

करके अपनी-अपनी परिधि के अन्दर रहकर काम करना है वहाँ पर जब प्रिवटिव डिटेशन के लिए कानून बनाया गया और वह भी उन लोगों के लिए जो होर्डिंग और ब्लैकमार्कीटिंग कहते हैं तो कई जगह जहां दूसरी पार्टियों कीसरकारें थी, वहां पर उन सरकारों ने खुले तौर से यह कहा कि हम इसको काम में नहीं लाएंगी। जब प्रेजीडेंट्स रूल हुआ उसके बाद जब जोर शोर से तलाशियां ली गई तो आप तो आपतो जानते ही हैं कि कई जगह से शक्कर प्राप्त हुई, कई जगह से तेल के भंडार प्राप्त हुए। कौन नहीं जानता कि इस बीच के वक्त में बहुत सी शक्कर हमारे देश से बाहर भी चली गई और साथ-साथ इधर-उधर गांवों के अन्दर तथा दूसरी जगहों पर उसको रातोंरात भेज दिया गया। उस कानून तक का विरोध किया गया जो आम लोगों के हित में बनाया गया था।

आप देखें कि नारायणापुर के अन्दर क्या हुआ। वहां पर अमानवीय अत्याचार किए गये जिनको लेकर सारा सदन और देश परेशान हुआ था। सभी यह कहते थे कि बहुत जबर्दस्त ज्यादती वहां लोगों पर हुई है। सब लोगों ने उस घटना पर चिन्ता व्यक्त की थी। उस वक्त जब प्रधान मन्त्री उस जगह जाती हैं तो उसको लेकर राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री कहते है कि यह राज्य सरकार के जुरिसडिक्शन में इंटरफीयरेंस है। जहां फैड्रल स्ट्रक्चर तथा दूसरी बातें कही जाती है वहां अगर अत्याचार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रधान मन्त्री जाना चाहें और उसको लेकर एक राज्य सरकार यह समझे कि वहाँ की ज्यादती के बारे में, पुलिस के अत्याचार के बारे में, इण्टरफीयरेंस है और प्रधान मन्त्री तक को वहाँ की राज्य सरकार कहे कि नहीं जाना चाहिए और जाने के बाद जो कुछ भी टिप्पणियाँ की गई वे आपके सामने हैं और आप सब उस सब चीज से वाकिफ हैं, तो इसको कहां तक उचित ठहराया जा सकता है, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं।

प्रधान मन्त्री जी ने एक मौका दिया था और कहा था कि अगर यह सम्भव हो तो चाहे कहां जो भी सरकार हो और राज्यों में चाहे दूसरे दलों की सरकारें हो सम्भव हो तो साथ चला जाए और मिल जुल कर साथ-साथ काम किया जाए लेकिन धीरे-धीरे यह स्पष्ट होता गया कि अलग अलग प्रदेशों में जो सरकारें थीं वे या तो बहुमत खो चुकी थीं या किसी भी प्रकार से यह नहीं चाहती थीं कि मेलजोल के वातावरण में काम हो बल्कि सच बात तो यह है कि न सिर्फ वहाँ की जनता यह अपेक्षा रखती थी कि वहां पर विधान सभाओं को भंग करके नए चुनाव कराए जाएं बल्कि वहां की सरकारें स्वयं जानती थी कि जो भी सरकारे वहाँ पर काम कर रही है वे जिस रोज चुनाव सम्पन्न हुए, उस रोज से सरकारी कामकाज के बजाय जिन लोगों ने वे समझती थीं कि कांग्रेस आई का चुनाव में समर्थन दिया है उनसे बदला लेने की भावना से काम करने लग गई। वहाँ पर इस तरह की स्थिति भी पैदा हो गई कि जो रिलीफ वर्क्स या अनाज के बदले काम वाली योजना चालू की गई थी और जिन लोगों को काम पर लगाया गया था ...खास तौर से अपने राज्य और अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं, जिन लोगों के पास खाने पीने तक को नहीं था, जो अकाल से पीड़ित थे और जहा कुछ काम काज चालू किए गए थे—चुनाव सम्पन्न होने के बाद जब उन्होने देखा

कि इन पौलिंग स्टेशंज के ऊपर इन लोगों ने वोट नही दिया है, तो वहां काम बन्द कर दिए गए और उन लोगों को काम से हटा दिया गया। दो दो और ढाई ढाई महीने की उनकी वेजिज वाकी रह गई। प्रेजीडेट्स रूल कायम होने के वाद सब से ज्यादा शिकायतें यही आने लगी कि काम जो चालू किए गए थे अनाज के बदले काम वाली जो योजना चालू की गई थी, उनके अन्दर उनकी वेजिज कई जगह उनको पूरी नहीं मिली। जहां पर इस प्रकार की स्थिति बन गई हो और जहां पर सरकार ट्रान्सफ चुनाव इसको ध्यान में रख कर रही हो कि आगे चुनाव आने वाले हैं और सिर्फ उनकी तैयारी के अन्दर लग गई हो और जहां सरकारी कर्मचारी यह समझ कर चलते हों कि पता नहीं कल क्या होगा, सरकार का और इस सबसे एक गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई थी और कोई काम आगे न बढ़ रहा था और आम लोगों की शिकायतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, विक्टिमाइजेशन की स्थिति पैदा हो गई थी, उस अवस्था में आम जनता के हित में मैं समझता हूं कि जो कदम उठाया गया है वह अत्यन्त आवश्यक था।

अभी कहा गया कि कांग्रेस आई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी चाहती हैं कि देश के अन्दर डिक्टेटरशिप लाई जाए।

मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश जारी किया गया उसके जरिये कोई डिक्टेटरशिप लाने का प्रस्ताव तो है नहीं। इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवा कर वहां के आम लोग जिस पार्टी की सरकार चाहें उस पार्टी की सरकार चुनने का उनको मौका मिले। आज भी जहां पर बहुमत दूसरी पार्टीज़ को प्राप्त हुआ चाहे वेस्ट बंगाल हो या केरल हो वहां पर कोई भंग करके डिक्टेटरशिप स्थापित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर स्पष्ट तौर से जनता ने अपना मत वहां की सरकार के विरोध में दिया, जैसे राजस्थान जब 1977 के अन्दर चुनाव हुए थे तो उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस उसको 30.56% वोट मिले थे, इस बार जनता पार्टी को 31 प्रतिशत वोट मिले, और 30 या साढ़े 30 प्रतिशत पर वह भंग कर दी गई। तो अब दोनों के बीच में केवल आधे प्रतिशत का अन्तर है फिर कैसे यह कहा जा सकता है कि जनता का मत इनके साथ है, और इनके साथ ज्यादती की जा रही है। तो जनता का मत वह सरकार खो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, बार बार यह दुहाई दी जाती है कि लोकमत का आदर करना चाहिए। मैं और जगहों का उदाहरण न देकर केवल राजस्थान की बात ही करता हूं। राजस्थान के अन्दर जब से जनता पार्टी का राज्य आया तब से वहाँ न पंचायत समिति चुनी हुई है, न एक म्युनिसिपैलिटी चुनी हुई है, न जिला परिषद चुनी हुई है और कोआपरेटिव्ज सारी की सारी भंग कर दी गई। प्राइमरी कोआपरेटिव्ज के जब चुनाव होने लगे और जब यह अन्दाज होने लगा कि कांग्रेस ज्यादा तादाद के अन्दर जीत कर आ रही है तो आधे में चुनाव रोक दिये गये और कहा गया कि और चुनावों को रोक दिया जाय। तो जहां कोई भी स्थानीय इकाई या संस्था चुनी हुई न हो वह जनता पार्टी कहे कि हम तो लोकमत, डेमोक्रेसी के सिद्धान्त पर चल

रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस जगह पर डेमोक्रेसी थी ?

आज जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। मैं नामों की चर्चा नहीं करना चाहता। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्रिमिटेड जुडिशियरी की बात कांग्रेस (आई) करके चल रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे विधि मंत्री इस बात को देखें कि जनता पार्टी के राज्य के अन्दर क्रिमटेड वाली बात पूरी तौर से लागू की गई या कांग्रेस के राज्य के अन्दर लागू की गई।

कहा जाता है कि प्रेस की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। मैं अपने सूचना और प्रसारण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के राज्य के अन्दर जो दूसरे अखबार वाले थे और जनता पार्टी के समर्थन वाले थे उन दोनों के बीच क्या स्थिति रही है, आज उसका कोई पता लगाये तो मालूम होगा कि किस तरह से पार्टी लाइन्स पर उन चीजों को पूरा किया गया।

बीच का वक्त जो 1977 और दिसम्बर 1979 के बीच में आया हमने देखा कि इस देश में एक तरफ समप्रदायवाद और दूसरी तरफ जातिवाद का विष हमारे सारे समाज के अन्दर ज्यादा से ज्यादा घोला गया। और परिणाम यह हुआ कि कई जगह सामप्रदायिक दंगे हुए, कई जगह जाति के नाम पर झगड़े हुए। और अभी यहां पर कहा गया कि हैदराबाद के अन्दर क्या हुआ ? और दूसरी जगह क्या हुआ ? मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेस के शासन में पहले और अब भी ऐसी कभी स्थिति नहीं बनी होगी जो अलीगढ़ के अन्दर बनी। कई हफ्तों तक लगातार कर्फ्यू के अन्दर लोग रहे और पूरी तौर से वहां की स्थिति जनता पार्टी सामान्य नहीं कर पायी। किसी से छिपा हुआ नहीं हैं कि वहाँ किस प्रकार की स्थिति बनी। दूसरी जगह कहीं कोई घटना हुई तो उसके बाद तुरन्त कार्यवाही करने वाली बात हुई। आज हम सब के सामने है कि किस प्रकार से पहले इन हालात के अन्दर यह सारी चीजें चलती थीं।

यहां इस बात के लिए बहुत जोर से कहा गया, जब राजस्थान का उदाहरण प्रस्तुत किया गया, कि काम के बदले अनाज योजना के अन्दर बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में राजस्थान भर के अन्दर मैं घूमा हूं और कोई भी इंडिपेंडेंट एजेन्सी इस बात को देख सकती है कि कितने प्रतिशत प्रोडक्टिव काम हुआ है और कितनी जगह सिर्फ मिट्टी डाल दी गई जो बारिश के अन्दर बह गई। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पर मिट्टी डाल दी गई, और बरसात में सारा का सारा गेहूं बह कर चला गया।

इसी के साथ-साथ अन्त्योदय की योजना के बारे में कहा गया। मुझे क्षमा करें, यह अन्त्योदय योजना क्या है ? यह योजना केवल एक बात थी। जो 20-सूत्री कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत गरीब को रोजगार दिलवाने के लिये कर्ज दिया जाता है या उसको उसको बसने के लिए जमीन दी जाती है। जहां तक जमीन का सवाल है, अच्छी जमीन पैदावार के लायक, कल्टीवेबल लैंड, वह तो पहले ही वितरित की जाचुकी थी 20-सूत्री कार्यक्रम के जरिये और दूसरे कार्य-

क्रमों के जरिये, लेकिन कुछ पहाड़ी जगह या कुछ और जगह देकर एक नाम किया गया कि हमने जमीन दी है। कुछ गाय-भैंसों के लिए कर्ज देने की बात की गई और दूसरी कुछ चीजों के लिए दी गई है। यह तो 20-सूत्री कार्यक्रम का एक हिस्सा मात्र है जो कि अन्त्योदय के नाम पर किया गया, इसको एक नाम अलग दिया गया। एक अन्तर जरूर किया गया कि 20-सूत्री कार्यक्रम में राजनीतिक दृष्टि से गांव में व्यक्ति नहीं चुना जाता था, लेकिन अन्त्योदय के नाम पर, सबसे गरीब के नाम पर 5 लोगों का चुनने का एक तरीका निकाला गया, क्योंकि 20-सूत्री कार्यक्रम में जनता पार्टी का प्रवेश गाँव में नहीं हो सकता था। उन्होंने सोचा कि इस अन्त्योदय के नाम पर 5 को ओब्लाइज करो, तो वक्त पर काम देगें। इसलिए 5 गरीब ढूंढने वाली बात हुई, लेकिन उन 5 गरीबों में कितने रोजगार पर लगकर अपना पेट पाल रहे हैं, इसका पता लगाया जाये कि क्या स्थिति है और क्या नहीं है। मैं साफ तौर से यह कहता हूं कि तभी पता लगेगा कि इससे कितना लाभ हुआ। जब इसका मूल्यांकन किया जाए।

आज हम यह देखते हैं कि अडल्ट एजूकेशन की योजना चालू की गई। यह योजना अच्छी है, इसमें किसी विरोध वाली बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि अडल्ट एजूकेशन के नाम पर दल विशेष के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा उसमें भर्ती कर के गांव में प्रचार के लिए भेजने का काम-काज किया गया ? मैं इसका एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान में 1938 में, आजादी से पहले, अडल्ट एजूकेशन का काम शुरू किया गया था। इसके लिए उस समय राजस्थान विद्यापीठ नाम की संस्था राष्ट्रीय विचारों से शुरू की गई। 1938 से इस संस्था ने यह काम किया। जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि यह संस्था आर०एस०एस० से प्रभावित नहीं है, इसलिये इसको एक भी केन्द्र अडल्ट एजूकेशन का न देकर इनकी फाइल को रोक दिया गया कि इनको अडल्ट एजूकेशन का काम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर वहां जाकर यह काम करेंगे तो उनको काम करने का मौका नहीं मिल सकेगा।

मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो अभी फैसला किया गया है, जिसके जरिए यह तय किया गया है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायें, मैं समझता हूं कि चुनाव जल्दी से जल्दी करवाये जायेंगे।

कुछ चीजों की दिक्कतों के बारे में यहां रोज सवाल उठाये जाते हैं, लेकिन यह सब को अच्छी तरह से मालूम है कि लीगेसी पिछली सरकार की थी, चाहे डीजल की कमी की बात हो या कोई और बात हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो असम में आन्दोलन शुरू हुआ, अगर इसकी शुरूवात पर ही वक्त पर टैकल कर लिया जाता तो असम का सिलसिला इतना पेचीदा न होता, लेकिन उस वक्त इस पर ध्यान न देकर, आज स्थिति को पेचीदा बना दिया गया और इस मौके पर कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं जो कि सब के सामने है।

लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कई जगह पर जातीयता के नाम पर और कई जगह दूसरे

प्रकार के झगड़े खड़े किये गये, जब एक चीज बिखर जाती है तो उसको जोड़ने में समय लगता है। भारत सरकार के सब प्रयत्नों के बावजून वक्त तो लगेगा।

मैं इस बात को जानता हूं कि चुनाव होंगे, चुनाव में सब को मौका मिलेगा, लेकिन आज जनता पार्टी, लोकदल और दूसरी पार्टी वालों के दिल में चिन्ता है कि जो विधान-सभाओं के चुनाव होंगे, उसमें कभी भी वह जीतकर ज्यादा नहीं आने वाले हैं और कांग्रेस (आई) की ही सरकारें बनेंगी। इसलिए खासतौर से इस प्रोक्लिमेशन के बारे में उन्हें ज्यादा परेशानियां मालूम होती हैं। लेकिन यह कोई नई बात इस सरकार ने नहीं की हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसका रास्ता किसी ने प्रस्तुत किया है तो जनता पार्टी ने किया है और इस सारी चीज के लिए अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो उन्हें देना चाहिए। वह यह समझ कर चलते थे कि हम एक बार पावर में आ गए। तो 10 वर्ष तक पावर जाने वाली नहीं है, इसलिए नई परम्पराएं ही कायम कर दें तो कोई चिन्ता की बात नहीं। लेकिन आपस में लड़कर वह सरकार खत्म हो गई और यह दूसरा मौका आया तो उनको लोकतन्त्र या फैडरल स्ट्रक्चर याद आने लगा। उस वक्त उन्होंने सोचा था कि हम अपने तर्राके से ऐसे ही काम करते हुए चलेंगे।

मैं ज्यादा न कहकर, जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, इनका समर्थन करता हूं।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा रखे गये संकल्प का समर्थन करता हूं। इससे पहले कि मैं इस विषय में कुछ कहूं, मैं संविधान का अनुच्छेद 356 पढ़ना चाहूंगा, जो इस प्रकार है : "यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उदघोषणा द्वारा—(क) उस राज्य के सब या कोई कृत्य, तथा यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख में, अथवा राज्य के किसी निकाय या अधिकारी में, निहित, या तत्व-द्वारा प्रयुक्त सब या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा; (ख) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।" इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 355 भी महत्वपूर्ण है, जिसमें यह उल्लिखित है : "वाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करता, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

हाल के लोकसभा चुनावों के बाद, इन राज्यों में जो पार्टियां शासन कर रही थीं, उनका पूर्णतः सफाया हो गया। जब इस प्रकार की कोई बात होती है तो निस्सन्देह एक प्रकार का वातावरण तैयार होता है; प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर एक अनिश्चितता, सन्देह और अशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। यह शंका भी पैदा होती है कि क्या राज्यों में शासक दल मेरा तात्पर्य राज्य सरकारों और विधान सभाओं से है, को मतदाताओं का विश्वास भी प्राप्त है अथवा नहीं।

संविधान—पंडितों का मत है कि यदि राज्य सरकार अथवा राज्य विधान सभा का शासक दल मतदाताओं का विश्वास खो देता है, तो सरकार बिल्कुल अलोकतान्त्रिक बन जाती है। हमारे संविधान का मूल ढाँचा प्रजातन्त्र है; प्रजातन्त्र का अर्थ है कि सरकार को जनता के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। जब जनता का सरकार में विश्वास समाप्त हो जाता है, तो राज्य सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि वह शासन की बागडोर अपने हाथ में रखे। जब अनिश्चितता, सन्देह और अशिष्टता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है तो कानून और व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : हरियाणा के बारे में क्या हुआ ?

श्री गुलशेर अहमद : जब हरियाणा का कोई माननीय सदस्य बोलेगा, वही आपको उचित उत्तर देगा। मैं मध्य-प्रदेश से सम्बन्धित हूं। मैं आपको उत्तर बाद में दूंगा। आप इस समय इस भूल में हैं कि मैं हरियाणा से बोल रहा हूं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह मेरा पहला भाषण है और आपको परम्परा का पालन करना चाहिए।

मैं कह रहा था कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अनिश्चितता और सन्देह का वातावरण बन जाए, जो कानून और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करे, तो यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारों अथवा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को जनता के सम्मुख जाना चाहिए और उनसे नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि परिणाम दर्शाते हैं—मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूं—कि 40 सीटों में से कांग्रेस (आई) ने 35 सीटें जीती हैं और लगभग 48 प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं; शासक दल को केवल 31 प्रतिशत मत मिले।

सत्तारूढ़ पार्टी को केवल 31 प्रतिशत मत मिले जिसका अर्थ यह हुआ कि 69 प्रतिशत त सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध थे। यह न्याय है।

इसके अतिरिक्त चुनाव होने से यह संसद बनने के पश्चात क्या हुआ ? संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया तथा उसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। भारत सरकार के गृहमंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को यह संदेश भेजा कि एक विशेष समय सीमा के अन्दर इसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिये। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है अनुसमर्थन वैधानिक अनिवार्यता नहीं है किन्तु चूंकि यह परिपाटी बन गई है कि संविधान संशोधन का राज्य विधान सभाओं द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिये इस उद्देश्य से यह संदेश दिया गया था कि राज्य विधान सभाओं द्वारा एक विशेष सीमा के अन्दर इसका अनुसमर्थन किया जाए। जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के सचिव ने इसे—संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही तथा संकल्प—उस सभा के पटल पर अनुसमर्थन के लिये रखा, सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाये। इससे सत्तारूढ़ दल की इस मंशा का स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसका अनुसमर्थन नहीं करना चाहती वरन

यह विलम्बकारी रवैया अपनाना चाहती है जिससे कि यह कानून न बन सके। उसके अनुसमर्थन के पश्चात इसे हस्ताक्षर के लिये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है तथा इसके पश्चात ही वह कानून का रूप ले सकता है। यही बात महाराष्ट्र में हुई। जैसे ही 45वां संशोधन सदन के समक्ष आया तभी सभा में शोर मच गया तथा सदन को अचानक स्थगित कर देना पड़ा। इस प्रकार उस प्रत्येक अच्छी बात के प्रति राज्यों ने अत्यन्त असहयोग की भावना व्यक्त की जो भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही थी। मुनाफाखोरों और जमाखोरों के विरुद्ध निवारक नजरबन्दी अधिनियम जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था उसी का उदाहरण लो। कुछ मुख्य मंत्रियों ने दृढ़ता से और खुलेआम यह कहा कि वे उस अधिनियम को अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति यह कह रहा था कि यदि वे सत्ता में आये तो मूल्य वृद्धि को रोका जायेगा अथवा मूल्यों को कम किया जायेगा। सरकार बनते ही संसद द्वारा यह एक उपाय किया गया जिससे लोगों को डीजल, मिट्टी का तेल, तेल, चीनी आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने और उन्हें चोरबाजारी से बेचने से रोका जा सके। किन्तु कुछ मुख्य मंत्रियों ने खुलेआम यह कहा—हम उसे लागू नहीं करेंगे, इसके अलावा जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है, राज्य में कुछ ऐसी बातें हुई जो इस देश में 35-36 सालों में कभी नहीं हुई थीं। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन कर दिया गया। यह इन पार्टियों की असहयोग की भावना को उजागर करती है जो विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ थीं। इन बातों के प्रकाश में आने पर उन राज्यों की विधान सभाओं को भंग करना अनिवार्य हो गया। जैसाकि मैंने पहले कहा हैं उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। सरकार अप्रजातान्त्रिक हो जाती है। प्रजातंत्र हमारे संविधान का मूल ढ़ाँचा है। मेरे विचार से राष्ट्रपति अथवा केन्द्रीय सरकार जिसने राष्ट्रपति को यह उदघोषणा जारी करने का प्राधिकार दिया हैं इस प्रकार की उदघोषणा करके बिल्कुल न्याय संगत कार्य किया है।

मैं अपने मित्र की इस बात का दोहराना नहीं चाहता कि दूसरी ओर बैठे हुये इन महानुभावों ने यह कदम उठाया था। आज वे यह नहीं कह सकते कि हमने कोई गैर कानूनी अथवा असंवैधानिक या अनैतिक कार्य किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश की सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था को को इस देश की तानाशाही शक्तियों के नितांत अवैधानिक, अप्रजातांत्रिक और असंवैधानिक तथा जन विरोधी आदेश को मंगलमय सिद्ध करने के लिये इस महान सदन की स्वीकृत मांग कर दूषित किया जा रहा है। समस्या यह है कि कानून के अनुसार शासन वर्तमान सत्तारूढ़ दल के लिये एक अभिशाप है तथा यह सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ करती है जैसा कि हमने पिछले दिनों अनुभव किया है। इसे अत्यन्त भौंडे किस्म की संवैधानिक विकृतियों में उन्नति मिलती है जैसा कि हमने आपात-स्थिति के दौरान देखा है तथा जैसा हमने हाल में देखा है कि नौ विधान सभाओं को किस प्रकार भंग किया गया है। उस देश में अब फिर वही कठोर कुशासन होगा। प्रजातन्त्र के नियमों और सिद्धान्तों को पालन करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा। इस

सरकार के हाल ही के निर्णय से संवैधानिक प्राधिकार का प्रत्येक पहलू दुर्बल हो गया है तथा आजकल आपात स्थिति के भयंकर रूप को देख रहे हैं । सत्तारूढ़ दल को यह याद रखना चाहिये कि उसे उस देश में कुपित अल्पसंख्याओं की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण सत्ता प्राप्त हुई है जो जनता और लोकदल के विरुद्ध था । गत लोकसभा के चुनावों के दौरान जनता के समक्ष कोई समस्या नहीं थी, उस समय यह प्रश्न नहीं था कि क्या जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में ही हो राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकारें होनी चाहिये । इस प्रश्न पर अपना मत देने के लिये जनता से नहीं कहा गया था । तथापि उस तथाकथित जनादेश के नाम पर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारे संविधान के एक मूलभूत स्वरूप पर कुठाराघात किया जाये अर्थात संविधान के संघात्मक स्वरूप पर कुठाराघात किया जाये । हमने यह विगत लोकसभा के चुनावों के दौरान देख लिया है तथा उसके पश्चात भी जब उप-चुनाव हुये थे जहाँ वामपंथी शक्तियों संगठित थी जहां नामपंथी तथा प्रजातांत्रिक शक्तियां संबठित थी और जहां लोकप्रिय राज्य सरकार है वहाँ सत्तारूढ़ दल एक कदम भी अन्दर नहीं रख पाई । पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में लोकसभा के गत चुनावों के पश्चात भी वहां की जनता द्वारा इसको कतई अस्वीकार कर दिया गया । इस प्रकार हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में हमारे देश की जागरूक जनता ने तानाशाही शक्ति को अस्वीकार करके तथा प्रजातन्त्र में अपना विश्वास व्यक्त करके अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय दिया है । इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि संघात्मक स्वरूप हमारे संविधान का एक मौलिक स्वरूप है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने भी कही है । अब वे उच्चतम न्यायालम की दुहाई दे रहे हैं । उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था ।

श्री गुलशेर अहमद : उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि हमारा संविधान एकात्मक अधिक और संघात्मक कम है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब वह बोल रहे थे मैंने बीच में उन्हें टोका नहीं था । फिर भी मैं उनकी बात का उत्तर दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : यह उनका पहला भाषण था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे संविधान का संघात्मक स्वरूप कितना भी हो वह उसका मौलिक स्वरूप अवश्य है । बीच में बोलने से पहले कृपया समझने का प्रयत्न करिये । (व्यवधान) इसलिये हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान करके बड़ी बुद्धिमत्ता की कि हमारे जैसे विशाल देश में जो कि एक महाद्वीप के बराबर है जिसकी 65 करोड़ की आबादी है संघीय सरकार प्रणाली लागू की जानी चाहिये जिसकी शक्तियां पूरी तरह से निश्चित की गई हों । उसमें सातवीं अनुसूची है । संघीय प्रणाली में, चाहे यह किसी भी प्रकार की हो इस बात की सम्भावना अनिवार्यतः निहित है कि केन्द्र में एक पार्टी का शासन हो और राज्यों में पृथक राजनीतिक दलों का शासन हो । 1967 में ऐसा हुआ । लोगों ने जानबूझकर सात राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मत नहीं दिया किन्तु 1967 में केन्द्र में कांग्रेस सत्ता में आई । एक ही राज्य में लोगों ने

भिन्न राजनीतिक दलों को मत दिया—विधान सभा के चुनावों में एक राजनीतिक पार्टी को और लोकसभा चुनावों में अन्य राजनीतिक पार्टी को यह निम्नतम आवश्यकता है संघीय स्वरूप के लिये निम्नतम आधार।

श्री गुलशेर अहमद : 1977 में एक परिपाटी डाली गई थी तथा हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप केवल उन्हीं परिपाटियों का अनुसरण कर रहे हैं। हर बार जनता पार्टी के शासन को मोहरे के रूप में उद्धृत मत करिए। हम जनता शासन की बात सुन सुन कर परेशान हो गये है। यदि आप यह कहते हैं कि हम जनता लोकदल शासन को स्थिर कर रहे हैं तब हम यह समझ सकते हैं कि यह सरकार और कुछ नहीं है वरना जनता लोकदल शासन का ही अगला रूप है इस देश की जनता इस बात को जान जायेगी। जनता शासन का बहाना मत बनाइये। यदि मुझे समय दिया गया तो मैं इस बारे में कहुंगा। हमें हमेशा इन बातों का उल्लेक नहीं करते रहना चाहिए जिनका किसी मामले से कोई सम्बन्ध ही न हो। मैं इस सदन को पद बताने का प्रयास कर रहा था संघीय कंवैधानिक कवाला का निम्नतम आधार यह है कि केन्द्र में तथा मिल राज्यों में मिल राजनीतिक दलों की सरकारें हो सकती हैं। आज भी ग्रहमंत्री ने जो तर्क दिया है, जो समावत: अकर्णशायता और कुप्रशासन में ही दक्ष प्रतीत होते है, वह पद है 1980 के लोक सभा चुनावों के परिणाम ने विधान सभाएं भंग करना आयोजित सिद्ध कर दिया है। मैंने उनका भाषण बड़े धैर्य से सुना क्योंकि मैं यह जानाना चाहता था कि उस बारे में कारण क्या बताया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं बताया गया : सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों द्वारा और बहुत सी बातें कहीं जा रही हैं क्योंकि पद महसूस किया गया है कि जो कारण बताया गया है वह पर्याप्त अथवा तर्कसार नहीं है। आज वे यह सिद्धान्त बना रहे है कि जब भी केन्द्र में सरकार बदले चाहे वह अल्पमत से ही क्यों न हो उन राज्यों में जहां सत्तारूढ़ दल को अत्यंत अल्पमत प्राप्त हैं तब भी उन राज्यां में सरकारों को भंग कर दिया जाना चाहिए यदि उसका कार्य कैसा भी चल रहा हो, चाहे वहां की जनता की राजनीतिक इच्छा कोई भी हो और चाहे वहां की जनता का मत कुछ भी हो और चाहें केवल दो वर्ष वाद ही वहाँ चुनाव होने वाले हों। इस देश में यह समस्या है कि केन्द्र के हाथों में शक्ति एकत्र करने का प्रयास कर रही है तथा उससे राज्यों को हानि होती है तथा उसके लिए स्वाभाविक तौर पर वह संबिधान विरोधी, जन विरोधी और अप्रजातांत्रिक तरीके अपनाती है। महोदय हम 1975-1977 के इतिहास को नहीं भूल सकते। हम कांग्रेस शासन के 30 वर्षों को नहीं भूल सकते। हम यह नहीं भूल सकते कि श्रीमती इन्दिरा गांधी 1966 और उसके बाद से लगातार 11 वर्षों तक प्रधान मन्त्री रही थी। आज आपको जो आश्चर्य बहुमत मिला है उससे आप इतिहास को नहीं वदल सकते। हमने यह देखा है कि इस देश के एकात्मक सरकार बनाने का प्रयास किये गये है जिससे कि किसी भी राज्य में उस पार्टी का शासन न हो सके जिस पर केन्द्र में सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस (ई) का नियंत्रण न हो। जो तर्क दिया जा रहा है तथा जिस

पर इस देश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है यह है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के तथा कथित प्रगतिवादी उपायों की क्रियान्वित में अवश्य ही बाधा उपस्थिति करेंगी इस लिए राज्यों में सरकारों को विरोधी सरकारें मान लिया गया है इस लिये उनका भंग किया जाना अनिवार्य है। अतः यह सम्पूर्ण प्रयत्न और कुछ नहीं है वरन एक एकधिकार प्राप्त सरकार बनाना है वह भी कांग्रेस (इ) की सरकार जो न केवल केन्द्र में शासन करे वरन देश के सभी भागों में शासन करे तथा इस बात की कोई चिन्ता की जायें कि जनता का विचार क्या है तथा संविधान के उपबध क्या हैं।

मेरे एक मित्र ने अपनी प्रथम मन्त्रिणा में संविधान के अनुच्छेद 356 से आरम्भ की। पद अनुच्छेद कहता क्या है, पद कहता है :—

"यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर अथवा अन्यथा इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती आप केवल "अन्याय" पर बल दे रहे हैं किसी अन्य बातोंपर नहीं ज्ञात है कि इन मामलों में राज्यपालों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तब अन्यथा क्या है ? किसी व्यक्ति ने यह जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है ? यही कि राज्य की सरकार संनिधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चल सकती। आपके ज्ञानी गृहमन्त्री ने प्रबुद्ध गृहमन्त्री ने अपने भाषण में क्या कहा है ? इन्होंने यह कहा कि राज्यों की सरकारें भारत के सविधान के उपबन्धों के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने उस सभा के समक्ष क्या स्थिति बताई ? यदि आप सभा में उदघोषणा को पारित कराने के लिए केवल एक खाना पूरी करने के लिए आते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बहुमत है यद्यपि अल्प मत से, तब आप सभा से यह अपेक्षा कर सकते हैं और आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि आपके मन में प्रजातान्त्रिक मान्यताओं के प्रति आदर है, और आप चाहते हैं कि इस देश में संसदीय प्रजातंत्र जीवित रहे तब आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप इस सदन को विश्वास में ले लो इस देश की जनता की राजनीतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है तथा आप सदन को यह बताते तथा सदन के माध्यम से इस देश की जनता को यह बताते कि राज्यों की सरकारें भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुरूप किस प्रकार कार्य नहीं कर रहीं थी। केवल इसके विरुद्ध आदेश का ही उल्लेख किया गया।

उच्चतम न्यायालय के एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश—सत्तारूढ़ दल के लिए लोकप्रिय जिसका पत्र प्रकाशित हुआ है तथा जिसके बहुत अधिक प्रचार किया गया है उसने इस देश में तानाशाही शक्तियों के आगमन का स्वागत किया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में न्यायपालिका किस प्रकार व्यवहार करती है मैं उन्ही माननीय न्यायाधीश के निर्णय से उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय में से मेरे मित्र ने जिसका हवाला दिया है दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

"लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दल की पराजय मात्र से, किन्हीं अन्य बातों के अतिरिक्त यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राज्य की सरकार भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती।"

अत: लोकसभा चुनावों में पराजय मात्र से यह अर्थ नहीं निकलता कि संविधान के अनुसार राज्य की सरकार नहीं चलाई जा सकती, यह न्यायमूर्ति भगवती के निर्णय के अनुसार है। उन्होने अपने मिर्णय में इस बात को स्पष्ट करने का कष्ट किया। अधिकांश राज्यों में, विहार के हिमालय प्रदेश तक कांग्रेस को पराजय मिली थी तथा इसे बहां एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इसी बात पर बल दिया था जिसे संविधान का उलंघन करने के लिए प्रमाण के रूप में बार-बार उद्धृत किया जा रहा है। किन्तु माननीय न्यायाधीश ने यह इसलिए कहा था क्योकि कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर हार गई थी तथा जनता पार्टी को न केवल सीटों की दृष्टि से ही बहुमत प्राप्त हुआ था वरन अत्यधिक मतों से विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए यह निर्णय दिया गया था केवल लोकसभा चुनावों में हार को यह दावा करने का आधार बनाया जा सकता कि राज्य की सरकार को भारतीय संविधाने के उपबन्ध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।

सत्तारूढ़ दल को उत्तर प्रदेश, विहार और मध्यप्रदेश में कितने प्रतिशत मत मिले। हर प्रकार से हिसाव लगाने के बाबजूद वे इसे बहुमत नहीं बना सके। उनके अनुसार कांग्रेस (आई) के पक्ष में जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। चाहे उसकी प्रतिशतता कुछ भी हो। यदि उन्हें उड़ीसा में 35 प्रतिशत मत मिले हैं तो 65 प्रतिशत मत उसके विरुद्ध गए हैं यद्यपि वे स्थायी सरकार का नारा लगाते हैं। इस सरकार के गृहमन्त्री उत्तर प्रदेश सरकार को भंग किये जाने, बिहार सरकार को भंग किये जाने और मध्यप्रदेश सरकार को भंग किये जाने को किस आधार पर न्यायोचित सिद्ध करते हैं सिवाय इसके कि हो सकता है उन्हें बहुमत मिल जाता यद्यपि यह कोई आधार नहीं है किन्तु यदि लोकसभा चुनावों में समझने लोकसभा चुनावों में में मत, लोकसभा चुनावों के परिणाम को ही कसौटी बनाया जाता है जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है वो उन्हें उस बात को न्यायोचित सिद्ध करना चाहिए तथा जनता को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए कि मतों की प्रतिशतआ इस प्रकार है जिसके आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जनता हैंज्य सरकारों के विरुद्ध थी।

कांग्रेस (?) के मेरे एक मित्र अप्रजातांत्रिक सरकार की बात कर रहे थे। उन्हीं का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति आज आसाम के विरुद्ध पश्चिम बंगाल में आन्दोलन चला रहे हैं जिसका उद्देश्य यह है कि देश के हितों के प्रतिकूल कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की जावे जो देश की एकता के विरुद्ध है। इस देश की जनता की एकता के विरुद्ध है। प्रधानमन्त्री खुलेआम कह रही हैं कि वह उसके विरुद्ध है, उनकी सरकार उसके विरुद्ध है, उनकी पार्टी उसके विरुद्ध है किन्तु उनके रक्षित उनके समर्थक वहां पद तथाकथित आन्दोलन चला रहे हैं। क्या आज

इस बात में कोई संदेह है कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है, वे किस के पक्ष में हैं, क्या वे कांग्रेस(?) पकेक्ष में हैं अथवा वे वामपंथी शक्तियों के पक्ष में हैं, हाल में 24 फरवरी को सरभोर में हुए उप चुनावने इसको स्पष्ट कर दिया है, केरल के चुनावके परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया है। अपनी चालवाजियों के लिए वे क्या औचित्य प्रस्तुत कर सकते हैं सिर्फ यही कि पश्चिम बंगाल सरकार को भंग करने के उद्देश्य से वे वहाँ कानून और व्यवस्था खराब करने का सफल प्रयत्न करेंने। अतः उन्हें यह कह देना चाहिए कि हम कोई विरोध सहन नहीं कर सकते, वे इस बात को साफ साफ कहें, वे यह कहें कि सारे देश में वे अपने प्रकार का शासन चाहते हैं यह चाहे किसी प्रकार का हो वह चाहे संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं इसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं कि वह संविधान की आत्मा के अनुरूप है अथवा नहीं। वे यह कहें कि वे केवल एक पार्टी का शासन स्थापित करना चाहते हैं तथा वह भी तानाशाही शासन जो सबसे निम्नकोटि का शासन है।

चाहे जो कुछ हुआ हो इस देश की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। कुछ लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते। वर्तमान सत्तारूढ़ दल के नेताओं को इतिहास के कूढ़ेदान में फेंक दिया गया था। आज वे पुनः सत्ता में आ गये हैं, जैसा कि मैंने कहा है क्योंकि अल्पसंख्यक जनता ने कुपित होकर तथा प्रतिक्रिया के रूप में मतदान किया है। लेकिन उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे यहां अपने गुणों के कारण आ गये हैं। जनता उनकी परीक्षा लेगी। यदि आरम्भ में ही यह तानाशाही प्रवृत्तियां समाप्त नहीं होती तो वह बड़ती जायेगी तथा फिर किसी को भी क्षमा नहीं किया जायेगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा था आपात स्थिति के दौरान तथा आपात स्थिति के पूर्व अन्य सदन में, जबकि 'मीसा' विधेयक पास किया गया था, मैंने बहुत से मित्रों को यह बताया था कि आज इस पर गर्व करिये। किसी दिन आपमें से बहुत उस मीसा के शिकार हो सकते हैं तथा उनमें से बहुत से उसका शिकार हुए।

महोदय, यदि वे एक जैसा मानदण्ड अपनायें, यदि उनका प्रजातांत्रित सिद्धान्तों में अथवा संवैधानिक नियमों में विश्वास हो तो वे हरियाणा सरकार को बने रहने की अनुमति किस प्रकार दे सकते हैं ? क्या वहां की जनता ने श्री भजनलाल और उसके चापलूसों के पक्ष में मत दिया था क्या उसने उसके पक्ष में मत दिया था; क्या उन्होंने कांग्रेस को मत दिया था ? क्या जनता ने भजनलाल, "ए ला कांग्रेस मौडल" को मत दिया था ? क्या आज आप इस प्रकार संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या हैं ? महोदय, यह सरकार न केवल तानाशाही में विश्वास करती है वरन अपना प्रभुत्व जमाये रखने के लिए कोई भी तरीका अपनाये जा रही है। इसीलिए बड़े पैमाने पर दल बदल की अनुमति दी जा रही है, दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है, दल बदलुओं की सरकारें ही बनाई जा रही हैं। जो कांग्रेस (इ) को हराकर चुनाव में जीते हैं आज यह महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस (इ) सत्ता में आती और अब वे

कांग्रेस (इ) में आ रहे हैं। यह सरकार इस प्रकार दल बदल को हतोत्साहित करने की बजाय उसको बढ़वा दे रही है। सत्तारूढ़ दल को यहां भारी बहुमतप्राप्त है तथा किसी भी तरीके से वह दल बदल को बढ़ावा दे रही है। यह राजनीति में केंसर बन गया है (व्यवधान) जनता पार्टी के आधार पर भी दल बदल न्याय संगत है। आश्चर्य (व्यवधान) यह रवैया है। अत: उपाध्यक्ष महोदय, हम इन संकल्पों का विरोध करते हैं। हम इन संकल्पों का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हम इन्हें संविधान का अतिक्रमण ही मानते हैं।

महोदय तीन माननीय मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से सरकारें भंग करने के कुछ कारण बताये हैं। माननीय विधि मंत्री का अभी तक हमने गैर-कानूनी स्वरूप ही देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी आपके दल को 33 मिनट का समय दिया गया था। आप 33 मिनट भी ले सकते हैं किन्तु यदि कोई अन्य सदस्य बोलना चाहेंगे तो उनको कोई समय नहीं दिया जा सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय विधि मन्त्री का योगदान यही है कि वह केवल गैर-कानूनी पहलुओं, में अवैधानिक नहीं कहुंगा, को ले रहे हैं। उन्होंने आश्चर्यजनक सिद्धांत अपनाया है। दुर्भाग्य से, विधि मंत्री ने, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, उस तरफ जाते ही अचानक एक विशेष कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा वह विधि मंत्री बन बैठे। उनका क्या कहना है ? उन्होंने कहा जानबूझ कर असहयोग का रवैया अख्तियार किया जायेगा, अथवा किया जा सकता है अथवा किया गया है। असहयोग क्या था ? यही कि 45वां (संशोधन) विधेयक अनुमोदित नहीं किया गया।

महोदय, इन सदनों को संसद द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किये जाने के एक महीने के भीतर बल्कि एक महीने से कम में ही 17 फरवरी को भंग किया गया था। किस विधान सभा ने यह कहा कि वह उसे पारित नहीं करेंगी ? केन्द्र में दोनों सदनों में सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : नौ मुख्य मन्त्रियों ने अपने वक्तव्यों में इसका समर्थन किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी मुख्य मन्त्रियों ने इस विधेयक का समर्थन किया था। किसी भी विधान सभा ने इसको अस्वीकार नहीं किया था और न ही इसकी आलोचना की थी। इसका खुले रूप में समर्थन किया था। वस्तुतः राजनीतिक दल तो सुझाव दे रहे थे कि इस विधेयक को पहले लाया जाना चाहिए था। इसलिए, यही कारण सामने रखा गया था। फिर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की इस तथाकथित प्रगतिशील कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देंगी। किस सरकार ने किस प्रगतिशील नीति को प्रभावहीन किया है ? दुर्भाग्य से, हमारे ज्ञानी जी ने इसका यहां उल्लेख नहीं किया है। हमारे ज्ञानी जी ने तो बस इतना कहा था आदेश दिया गया

है। सौभाग्य से गृह मंत्री ने आज बहाना नहीं बनाया है जो वह पहले बना चुके हैं अर्थात कानून और व्यवस्था की स्थिति का अस्त-व्यस्त हो जाना माननीय गृह मंत्री ने आज उसका हवाला नहीं दिया है। मैं उन तथा कथित आधारों तथा औचत्यों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो उस ओर के माननीय सदस्यों ने देने चाहे हैं क्योंकि वे लोग अभी तक मंत्रियों के पदों पर नहीं आये हैं। सभी इस पर दृष्टि रखे हुए हैं परन्तु सभी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यहां तक कि श्री सुखाडिया को कांग्रेस में आ मिलना भी अभी तक फलदायक नहीं हुआ है। ये जो तर्क पैदा किये गए हैं, वे अजीब हैं, खोखले हैं तथा राजनीतिक प्रयोजन से परिपूर्ण हैं और संविधान के अधीन प्राप्त राज्यों के आधिकारों और शक्तियों एवम् लोगों के अधिकारों पर कायराना आक्रमण को उचित ठहराने के लिए प्रपंच दिये गए हैं। हम सरकार से तथा गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने हरियाणा, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश को किस आधार पर छोड़ दिया है। कम से कम हमें यह तो मालूम होना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में सोच रहे हैं अथवा गलत दिशा में और क्या वह अपनी कार्यवाही का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं (व्यवधान) मैं दवाव में नहीं आ रहा हूं।

श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : (आसनसोल) पहले उन्होंने जनता पार्टी का समर्थन किया और बाद में चरण सिंह का।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह विधान सभाओं के चुनाव कराने को और उन विधान सभाओं से छुटकारा पाने को बहुत आतुर है और अपनी सरकारें चलाना चाहते हैं जबकि हर चीज ठीक ठाक मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह निष्कर्ष कैसे निकालते हैं कि वे चुनाव जीत जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कह रहा हूं कि वह यह आशा कर रहे हैं। वे तो चुनाव भी नहीं कराना चाहते क्योंकि वे जानते है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा।

अब देखिये, दो माह में क्या हो चुका है। आज भी पूरी मंत्री-परिषद नहीं बनी है। मूल्यों में वृद्धि होती ही जा रही है। गत दो महीनों के दौरान, क्या हुआ ? आसाम में क्या हो रहा है। प्रधान मंत्री नारायणपुर जाने का समय तो निकाल सकती हैं मगर जहां एक हजार से अधिक व्यक्ति मारे जा चुके हैं वहां···(व्यवधान)

एक अत्यन्त बुरी प्रकार की अंधी देश भक्ति का एक घृणित अभियान चलाया जा रहा है और आर्थिक अवरोध का अभियान चला है जिसके बारे में शांति की स्थिति में कभी सुनने तक को नहीं आया है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य देश के एक भाग से दूसरे भाग के बीच आर्थिक अवरोध पैदा कर रहे हैं; और हमें सभा में इस पर चर्चा करने से भी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : मारीचझापी के बारे में क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलते हैं तो उनें उत्तर देने हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए यह जानकर कि वह एक भी समस्या को हल करने में सफल नहीं हुए हैं, उनके अपने दो दल-संबंधी विवाद और बढ़ जायेंगे । इस देश में पूर्ण तथा निष्क्रिय प्रशासन आया है । हरिजनों और आदिवासियों के विरुद्ध क्या कुछ हो रहा है । दिल्ली में क्या हो रहा है । यहां ऐसी सरकार है जिसने नेत्रहीनों पर निर्ममतापूर्ण पुलिस प्रहार कराया ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : आप वह भी तो पढ़िये जो नेत्रहीन संस्था के अध्यक्ष ने कहा है किस प्रकार लोगों को ले जाया गया था । आपको सभा के प्रति ईमानदार होना चाहिए । आप इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार से श्री मुखर्जी ने अभी तक अपना पहला भाषण नहीं दिया है । उन्हें इसका अभ्यास केवल बीच बीच टिप्पणियां करते नहीं रहना चाहिए । जब वह अपना पहला भाषण देंगे तब हम उन्हें बड़ी शांति से सुनेंगे ।

इसलिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि देश में आज किस प्रकार का शासन विद्यमान है । दिल्ली में नेत्रहीनों पर पाशाणिक लाठी प्रहार किया गया, ग्वालियर में न्यायालयों के अहातों में वकीलों तथा न्यायाधीशों पर हमले किए जा रहे हैं; हरिजनों तथा आदिवासियों को जिन्दा जलाया जा रहा है । प्रशासन की यही दशा है और इसीलिए वे लोग देश में चुनाव प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्र पूरा नहीं कराना चाहते । लोगों ने अब पहले ही यह सब महसूस करना शुरू कर दिया है कि हमें केन्द्रीय स्तर पर तथा नौ राज्यों में एक सुसभ्य प्रशासन प्राप्त नहीं हुआ है । मेरा कहना यह है कि सरकार का लोकतांत्रिक कार्य-पद्धति में कहीं विश्वास नहीं है उन्हें तो बस बिन लगाम की तानाशाही में ही विश्वास है । आज, हम देख रहे हैं कि केन्द्रीय मंत्रीगण उन निर्वाचित लोकप्रिय राज्य सरकारों को जोअध्यसंख्य आधार पर नहीं चुनी मैं उस गई थी खतरा पैदा करके संविधान के प्रति अपनी वफादारी का ढोल पीट रहे हैं । कोई कहा रहा है कि राज्य सरकार को देख लूंगा जो निवारक नजरबन्दी अधिनियम को लागू नहीं करती है । श्री सी० एम० स्टीफन ने उप-चुनाव जीतने के अपने जोश में, मुझे आपको त्रिवेन्द्रम अथवा कोचीन में, अपने पहले भाषण में कहा राज्य सरकारों को सबक सिखाने के लिए संविधान में पर्याप्त व्यवस्था है । मैं चाहता हूं·····।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : उनके भाषण के तुरन्त बाद में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए कुछ कहना चाहूंगा । श्री सोमनाथ चटर्जी ने मेरी बात गलत रूप से पेश की है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे माननीय मित्र कृपया उसमें शुद्धि कर दें । परन्तु मैं उन समाचारों का जिक्र कर रहा हूं जो मैंने पढ़े हैं । अपना भाषण

समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं ? मैं दूसरी ओर के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे देश की एकता और अखण्डता से खेलने का प्रयत्न न करें; आपके दल द्वारा पश्चिम बंगाल में असम के मुकाबले जो शुरू किया जा रहा है उसे प्रोत्साहत मत कीजिए। आप आग से खेल रहे हैं (व्यवधान) टाइटलर साहेब, आपको पूरा अवसर मिलेगा और मैं आप पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं कर रहा हूं। अपनी बात को उजागर करने के लिए आपके पास अपने सदस्यों की संख्या काफी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यदि वे भारत की एकता और अखण्डता में विश्वास रखते हैं और यदि वे यह विश्वास रखते हैं कि वर्षों-वर्षों से 30 वर्षों से भी अधिक समय से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित कमजोर वर्गों की दशा में सुधार करना है, और यदि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जड़ें इस देश में गहरी और मजबूत होनी हैं; तो फिर वैसा मत कीजिये जैसा कि इस समय कर रहे हैं। आप लोग संविधान का ख्याल रखिये, संविधान से मार्ग दर्शन लीजिए और मैं यह बात पूरे उत्तरदायित्व की भावना से कहता हूं कि आप अपने बाजुओं को पश्चिम बंगाल, केरल अथवा त्रिपुरा तक मत फैलाईये। लोग इसे सहन नहीं करेंगे। वह इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। यदि उचित ढंग से चुनी गई लोकप्रिय सरकारों को छेड़ा गया जैसा कि इस समय प्रयास किये जा रहे हैं; लोग इसे कदापि सहन नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि देश में इस समय लोकतंत्र खतरे में है। लोगों को चौकस रहना है। हमने लोकतांत्रिक परम्पराओं, देश के संविधान की भावना इसके संघात्मक ढांचे पर सुनियोजित आक्रमण होते देखा है। उन्हें मूल ढांचे तथा संविधान की मूलभूत बातों को याद रखना चाहिए। यदि वह जनता पार्टी की ही परम्परा का अनुसरण करना चाहते हैं तो वह यह स्पष्ट कह दें कि वे जनता पार्टी का ही अंधानुसरण करना चाहते हैं। उन्हें दीवारों पर उभरी लिखावट को समझ लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि श्री सी० एम० स्टीफन यह याद करें कि वह स्वयं भी 'आँसुका' के शिकार हो सकते थे। उन्होंने स्वयं को आखिरी समय पर बचा लिया। आज, माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि वे तानाशाही के इन आक्रमणों से निष्प्रभावित हैं। नहीं वे वही है। यदि इन लोंगों को भूख (सत्ता की भूख) इसी प्रकार बढ़ती गई तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। वंशानुगत सत्ता स्थायी रूप ले लेगी और देश में राष्ट्रपति शासन की पद्धति लागू हो जायेगी। देश ने स्वयं को उससे बचाना है।

श्री सी० एम० स्टीफन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो कई बातें कही हैं मैं उन पर अपना व्यक्तिगत स्पस्टीकरण देने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं उस समय इस बारे में बोलूंगा जबकि इस प्रस्ताव पर सभा में अपना भाषण दूंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने मेरी ओर से पूर्णतया गलत बातें कही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने उनके उद्धरण पेश करने की नहीं बाहर उनके भाषण का भावार्थ पेश करने का प्रयास किया था।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं जो कुछ कहता हूं उसके हर शब्द को तौलता हूं। उसका भावार्थ करने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है।

केरल में, मुख्य मंत्री इस आशय की घोषणायें कर रहे थे कि केरल की नीति के भांति ही हमारी भी अपनी नीति है, अपना कानून है और हम उनको क्रियान्वित करने जा रहे हैं और कि केन्द्र सरकार को कुछ अन्यथा नहीं सोचना चाहिए और यदि केन्द्र कोई दूसरा रवैया अपनाता है तो फिर हम देखेंगे कि अन्ततः कौन सफल होता है। जब मैं वहां गया तो यह प्रश्न उठाया गया। तभी मैंने उक्त सांविधिक स्थिति स्पष्ट की थी। मैंने केन्द्रीय नीति के बारे में नहीं बोला था। मैंने इनमें से किसी बात का जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा था कि संसद द्वारा पारित कानून एक ऐसा कानून है जो देश-भर में लागू होता है और किसी राज्य को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह कानून उस राज्य में लागू नहीं हो सकता। मैंने संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 का उदाहरण दिया था। मैं केन्द्र की कार्यवाही शक्तियों की परिभाषा की थी। मैंने कहा था कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां केवल उसी सीमा तक काम में लाई जा सकती है जिस तक उन शक्तियों के कार्यान्वयन की अनुमति क्या सुविधा है और उस सीमा तक कि संसद के कानून क्रियान्वित किए जा सकें तथा राज्य की कार्यवाही शक्ति का परिगमन होता है।

इन बातों की संविधान में निश्चित व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि संसद द्वारा पारित कोई कानून उनके राज्य को स्वीकार नहीं है, तब, मैंने कहा था, तो ऐसे लोग विद्रोह का झण्डा करेंगे और इसका अर्थ देश को संविधान में दिये गए प्रावधानों के अनुसार चलाना न होगा। मैंने इन बातों की पूर्ण परिभाषा की थी। यह शुरू रूप से संवैधानिक स्थिति है।

दूसरे, मैंने यह भी कहा था कि भारत का संघात्मक स्वरूप भी उसी सीमा तक है जितना कि संविधान में कहा गया है। भारत का संघात्मक स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के संघात्मक स्वरूप से भिन्न है। इस स्थिति को उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

तीसरे मैंने कहा था, राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने आदि के बारे में मार्कसवादी साम्यवादी दल से हमारे मतभेद हैं। हमारे दल का दृष्टिकोण यही है कि जो मैंने यहां स्पष्ट किया है, जिस पर हमारा चुनाव घोषणापत्र आधारित था, कि हम एक मजबूत केन्द्रीय सरकार में, एक स्थायी केन्द्रीय सरकार में, एक एकताबद्ध देश में विश्वास रखते हैं और इस सीमा तक संबिधान में संघात्मकता के लिये प्रावधान है। मैंने इस संविधान-संबंधी स्थिति की परिभाषा की थी इससे अधिक कुछ नहीं कहा था।

जिन भी समाचार पत्र में मेरा यह भाषण प्रकाशित किया वह उसे समझेगा। कृपया गलत उदाहरण मत पेश कीजिये। संविधान संबंधी स्थिति की परिभाषा करके मैंने अपने अधिकार तथा कर्तव्य का पालन किया था। मैंने जो कुछ कहा था मैं उस पर दृढ़ हूं। कोई राज्य यह न सोचे कि वह एक स्वाधीन देश है और संसद द्वारा पारित कानूनों की उपेक्षा करके वह अपना शासन चला सकता है। भारत के लोग संसद का चुनाव कानून बनाने के लिए ही करते हैं और उसके द्वारा पारित कानून समूचे देश में, हर राज्य में लागू होते हैं।

अनुच्छेद 257 के अधीन, केन्द्र को इस आशय के निर्देश जारी करने का अधिकार है कि संसद द्वारा पारित-कानूनों को जिस प्रकार लागू किया जाये । उन निर्देशों का पालन करना जरूरी है । जिस सीमा तक उसका पालन नहीं किया जाता उस सीमा तक इसे केन्द्र के विरुद्ध विद्रोह माना जायेगा और संभवतः यह दृष्टिकोण बनाया जा सकता है कि जो राज्य सरकार ऐसा कुछ करती है जिससे राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलता और फिर संभवतः उसके परिणाम सामने आते हैं । यही स्थिति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही !

श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : श्री स्टीफन की जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यही वक्तव्य जारी किया था कि वे केन्द्र द्वारा पारित कानून का पालन नहीं करने जा रहे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : जब मैं अपने माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी के उपदेश सुन रहा था तो मुझे एक बात याद आ गई । एक दिन मैं एक गली से गुजर रहा था तो मैंने एक व्यक्ति एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उपदेश देते देखा । भीड़ में से किसी व्यक्ति ने जो उस उपदेश को जानता था, पूछा-"आपने अपने पुराने अपराध कब छोड़े ? वह व्यक्ति जानता था कि जो व्यक्ति गली में इस ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उपदेश दे रहा है, पहले बहुत से अपराधों में अन्तर्ग्रस्त रहा है । उसने शायद यह सोचा कि यदि वह दूसरों को उपदेश देना शुरू कर दे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जायेंगे ।

परन्तु भारत की जनता ने हमारे विपक्षी मित्रों को दुर्भाग्य से अपनी जबर्दस्त राजनैतिक सहजबुद्धि का परिचय दिया है । और यह परिचय उसने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार दिया है । लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे राजनैतिक दृष्टि से जागरूक हैं । यद्यपि वे बहुत अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं परन्तु वे देश में कार्यरत सभी राजनैतिक दलों के बारे में राजनायक जागरूकता रखते हैं ।

यह आश्चर्य की बात है कि साम्यवादी मार्कसवादी दल जो विगत ढाई साल के शासन के दौरान जनता तथा लोक के साथ ही खिचड़ी बना हुआ था—जबकि समूचा देश और उसके लोग बुरी तरह त्रस्त थे । आज वही दल जनता तथा लोकदल शासन की भर्त्सना करने में सबसे आगे हैं । मुझे आशा है कि भारत की जनता ने उन्हें कुछ जागृति प्रदान कर दी है परन्तु दक्षिणी-प्रतिक्रियावाद से मुक्त होने के स्थान पर ये लोग अभी भी उनके साथ खिलवाड़ कर रहे है । क्या यही वामपंथ है ।

यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है कि हमें ही यह बताया जा रहा है कि हम लोकतंत्र-विरोधी हैं । जो दल केवल एक दलीय व्यवस्था में विश्वास रखता है, वह कांग्रेस को कहता है

कि कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है । यह बात किसी बाहर वाले से तो कही जा सकती है, भारत के लोगों से नही जो यह जानते हैं कि कांग्रेस ने ही गत 30 वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ही देश की एक जर्रे से इतना बड़ा बनाया है ।

मैं तो केवल श्री शांतिभूषण, जो महान वक्ता हैं, द्वारा राज्य सभा में कही गई बात को ही उद्धृत करना चाहूंगा । जहां तक इन नौ राज्यों का संबंध है हमारे गृहमंत्री ने बताया है, घोषणा में जो कुछ समय लगा जनवरी 7 से फरवरी 17 तक का मुझे गृहमंत्री को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इतना आकर समय लगाया । परन्तु जब 1977 में 9 विधान सभाओं को भंग किया गया था तब श्री शांति भूषण ने यह कहा था कि राज्य सरकारों को एक दिन भी नहीं दिया जाना चाहिए । उन्होंने कहा था :

> 'हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है और लोकतन्त्र का सार यह है कि कोई सरकार चाहे वह केन्द्र में हो अथा राज्य में क्रमशः देश के तथा तत्सम्बन्धी राज्य के लोगों द्वारा ही केवल तब तक चलाई जानी चाहिए । जब तक कि वहां के लोगों की ऐसी इच्छा हो, उनको ऐसी व्यापक राय हो और उसमें उन लोगों का विश्वास हो। ज्योंही यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कोई सरकार लोगों का विश्वास पूर्णतया खो चुकी है और वह सरकार तिस पर भी शासन चलाए रखना चाहती है, तब, श्रीमान हमारा अपना दृष्टिकोण यह है कि ऐसी सरकार संविधान के अनुसार चलाना सम्भव नहीं है ।"

यही बात श्री शान्तिभूशण ने नौ राज्य सरकारों को भंग करते समय इसके पक्ष में कही थी ।

अब, मैं उच्चतम न्यायालय का निर्णय दृढ़ रहा था और मैं न्यायमूर्ति भगवती के शब्दों का उल्लेख करना चाहूंगा । मैं केवल तत्सम्बन्धी भाग ही पढ़ूगा ।

इस देश के इतिहास में इतना स्पष्ट और असंदिग्ध लोक-निर्णय पहले कभी नहीं दिया था और न ही किसी सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध इतना व्यापक अविश्वास व्यक्त किया था । जब सत्तारूढ़ दल को इतनी करारी हार मिलती है और लोगों ने विशिष्ट रूप से इनकी नीतियों के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया है तो यह सरकार तथा लोगों के बीच सम्पूर्ण विलगान का प्रतीक होता है । यह स्वमं सिद्ध है कि जब तक किसी सरकार को लोगों की शुभकामनायें तथा समर्थन प्राप्त नहीं होता तब तक वह सरकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती ।

यही बात अबकी बार भी हुई है । यह कहा गया था कि लोगों को उक्त निर्णय अहम मत का नकारात्मक निर्णय था । यदि आप उन आंकड़ों को देखें जो माननीय गृहमन्त्री ने पेश किए

हैं तो आप पायेंगे कि कांग्रेस को इस बार उन नौ राज्यों में जनता पार्टी के पिछले प्रतिशत की अपेक्षा अधिक प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि उन सरकारों ने लोगों का विश्वास खो दिया था। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो यह मत नकारात्मक मत नहीं था। वामपंथी विचारधारा के वे लोगों को जो जनता तथा लोकदल के साथ साथ चलते थे। जिन्होंने गत ढाई वर्षों के दौरान लोगों के प्रति हुए सभी अपराधों में सहयोग दिया अब तो लोगों से कुछ सीख लेना चाहिए था। मुझे खेद है कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा। लोगों का यह मत स्वीकारात्मक था। यह मत लोकतान्त्रिक सामाजिक तथा धर्मनिरपेक्ष देश ने राष्ट्र की मूलभूत स्थापना के पक्ष में था जो कि कांग्रेस पार्टी ने की थी, भारत के लोगों ने की थी, क्योंकि गत ढाई वर्षों के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों का बार बार उल्लंघन हो रहा था। भारत की जनता ने यह स्पष्ट मत दिया है कि केन्द्र मजबूत तथा एकजुट होना चाहिए, कि भारत के लोगों को शांति पूर्वक जीना चाहिए। भारत के लोग चाहते हैं कि देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो शासन चला सके देश में अराजकता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस सरकार द्वारा जिन आर्थिक नीतियों एवं भूमि सुधार कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था जैसे भूमि की अधिकतम सीमा आदि उन्हें जनता तथा लोकदल शासन ने समाप्त करना चाहा। पहले कांग्रेस सरकार ने लोगों को भूमि दी थी परन्तु विगत ढाई वर्षों के दौरान जो भूमि भूमिहीनों को दी गई थी। उड़ीसा राज्य में ही भूमिहीनों को 4000 एकड़ भूमि दी गई थी। उन किसानों से जनता लोकदल सरकारों ने भूमि छीन ली। इससे पूर्व कांग्रेस सरकार ने करोड़ों लोगों की भलाई के लिए कई प्रगतिशील कार्य शुरू किए गये थे, उन लोनों के लिए लोगों ने निरन्तर 32 वर्षों तक संघर्ष किया था। देश की वामपंथियों का यह फर्ज था कि उठाये गये प्रगतिशील कदमों को सुदृढ़ बनाते, लोगों की उपलब्धियों को स्थायी बनबाते न कि उन कार्यों को समाप्त करने के लिए लोकदल-जनता शासन का समर्थन करते। जनता लोकदल शासन में देश बरबाद हो गया था, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। अब देश का विभाजन कौन चाहता है ? देश में विघटनकारी शक्तियों को सुदृढ़ किसने किया ?

इसलिए अब समय आ गया है कि हम जनता के निर्णय का अध्ययन करें। वर्ष 1980 का मत नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक स्वरूप का था। देश की सभी प्रगतिशील शक्तियों को यह सुनिश्चित रहने का प्रयास करना चाहिये कि केन्द्र को मजबूत बनाने के जनमत आदेश को कार्यान्वित किया जाये। देश को एकजुट रहना चाहिये। अब भारत को दुनियाँ भर में छठा स्थान प्राप्त हैं। हमें उसे तीसरे या चौथे स्थान तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपना वैज्ञानिक आधार मजबूत करना चाहिये, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिये। अपनी एक आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिये। ये हमारे उद्देश्य हैं। परन्तु 7 जनवरी, 1980 से, जबकि चुनाव समाप्त हुये हैं, ये तथाकथित वामपंथी शक्तियां क्या करती रही हैं ? यह दुर्भाग्य की बात है कि वे यह नहीं कहते कि भूमि सुधार कानूनों को तेजी से लागू किया जाना चाहिये, संतप्त जनता को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, कि श्रमिक वर्ग के अधिकारों को सुरक्षण दिया

जाना चाहिये । वे यह सब कुछ नहीं कहते हैं । वे तो केवल जनता तथा लोकदल के साथ मिलकर इक्का-दुक्का छोटी-छोटी घटनाओं का ढोल पीटना चाहते हैं । यह प्रतिदिन उन्हीं बातों को दोहराते हैं (व्यवधान) आप कभी भी कोई जन-आन्दोलन पैदा नहीं करते हैं । वामपंथी होने के नाते आपको इस पर प्रसन्न होना चाहिये था कि जनता लोकदल शासन समाप्त हो गया हैं... जनता तथा लोकदल के अत्याचार समाप्त कर दिये गये हैं, मैंने या तुमने नहीं बाद के लोगों ने भारत की जनता ने किये हैं ।

आपको इसका स्वागत करना चाहिए था परन्तु मुझे कहते हुए दुख होता है कि ऐसी बात नहीं है । जनता जिस नये परिवर्तन को लाई है, आपने उससे समझौता नहीं किया है । इसलिए समय आ गया है जब वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों को विकास की इस नई स्थिति पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । यहां तक कि श्री डांगे इन नए राजनैतिक समीकरणों पर गम्भीरता से विचार कर रहे है । आज मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि श्री डांगे के समर्थक एक नया दल-एक नई साम्यवादी दल का निर्माण कर रहे हैं.....

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : आपका इसमें स्वागत है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अतएव आप समझ सकते हैं कि घटना चक्र किस तेजी के साथ घूम रहा है और प्रगतिशील ताकतों को इसे समझना चाहिए । यहां मैं आपको बताऊंगा और मैं सदन के समक्ष इसे रखूंगा कि यह सम्बन्ध क्या है । जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे । तब उनके दिमाग में यही बात थी कि पश्चिम बंगाल को अपने अधीन लायाजा रहा है और इसकी विधान सभा को भंग किया जा रहा है और केरल को भी समूचे देश को नहीं । मेरे विचार में यदि कोई यह कहे कि पश्चिम बंगाल को अधिकार में नहीं लिया जा रहा है तब वह बहुत प्रसन्न होंगे.....(व्यवधान)

श्री चटर्जी कह रहे थे कि केन्द्र राज्यों के विरुद्ध कार्य कर रहा है । संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत यह स्पष्ट दिया हुआ है ।

> "प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं । पालन सुनिश्चत रहे तथा संघ का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे ।"

ऐसा नहीं है कि भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति हमारे देश के संघीय ढांचे में पूर्ण स्वायत्तशासी एककों के समान हैं । ऐसा लगता है कि केन्द्र और राज्यों के अच्छे सम्बन्धों के बारे में भ्रांति विद्यमान है और केन्द्र जो भी कानून बनाता है राज्यों को इनके क्रियान्वियन में सहयोग देना पड़ता है और केन्द्र कोई खराब कानूनों का निर्माण नहीं कर रहा हैं ।

मैं कहना चाहूंगा कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों को बहुत तूल दे रहा है और यह सोचता है कि दिल्ली बंगाल और केरल को हड़पना चाहती है। मैं समझतता हूं कि इस प्रकार से सोचने के ढंग से नई नीतियों की जो वर्ष 1980 के बाद भारत में लागू की जा रही है, सही तस्वीर सामने नहीं आयेगी और 2000 ईसवी को पूरा होने में केवल 20 वर्ष रह गए हैं। हमें प्रगति करनी है, हमें आगे बढ़ना है और यह देखना है कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि जो भी किया गया है वह उन राज्यों के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप किया गया है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में क्या हुआ। 7 जनवरी से उड़ीसा की जनता का राज्य सरकार पर कोई विश्वास नहीं रहा।

जहां भी हम गए, जनता ने हमसे पूछा कि सरकार कब पदच्युत हो रही है। यही सवाल गांव वालों ने भी किया। सरकारों ने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि वे चुनाव में हार गये हैं, उन्होंने जनता का विश्वाश खो दिया है, यहां तक कि अधिकारियों को भी कोई विश्वास नहीं रहा। 7 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रशासन ठप्प रहा। यह बिल्कुल निष्क्रिय रहा सभी नौ राज्यों में क्या हुआ, अधिकारियों ने सोचा कि सरकारें गिरने वाली हैं इसलिए मंत्रियों का कहना क्यों माना जाये। मंत्रियों ने क्या किया ? उन्होंने कहा हमें केन्द्र के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा। वे कह रहे थे 'हमें केन्द्र के साथ संघर्ष करना चाहिये और नौ राज्यों के मुख्यमन्त्री दिल्ली में एकत्रित हुए और उन्होंने कहा हमें दिल्ली से संघर्ष घोषित करना चाहिए और जब हमारी पश्चिमी सीमाओं में तनाव था।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा,

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : कुछ सदस्य कह रहे थे कि केन्द्र संघर्ष चाहता है, परन्तु प्रधानमन्त्री ने सभी विपक्षी दलों के सदस्यों से अपील की है कि पारित किए गए सभी उपायों को क्रियान्वित करने में वे अपना पूरा सहयोग दें परन्तु क्या परिणाम निकला हैं ? इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई हैं ? क्या प्रत्युत्तर मिला है ? इसका प्रत्युत्तर मिला है कि हम हर रोज लड़ते रहें। यदि आप जनता के निर्णय से समझौता नहीं करते हैं तो आप हर समय लड़ते रहेंगे। जो भी नकारात्मक कार्य आप यहाँ करते हैं क्या बाहर लोग उसकी प्रसंशा करते हैं ? वे अपनी प्रशंसा नहीं करते है। नकारात्मक संकर्ण का यह तरीका अपनाकर आप स्वयं को जनता की आकांक्षाओं से दूर कर रहे हैं। आप जो यह नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उसका प्रभाव आपके आगामी चुनावों में दिखाई देगा।

जहां तक आपकी नीति का सम्बन्ध है, आप इसमें असफल हो रहे हैं और जब तक आप जनता की समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं। आप इस प्रकार असफल होते रहेंगे।

इसलिए मैं घोषणाओं का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि सभा उनको पारित करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन—यहाँ नहीं है। श्री शिवराज वी० पाटिल।

श्री शिवराज वी पटिल (लातूर) : सौ विधान सभाएं भंग कर दी गई हैं और भारत के राष्ट्रपति तथा केन्द्र की कार्यपालिका ने उन राज्यों का शासन चलाने की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। महोदय, प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना कानून रूप से सही है ? क्या नैतिक रूप से ऐसा करना सही है ? क्या यह व्यावहारिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ? क्या यह हमारे संविधान में स्वीकृत संघीय व्यवस्था के सिद्धान्तों के विरुद्ध है ?

पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि ऐसा करना कानूनी रूप से गलत नहीं है। विधानसभाओं को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत भंग नहीं किया जाता है परन्तु उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत भंग किया जाता है और भंग करने के लिए यह बताना आवश्यक है कि संवैधानिक व्यवस्था असफल हो गई है। अनुच्छेद 356 में दिया गया हैं :

> "यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—
>
> (क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य, तथा यथास्थिति राज्यपाल या राज्यप्रमुख में, अथवा राज्य के विधान मंडल को छोड़कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित, या संसद द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा :

इस शक्ति को गृहीत करने के लिये यह आवश्यक है परन्तु विघटन के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह मेरा कहना है। विघटन करते समय हमें यह देखना होता है कि जनता की इच्छा क्या है ? और जनता की इच्छा, उसने अभिमत पर विचार करने के बाद यदि विधान सभाएं भंग की जाती हैं तो उन्हें अवैध रूप से भंग नहीं किया जाता है। यह मैं कहना चाहता हूं।

इस संबंध में दूसरी बात यह है कि पिछली सरकार ने विधान सभाओं को भंग कर दिया था। एक परम्परा रखी गई थी और इस परम्परा का पालन किया गया। यदि कांग्रेस (आई) सरकार ने उस परम्परा अथवा परिपाटी का अनुसरण किया तो यह नहीं कहा जा सकता कि काँग्रेस (आई) सरकार ने गलत ढंग से कार्य किया। इसका पूर्व दृष्टान्त है ? यह यह पूर्वदृष्टांत क्या है ? मामाला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यदि

राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि सरकार को वैधानिक रूप से नहीं चलाया जा सकता है, और यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि जनता की इच्छा कुछ और है तो विधान सभाओं को भंग किया जा सकता है। मेरे विद्वान मित्र ने न्यायमूर्ति भगवती द्वारा दिए गए निर्णय की दो पंक्तियों का उल्लेख किया परन्तु मैं उसी निर्णय का और भिन्न पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूं। यदि हम उन पंक्तियों को पढ़े तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पूर्ण दृष्टान्त ने वर्तमान सरकार को उस समय मदद की जब उसने विधान सभाओं को भंग किया। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"यह ऐसा मामला नहीं है जहां लोक सभा के चुनावों में सत्तारूढ़ दल की राज्य में कोई मामूली हार हुई हो। सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार बुरी तरह हारे हैं। कुछ वादी राज्यों में सत्तारूढ़ दल एक भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। इस देश के इतिहास में जनता ने ऐसा निश्चित और स्पष्ट निर्णय पहले नहीं दिया है, सत्तारूढ़ दल में पहले कभी ऐसा अत्यधिक विश्वास प्रकट नहीं किया गया और जनता ने स्पष्ट रूप से इसकी नीतियों को अविष्कार किया है; यह सरकार और जनता के बीच पूरे अलगाव का प्रतीक है....." यह एक कहावत है कि कोई भी सरकार किसी लोकतंत्रात्मक ढ़ाचे में संविधान के अनुसार कुशलपूर्वक पूर्ण वतथा प्रभावी रूप से तभी काम कर सकती हैं जब उसे जनता की सद्भावना और समर्थन प्राप्त होता है।"

यह एक पूर्णदृष्टान्त है। इससे भी अधिक कुछ और है जिसका मैं उल्लेख करूंगा। वह यह है :

"नए चुनावों में कांग्रेस दल को नौ राज्यों में हार मिली है और जनता ने कांग्रेस पार्टी में पूर्ण अविश्वास व्यक्त किया है। उपरोक्त परिस्थितियों के सामूहिक असर से यह उचित अनुमान निकल सकता है कि जनता ने न केवल लोक सभा का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों के विरुद्ध अपितु चुनावों से पूर्व बीस महीने के दौरान केन्द्र अथवा राज्यों में सम्पूर्ण रूप से काँग्रेस सरकारों द्वारा पालन की जा रही नीतियों और विचारधाराओं के विरुद्ध भी भारी बहुमत से निर्णय दिया है। इन परिस्थितियों में ऐसा नही कहा जा सकता कि गृह मंत्री द्वारा लगाया गया यह अनुमान कि राज्य सरकारों ने जनता का विश्वास खो दिया है, उचित नहीं है अथवा विधान सभाओं को भंग किए जाने के लिए अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही से इसका कोई संबध नहीं है।"

महोदय, मेरा कहना है कि चूंकि सरकार ने जनता का समर्थन खो दिया था; इसलिए विधान सभाओं को भंग कर दिया गया। संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने के कारण ही विधान सभा को भंग नहीं किया गया। अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत विधान सभा को भंग किया जाता है जब कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य की शक्तियों को अपने हाथ में लिया जाता है। मेरे विद्वान मित्र अनुच्छेद 356 का उल्लेख कर रहे थे और वह सभा के समक्ष विभिन्न तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कि संवैधानिक व्यवस्था कहां भंग हुई है, विधान सभा क्यों भंग की गई आदि। इन तर्कों में कम नहीं हो सकता। विधान सभाओं को एक अलग अनुच्छेद के अन्तर्गत भंग किया

गया । राज्य की शक्ति को एक अलग अनुच्छेद के अन्तर्गत अपने हाथ में किया जाता है, सरकारों को भंग उस समय किया जाता हैं जब सरकार जनता के विश्वास को खो देती हैं । यह एक मुख्य और महत्वपूर्ण बात है । जब जनता सरकार में विश्वास खो देती है तो सरकार को भंग कर दिया जाएगा । इस संबंध में पूर्वदृष्टान्त राष्ट्रपति द्वारा इन नौ विधान सभाओं को भंग करने के लिए की गई कार्यवाही का समर्थन करता है । अब प्रश्न यह है कि क्या यह नैतिक दृष्टि से सही है ? यह दूसरा प्रश्न है ।

महोदय, मैं समझता हूं कि जनता ने उस पार्टी, उसकी विधारधारा, उसके सिद्धान्त के विरुद्ध वोट दिया है जो उस समय केन्द्र में शासन कर रही थी और साथ में वही पार्टी विभिन्न राज्यों में शासन कर रही थी । यह मेरा कहना है । उनकी वही विचारधारा थी जो उस समय केन्द्र में थी । यदि जनता ने उस विचारधारा को अस्वीकार किया है, यदि जनता के उस विचार धारा का विरोध किया है और कहा कि हम उस विचार धारा को स्वीकार नहीं करते हैं और यदि वह सरकार भंग कर दी जाती है, तो इसमें क्या गलती है ? मेरा प्रश्न यह है ।

महाराष्ट्र में प्रगतिशील जनतान्त्रित मोर्चा सरकार का शासन था । जब प्रगतिशील जनतांत्रिक मोर्चा सत्तारूढ़ हुई, तब उसने क्या किया ? उसने सत्तारूढ़ होते ही जिला परिषदों को भंग कर दिया और जिला परिषदों को भंग करते समय प्रगतिशील जनतान्त्रिक मोर्चा सरकार कह रही थी कि वे जिला स्तर पर व्यवस्था की सहायता चाहते थे जिससे जो नीति और सिद्धान्त वे बना रहे हैं, उन्हें सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके । यह मेरी बात है । यदि महाराष्ट्र की सरकार उस तरह कातर्क प्रस्तुत कर सकती थी तो मैं इस बात को जरा आगे बढ़ाकर पूछूंगा कि क्या यह तर्क इस चरण पर भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ? अब महाराष्ट्र में चुनाव के समय कांग्रेस आई के लोग कह रहे थे कि हम इस देश का शासन चलाने में केन्द्र में यह सिद्धान्त, यह नीति, यह विचारधारा अपनाना चाहते हैं । जो महाराष्ट्र का शासन कर रहे थे उन्होंने यह नहीं कहा था कि केवल राज्य में ही शासन चलाने के लिए यह नीति, यह सिद्धान्त अपनाया जाएगा । उन्होंने यह कहा था कि 'हमने जनता के लिए यह किया, हम से तात्पर्य 'राज्य सरकार' से है, हमने यह नीति, यह दर्शन प्रस्तुत किया है, हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं इसलिए आपको प्रगतिशील जनतांत्रिक मोर्चा सरकार द्वारा समर्थित उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए । जनता ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया । जनता के उन्हे अस्वीकार कर दिया । यदि उन्होंने चुनाव में प्रगतिशील जनतान्त्रिक मोर्चे के उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया, यदि उन्होने कांग्रेस आई के उम्मीदवारों को जिताया तो क्या यह नैतिक रूप से गलत है ? राज्य विधान सभा में वे जो कुछ कर रहे थे, जनता को वह स्वीकार्य नहीं था । परन्तु वे केन्द्र में तथा राज्यों में किस प्रकार की सरकार चाहते थे । यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह कोई गलत नहीं होगा । निर्वाचित प्रतिनिधि को बुलाने का अधिकार भी है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि संवि-

धान में निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान नहीं है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी को अधिकार मिलता है कि वह ऐसे उम्मीदवार को वापिस बुला सकता है जो राज्य विधान सभा के लिए चुन लिया गया हो। लेकिन इस सम्बन्ध में आंदोलन और प्रदर्शन हुए हैं और लोगों ने कहा कि यदि विधान सभा के लिए निर्वाचित उम्मीदवार भली भांति कार्य नहीं करते हैं तो हमें उन्हें वापिस बुला लेना चाहिए और ऐसा करना लोकतांत्रिक होगा। यदि आप ऐसे उम्मीदवार को वापिस बुलाते हैं। जो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यह लोकतांत्रिक होगा। यहां ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जहां जनता ने अपना निर्णय दिया है, जनता ने केन्द्र और राज्यों में सरकारों को देखा कि उन्होंने ठीक ढ़ंग से काम नहीं किया है। महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र सरकार में थे और जो प्रगतिशील जनतान्त्रित मोर्चे की सरकार का समर्थन कर रहे थे, वे जनता से कह रहे थे कि उन्होंने उनके लिए बहुत काम किया है और इसलिए उन्हें उनको वोट देना चाहिए। अब जनता ने उनके तर्क को अस्वीकृत कर दिया है। हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से वापिस बुलाया जाना है।

अब जो कहा जा रहा है वह यह है कि आप जनता के पास जाइए और उनका निर्णय प्राप्त करिए और पुनः सरकार बनाने तथा शासन करने के लिए राज्य विधान सभा में आइए। परन्तु अब जनता ने अपनी अस्वीकृति दी है और आपको शासन करने का अधिकार नहीं हैं। इसमें क्या गलत है ? जिन्हें राज्य का शासन करना है उन्हें जनता का निर्णय लेने के लिए कहा गया है, मैं उनकी इस दलील को नहीं समझ पा रहा हूं कि यह अलोकतांत्रिक है। यह अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है ? यह लोकतान्त्रिक है। केवल यही कहा जा रहा है कि आप जनता के पास जाइए और उनका निर्णय प्राप्त कीजिए। आपसे अपने पक्ष में जनता का निर्णय प्राप्त करने के बाद पुनः वापिस आने के लिए कहा जा रहा है। केरल में राज्य विधान सभा को भंग नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल में इसको भंग नहीं किया गया था। आप अन्य राज्यों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। परन्तु आपने केरल और पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं किया है। वहां जनता ने अपना अलग निर्णय दिया है इसलिए वहाँ सरकार को भंग नहीं किया गया। इसमें अलोकतान्त्रिक की क्या बात है यदि आपको जनता के पास जाकर उसका निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। आपसे यह कहा जाये कि आप जनता से पूछें कि क्या आपको राज्य का शासन करना चाहिए या नहीं तो यह अलोकतंत्री नही है। मैं 'लोकतंत्री' की परिभाषा नहीं जानता। जब जनता का सरकार पर विश्वास नहीं रहता है तो सरकार को हट जाना चाहिए। इन राज्यों में सरकारों ने जनता का विश्वास भी खो दिया था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने इसका परिचय कॉंग्रेस आई के पक्ष में वोट देकर दिया। यदि उन्होंने ऐसा किया तो यह एक प्रकार से पिछली सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है जैसा कि डच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया था। यह एक प्रकार से समूचे रूप में उन सरकारों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है जो विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र में सत्तारूढ़ थे। यदि ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूं कि नैतिक रूप से गलत भी नहीं है।

महोदय, तीसरा प्रश्न यह है कि क्या यह व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक है ? मेरा यह कहना है कि हमने यह सोचा है कि जो राज्यों का शासन चला रहे थे, वे कांग्रेस-आई के नेतृत्व, कांग्रेस-आई की विचारधारा और कांग्रेस-आई के राज्य में शासन करने वाले लोगों की आलोचना कर रहे थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वे उनकी आलोचना करते थे। जब कांग्रेस (आई) पार्टी की सरकार केन्द्र में आई तब क्या उन व्यक्तियों के लिए राज्यों में सरकार चलाना व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सम्भव था ? क्या वे सभी मतभेदों को दूर कर सकते थे ? मनोवैज्ञानिक रूप से क्या वे वहां सरकार चला सकते थे ? मेरा कहना है कि मानव का मनोवैज्ञान इसकी अनुमति नहीं देता है। उनके लिए केन्द्र में पार्टी की इतनी आलोचना करने के बाद वहां सरकार चलाना संभव नही हो सकता है। यह एक व्यावहारिक पहलू है। दूसरा पहलू यह था कि हमारे देश में दलीय व्यवस्था है। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल हैं। सत्तारूढ़ दल समझता है कि सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य शासन करना और जनता की समस्याओं को हल करना है। विपक्षी दल भी इस मामले पर सोचता है परन्तु साथ ही साथ वे समझते हैं कि सत्तारूढ़ सरकार को पदच्युत करना उनका कर्त्तव्य, उनका अधिकार भी है। जब उनसे पूछा जाता है कि वे सभा में तथा इसके बाहर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल में विद्यमान त्रुटियों को बताना, और उसको पदच्युत करना उनका लोकतांत्रित अधिकार है। यह उनका अधिकार है कि वे कुछ प्रश्न करें, सत्तारूढ़ दल के लिए कठिन स्थिति पैदा करें और यह दिखायें कि सत्तारूढ़ दल भली भांति काम नहीं कर रहा है। यह व्यवस्था में ऐसा स्वीकृत सिद्धान्त मालूम देता है जिसमें दलगत सरकारें काम कर रही हैं। जब यह स्वीकृत सिद्धान्त है तब क्या यह कहा जा सकता है कि जब एक दल केन्द्र में सरकार चला सकता है, एक मित्र दल राज्य में भी ऐसा कर सकता है ? सदन में विपक्षी दल हमेशा शासनरूढ़ दल के लिए रुकावटें और कठिन स्थिति पैदा करते है तो क्या यह आशा की जा सकती है वह पार्टी जो राज्य में शासन कर रही है, केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार के मार्ग में रुकावटें पैदा नहीं करेगी जो कि भिन्न दल की है ? मेरे विचार मैं यह संभव नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता।

तीसरा, हम एक बहुत विषम स्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में हम कठिनाई में है। यदि हम भारत की जनता को होने वाली कठिनाइयों को हल करना चाहते हैं तो केन्द्र और राज्यों में ऐसी सरकारें, होनी चाहिए जो एक दूसरे को सहयोग दें। यदि वे एक दूसरे से सहयोग नहीं करती हैं तो हमारे लिए समस्याओं को हल करना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए तस्करी की समस्या है। केन्द्र हमेशा तस्करी पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। यदि राज्य सरकार उसे नियंत्रण करने में सहयोग नहीं देती है तो इसका क्या परिणाम होगा ? क्या इस तरह के मामलों में हमें एक दूसरे से रोज लड़ना चाहिए ? इसी प्रकार महंगाई को नियंत्रण करने की समस्या है। इसके लिए कानून बने हैं; इसे संसद ने बना कर राज्यों को दिया है। यदि राज्य उस कानून का प्रयोग नहीं करते हैं, यदि वे उस कानून का प्रयोग करके कम से कम कुछ हद तक

मंहगाई पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो इसक क्या परिणाम होगा ? हम मंहगाई को किस प्रकार रोक सकते हैं ? यह संभव नहीं है कि हम एक दिन या एक रात में वस्तुओं का उत्पादन करके जनता को सुलभ करें। यदि कुछ वस्तुएं हैं तो उन्हें निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों ने जमा रख लिया हैं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनको बाहर निकाला जाए और जनता को सुलभ किया जाए। यदि स्वार्थी लोग स्वयं इन वस्तुओं को बाहर निकाल कर इनका उचित वितरण नहीं होने देते तो यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए कि इन वस्तुओं को बाहर निकाल कर इनका वितरण किया जाए। यह केन्द्र नहीं कर सकता। इन्हें राज्यों को करना पड़ेगा। यदि केन्द्र ने कानून बनाया है और राज्य सरकारें उनको क्रियान्वित नहीं कर रही हैं तो इसका क्या परिणाम होगा ? हम मंहगाई किस प्रकार रोक सकेंगे और यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। हम इन्हें किस प्रकार करेंगे ? यह इस प्रश्न का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है।

अब मैं कानून तथा व्यवस्था के प्रश्न पर बोलूंगा। हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। कानून तथा व्यवस्था की समस्या केवल राज्य सरकारें हल कर सकती हैं। यदि केन्द्र में एक पार्टी शासन कर रही है और राज्यों में अन्य पार्टी शासन कर रही है तो हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता करेंगी। यह हर रोज यह मामला उठाया जाता है और यह ठीक भी है ; जब राज्य में कानून तथा व्यवस्था की समस्या है और यदि राज्य सरकार प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो इसका क्या परिणाम होगा। आप केवल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसका कारण यह है कि सामंजस्य का अभाव है, विभिन्न समस्याओं के प्रति मतैक्य नहीं है। यदि ऐसी बात है तो हम समस्या को किस प्रकार हल करेंगे ?

एक अति महत्वपूर्ण बात नीति का कार्यान्वयन है। यदि एक नीति बनाई जाती है और एक पार्टी उसे स्वीकार करती है और वह पार्टी – जो केन्द्र में सत्तारूढ़ है—उस नीति को क्रियान्वित करना चाहती है, परन्तु उससे भिन्न-पार्टी की सरकार राज्य में सत्तारूढ़ है और उस पार्टी की एक भिन्न नीति और दर्शन है तो हम किस प्रकार यहां बनाई गई नीति और दर्शन को क्रियान्वित कर सकेंगे। यह एक व्यावहारिक पहलू है। इसलिए मैं समझता हूं कि व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए।

अन्त में संघीय व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्यों का कहना है कि इस तरीके से कार्य करना संघीय व्यवस्था के सिद्धान्त के विरुद्ध है। जब इस तरह का तर्क दिया जाता है तो मैं नहीं समझता कि यहां किस प्रकार की देशभक्ति है ! हमारे संविधान का कुछ संघीय स्वरूप है परन्तु यह संघीय संविधान नहीं है। अमरीमा में संघीय सरकार का संविधान एक है और राज्यों के विभिन्न संविधान हैं इसलिए अमरीका की संघीय व्यवस्था भिन्न है। सोवियत रूस में संघीय व्यवस्था भिन्न है। कनाडा में भी संघीय व्यवस्था भिन्न है। हमारा अपना इतिहास है और हमारी

अपनी समस्याएं हैं और हम अपने इतिहास द्वारा सतर्क किए हुए हैं। हम अपनी समस्याएं हल करना चाहते हैं इसलिए हमारी अपनी तरह की संघीय व्यवस्था है।

हमें इस देश में ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमें अपने लोगों के लिए करनी है, इसकी व्यस्था करनी है कि क्या यह संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है अथवा क्या यह इसके सिद्धांतो के अनुरूप है। यदि हम उन पर विचार नहीं करते हैं परन्तु केवल यह कहते हैं। कि यह संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है, तो इसका मतलब यह होगा कि हम संविधान में शब्दों पर ही विचार कर रहे हैं न कि उसकी भावना पर।

कानून लोगों की सहायता करने के लिए बनाए गए हैं परन्तु इनका प्रयोग लोगों की सहायता करने में रुकावट पैदा करने के लिए भी किया गया है। हमें कानूनों का प्रयोग इस प्रकार करना है कि उनसे हमें सहायता मिले न कि हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा हों। मैं समझता हूं वर्तमान स्थिति में यह कानूनी रूप से गलत नहीं है और यह नैतिक रूप से गलत नहीं है और व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए भी यह आवश्यक है, और यह संघीय व्यवस्था के विरुद्ध भी नहीं है। मैंने अपनी बात कह दी है। धन्यवाद।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय; गृह मंत्री आज विधानसभाओं के विघटन के लिए संकल्प हेतु अनुमति मांग रहे हैं, इसके कारण हमारे संविधान का संघीय ढ़ांचा तथा स्वरूप नष्ट होगा। 1977 में जनता सरकार शासन में आई और उसने 9 विधान सभाओं का विघटन किया। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि श्रीमती गांधी ने जिसने उस समय जनता सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की, आज स्वयं वही बात की है और राज्यों में अपने शासन को फैलाने के विचार से इन विधान सभाओं का विघटन किया है।

यह बहुत ही चिंता की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग आज संविधान के मूल ढ़ांचे को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। ताकि सभा चुनावों में शासक दक को बहुमत प्राप्त हो सकता है परन्तु शासक दल भी चुनाव में विश्वास प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि इससे जहां तक विभानसभाओं की बात है उसके बारे में जनता के मत के संकेत प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेक मामले हुए हैं जहां पर संसद का स्थान एक विशेष पार्टी के उम्मीदवार को प्राप्त हुआ परन्तु उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य दलों के उम्मीदवार जीते। यदि आप पिछले चुनावों को देखें तो बिहार में लगभग 80 विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेस (आई) को बहुमत प्राप्त हुआ है। राज्यसभा में सीटें प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त विघटन का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। हमारे संविधान में राज्यों को कुछ शक्तियां दी गई हैं। संविधान में राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और केन्द्रीय सूची है। राज्य सूची में दिये गये विभिन्न विधियों के मामले में कार्रवाई करने के लिए राज्यों को स्वतन्त्रता प्राप्त है। यह कहना ठीक नहीं है कि यदि संसदीय चुनावों में जनता ने एक दल को वोट दिये हैं तो वे राज्यों में भी उसी दल को वोट

देंगे । उस स्थिति में मैं यह चाहता हूं कि इस तर्क आधार पर गृह मंत्री स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करें कि जिन राज्यों में कांग्रेस (आई) को बहुमत प्राप्त नहीं होगा वहां के संसद सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे । मैं चाहता हूं कि गृहमंत्री इस बात का स्पष्ट उत्तर दें । नौ राज्य विधान सभाओं का विघटन करने के लिए शासक दल द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहाना बनाया गया है । बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात का पता है कि बिहार जैसे राज्यों में भी हरिजनों पर अत्याचार तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद और बिगड़ी है । आंध्र प्रदेश में क्या हुआ ? हैदराबाद में तीन बार साम्प्रदायिक दंगे हुए । इससे पूर्व हैदराबाद में ऐसा कभी नहीं हुआ । हैदराबाद में जब साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे तो तुम्हारे प्रधानमन्त्री क्या कर रहे थे ? आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशनों पर आपराधिक आक्रमण हुए । आपकी प्रधान मंत्री हाथी पर सवार होकर वेलची गई परन्तु आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यजों के प्रति सहानुभूति के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा । अतः स्थिति का निर्धारण करने के लिए कानून और व्यवस्था कोई कसौटी नहीं है । प्रायः इस गृह मंत्री द्वारा सदन के समक्ष यह कहा गया है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और उन्होंने यह कह कर कि जहां तक राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या की बात है केन्द्र को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । इस सदन को जानकारी दी जाने से रोका है । फिर भी आंध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति और वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार इस बात के ज्वलन्त उदाहरण हैं कि सरकार द्वारा राज्यों की शक्ति को समाप्त करने के लिए और देश भर में अपना शासन फैलाने के लिए किस प्रकार अपने बल का उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

हरियाणा, गोआ और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस सरकार ने दल-बदल का सहारा लिया और दल-बदल के द्वारा वहां पर अपनी सरकारों को चलाया जा रहा है । देश में दल-बदल को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लिया जा रहा है । पिछली सरकार ने दल बदल विरोधी कानून बनाने का सोचा था जो बनाया नहीं जा सका । यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार एक ओर तो दल-बदल को प्रोत्साहन दे रही है और दल-बदलुओं की सरकारें बनाने के प्रयास कर रही है और दूसरी ओर दल-बदल नहीं हो पा रहा वहाँ पर नये चुनाव कराने के लिए राज्य विधान सभाओं को भंग किया जा रहा है । बिभिन्न राज्यों में चुनाव होने पर जनता द्वारा उचित उत्तर दिया जायेगा । यह ऐसा मामला है जो देखा जायेगा । मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता । सरकार द्वारा अपनी इस कार्रवाई का औचित्य बताना नितांत मूर्खता है । सरकार संविधान के संघीय एवं धर्मनिरपेक्षता के ढ़ाँचे को नष्ट कर रही है । जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिन स्थानों पर अन्तर्जातीय दंगे हो रहे हैं, चूंकि वे कांग्रेस (आई) के नेताओं के इशारों पर हो रहे हैं अतः इन सब बातों को नजर-अन्दाज किया जा रहा है । हैदराबाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में केन्द्र द्वारा आज तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है । कोई जांच नहीं कराई गई है । जब उनके लिए कुछ सुविधाजनक हो और गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों को राज्यों में यदि कुछ हो तो कानून और व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो जाता है और तब लोगों से विश्वास प्राप्त करने की बात पैदा हो जाती है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया कर रहे थे कि बिहार तथा मध्य प्रदेश में लोकतन्त्री सरकारों द्वारा जिन परिषदों तथा पंचायतों के चुनाव नहीं कराए गए। क्या उन्हें इस तथ्य का पता नहीं है कि आंध्र प्रदेश में भी चुनाव नहीं कराए गए हैं और इस मुख्य मंत्री के शासन पर आने के बाद पांच बार उक्त चुनाव स्थगित करने की घोषणा की जा चुकी है। यह घोषणा की गई कि अप्रैल में चुनाव कराये जायेंगे। परन्तु अब फिर से घोषणा यह की गई है कि चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, कारण कुछ भी रहा हो।

प्रो० एन० जी रंगा (गुन्टूर) : आप तथ्यों को फाँद नहीं सकते। आप तथ्यों की व्याख्या करें। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ये चुनाव नहीं कराए जा सकते।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं आपको बताऊंगा कि न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा और पूरे तथ्य क्या हैं। आंध्र प्रदेश के बदनाम मुख्य मंत्री ने सभी तालुकों तथा पंचायतों का पुनर्गठन करने की मांग की हैं। मैं अपने स्थान के बारे में बताता हूं। मेरा गांव तहसील का मुख्यालय है। मेरे निर्वाचनक्षेत्र से कांग्रेस (आई का उम्मीदवार हार गया इस कारण मुख्यमंत्री तहसील मुख्यालयों को मेरे गांव से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना चाहते थे क्योंकि उस स्थान से जनता के टिकट पर चुना गया विधायक दल बदल कर कांग्रेस (आई) में चला गया था। हमने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और इसी कारण उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है··· (अन्तर्बाधाएं)।

प्रो० एन० जी० रंगा : न्यायालय के निर्णय के कारण चुनाव स्थगित किये गए हैं। पूरे तथ्य बतायें। आधे तथ्य बताना झूठ बोलने के समान है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं उनके दवाब में नहीं आ रहा·····(अन्तर्बाधाएं)। आन्ध्र प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। मुख्य मंत्री ने अपने मकान में लाखों रु० की लागत पर टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की है। कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर जाता है तो उसका काम हो जाता है। यह ऐसे खुले रहस्य है जिनसे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता ····· (अन्तर्बाधाएं) शासक दल के सदस्यों ने इन राज्यों में निर्धन किसानों के साथ होने वाली घटनाओं के प्रति चिंता व्यक्त की है। कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र में पुणे में क्या हुआ ? प्याज के उत्पादकों ने अपने उत्पादक के लिये मार्किट की मांग की और पुलिस ने उन पर गोली चला दी। कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य ने उनके साथ बातचीत की और जब उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसके कहने पर पुलिस ने उन पर गोली चला दी और तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। केन्द्र की यह सरकार इस देश में इस ढंग से लोकतन्त्र लाना चाहती है और संघीय ढ़ांचे को बनाए रखना चाहती है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य बोलने से पूर्व सोच लें। यह वर्तमान सरकार द्वारा आरंभ किया गया निरन्तर किया जा रहा प्रयास है। 1975-1977 के वर्ष इतिहास के वर्ष हो सकते हैं, जैसा कि कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये इतिहास से पाठ सीखना चाहिए। यह बहुत दुख की बात है कि श्रीमती गाँधी के फासिस्ट शासन

और उनकी सरकार के अधिनायकवादी तरीकों की पुनः स्थापना के साथ इतिहास अपने आपको दुहरा रहा है। केन्द्र में तथा इन राज्यों में अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इन स्थानान्तरणों से आसाम की आर्थिक नाकेबन्दी से पता चलता है कि (अन्तर्बाधाएं)।

श्रीमलिक एम० एम० ए० खाँ (ऐटा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब आपकी बारी आए तो आप उनको उत्तर दे सकते हैं।

श्री मलिक एम०एम० ए० खां : इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जब आप अपनी बात कहें आप उनका विरोध कर सकते हैं। आप उनको अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोक सकते। उनको बोलने की स्वतन्त्रता है और वे अपने विचार व्यक्त कर सकते है। (अन्तर्बाधाएं)।

श्री अमर शाय प्रधान (कूच बिहार) : यह क्या हो रहा है। यह सदन है कि क्या? मर्यादा का पालन होना चाहिये। मंत्री महोदय अध्यक्ष—पीठ की ओर अपनी पीठ कर रहे हैं।

(अन्तर्बाधाएं)।

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहें। छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है। अनेक बार मैंने देखा है शासक दल का एक सदस्य दूसरे सदस्य से अथवा मंत्री से बातें कर रहा होता है। क्या कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री से बात करता है तो क्या यह ऐसी बड़ी बात है।

(अन्तर्बाधाएं)।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। मुझे दुःख है कि इस प्रकार की छोटी बातों को राजनैतिक रंग दे दिया जाता है। मुझे बहुत ही दुःख है कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : उन्होंने भी वही बात की थी। अनेक बार वे भी इसी प्रकार बोले थे। (अन्तर्बाधाएं)।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के ध्यान को इधर-उधर करने के लिए छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। ये बहुत छोटी बातें हैं (अन्तर्बाधाएं) हमें अपने राजनैतिक विरोधियों के साथ राजनैतिक ढंग से तथा उचित ढंग से मुकाबला करना चाहिए। (अन्तर्बाधाएं) यह तरीका नहीं है। कृपया अपना भाषण जारी रखें। ये बहुत छोटे छोटे मामले हैं। आप जारी रखें (अन्तर्बाधाएं) शांत रहें, शांत रहें।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे इस सदन में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। हम भी देश के उन्हीं लोगों के द्वारा चुने गये हैं जिनके द्वारा ये चुने गए हैं। यह ठीक है कि वे अधिक संख्या में है। शायद दल का व्यवहार बहुत ही दुःखदायी है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वे गलियों में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे (अन्तर्बाधाएं)।

श्री संजय गांधी (अमेठी) : यह चर्चा से पूर्णतया असम्बद्ध है। इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाना चाहिए। (**अन्तर्बाधाएं**)।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना भाषण दिया है। मैं सायंकाल कार्यवाही वृतान्त देखूंगा और यदि मैंने पाया कि·····(अन्तर्बाधाएं) मैं इसको देखूंगा। (अन्तर्बाधाएं) यह ठीक है।

एक माननीय सदस्य : इसमें कोई गलत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे तत्काल कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाल रहा। (अन्तर्बाधाएं) इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। कृपया बैठ जायें। वे अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जब तक उसमें कुछ असंसदीय न हो ·····(**अन्तर्बाधाएं**)।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य विधान सभाओं को भंग करने के साथ साथ शासक दल इस सदन में विपक्ष की आवाज को भी समाप्त करना चाहता हैं।

मैं जो कुछ बातें कहना चाहता था अधिकतर कह चुका हूं। यह एक ज्ञापन है। (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री संजय गांधी : भारत के लोगों की आवाज है।

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : हम भी इसी देश के लोगों द्वारा चुने गये हैं, जब तक, आप श्री संजय गांधी, उन लोगों को विदेशी न मानते हों, जिन्होंने हमें चुना है। मुझे आज ही एक ज्ञापन मिला है, जिसमें कहा गया है कि आंन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में कांग्रेस (आई) के कहने पर जमींदारों द्वारा हरिजनों को उत्पीडित करने के लिए पुलिस का उपयोग किया गया और उनको लूटा गया है और उनको यन्त्रणा दी गई है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ज्ञापन के आधार पर··· (**अन्तर्बाधाएं**) यह बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यह उचित किस प्रकार नहीं है । क्या माननीय सदस्य ज्ञापन का उल्लेख यहां पर नहीं कर सकते ? (**अन्तर्बाधाएं**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : वे ज्ञापन से उदाहरण दे रहे हैं । वे इस सदन को गुमराह कर रहे हैं । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलें तो आप उसके विरुद्ध बोल सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस सदन में नए सिद्धान्त चुन रहे हैं ।

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : माननीय सदस्य को उस तथ्य की जानकारी होनी चाहिये कि हमारी सरकारी फाइलों तक पहुंच नहीं है । हमें कुछ रिपोर्ट और ज्ञापन पेश किये जाते हैं । मंत्री महोदय इनका विरोध कर सकते हैं और यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह सब ठीक नहीं है सदस्य के रूप में हमें इस सदन में उदाहरण देने का पूर्ण अधिकार है । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें ।

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने पाठ नहीं सीखा तो मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनावों में जनता उनको पाठ सिखायेगी । मैं इस संकल्प का पूरी तरह से विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि वे समझ से काम लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह (गोधरा) : इस सदन में जो आज चर्चा हो रही है मैं उसे ध्यान से सुनता रहा हूं । सब से पहले मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे सदस्य द्वारा एकदलवादी तथा निरंकुशवादी शासन के उल्लेख पर हैरानी हुई है । उन्होने आरोप लगाया कि कांग्रेस (आई) दल इन बातों में संलग्न है । मैं उनसे तथा उनके दल के सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस संसार में जहां जहां पर उनके दल की सरकार है वहीं पर एकदलवादी तथा निरंकुश शासन है । उन्होंने एक बहुत ही अस्वाभाविक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए मतदान करते हैं चूंकि उन्होंने कहा कि बंगाल और केरल के लोग ही बुद्धिमान हैं । मैंने इस प्रकार का अस्वाभाविक तर्क कभी भी नहीं सुना क्योंकि मेरे विचार से जो लोग लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं वे लोग ही बुद्धिमान हैं और वे लोग देश के अधिकतर भागों में कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए मतदान नहीं करते । यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के कुछ भागों में शायद उन्हें कुछ मत प्राप्त हो रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि राजनैतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति न कि बुद्धिमान व्यक्ति ।

श्री जयदीप सिंह : उन्होंने कहा था बुद्धिमान व्यक्ति । प्रश्न यह है कि क्या राजनैतिक रूप से सब से अधिक परिपक्व व्यक्ति वे हैं जो लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं अथवा नहीं ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं ?

श्री जयदीप सिंह : निश्चित रूप से मैं आपसे अधिक विश्वास करता हूं । केवल वह लोग जो लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं और जो बुद्धिमान हैं ऐसे दल को मत देते हैं जिसका लोकतन्त्र में विश्वास होता है । ये आपातकाल की बात करते हैं । आपात काल एक ऐसा होता है जिसको मेरे विचार से बार-बार कोड़े लगाये जा रहे हैं । हमने पहले आपातकाल की बात की जिसके परिणामस्वरूप भारत के लोगों ने कांग्रेस दल के विरूद्ध मतदान किया और हमें शासन का त्याग करना पड़ा । परन्तु उसके बाद क्या हुआ ? चुनाव में आपने आपातकाल की बात की परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । कांग्रेस दल को फिर से शासन की बागडोर दी गई । इससे हर एक को स्पष्टरूप से पता चलता है कि आपातकाल अब भारत के लोगों के लिये महत्व की बात नहीं है । लोग इसे भूल गये हैं ।

विपक्ष के माननीय सदस्य अल्पमत की बात कर रहे हैं । यह एक ऐसी बात है जिससे हम निरन्तर ठगने के लिए प्रयोग में लाते हैं । हम हमेशा आंकड़ों के साथ हेराफेरी करते हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक तरफ ईंटों का एक बहुत बड़ा ढेर है और दूसरी ओर एक मकान है । ढेर में अधिक ईंटें हैं और मकान में कम ईंटें हैं । आप किस को तरजीह देंगे ईंटों के ढेर को अथवा मकान को ? हम मकान हैं । हम कारण देते हैं । ईंटों का ढेर किसी के उपयोग के लिए नहीं है । अतः चूंकि किसी स्थान पर हमारे दल को कम मत प्राप्त हुए आप यह नहीं कह सकते कि हमारा दल शासन नहीं कर सकता अथवा शासन करने के हकदार नहीं हैं ।

अनेक उदाहरण दिये गये हैं कि सरकार आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में असफल है । देश में किन्हीं आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में दिक्कतों का क़ानून और व्यवस्था आदि का उल्लेख किया गया है । परन्तु वास्तव में हमने अभी हाल ही में शासन संभाला है । यह एक ऐसा रोग है जो इस समय विपक्ष में बैठे हुए दल के कुशासन से इस देश में फैलाया गया है । (**अन्तर्बाधाएं**) ऐसी स्थिति है । एक रोगी है जिसका गलत उपचार डाक्टर द्वारा किया गया और वह मरने वाला है । आप उस रोगी को किसी अच्छे डाक्टर के पास ले जाते हैं और आप कहते हैं, "इसे तत्काल रोग मुक्त कर दें । यह किस प्रकार से संभव है । स्वभावतः इसमें कुछ समय लगेगा । हम ठीक रास्ते पर हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में वह भी कुछ ही समय में — हम स्थिति को सुधार सकेंगे । वास्तव में जनता पार्टी ने 301 सीटें, और वह भी उत्तर भारत से, होने के बाद विधान सभाओं को भंग करने का निर्णय किया था । हमने 351 से अधिक सीटें जीती हैं । अतः हमें अधिक शक्ति प्राप्त है । और उपलब्धियों की भी बात है । जनता पार्टी अथवा पिछली सरकार की क्या उपलब्धियां हैं ? उनके कारण साम्प्रदायिक दंगे हुए, अव्यवस्था रही और सब प्रकार की

बातें हुईं । वास्तव में यह शिशु हमें हिरासत में दिया गया है और इसे जीवित रखना हमारा काम है । हम ऐसा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का पता है कि हरिजनों के मकानों पर आक्रमणों तथा हरिजनों को जलाए जाने की बहुत सी घटनाओं में ये काम गांवों के लोगों द्वारा स्वतः नहीं किये जाते । विपक्ष के दल के एक 'विशेष धर्मनिरपेक्ष' वर्ग के सदस्यों द्वारा निर्दयता से इनका आयोजन किया जाता है । वे लोग जनता को ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए उकसाते हैं जिसमें वे कांग्रेस सरकार को बदनाम कर सकें । परन्तु हम इस दबाव में नहीं आने वाले और हम उनका सामना करेंगे ।

मैं एक बात कहना चाहूंगा । वास्तव में, जब राज्य सरकारों को भेज दिया गया था, हम सब को स्पष्ट रूप से यह आशा थी कि राज्यों में स्थिति सरकारों द्वारा जनता के लिये कार्य किया जा रहा होगा । मैं गुजरात का उदाहरण देने की स्थिति में हूं । चूंकि मेरा संबंध उस राज्य से है गुजरात की सरकार क्या कर रही थी ? गुजरात की सरकार जैसी भी थी, सबसे पहले वह 1975 में बहुमत के द्वारा नहीं चुनी गई थी । यह अस्थिरता से चलती रही और इसने अन्यों से, जो जनता पार्टी में नहीं थे मत प्राप्त किये और सरकार बनाने के प्रयास में सफल हुए तथा किसी भी प्रकार से सरकार को बनाए रखा और यह अस्थिर सरकार थी । उन महत्वपूर्ण मामलों में भी कोई कार्रवाही नहीं की गई जिनमें अपेक्षित थी । भूमि सुधारों के मामले में भी वे उल्टा चक्कर चलाना चाहते थे । भूमि सुधारों के संबंध में हमें बताया गया कि उन्होंने एक समितिनियुक्त की, जो उन्होंने कहा, मामले पर विचार कर रही है । मुझे समझ नहीं आता कि वह किस बात पर विचार कर रही थी परन्तु उसने विचार नहीं किया । उसने तीन वर्ष व्यतीत कर दिए और दो वर्ष और व्यतीत करने की उसकी इच्छा थी ।

हम उन्हें बता रहे थे कि चूंकि संसदीय चुनाव निकट हैं, अतः संसदीय चुनावों के साथ साथ राज्य के चुनाव करना और गुजरात में एक अन्य चुनाव से बचना अच्छा है परंतु वे अलग से चुनाव चाहते थे वे कुछ और समय के लिए शासन में बने रहना चाहते थे जिससे कि इस अवधि का उपयोग अपनी पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार करने तथा वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने के लिए किया जा सके । गुजरात में स्थिति केन्द्र राज्यों के समान नहीं है । संसदीय चुनावों के परिणाम आने से पूर्व उनको पता था कि निर्वाचनों का सामना करना पड़ेगा और उस समय से आगे अर्थात अक्टूबर से आगे उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी करने के लिए सभी बातें करनी शुरू कर दीं । अभी हाल ही में, ऐसा प्रतीत होता था कि अहमदाबाद में पुराना राज भवन जिसे बाद में गांधी नगर स्थानान्तरित किया गया था जो कि संरक्षित स्मारक था, सरकार द्वारा एक समिति को बेच दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस राज भवन में राज्यपाल नहीं था या राज्यपाल था ?

श्री जयदीप सिंह : सम्पत्ति 1·5 करोड़ रुपये की थी परन्तु उन्होंने इसे 50 लाख रुपए में बेच दिया और वे 50 लाख रुपए गुजरात सरकार द्वारा सोसाइटी के लिए मन्जूर किये गए

थे। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि ये इस प्रकार के सौदे थे जो चुनाव लड़ने की तैयारी के रूप में किये जा रहे थे।

क्या आपने श्री मोरार जी देसाई के दूसरे घर, गुजरात विद्यापीठ के रूप में ऐसी बातों के बारे में सुना है ? इस गुजरात विद्यापीठ को एक प्रकार के विश्वविद्यालय के रूप में माना जाना चाहिए। इस विद्यापीठ को हाल ही में शब्दकोष के प्रकाशन के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान मिला है। सौभाग्यवश, सरकार बर्खास्त कर दी गई और मेरा विश्वास है कि यह धन-राशि रोक दी गई है। विचार यह था कि गुजरात विद्यापीठ यह 50 लाख रुपए प्राप्त कर ले और उसके बाद जनता पार्टी इस राशि को अपने प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये।

गुजरात में उन्होंने जो भी प्रयास किया वह संदेहास्पद था। नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत बड़े शहरों के चारों ओर कुछ जमीनें हरी पट्टियों के लिए आरक्षित की गई थी। उन्हें अनुसूचित कर दिया गया तथा उसे आवास कालोनियों के लिए लोगों को दे दिया गया है और लोगों से चुनाव कार्यों के लिये भारी राशि ले ली गई है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार राज्य सरकार चल रही थी। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं हैं कि उसे बर्खास्त करने में हमने सही काम किया या गलत। मैं समझता हूं कि इसे बहुत पहले ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था। जब हमने उसे बर्खास्त किया तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इस ढग से वे कार्य कर रहे थे।

आखिर, हम ऐसी राज्य सरकार को कब तक सहन कर सकते हैं जो जान-बूझकर केन्द्रीय सरकार के साथ टकराव रखे ? जब हमने निवारक निरोध अधिनियम पारित किया और उसे क्रियान्वित करने के लिए उनसे कहा तो गुजरात के मुख्यमन्त्री ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ? राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो जिन लोगों के बारे में हमने उनसे बहुत-ही निश्चित रूप से सूचना दी थी कि ये लोग जमाखोरी, काला बाजारी या तस्करी से सम्बन्धित है, और जब राष्ट्रपति शासन के अधीन अधिकारियों ने उन लोगों के विरुद्ध कार्य-वाही की तो उनके पास करोड़ों रुपए का मिट्टी का तेल, चीनी और सभी प्रकार की अन्य वस्तुएं पाई गई ऐसा बताया जाता है कि इन लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने सरकार को बहुत बड़ी धनराशि दी हैं और इसीलिए उनका बचाव किया जा रहा था। यदि लोकतन्त्र के नाम पर हमें इसी प्रकार की सरकार को सहन करना है तो मेरा इससे अत्यधिक मतभेद है। बहुत ही सही ढंग से कार्यवाही की गई है और लोगों को, निश्चित रूप से, भारी परेशानी से बचाया गया है।

श्री विरधी चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी, 1980 को प्रोक्ले-मेंशन के द्वारा जो विधान सभायें भंग की गई हैं, राजस्थान की जनता ने उस निर्णय का बहुत ही स्वागत किया है। यह कदम एक ऐतिहासिक कदम है और प्रजातन्त्र की रक्षा के हेतु, संविधान

की रक्षा के हेतु उठाए गए कदम को राजस्थान की जनता ने बहुत ही सराहा है और बहुत प्रशंसा की है।

राजस्थान में पिछले कांग्रेसी शासन में भूमिसुधार के संबंध में जो प्रगतिशील कदम उठाए थे, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जमीनें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को दी थी, उन जमीनों को जनता पार्टी के शासन में वहाँ के सामन्तवादियों ने, भूतपूर्व जागीरदारों ने हड़प लिया। वहां की सरकार ने इस प्रकार के मनमाने कदम उठाए, जिससे वहां के लोग परेशान रहे। भूमि सुधार के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, वे कदम तो नहीं उठाए गए, लेकिन जो कदम उठाए गए, वे कदम लोगों को दबाने के लिए, लोगों पर जुल्म ढाने के लिए उठाए गये और उससे वहां पर इस प्रकार की स्थिति रही कि वहां जनता पार्टी के शासन में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में जिस तरह की अकाल की स्थिति पैदा हुई, उस के लिए वहां पर राहत-कार्य नहीं खोले गये। हमारे शासन काल में प्रायः दिसम्बर और जनवरी में अकाल की स्थिति पैदा होती थी, जिसका सामना करने के लिए तुरन्त राहत कार्य खोले जाते थे, 50-60 हजार मजदूरों को काम दिया जाता था, लेकिन इनके शासन काल में 10 हजार मजदूर भी कार्यरत दिखाई नहीं देते थे, उनको राहत कार्यों में नहीं लिया जाता था, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। आज भी स्थिति इस प्रकार की है कि इस समय जो गवर्नमेंट वहां पर है, उससे भी हमें सन्तोष नहीं है। वह अधिकारियों की सरकार है और उस का ध्यान भी विशेष इस तरफ नहीं है। उदाहरण के लिए अभी हाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी जोधपुर गई थीं, वहां भी इस काम को उसी दिन खोला गया। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पहुंची, तो वहां की महिलाओं ने, मजदूरों ने उन से कहा कि हमें कभी भी मजदूरी नहीं दी गई, आज ही यह कार्य खोला गया है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जनता यह चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द हों और जो अधिकारी वहां शासन कर रहे हैं, वे आई० ए० एस० अफसर, कलेक्टर, एस० पीज, जो सामन्तवादी विचारों के हैं, जो लोगों को हर तरह से दबाना चाहते हैं—उनका राज समाप्त हो। जनता पार्टी के शासन में ऐसे अधिकारियों को वहां लिया गया, जो उनकी विचारधारा के थे और वे आज भी जमे हुए हैं, आर० एस० एस० के लोग पुलिस में प्रवेश कर गये हैं, टीचर्स के रूप में गांव-गांव में पहुंच गये हैं, ग्राम-सेवक के रूप में पहुंच गए हैं जिन के कारण खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिये हम चाहते हैं कि इस शासन को जल्द से जल्द पलटा जाय।

मंहगाई की स्थिति भी यही है कि जब तक वहां अधिकारियों का शासन रहेगा और चुनाव नहीं होंगे, मंहगाई पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। वितरण प्रणाली के बारे में केन्द्रीय सरकार चाहे जितने आदेश दे, डायरेक्शन्ज दे, अधिकांश अधिकारी ब्यूरोक्रेटिक किस्म के

हैं, उन पर उन आदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिये हमारी जनता चाहती है कि इस ब्यूरोक्रेटिक-सेट-अप में क्रांतिकारी परिवर्तन हो और यह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि वहां पर जल्द से जल्द चुनाव हों ।

आप को मालूम है—45वें संविधान संशोधन को हमारी लोक सभा ने 23 जनवरी को पास किया था और राज्य सभा ने उस को ता० 24 जनवरी को पास किया था । उस के बाद उस का राज्य की विधान सभाओं द्वारा रेटिफिकेशन होना था, क्योंकि उसके द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के रिजर्वेशन्ज को कायम रखना था, लेकिन इन राज्य सरकारों ने इस काम में कोई सहयोग नही दिया । यू० पी० की सरकार इस काम के लिए तैयार नहीं हुई, महाराष्ट्र की सरकार भी तैयार नहीं हुई जब कि होम मिनिस्ट्री ने इस के लिए पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन्ज और डायरेक्शन्ज भेजी थी—लेकिन उन डायरेक्शन्ज का पालन नहीं किया । इस से जाहिर होता है कि जनता पार्टी या लोक दल के शासक जो उन प्रदेशों में थे, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के पक्ष में नहीं थे, उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिये जानबूझ कर उन्होंने उस संशोधन का रैटिफिकेशन नहीं किया । यदि वे इसका रेटिफिकेशन कर देते तो हम समझ सकते थे कि वे वास्तव में उनका विकास करना चाहते हैं, परन्तु उन्होंने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया । उनका उद्देश्य यही था कि ऐसा शासन चलाया जाय, जिस से गरीबों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को परेशान किया जा सके ।

जब इस प्रकार की पार्टियों का शासन उन प्रदेशों से चला गया, तो लोगों ने एक राहत की सांस ली और उन्हें बहुत ही सांत्वना मिली, एक बड़ा भारी सेटिस्फेक्शन मिला । इसलिए इस बारे में जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, उससे में अपनी सहमति प्रकट करता हूं और मेरी अपनी राय यह है कि जल्दी से जल्दी इसको सहमति प्रदान की जाए और सारा हाऊस इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करें ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं को लागू करवाने में इस सरकार की कार्यवाही द्वारा मूल प्रश्न उठाये गए हैं । निःसंदेह प्रारंभिक रूप से मैं इसे एक संवैधानिक प्रश्न नहीं मानता, वास्तव में यह एक राजनैतिक प्रश्न है परन्तु फिर भी कुछ संवैधानिक औचित्य और संवैधानिक प्रथा तथा सिद्धान्तों के कुछ पहलू ऐसे हैं जो उत्पन्न होते हैं ।

पहला प्रश्न यह है कि क्या इस संविधान, जैसा कि यह इस समय है, की सीमाओं के भीतर केन्द्र में चल रही किसी ऐसी सरकार जो किसी विशेष राजनीतिक दल के हाथों में या नियंत्रण में है, तथा राज्यों में सरकारें या कुछ राज्य या बहुत से राज्य या अधिकांश राज्यों में, जहां अन्य दलों की सरकारें हों और जिनका स्वरूप भिन्न है, के लिए चलाना सम्भव है या नहीं, और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं ?

थोड़ी देर पहले मेरे मित्र, श्री पाटिल बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि मैंने उन्हें गलत नहीं समझा है। वह जो कुछ बोल रहे थे उससे मैं यह समझा हूं कि वह महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है जब ऐसी बातें ओर अधिक समय के लिये नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः, संबिधान में परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह कहा था कि यदि मै ऐसा समझा हूं तो।

वह यह कह रहे थे कि मेरी राय में देश में सरकार के लिए कार्य करना सम्भव नहीं है, यदि केन्द्र में सरकार एक दल के हाथों में हो और राज्यों या कुछ राज्यों में सरकार दूसरे दलों के हाथों में हो।

मैं इतना बड़ा और इतना विद्वान आदमी तो हूं नहीं जो इस प्रश्न का समाधान बताऊं। मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार उसके ढ़ांचे के भीतर ऐसी बातें अनुपेय है। यदि कोई यह निर्णय करना चाहे कि अब समय आ गया है कि ऐसी बातें अब और अधिक अनुपेय नहीं है, यह कि हर व्यक्ति को एक ही विचारधारा का होना चहिए, यह कि समूचे देश में केन्द्र तथा राज्यों में एक ही दल की सरकार होनी चाहिए, यह कि किसी और प्रणाली की अनुमति नहीं दी जायेगी, तो इस संविधान के ढ़ांचे के भीतर ऐसा परिवर्तन नही लाया जा सकता। कहीं न कहीं परिवर्तन करना होगा।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

मैं इस बात से सहमत हूं कि यह संविधान पूर्ण रूप से संघीय संविधान नहीं है। यह सच है कि यह अर्द्ध-संघीय संविधान है। अतः दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम राज्य सभा का सम्मान कैसे करते हैं ? संविधान के निर्माताओं ने राज्य सभा की व्यवस्था ही क्यों की थी ? क्या यह इस अर्द्ध-संघीय सिद्धान्त का द्योतक नहीं है ? क्या यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यों की सभा नहीं हैं जो इस सभा से भिन्न है। जब इसे गुरूजनों की सभा कहा जाता है तब तो यह और भी गलत नाम लगता है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इस समय सभी नवयुवक वहां है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे जैसे बहुत-से वयोवृद्ध आदमी यहां हैं। कुछ भी हो, यह राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर आधारित है। अतः जब यह बनी हुई है तो उस सभा के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए ? क्या यह सम्मान का रवैया हो या यह दावा करने का रवैया, कि उस सभा का अवर दर्जा है और यह कि यह भारतीय संसद का पूर्ण अंग नहीं है ? दो सभाएं हैं परन्तु एक प्रवर है और दूसरी अवर ? एक तो दिखावा मात्र है। मैं यह नहीं जानता कि हमारा

क्या रवैया होगा। क्या राज्य सभा के लिए ऐसा होना चाहिए कि वहां ऐसा बहुमत हो, जो उस दल का नहीं है जो दल देश पर शासन कर रहा है और लोक सभा में जिसका बहुमत है ? ऐसी बातों की संविधान में लिखित रूप में व्यवस्था नहीं है परन्तु लोगों के निर्णय के परिणामस्वरूप ऐसी बातें हुई हैं, और न कि किसी व्यक्ति द्वारा किये गए किसी राज्य विप्लव के कारण, परन्तु उस कारण हुई है जिसे यहां सही ढंग से लोगों की इच्छा शक्ति बताया जा रहा है।

परन्तु यह लोगों की इच्छा मात्र है चाहे इसे किसी रूप में व्यक्त किया गया हो और चाहे उन्हें समझदार समझा जाये या ना समझ, चाहे जो कुछ हो परन्तु मैं उस समय सदैव प्रसन्न होता हूं जब मैं देखता हूं कि महाराजा और भूतपूर्व महाराजा अचानक ही लोकतंत्र के इतने बड़े समर्थक बन जाते हैं, खैर, ऐसा लोगों की इच्छा के कारण हुआ है कि राज्य सभा का राज्य विधान सभाओं के माध्यम से उस प्रकार का गठन हुआ है। अभी राज्य सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर एक संशोधन पारित किया था। आप संभवतया उस संशोधन से सहमत न हों परन्तु वह राज्य सभा द्वारा पारित एक संशोधन है जिसमें "गैर-कांग्रेस-आई सरकारों के अधीन राज्यों में विधान सभाओं में बड़े पैमाने पर दल-बदल करवाने और ऐसी विधानसभाओं को संघीय सिद्धान्तों की धारा का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से भंग करने के खेदजनक प्रयासों के विरुद्ध चिंता व्यक्त की गई।" यह संशोधन था जो वहां लाया गया। अब, स्पष्ट है कि इससे गतिरोध उत्पन्न होता है। परन्तु जबकि संविधान में ऐसी संसद की व्यवस्था है जो दो सदनों से मिलकर बनी हो और दोनों सदन ऐसे किसी प्रश्न पर टकराव का रवैया अपनाते हैं तो उसे किसी न किसी रूप में निपटाना होता है। उसे राज्य सभा को भंग करके नहीं निपटाया जा सकता। राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लोक सभा को भंग किया जा सकता है परन्तु राज्य सभा को नहीं। यह संविधान है। परंतु कम से कम उसके प्रति कुछ सम्मान तो दिखाया जाना चाहिए और जो कुछ किया जा रहा है वह राज्य सभा के अपमान के समान है। परन्तु इसके लिए कोई उपबंध नहीं है, जिन्होंने राज्य सभा के प्रति अपमान दिखाया है उनकी विशेषाधिकार समिति के समक्ष भर्त्सना करने के लिए कोई उपबंध नहीं है वह खामी है। मैं जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं और हमारे दल ने जनता पार्टी का तब ही से घोर विरोध किया जब वह सत्ता में आई थी। (व्यवधान) मैं यह भली-भांति जानता हूं कि एक बार जब हमने आपको समर्थन दिया था तब उस गलत धारणा, जो हमारी थी, से आप प्रसन्न थे। मैं वह जानता हूं। मुझे इन सब बातों का डर नहीं है। उस पूरी अवधि में मैं यहां था। जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो उसने संविधान की इस भावना— संविधान की संघीय भावना को अंतिम रूप से समाप्त करने का कार्य पूरा कर दिया और अब हमारे गृहमंत्री, सम्माननीय गृहमंत्री, सरदार ज्ञानी जैलसिंह उस कार्यवाही को उचित ठहरा रहे हैं जो इस सरकार ने की है और इसके लिए वह एक ही बात कह रहे हैं। मैं आज की उनकी प्रस्तावना टिप्पणियों से नहीं, जो इतनी संक्षिप्त है कि उद्धृत नहीं की जा सकती अपितु उन्होंने जो बात बाहर कही है उससे उदाहरण देता हूं : "हमने केवल वही किया है जो जनता सरकार ने 1977 में किया था।" अतः यहां इस सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि सभी अन्य

मामलों पर यहां पर हम रोजाना यह सुनते हैं कि जनता सरकार ने ढ़ाई वर्षों या तीन वर्षों में यह किया और वह किया, और वह किया, उसने हर चीज को बिगाड़ दिया और नष्ट कर दिया और वे हर चीज को बदलने जा रहे हैं परन्तु जनता पार्टी की सरकार ने एक लोकतांत्रिक सिद्धांत स्थापित किया कि जब कभी भी आप सत्तारूढ़ हों तो उस शक्ति का राज्यों की उन सभी सरकारों को गिराने के लिए उपयोग करो जहां आपके दल की सरकारें नहीं हैं और जनता सरकार द्वारा रखे गये इस लोक तांत्रिक सिद्धांत का कांग्रेस आई द्वारा भी पूर्ण रूप से स्वागत किया जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। कार्य पद्धतियां मामूली-सी भिन्न थीं। जहां तक मुझ याद है, जनता पार्टी की सरकार ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को त्याग-पत्र देने को कहा था उन्होंने सीधे उनसे त्यागपत्र देने को कहा और जब उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया तो विघटन अथवा बर्खास्तगी की गई। सर्व प्रथम, दल बदल करवाने की कोशिश करने के लिए दूत भेजे गये। उन्होंने सोचा कि यदि दल बदल से ऐसा किया जा सके तो इस अप्रिय विघटन या बर्खास्तगी की जरूरत नहीं है। ~~परन्तु~~ जब यह पाया गया कि बड़े पैमाने पर दल-बदल नहीं करवाये जा सकते ~~तो यह~~ निर्णय किया गया कि अच्छे ढंग से कार्य सम्पन्न किया जाये। अतः यह दूसरी बार अन्तिम कार्य किया गया। यह एक ऐसा प्रश्न है कि इन दोनों सरकारों के कार्य में कोई अंतर नहीं है। इस मामले में लेशमात्र भी मूल अन्तर नहीं है। उस समय हमने जनता सरकार ने जो कुछ किया उसका विरोध किया और इस समय भी आप जो कुछ कर रहे हैं उसका हम निस्संकोच विरोध कर रहे हैं। आप केवल उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं।

यह तथ्य, कि विघटन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति को उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया है—कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है ...।

एक माननीय सदस्य : नैतिक रूप से भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, जी। मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय से हम किस प्रकार का सबक सीखेंगे परन्तु इतना निश्चित है कि हमें उसके कानूनी और संवैधानिक विनिर्णयों का पालन करना है। परन्तु ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।

जहां तक इस पुस्तक का सम्बन्ध है, कोई भी व्यक्ति आपके अधिकार की चुनौती नहीं दे रहा है। आपको अधिकार मिला हुआ है; आपको बहुत सी बातें करने का अधिकार मिला हुआ है। परन्तु मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ प्रथाएं हैं? क्या कुछ परम्पराएं हैं? इस संविधान में संशोधन किये जाने से पहले, जब राज्य विधान सभाओं के विघटन या राज्य सरकारों की बर्खास्तगी या तो कानूनी और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने या संविधान के उपबन्धों के अनुसार शासन चलाने में राज्य सरकार की असमर्थता के आधार पर राज्यपाल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ही उचित कही जा सकती थी।

एक माननीय सदस्य : अन्य तरीकों से भी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे याद है कि पिछले वर्षों में इस सभा में अनेकबार—यद्यपि इस संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल का प्रतिवेदन सार्वजनिक रूप से बताया जायेगा— ऐसा यहां कुछ नहीं लिखा है—तथापि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ राज्यपाल के प्रतिवेदन की प्रति सभी संसद सदस्यों में परिचालित की जाती रही है अतः स्वाभाविक ही है कि यह सार्वजनिक दस्तावेज था । ऐसा क्यों किया जाता था ? यह अनिवार्य नहीं था । संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो प्रतिवेदन गोपनीय रूपसे केन्द्र को भेजे उसे सार्वजनिक रूप से बताया जाये लेकिन ऐसा किया जाता था । यह स्वस्थ्य सिद्धान्त था । ऐसा इसलिए किया जाता था कि यदि राज्यपाल का प्रतिवेदन गुप्त या गोपनीय रखा गया तो लोगों के मन में, हर आदमी के मन में यह एक अवांछित सन्देह पैदा हो जाता है कि जो कार्यवाही की जा रही है वह निष्पक्ष नहीं है । इसलिए राज्यपाल का प्रतिवेदन परिचालित किया जाता रहा हैं ।

इस समय, राज्यपाल के प्रतिवेदन के अतिरिक्त राष्ट्रपति की 'अन्यथा' संतुष्टि है । आप फिर तर्क कर सकते हैं । वह 'अन्यथा' संतुष्ट है और सरकार के लिए यह बताना आवश्यक नहीं है कि वह किन आधारों पर संतुष्ट है । यदि आप संविधान के शब्दों की यह अनमनीय व्याख्या करने हैं तो फिर आपका आधार सुरक्षित है परन्तु यदि आप मुझे पढ़ने की अनुमति दें तो मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 365 की ओर दिलाना चाहता हूं :—

> "जहाँ इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये किन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उनका प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहाँ राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधि संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता ।"

अतः अनुच्छेद 356 को अनुच्छेद 365 के साथ पढ़ा जाना चाहिए । अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि ऐसा आधार होना चाहिए, यथा, कि यदि राज्य संघ की शक्ति के प्रयोग में दिये गये निदेशों का अनुवर्तन करने में असफल रहता है और यदि राज्य उन निदेशों का अनुवर्तन करने से इनकार कर देता है तो राष्ट्रपति कह सकता है वह संतुष्ट है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता ।

यह संसद इस देश में अब तक सर्वोच्च निकाय रही है जो ऐसा ऊंचा निकाय जो संविधान के अधीन सर्वोच्च निकाय है । मैं नहीं जानता कि यदि आपने अपना तरीका अपनाया तो आज कल इसका क्या बना देंगे, परन्तु देश में अभी भी यह सर्वोच्च निकाय है और क्या हम यह आशा नहीं कर सकते, यद्यपि राज्यपाल का कोई प्रतिवेदन नहीं होगा, जैसा कि राज्यपाल का प्रतिवेदन परिचालित किया जाता था—तथापि सरकार को कम से कम आगे आकर हमें बताना

चाहिए कि वे विशिष्ट निदेश कौन-से है जो विभिन्न राज्य सरकारों, इन नौ राज्य सरकारों को दिये गये थे और उन निदेशों के किन-किन उपबन्धों का वे पालन नहीं कर सके जिनके आधार पर वे संतुष्ट हैं कि शासन नहीं चलाया जा सकता ? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सब बाद के बिचार हैं इस समय गढ़े गये विचार हैं, जो खराब मामले का बचाव करने की कोशिश है। कहीं यह कहा जाता हैकि मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं किया जा रहा था, कहीं यह कहा जाता है कि काला बाजारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था कहीं यह कहा जाता है कि हरिजनों की हत्या की जा रही थी। वस्तुतः ऐसा था परन्तु अब क्या हो रहा है ? इन उद्-घोषणाओं की तारीख 17 फरवरी है और आज 25 मार्च है। अब क्या हुआ है ? क्या मूल्य गिर रहे हैं ? निवारक नजरवन्दी अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों को जमाखोरी और काला-बाजारी के लिये नजरबंद किया गया है ? क्या इस अवधि के दौरान किसी हरिजन की हत्या नहीं की गई है ? क्या इस अबधि में दगों में कोई मुस्लिम नहीं मारे गये है ? अतः यह किस प्रकार का तर्क है ? जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह सब ऐसी बातें हैं जो बहुत गम्भीर हैं और मात्र मंत्रियों या सरकार के परिवर्तन से इन पर नियंत्रण या इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। ये बुराइयां समूची प्रणाली जिसमें हम रह रहे हैं, में गहरी जड़ें जमाये हुए है परन्तु समूची स्थिति को कृत्रिम ढंग से समझाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि यदि इन राज्यों में से किसी भी राज्य को केन्द्र द्वारा कोई विशेष निदेश दिये गये हों और राज्य सरकारों ने उनका पालन करने से इनकार किया हो तो आपको चाहिए कि आप उनके बारे में सभा को बताएं। विशिष्ट निदेश का मतलब यह नहीं है कि यहां अधिनियम पारित किया जाये, कानून पारित किया जाये। कुछ मित्रों ने निवारक निरोध अधिनियम का उल्लेख किया है और कहा है कि कुछ राज्य सरकारों ने इसके अधीन कोई कार्यवाही नहीं की है और यहां तक कहा है कि वे उसके अधीन कोई कार्यवाही नहीं करेंगे परन्तु विशिष्ट निदेश का यह मतलब नहीं है। केन्द्र द्वारा किसी राज्य सरकार को ऐसा विशिष्ट निदेश दिया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि "हमारी अपनी आसूचना एजेंसियों के माध्यम से हमारी यह जानकारी है कि आपके राज्य में अमुक व्यक्ति 2 या 3 या 4 या 10 या दो दर्जन व्यक्ति बड़े पैमाने पर कालाबाजारी और जमाखोरी करने में लगे हुए हैं और हम आपको यह निदेश दे रहे हैं कि हम आपको ऐसा करने के लिए विधायी शक्ति पहले ही दे चुके हैं, अतः उन्हें नजरबन्द कीजिए।"

श्री गुलशेर अहमद : आपका कहने का मतलब यह है कि निदेश जारी करना, अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में, पूर्ववर्ती शर्त है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि अनुच्छेद 365 में 'राष्ट्रपति की सन्तुष्ट' के किस अर्थ को बताया गया है। मेरी राय में, यदि सरकार इस सभा का कोई सम्मान करती है तो यह नैतिक अनिवार्यता है कि वह सभा को इस बारे में बतायें। आखिर, यह एक साथ किया गया कार्य है; अलग-अलग करके नहीं किया गया है; यह एक ऐसा कार्य है जिसमें नौ राज्यों के एक साथ संहार किया जा रहा है। कम से कम हमें एक-एक करके

बतायें कि वे कौन-कौन से विशिष्ट निदेश हैं जिनकी राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षा की गई या जिनका उल्लंघन किया गया। कुछ नहीं किया गया है क्योंकि गृह मंत्री समझते है कि मात्र यह बताना आवश्यक है कि वे ठीक वही कार्य कर रहे हैं जो 1977 में जनता सरकार ने किया था। सब तर्कों में बड़ा तर्क यही है ..... ।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही उन्होंने कहा है। यदि ऐसा ही है तो मैं उस पक्ष के अपने मित्रों से पूछूंगा कि जब उन लोगों ने 1977 में यही कार्य किया था तो आपने शोर क्यों मचाया और क्यों चिल्लाहट की ? अब आप वही कार्य कर रहे हैं, क्यों ?

शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उच्चतम न्यायालय ने इसे वैध ठहराया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री शंकरानन्द, मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं। आप अपनी फाइल पढ़ने में व्यस्त थे।

अतः मैं जो कुछ करना चाहता हूं वह यह है कि जब कभी जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, के लिए यह सुविधाजनक होता है, अर्थात्, समूचे देश में एक दल का शासन हो तब ही वह इसे लागू करती है या करने की कोशिश करती है कि उनके मार्ग में किसी को नहीं आने दिया जायेगा। और ये मूल प्रश्न, जो संघीय सिद्धान्त को प्रभावित करते हैं, उत्पन्न हुए हैं। उन्हें इस प्रकार नहीं हटाया जा सकता। सभापति महोदय, आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए यदि मैं यह कहूं कि जब आप यहां से बोल रहे थे तो आपके कहने का तात्पर्य यह था कि तर्क के आधार पर और अनिवार्य रूप से हम देश के विकास के ऐसे चरण में पहुंच रहे हैं जहां वर्तमान शासक दल इस संविधान को समाप्त कर अन्य दलों का किसी भी राज्य में निर्वाचित होकर सत्ता में आना असंभव कर देगा..... ..... ।

सभापति महोदय : केन्द्र और राज्यों में एक ही समय में चुनाव कराकर समाधान निकाला जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इसके बारे में देखेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : (बम्बई उत्तर) पहले हमारे यहां ऐसा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा कहना यह है कि लोक सभा चुनावों में विपक्षी दलों की पराजय के बारे में जो दलील दी गई है, वही दलील उस समय दी गई थी जब 1977 चुनावों में आपके दल की हार हुई थी। तब कई राज्यों में कांग्रेसपार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। तब भी यही दलील थी कि

ये विधान सभाओं और सरकारों को बरखास्त कर दिया करते थे। अब आप जनता पार्टी से झगड़ सकते हैं और मैं इसे बुरा नहीं मानता; और वे आप से झगड़ सकते हैं। इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन विपक्ष को उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें तो मिलीं – मेरे ख्याल में उन्हें 36 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। बिहार में उन्होंने 17 सीटें प्राप्त की। मैं नहीं जानता कि विधान सभा चुनावों में क्या होने वाला है। मान लीजिए, यदि किसी राज्य में आपकी पार्टी को बहुमत न मिल सका, तो जो संसद सदस्य उस राज्य से निर्वाचित होकर आए हैं उनको इस दलील के अनुसार क्या होना चाहिए ? क्या उन्हें त्याग-पत्र देना होगा ? यह क्या दलील है ? यह दलील बचकानी है।

इस बात के आपको हमें ठोस उदाहरण बताने होंगे कि विपक्षी दल केन्द्र के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी उस विधेयक का सवाल है। जिसका उल्लेख किया गया है: मैं समझता हू कि विपक्ष न अपेक्षा से अधिक सहयोग दिया। राज्य सभा में विपक्ष का बहुमत होते हुए भी इसे बहुत कम समय में पारित कर दिया गया। हम सैकड़ों बार कह चुके हैं कि जहां तक उन उपायों का संबंध है जो प्रगतिशील उपाय हैं और हितकर हैं, विपक्ष आपका समर्थन करेगा। कौन सी राज्य विधान सभा उस विधेयक का अनुसमर्थन नही करने वाली थी ? हर कोई इसका समर्थन करता.....।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश—केरल और पश्चिम बंगाल नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इन सारे राज्यों की जरूरत नहीं। केवल आधे राज्य ही पर्याप्त होते।

अत: इस सारी कार्यवाही का तत्काल लक्ष्य, जैसा कि मैं समझता हूं, यह है कि इसके दो उदेश्य हैं। एक तो है राज्य सभा और दूसरा, देशभर में एक दलीय शासन स्थापित करना दुर्भाग्यवश, एक अथवा दो राज्य ऐसे हैं जहां वे इस बात का दावा करने की स्थिति में नहीं हैं कि उन दलों अथवा उन सरकारों ने लोगों का विश्वास खो दिया है। वे ऐसा नहीं कर सकते। अत: वहां अराजकता के अपनाए जा रहे हैं। हमें गम्भीर आशंकाएं हैं। पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जा रही है अथवा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है जो कभी सुनने में नहीं आई। मैं नहीं समझता कि स्वतन्त्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा दृश्य हमें देखने को मिला हो जहां भारत संघ के दो राज्यों को आपसी मुठभेड़ अथवा एक दूसरे के विरुद्ध गृह-युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया गया हो।

एक माननीय सदस्य : केन्द्र द्वारा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और असम में कांग्रेस (आई) यूनिट वहां चल रहे आन्दोलन को

समर्थन दे रही है और जिस तरह से यह आन्दोलन वहां चलाया जा रहा है और पश्चिम-बंगाल में कांग्रेस (आई) तथाकथित जवाबी आन्दोलन चला रही हैं जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक नाकाबन्दी की जा रही है, मैं समझता हूं, इस देश में कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। इस देश के इतने वर्षों के इतिहास में क्या हमने कभी ऐसी बात देखी है—जिसमें एक राज्य ने दूसरे राज्य के विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी की हो ?

एक माननीय सदस्य : यह सब तब शुरू हुआ जब आप लोग सत्ता में थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मामला ऐसा नहीं है जिसकी अनदेखी की जा सके। यह सब वहां की वामपंथी सरकार को परेशानी में डालने वाली स्थिति उत्पन्न करने के लिए, ऐसे हालात पैदा करने के लिए किया जा रहा है ताकि यह कहा जा सके कि वहाँ कानून और व्यवस्था की समस्या है। वास्तव में, मैं इतना आंतकित नहीं हूं जितने कि मेरे कुछ मित्र हैं। मैं समझता हूं कि वामपंथी सरकार पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की देखभाल करने के लिए काफी सक्षम है। लेकिन असम में बंगालियों और अल्पसंख्यकों का समर्थन करने के नाम पर क्या किया जा रहा है ? मैं बंगाली हूं क्या आप समझते हैं कि असम में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमारे कोई विचार और भावनाएं नहीं हैं ? क्या हम इसकी जिम्मेवारी लें··· । (व्यवधान)। तो, आप यह कर रहे हैं। उनका मतलब है कि आप ही कर रहे हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : इस सब की शुरुआत तब हुई जब आप सत्ता में थे। आप अब बुद्धिमत्ता का दावा नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति महोदय, हम रोजाना इस मसले को सदन में उठा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अब तक इसमें सफल नहीं हुए हैं यह असाधारण स्थिति है और प्रधान मंत्री महोदया सदन में बार-बार यह कह चुकी हैं कि वह कोई ऐसी कार्यवाही किए जाने अथवा कोई ऐसी बात कहे जाने के पक्ष में नहीं है जिससे तनाव बढ़े। लेकिन, लगता है कोई नहीं सुनता। क्या हम इसे निर्दोष मामला समझें ?

मेरा कहना यह है हम इस बात को महसूस करते हैं गहराई से महसूस करते हैं कि सत्तारूढ़ दल के एक वर्ग द्वारा पश्चिम बंगाल में जो कुछ किया जा रहा है उससे असम में अल्पसंख्यकों, विशेषकर, बंगाली अल्पसंख्यकों के रक्षा होना तो दूर, उल्टे वे लोग और बड़े खतरों में पड़ जाएंगे, उनका जीवन और उनकी सम्पत्ति खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि वहाँ ऐसे अतिराष्ट्रीय तत्व हैं जो असम में इन तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं और जो बंगाल में इस जवाबी—आन्दोलन का लाभ उठाकर असम में वहाँ के लोगों की भावनाओं से जब तब खिलवाड़ करते हैं और फिर कहते हैं कि ये लोग तथा-कथित आर्थिक नाकाबंदी द्वारा हम पर दबाव डाल रहे हैं और लोगों को वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने तथा उनका दमन करने के लिए उकसाते हैं। किन्तु, ऐसा लगता है कि एक तरह का खतरनाक, गैर-जिम्मेदाराना जुआ खेला जा

रहा है । मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो हमें बतलाएंगे कि इस जुए के पीछे क्या रहस्य है ? इसके प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है उससे आप स्वयं को पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकते । इतना भोला-भाला कोई नहीं है जो इस बात पर यकीन करले कि सरकार इस आन्दोलन को रोकना चाहती थीं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकी । वास्तव में, यह उन्हीं की स्वीकृति से किया जा रहा है भले ही वह अप्रत्यक्ष स्वीकृति हो । (व्यवधान) क्यों न हम ऐसा संदेह करें कि निश्चय ही इस योजना का एक उद्देश्य वामपंथी सरकार के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न करना और फिर उस सरकार को सत्ता से हटाने का प्रयत्न करना है । क्या मैं यह कह दूं कि मेरे मित्र श्री गनी खान चौधरी बोलते समय कभी-कभी अशिष्ट हो जाते है ? यह कह कर कि 'हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम वाम-पंथी सरकार को बंगाल की खाड़ी में न फेंक दें' उन्होंने ही इस विवाद को भड़काया है ।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसूब्बया) : कल, जब श्री चौधरी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि यदि वाम-पंथी सरकार का यही कुशासन चलता रहा, तो पश्चिम बंगाल के लोग इस सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे । उन्होंने यही कहा था । (व्यवधान) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ भी कहा हो, मैं बुरा नहीं मानता । यदि उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया तो वह लाल सागर में बदल जाएगी । (व्यवधान) पीले से वह बेहतर है । इसलिए महोदय, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, यह है कि हम राष्ट्रपति की उद्घोषिता को पूरी तरह खिलाफ हैं । वे भी जनता पार्टी के ही चरण-चिन्हों पर चल रहे हैं । शायद गृह-मंत्री को इस पर काफी गर्व है । अतः, मैं क्या कहू ? मैं कुछ हिन्दी शब्दों के साथ समाप्त करता हूं :

मंदिर वही, हैं, पंडे बदल गए,
गलियां वही हैं**

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : चेयरमैन साहब, यह तो बहुत बुरा एसपर्शन है । मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे सीनियर और पुराने मेम्बर से यह उम्मीद नहीं करता था कि वह ऐसा मीडियम इस्तेमाल करेंगे । यह अनपालियामेंटरी है, इसको एक्सपंज किया जाय ।

मुझे उन जैसे सीनियर मेम्बर से ऐसी उम्मीद नहीं थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह नहीं कहा । यह किसी और ने कहा था ।

सभापति महोदय : एक मिनट सुनें । इसकी जांच माननीय अध्यक्ष महोदय करेंगे और उसके बारे में वही निर्णय करेंगे । श्री गंगवार ।

** अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन के कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का, जो विधान सभाओं को भंग करने की उद्घोषणा के सम्बन्ध में है, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया की बात हमारे देश की राजनीति में एक अद्भुत स्थान रखती है। कितनी बार ये चोले बदले हैं, कितनी बार जिसको आज सही कह रहे हैं ठीक दो दिन बाद उसको गलत कहने लगे हैं, इसका इतिहास भरा पड़ा हैं। क्या इनका रोल रहा है···(व्यवधान)··· द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक इनके विशिष्ट कार्यों का वर्णन उस इतिहास में मिलता है। आज आप हमारे लिए कह रहे हैं कि हम एक पार्टी की सरकार पूरे हिन्दुस्तान में बनाना चाहते हैं इसलिए विधान सभाओं को भंग कर रहे हैं। तो आप को क्या कष्ट हो रहा है ? आप तो खुद ही एक पार्टी की सरकार रूस भर में बनाए हुए हैं, वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं है। आप को तो खुश होना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इस तरफ जा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप उस पर भी बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं। तो इनकी हालत पर मुझे तरस आ रहा है और जो चीन के लोग हैं सी०पी०आई० (एम) इनको भी बड़ा दर्द हो रहा है। ये डेमोक्रेसी के बड़े भारी अलमबरदार हैं।···(व्यवधान)···इतिहास गवाह है, जब चीन का युद्ध हुआ तो सी०पी०आई० (एम) ने क्या किया ? ये चीन के साथ ही बैठे थे, चीन के गीत यहां गाते थे, यहां का संदेश चीन पहुंचाते थे और चीन के जासूस बन कर यहां रहते थे···(व्यवधान)···इनको क्या संज्ञा दी जाय मैं कह नहीं सकता। यह हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी है···(व्यवधान)···।

एक माननीय सदस्य : ये यह कह दें कि ये जासूस नहीं हैं ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि यह कहना बहुत ही असंसदीय है कि यहां जो सदस्य बैठे हैं वे "जासूस" हैं। उनका मतलब यही है।

एक माननीय सदस्य : ये 'गुण्डा' कह सकते हैं।

सभापति महोदय : जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है (व्यवधान) हम 'गुण्डा' और 'गाली' को कोई मतलब नहीं देते···(व्यवधान)।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : यदि मैं कहूं कि कांग्रेस (आई) के लोग अमरीकी सरकार के जासूस हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : आप क्या हैं, जरा बताएंगे। चीन के गीत गाते हैं। क्यों चीन के गीत गाते हैं ?···(व्यवधान)।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य कृपया ध्यान देंगे ? इस तरफ कांग्रेस के सदस्यों से मेरा कहना है कि आपके ही एक मित्र बोल रहे हैं, कृपा करके उनके भाषण को डिस्टर्ब न करें। आप अगर कुछ बोलते हैं तो उनको डिस्टर्ब करने वाले डिस्टर्ब नहीं होते हैं बल्कि आप के

मित्र ही डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए आप कृपा करके चुप बैठें। मुझे जैसे कन्ट्रोल करना है, वह मैं करूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, बड़े स्मूथ वे में गुण्डा कह दिया गया लेकिन हमने बुरा इसलिए नहीं माना क्योंकि कवि रहीम ने कहा है :

रहिमन बुरा न मानिये, जो गंवार कहि जाये।

मैंने तो इससे ज्यादा संसदीय शब्द इस्तेमाल किया है और वह अशिष्ट भी नहीं है लेकिन जो वैसे होंगे उन्हें जरूर बुरा लगा होगा, यह मुझे मालूम है।

बात थी डेमोक्रेसी की और कांस्टीट्यूशन की। कहते हैं कि यह डिमोक्रेटिक नहीं है और अनकांस्टीट्यूशनल है वह कदम जोकि उठाया गया है। डिमोक्रेसी के माने क्या होते है ? मामूली सी बात है, वह इनकी समझ में न आई हो तो उसकी एक छोटी सी परिभाषा है— गवर्नमेंट आफ दि पीपुल, बाई दि पीपुल, फार दी पीपुल।

श्री नारायण चौबे ; कांग्रेस (आई) द्वारा कांग्रेस (आई) के लिए कांग्रेस (आई) की सरकार है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : कांस्टीट्यूशनल क्या होता है और अनकांस्टीट्यूशन क्या होता है — यह तो आज सवेरे से ही यहां पर देखा गया है जबकि अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी बोलने के लिए खड़े हुए और परम्परा है कि जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति बोलने के लिए खड़े हों तो सभी माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए परन्तु सभी खड़े होकर अपनी अपनी बात करते रहे। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि शंख बजाते रहे, शोर करते रहे यह शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन जो कांस्टीट्यूशन की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं वे इस हाउस को नच लने देने के लिए कृतसंकल्प बैठे हैं। क्या यह कांस्टीट्यूशनल है—यह मैं पूछना चाहता हूं। अगर नहीं है तो इनको यह नहीं करना चाहिए था। कांस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग हम इनसे नहीं लेंगे, हम सबसे बड़े कांस्टीट्यूशनल है। श्रीमती इन्दिरा गांधी सबसे बड़ी कांस्टीट्यूशनल हैं। 1977 में अगर कहीं चौधरी चरण सिंह सरकार में बैठे होते तो कभी भी एलेक्शन्स नहीं कराए गए होते। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 1977 में चुनाव की घोषणा करके आपको मौका दिया कि आप चुनाव के मैदान में उतरें और यहां आकर हमारी खाल खीचें। यह मौका हमने ही आपको दिया। अगर कहीं दूसरी कन्ट्री में होता तो न सी०पी०आई० की खैर होती, न सी०पी०एम० की खैर होती। हमारी वजह से ही आप चुनकर आ रहे हैं। हम संविधान का आदर करते हैं और हर एक को चुने जाने का मौका देते हैं वरना 1977 में एक साल तक और लोकसभा चल सकती थी, असेम्बलीज भी आगे चलतीं। लेकिन हमने चुनाव करवाया, यह हमारे कांस्टीट्यूशनल होने का डिमोक्रेटिक होने का और सांविधानिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम दावा करते हैं कि हम

कांस्टीट्यूशनल हैं और डिमोक्रेटिक हैं। आप क्या डिमोक्रेसी बरतेंगे ? जब आप गृह मंत्री हुए जनता पार्टी की सरकार में तो जनता पार्टी के नाम से जो आपने लेटर भेज दिया कि अब आज से हमारा सिम्बल यह होगा उस लेटर को आपने बाद में एलेक्शन कमीशन से उड़वा लिया ताकि अपने आदमियों को ज्यादा टिकट दे सकें। उसको आपने चोरी करवा लिया। जिससे कि इलैक्शन का वह सिम्बल इस्तेमाल कर सकें। क्या दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, क्या ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री विश्व के इतिहास में आपने देखा होगा कि बिना बहुमत के सिद्ध किए हिन्दुस्तान के अन्दर वह बराबर प्रधानमंत्री रहे हों। जब वे बहुमत में नहीं थे, इसीलिए वे हाउस के अन्दर नहीं आए और उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दे दी लोकसभा को भंग करवाने के लिए, तो इससे बढ़कर अनडेमोक्रेटिक और अन-कांस्टीट्यूशनल आदमी कौन हो सकता है। पिछली लोकसभा के चुनाव कांग्रेस (आई) ने तो नहीं करवाए, एक ऐसे आदमी ने जिसको बहुमत और विश्वास प्राप्त नहीं था, उसने मंत्री परिषद की राय से राष्ट्रपति को लोक सभा भंग करने की सलाह दे दी। इसलिए लोकसभा के चुनाव हमने नहीं कराये, आपने खुद करवाए हैं। या तो आपको अपने ऊपर विश्वाश नहीं था या बहुत अधिक विश्वास था उसका नतीजा यह निकला कि लोकसभा के चुनाव हुए और आपने ऐसे-ऐसे जरिए इस्तेमाल किए हैं, जिनको आप डेमोक्रेटिक कहते हैं।

मैं ज्यादा नहीं कैराना और बागपत के बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर 150 पोलिंग बूथ्स कैपचर किए गए। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अपने को डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं और अपने को संविधान के अनुसार कार्य करने वाले पंडित बताते हैं, मैं इत्तफाक से वह किताब नहीं लाया हूं, अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर 600 वोट पड़ने थे, तो वहां पर 599 का पोलिंग हुआ है और किसी किसी स्टेशन पर तो 600 वोट ही डाले गए हैं। एक स्थान पर 575 वोट पड़ते थे, तो वहाँ पर 675 वोटों का पोलिंग हुआ है। यह उनकी हालत है जो अपने आपको संवैधानिक पंडित और डेमोक्रेसी के हामी कहते हैं। उन लोगों ने चुनाव तक की तिथि मुकर्रर करना पसन्द नहीं किया और राष्ट्रपति के घोषणा करने पर नाराज हो गए। आपको मालूम होगा इससे पहले श्री राजनारायण जी, भूतपूर्व संसद सदस्य, जिनकी आत्मा अब भी यहाँ पर भटक रही होगी, उनका यह कहना था कि अगर राष्ट्रपति ने हमारे चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं बुलाया तो हम उनका घेराव करेंगे और राष्ट्रपति भवन पर धरना देंगे और उनको निकलने नहीं देंगे। तो ये कुछ बातें जो अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं, उनके संबंध में थी।

मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सदस्य भी रहा हूं। सन् 1967 में वे 16 आदमियों को लेकर वहां से निकले और सबसे पहले दलबदली यहाँ से शुरू हुई। कौन से सिद्धांतों के अनुसार उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, सिर्फ इसलिए कि मैं मुख्यमन्त्री बन सकता हूं।

विरोधी दलों के साथ मिलकर मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं—यह आकांक्षा उस समय आप के मन में थी। क्या यह डेमोक्रेटिक आकांक्षा है कि अपनी पार्टी को छोड़ दो और दूसरों की मदद से मुख्यमंत्री बन जाओ ! ऐसा ही यहां पर भी हुआ। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपने अपने बहुत से साथियों को छोड़ दिया। "पार्टी-तोड़क" के नाम से आप पहले ही मशहूर हैं। कभी जन-कांग्रेस बनाते हैं, कभी वी०के०डी० बनाते हैं, कभी बी०एल०डी० बनाते हैं, कभी जनता पार्टी और कभी एल०डी० और अब शायद "परलोक दल" बनायेंगे, वही बाकी रह गई है।

आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते। संविधान को नहीं जानते। संविधान हम कितना पढ़े हैं—अब आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। संविधान की आप जो दुहाई दे रहे हैं, वह हमारा बताया हुआ ही दे रहे हैं, आप का अपना कुछ नहीं है। एक सवाल है कि डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा, विल-आफ-दि-पीपुल कैसे मालूम हो ! हमारे यहाँ "रिकाल" का प्रोसेस नहीं है। स्विटजरलैंड जैसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है जिससे चुने हुए मेम्बरों को वापस बुलाने का अधिकार हो और शायद यह इस मुल्क के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि यहां बहुत बड़ा इलैक्टोरेट है, सात-सात, आठ-आठ असेम्बली क्षेत्रों को मिला कर एक लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। ऐसी स्थिति में रिकाल का प्रोसेस रखा जाय या संविधान में ऐसा संशोधन हो, ऐसा सम्भव दिखलाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम कोई रिकालिंग-प्रोसेस चलाते हैं तो इसमें आप को आपत्ति क्यों है ? हम तो श्री जयप्रकाश नारायण जी के कहे हुए सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। इसमें आपको क्यों कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा था कि रिकाल का प्रोसेस होना चाहिए, हमने उसको मैटीरियलाइज कर दिया, उसको व्यावहारिक रूप दे दिया, इसलिए हम तो आप की ही कही हुई बात को कर रहे हैं, रेफ्रेण्डम करा रहे हैं, जो जिसे चाहे चुन ले, फिर आप क्यों घबराते हैं ? इसका मतलब है कि आप कांग्रेस (आई) से बहुत घबरा गये हैं, बड़ा डर आप में व्याप्त हो गया है। लेकिन हम एक बात बतला दें, हमारे यहां जो चुनाव होंगे, वे उस तरह के नहीं होंगे, जिस तरह के आपने कराये थे, जिस तरह से आपने घेराव कराया, पोलिंग बूथ्स को कैपचर कराया, लोगों को डराया, धमकाया, आग लगाई मार-पीट की, जिन्होंने वोट नहीं दिया उन को जान से मार दिया—ऐसा हमारे जमाने में सम्भव नहीं है। हम प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव करायेंगे। जनता आप को चाहती है तो आप को चुन कर भेजेगी, आपका आदमी मुख्यमन्त्री बनेगा, आपके मंत्री बनेंगे और अगर जनता हमको चुनकर भेजती है तो हमारे लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बनेंगे, उनकी सरकार बनेगी।

अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी बात दिखाई दे रही है जिससे यह कहा जाय कि राज्य सरकारें आपके बनाए हुए कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं। आपको याद होगा—माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय हमारी सरकार ने एक बात कही थी कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम को फिर से मजबूती के साथ लागू करेंगे और, श्रीमन, आपको मालूम होगा कि ये जितनी पार्टियां बनी हुई हैं—जनता पार्टी, लोक दल या परलोक दल—ये सब के सब उस समय इस 20 सूत्री कार्यक्रम के खिलाफ थे और उन्होंने कहा था कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम को नहीं

चलने देंगे। ऐसी हालत में जब ये सरकारें हमारे बने हुए कार्यक्रम को लागू नहीं करेंगी तो उन्हें भंग किया जाना स्वाभाविक ही था।

ये कहते हैं कि वे सरकारें बड़े कायदे-कानून के साथ चल रही थी। नारायण पुर काण्ड को ही ले लीजिए, मैं इस समय उस के उस पहलू को नहीं छूना चाहता जिसमें वहां पर हुए अत्याचारों का उल्लेख है, उनका उल्लेख तो यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने किया है, मैं उस के एक दूसरे पहलू को छू रहा हूं। जब यहां से कहा गया कि नारायणपुर में अत्याचार हुए तो वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि यह झूठ है, ऐसे कोई अत्याचार नहीं हुए। क्या किसी मुख्यमंत्री को बगैर जाँच किये हुए, ऐसा बयान देने का अधिकार है ? क्या जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का अधिकार है ?

लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह सरासर झूठा बयान दिया जानबूझ कर कि नारायणपुर में कुछ नहीं हुआ। हमारे माननीय संजय गांधी वहां गये और लोग वहां गये और उन्होंने जाकर उस चीज को खोला। जब सब कहने लगे कि अत्याचार हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर झूठ बोलता है, तो क्या वह सरकार में रहने के काबिल है। जब यह पता चल गया था कि घटना हो गई है और उसके बारे में ऐसी गलत बयानी हो गई है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, त्यागपत्र दे देना चाहिए था लेकिन त्यागपत्र तो नहीं दिया पर अलीगढ़ में साल भर तक करफ्यू चलता रहा। इसी तरह से जमशेदपुर में लोगों का कत्लाम होता रहा। कोई सरकार इतनी शर्मदार नहीं थी जो इस्तीफा दे देती और अपने को अनेडमोक्रेटिक मानने के बजाय वह डेमोक्रेटिक कहती रही चाहे कानपुर में गोली-चार्ज किया गया और मजदूरों को मारा गया हो उसको भी उसने डेमोक्रेटिक ही माना। ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक होने की परिभाषा उनकी कुछ अलग ही है।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो कार्य किया गया, तो सब जन संघ और आर० एस० एस० के लोग उसमें छा गये और जो पैसा उसके लिए दिया गया, वह सब पैसा खा गये मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा दी।

अन्त्योदय योजना से, जो हमारे बीस-सूत्री कार्यक्रम का अंग था, उससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। काम के बदले अनाज की जो योजना थी, उसमें हमारा जो सब गेहूं था, वह सब ये खा गये। सेन्टर ने जो गेहूं दिया था, वह ये सब खा गये और उससे गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। जिला परिषद इन्होंने भंग कर दी, गाँव पंचायतें भंग कर दी और सार्वजनिक वितरण योजना को बिल्कुल समाप्त कर दिया। जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ इन के ढाई साल के शासन के अन्दर सलाहकार समिति के मश्विरे से जो दुकानें बांटी जाती, वे नही बंटी क्योंकि समिति का गठन नहीं हुआ।

अब एक छोटी सी बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। हार्डर्स के खिलाफ इन्होंने जो एक बिल बनाया था, जिसको मिनी मीसा एक्ट कहते थे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जब सरकार थी, तो उसने अपनी पार्टी की प्रदेश की सरकारों से उसको इस्तेमाल नहीं करवाया। चन्दे के रूप में पार्टी के लिए रुपये इकट्ठे किये गये और उसको डकार गये। आप यह देखें कि एक भी ब्लैक मार्केटियर ऐसा नहीं था, एक भी स्मगलर ऐसा नहीं था, जो कि इस एक्ट में बन्द किया गया हो। हमने उसको लागू करना शुरू किया है और आप देख रहे हैं। कि जगहों-जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और हम उसको अमल में ला रहे हैं।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बड़ी नही।

श्री हरीश कुमार गंगवार : बड़े कुछ यहां आ गए, पकड़े कैसे जाएं।...(व्यवधान) मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। अब जहां तक जनता के वोट का सवाल है, पब्लिक की राय का सवाल है, वह यह है कि 1977 में जनता पार्टी को 43.06 परसेन्ट वोट पूरे मुल्क में मिले थे और 1980 में पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस (आई) का 42.56 परसेन्ट वोट मिले हैं। इस तरह से आप देखें कि सिर्फ कुछ डेसीमल प्लाइंट्स का ही फर्क है। लिहाजा अगर 1977 में ये इस काबिल थे, इनको हक हासिल हो गया था कि एसेम्बलियों को डिजोल्व कराएं, तो आज हम को यह हक हासिल है कि विधानसभाओं को डिजोल्व कराएं। अब 1980 में इन पार्टियों को यानी लोक दल और जनता पार्टी, दोनों को अगर मिला भी लिया जाए, तो आप देखेंगे कि कुल 28% वोट ही मिले हैं, दोनों को मिलाने के बाद। तो इनको आज...।

सभापति महोदय : अब आप का समय समाप्त हो गया है। जो महत्व के मुद्दे थे, वे तो आपने बता ही दिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मुझे तो समाप्त नहीं मान रहे हैं।

सभापति महोदय : आप को नहीं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : ठीक है, समय ही समाप्त हुआ है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतना समय मुझे दिया है। मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने जो बातें आप के सामने रखी हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के भाइयों को कुछ बुद्धि आए और जो तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए थे जैसे राज्य सभा में एक एमेंडमेंट प्रेसीडेंट एड्रेस पर पास करवा दिया, ऐसा वे न करें।

विधान सभाओं में 45वां संशोधन विधेयक पास न होने देना, इन सब चीजों से दूर रहेंगे और लोक सभा में भी गवर्नमेंट के कानून बनाने के काम में संवैधानिक तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी चीजें रखेंगे जिससे कि हाउस की कार्यवाही चल सके।

इन चीजों को रखते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, राजनीति में यह कोई असाधारण बात नहीं हैं। जो बात वे स्वयं कर चुके हैं यदि दूसरा भी वही करता है तो उन्हें पचती नहीं हैं। जो बात जनता पार्टी के मौहरें, अर्थात तत्कालीन प्रधान मंत्री के लिए सही थी उसी बात की आज उन्हीं लोगों द्वारा जोर-शोर से आलोचना की जा रही है जो भूतपूर्व जनत, घटकों की भूमिका अदा कर रहे हैं।

आपको याद होगा कि 30 अप्रैल, 1977 को, तत्कालीन कार्यकारी राष्ट्रपति, श्री वी० डी० जत्ती ने नौ कांग्रेस शासित राज्यों की विधान सभाओं को भंग किया था। इतना ही नहीं स्वयं श्री मोरारजी देसाई ने काफी लम्बा सरकारी वक्तव्य भी दिया था और उन्होंने यह कारण बतलाया था कि चूंकि लोक सभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को लगभग पूरी तरह से अस्वीकार कर दिवा गया है इसलिए अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही उनका मुख्य कारण था और इससे भी बढ़ कर, तत्कालीन गृह मत्री डिटन के कानूनी नुक्ते ले आए और उन्होंने हाल्सबरी के उदाहरण पेश किए। उन्होंने जो कुछ कहा वह इस प्रकार है ! "जहां सरकार को अभी भी सदन का विश्वास प्राप्त हो लेकिन ताज के पास यह यकीन करने का कारण मौजूद हो कि सदन अब मतदाताओं की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उस स्थिति में सरकार को बरखास्त करना पूरी तरह संवैधानिक है भले ही उसे सदन का विश्वास प्राप्त हो।" यही कुछ दलीलें हैं जो तत्कालीन प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने पेश की थी।

मुझसे पहले मेरे मित्र ने कहा कि वह भूले नहीं हैं कि उनकी संख्या कितनी है जैसा कि मैं कहता हूं--भूतपूर्व पचरंगी जनता के कितने मोहरें हैं। मेरे विचार में वे सुविधापूर्ण राजनीतिक स्मृति रोग से पीड़ित हैं। मेरे मित्र, श्री ज्योतिर्मय बसु यहां मौजूद नहीं हैं। मैं जब भी उनके घड़ियाले आंसू बहाने का जिक्र करता हूं वह रोष करते हैं लेकिन वे आँसू बहा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सत्तारूढ़ दल अब कुछ हद तक वही कर रहा हैं जो उन्होंने तब किया जब वे सत्ता में थे। वर्तमान विधि मंत्री ने कुछ कारण बतलाए; उन्हें और अधिक कारण देने चाहिए थे। 18 फरवरी को, उन्होंने जो कुछ कारण दिए उनमें से एक यह था कि जिस दिन 45वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित किय गया, वह 25 जनवरी का दिन था, उस दिन गृह मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख कर उनसे अनुरोध किया था कि वह संशोधनकारी विधेयक फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पास कर दिया जाए क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है। उन्होंने उनको अनुस्मारक भेजे। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वास्तव में, उन्होंने तय कर लिया था कि इसे जब तक हो सके तब तक के लिए रोके रखा जाए। दूसरा कारण जो उन्होंने दिया वह यह था कि इस बात की आशंका थी कि वर्तमान सरकार जो प्रगतिशील उपाय अपनाए उसमें वे अड़चन डालें। मैं समझता हूं कि वर्तमान विधान सभाओं को भंग करने संबंधी कारण उन कारणों से सौ-गुना अधिक थे जिनका सहारा श्री मोरारजी देसाई और श्री चरण सिंह ने लिया था। जैसाकि मैं एक बार नहीं, कई बार कह चुका हूं, जनता पार्टी की जीत—जिसका उल्लेख में से उत्तर भारत की बहुरंगी हिन्दी पट्टी के

रूप में किया था—एक संयोग था। दक्षिण में उन्हें पूरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी फिर भी उन्होंने दक्षिण में विधान सभाओं को भंग कर दिया जबकि दक्षिण में उन्हें किसी ने भी पूछा तक नहीं और वर्तमान चुनावों में भी उन्हें फिर अस्वीकार कर दिया गया। हमें वर्तमान सत्तारूढ़ दल की भारी जीत को याद रखना चाहिए—मैं कांग्रेस का सदस्य कभी नहीं रहा हूं, और ऐसी सम्भावना भी नहीं है—लेकिन एक या दो जगह को छोड़ कर, हर स्थान पर उसे भारी विजय हासिल हुई। मेरे मित्र, श्री ज्योतिर्मय बसु ने आंकड़े पेश किए। मेरे अन्य मित्रों ने भी आंकड़े पेश किए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह आंकड़े इकट्ठे करने से कुछ होता। उन्होंने बतलाया, और उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, और उन्होंने ही यह उल्लेख किया। 1977 में जनता को 33 प्रतिशत मत मिले जबकि कांग्रेस (आई) को इस बार 42 या 43 प्रतिशत मत मिले। मेरे मित्र ज्योतिर्मय बसु वही बतलाते हैं जो उन्हें सुविधाजनक लगता है। पश्चिम बंगाल में भी, वह और उनके समर्थक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट बड़ा दम भरते थे। लेकिन वास्तव में हुआ क्या ? आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि वहां भी मार्क्सवादियों को मिले 77 लाख वोटों के मुकाबले कांग्रेस (आई) को 7.1 7। लाख वोट मिले; मार्क्सवादियों के मुकाबले यह कोई बड़ी भारी हार नहीं थी। अन्य राज्यों, गुजरात, पंजाब आदि में कांग्रेस (आई) की स्थिति क्या है ? विपक्षी दलों को मुश्किल से एक ही सीट मिल सकी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज भी वही कहता हूं कि यदि मोरारजी देसाई अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए होते तो क्या होता। अशोक मेहता जैसा व्यक्ति,—हम उन्हें जानते हैं, वह हमारेमित्र थे, सार्वजनिक जीवन में उनकी अच्छी ख्याति थी—हार गया। यदि मोरारजी देसाई खड़े होते, तो मुझे यकीन है, वह अपनी जमानत भी जब्त करा बैठते।

मेरे मित्रों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में चर्चा की। मैं यही कह सकता हूं कि जनता द्वारा उन सरकारों को बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था—वास्तव में वे कोई सरकारें नहीं थीं—मैं पूरे सम्मान के साथ यह कह रहा हूं, कोई धूर्त अथवा मूर्ख ही यह सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह खराब नहीं हुई थी। वहां कानून का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता सरकारों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों का कत्ले-आम, अराजकता केवल वहीं किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया था बल्कि राज्य भर में यही हालत थी। नौ राज्य सरकारों को भंग किए जाने का सबसे बड़ा कारण, मेरे ख्याल में, यही है। यह कहा जा सकता है कि देश में वैधानिक स्थिति आमतौर पर खराब हो गई है इसका यश अथवा अपयश गैर-जनता सरकार को मिलना चाहिए। मोरारजी देसाई और उनके भानुमती के कुनबे ने खूब अव्यवस्था फैलाई, और विघटन की स्थिति उत्पन्न कर दी। वे अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकते। यह तो केवल नैराश्य की दलील है। यह पूरी तरह छलवा है। जी हाँ, अनुच्छेद 356 एक संघीय व्यवस्था की मांग करता है लेकिन मेरे मित्र शायद यह नहीं समझते कि यह एक भिन्न तरह की संघीय व्यवस्था, की मांग करता है जो अमरीका से भिन्न है। मैं 'संविधान सभा' में रह चुका हूं, मेरे मित्र श्री .....उसमें थे, हमने अवशिष्ट शक्तियों को जानबूझकर केन्द्र के पास रहने दिया है। वैधानिक स्थिति आम तौर

पर बिगड़ जाने, और देश को अराजकता तथा विघटन के कगार पर ला खड़ा करने के बाद भी, यदि उन सरकारों को बना रहने दिया जाता, तो संविधान की दृष्टि में यह सरकार अपने कर्तव्य की घोर अवहेलना की दोषी होती। मैं इसे इसी दृष्टिकोण से देखता हूं।

जानबूझ कर, शर्मनाक ढंग से जो टकराव किया जा रहा है। जरा उस पर नजर डालें। यदि केन्द्र और राज्यों के बीच थोड़ा सा भी समन्वय है तो मैं समझ सकता हूं कि यहां संघीय व्यवस्था, संघीय तंत्रप्रणाली विद्यमान है। राजनीतिक रूप से वे भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जब जानबूझ कर, शर्मनाक ढंग से टकराव किया जाए, तो केन्द्र किस तरह कार्य कर सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जब आमतौर पर संविधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गयी हो, जैसी कि आज है ? ऐसी स्थिति में और क्या किया जा सकता है ?

मैं एक उदाहरण दूं। मेरे मित्र उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहे थे, उन्होंने पूरा उदाहरण नहीं दिया। जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध निवारक नजरबन्दी विधेयक का उदाहरण लें। मेरे विचार में, अनिवार्य वस्तुओं संबंधी तीव्र मूल्य-वृद्धि और कमी मानव-निर्मित है, इसे मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वाले तथा जमाखोर उत्पन्न करते हैं जो मुख्य रूप से जनता पार्टी, विशेष कर जनसंघ के घटक हैं। हमें मालूम है वे कौन हैं। मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। आप उन्हें जानते हैं। वे एक समुदाय विशेष के हैं मुनाफाखोरी उनके रक्त में हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा मेरे एक मित्र ने मुझसे क्या कहा था। वह उसी समुदाय विशेष का था। जनता संरक्षण के अंतर्गत उन्होंने खूब मौज की (व्यवधान)।

श्री नारायण चौबे : आपकी नामजदगी है·····(व्यवधान)।

श्री फ्रैंक एन्थनी : अशोभनीय**

सभापति महोदय : यह बात सदन के कार्यवाही वृतांत में नहीं रखी जाएगी। यह ऐसी बात है जिसकी किसी सदस्य से आशा नहीं की जाती।

श्री नारायण चौबे : वे बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिसकी उनसे अपेक्षा नही की जाती। (व्यवधान) वे बहुत सी बातें करते हैं। वे मुनाफाखोरी, कालाबाजरी, जमाखोरी करते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या हुआ ? एक वकील के रूप में, मैं शांति के समय में शुरू से ही निवारक नजरबंदी के विरुद्ध रहा हूं। उस दिन जब मैंने इसका समर्थन किया, मैंने कहा था, यह

** अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया।

एक आवश्यक बुराई है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ इस तर्कहीन और निराधार टकराव से; जो उन सदस्यों ने ऐसा किया, जो अब स्वयं को भूतपूर्व लोक दल का, लेकिन अब जनता (जे०) अथवा जनता (एस) का सदस्य कहते हैं। अब, मैं समझता हूं कि श्री जगजीवन राम जनता (जे०) का गठन कर रहे हैं। वे सदन से उठ कर चले गए। उन्होंने यह निवारक नजरबंदी, विधेयक पुरःस्थापित किया था। उन्होंने इसे अध्यादेश का रूप दिया। फिर भी, इस तर्कहीन और निराधार टकराव के कारण उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। वे सब सदन से उठ कर बाहर चले गए। (व्यवधान)

सरकार मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास किस तरह करेगी ? मूल्यों में कमी करने का एक ही रास्ता है, प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पर, उस हर व्यक्ति को हिरासत में लेना जो मुनाफाखोरी जमाखोरी, कालाबाजारी कर रहा हो। वही एक रास्ता है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम से कुछ भी होने वाला नहीं। उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पांच वर्ष बाद या तो मेरे मित्र श्री जेठमलानी या मैं उनका बचाव करेंगे, और उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। (व्यवधान)।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : कम से कम आपमें इतनी ईमानदारी है कि आप स्वयं को उस वर्ग में रखते है।

सभापति महोदय : क्या यह सदन आपसे उनका बचाव करने का निवेदन करे।

श्री फ्रैंक एन्थनी : वे हमारे पास आते हैं। हम व्यावसायिक स्तर पर सम्बन्ध हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं यह है कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को आप निवारक नजरबंदी द्वारा ही रोक सकते हैं। जो लोग ये काम करते हैं वे जेल जाने से डरते हैं। वे अपनी जमानत मंजूर कराने के लिए हमें उससे छः-सात गुना फीस देंगे जो हमें अब दी जाती है। वे एक सप्ताह के लिए भी जेल जाने से डरते हैं। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत तीन माह की नजरबंदी का बहुत ही अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा। इससे वे भयभीत होंगे। आप दिल्ली में एक हजार व्यापारियों को नजरबंद कर दें और फिर देखें कि आवश्यक वस्तुएं किस तरह बाजार में आने लगती हैं। उनसे निपटने का यही एक मात्र उपाय है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वे किसी और उपाय को नहीं समझते।

श्री नारायण चौबे : कीजिए। अपने ऐसा क्यों नहीं किया है ? (व्यवधान) आप डरे हुए हैं। आपको चुनाव के लिए धन चाहिए, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं।

श्री सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन, भगवान के लिए, व्यवधान न डालें।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। किसी ने यह इस निर्णय का हवाला दिया था, यह निर्णय 1977 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था। निर्णय का

निष्कर्ष यह था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस मामले में, न्यायमूर्ति श्री भगवती का निर्णय सबसे लम्बा था। हमने कहा कि यह राजनीतिक उखाड़ पछाड़ है और सत्तारूढ़ दल ही यह निर्णय कर सकता है कि कब भंग किया जाए और किसे भंग किया जाए।

वे एक सप्ताह भी जेल में बिताने से भयभीत हैं। निवारक नजरबंदी कानून के अन्तर्गत तीन महीने की नजरबन्दी का अत्यन्त हितकारी प्रमाण होगा। दिल्ली में एक हजार व्यापारियों को निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत रखो और आप देखेंगे कि आवश्यक वस्तुएं रातों रात बाजार में आने लगी हैं। यही एक मात्र तरीका है जिससे उनसे निपटा जा सकता है और कोई अन्य तरीका नही है वे दूसरा तरीका समझते भी नहीं हैं।

श्री नारायण चौबे : ऐसा कीजिए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया हैं ? (**व्यवधान**) .. .. आप भयभीत हैं। आपको चुनाव के लिए पैसा चाहिए इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य बोला चाहते हैं तो उन्हें भी बोलने का अवसर मिलेगा परन्तु ईश्वर के वास्ते व्यवधान मत डालिए।

श्री फ्रेंक एंथनी : मैं केवल एक अन्तिम शब्द कहना चाहता हूं। किसी ने इस विनिर्णय को उद्धृत किया था। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा 1977 में दिया गया था। उस विनिर्णय की भावना यह थी कि राष्ट्रपति की संतुष्टि के बारे में कोई न्याय निर्णय नहीं किया जाएगा। इस मामले में, मैं समझता हूं कि न्यायमूर्ति भगवती ने सबसे लम्बा निर्णय दिया था। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक जटिलता है और यह निर्णय करना सत्तारूढ दल का काम है कि क्या भंग किया जाये और कब भंग किया जाये।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : में अपने देश में नौ विधान सभाओं के विघटन के बारे में उद्घोषणा की स्वीकृति का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि उन्होंने यह कार्य काफी अच्छे आधारों पर किया है। इस सभा में सदस्यों तथा इस और मंत्रियों ने कुछ आधारों अथवा जनता का विश्वास खोने सहित संभवतया बहुत से आधारों का उल्लेख किया है। मैं जो प्रथम बात करना चाहता हूं वह यह है कि संविधान के सामान्य उपबन्धों की असफलता के बारे में संघ के राष्ट्रपति की संतुष्टि न केवल व्यक्तिपरक है अपितु इसकी कोई न्यायिक जांच अथवा समीक्षा नहीं की जासकती। में समझता हूं कि अब यह प्रश्न लगभग निर्णीत है। यह हमारे देश का निर्णीत कानून है जिसे उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है और अब इस प्रश्न पर किसी झगड़े की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रश्न केवल यह है कि क्या राष्ट्रपति संतुष्ट थे या नहीं थे और क्या उन्होंने अपनी संतुष्टि से सभी नौ बिधान सभाओं को भंग किया है। उनके लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या उन राज्यों में से प्रत्येक में संविधान क उपबन्ध सामान्य रूप से असफल हो गये हैं। उपबन्धों की भाषा के बारे में यह प्रश्न नहीं है। उपबन्धों

की व्याख्या का तात्पर्य लोकतांत्रिक भावना, राजनीतिक प्रथाएं तथा वे मूल धारणाएं हैं जिन पर हमारा संविधान आधारित है तथा वे इस व्याख्या में शामिल है। इसमें राजनीतिक औचित्य भी शामिल है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि संविधान की लोकतांत्रिक भावना और संविधान की कोई अन्य भाषा या भावना का उलंघन हुआ है और यदि कुछ उदाहरण देकर उन्हें यह दिखाया गया था तो मैं समझता हूं कि उन्होंने उन नौ विधान सभाओं को पूर्णतया उचित ढंग से भंग किया है। ऐसा करने में उनके पास सब चीजों से ऊपर संवैधानिक शक्तियां हैं। उन विधान सभाओं के विघटन से पूर्व क्या-क्या बातें थीं ? मूल्य बढ़ रहे थे। हर आदमी यह कह रहा था कि जमाखोरी की जा रही है और अन्य देशों की सीमाओं पर तस्करी की जा रही है। समूचे देश में तस्करों और जमाखोरों को पूरी छूट दे दी गई है। यहां पर जो वकील हैं वे जानते हैं कि न्यायालय में तस्करी के मामले को सिद्ध करना कितना कठिन है। अच्छे वकील साक्ष्यों में कोई खामी दिखाने में बहुत चतुर होते हैं और तस्कर को बचा लेते हैं।

श्री राम जेठमलानी : परन्तु हम आप जैसे चतुर न्यायाधीशों के सामने ही सफल होते हैं।

श्री आर० आर० भोले : प्रश्न यह है कि अभियोग पक्ष के लिए अच्छे मामले तक को सिद्ध करना बहुत कठिन है। हम यह भी जानते हैं कि जो एजेन्सियां साक्ष्य एकत्रित करने की कोशिश करती हैं वे भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है।

हममें से बहुत सदस्य जानते हैं कि इन बड़े-बड़े तस्करों, जिनके कब्जे में करोड़ों रुपये हैं, के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करते समय कुछ विशेष खामियां जान-बूझ कर छोड़ दी जाती हैं जिससे न्यायालय के पास तस्कर को छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है तथापि न्यायाधीश अपने हृदय में वस्तुतः पूरी तरह से जानता है और शायद नैतिक रूप से स्वीकार करता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने अपराध किया है। अतः राज्य सरकारों द्वारा इन राज्यों में सुविदित कारणों से निवारक नजरबंदी लागू नहीं की गई थी और तस्करों को छोड़ दिया गया था।

जब मैं बिहार और उत्तर प्रदेश में गया था तो वस्तुतः वहां पर मैंने कानून और व्यवस्था की कोई बात नहीं देखी थी। मै बम्बई से जब पटना और बिहार के अन्य नगरों में आता हूं तो मैंने एक स्थान से अन्य स्थान पर आ जा रही बसों की छतों पर बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को चढ़ते हुए देखा था। यदि बस के अन्दर 40 यात्री थे तो बस की छत पर 200 यात्री थे। आज भी यही स्थिति है। गाँवों में अल्पसंख्यक ग्रामीण, पिछड़े वर्ग के लोग, समाज के कमजोर वर्ग वस्तुतः लंगोटी बांध कर घूम रहे है और उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और वे खेतों में कार्य करते हैं। ऐसी सरकार थी और इन राज्यों में यह कानून और व्यवस्था है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : लोग बसों पर चढ रहे थे इसका कानून और व्यवस्था से क्या सम्बन्ध है ?

श्री आर० आर० भोले : मैं बोल रहा हूं। एक अन्य बात है जो इस सदन में हो रही है और उसी प्रकार का हस्तक्षेप और शायद उसी प्रकार की अव्यवस्था यहां पैदा की जा रही है। मैंने कभी भी प्रोफेसर मधु दंडवते को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। वह हमारी संस्था से आए हैं और वह हमारी परम्परा में पले हैं और यही कारण है कि वह ऐसा नहीं करते हैं। अन्यथा बहुत से सदस्य एकदम खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं और अध्यक्ष को विनिर्णय बदलने के लिए जो वह पहले दे चुके होते हैं, प्रायः बाध्य करते हैं। यह सभी नियमों का उल्लंघन है।

मैं यह कह रहा था कि इन राज्यों में कानून और व्यवस्था नहीं है। तस्कर बाहर रह कर प्रत्येक प्रकार का कार्य कर रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं, वह पूरे भारत में अत्याचार के मामले हैं। जब नारायणपुर में गरीब ग्रामीणों और वहाँ की महिलाओं पर अत्याचार हुए थे तो स्वाभाविक रूप से प्रधान मन्त्री द्रवित हो उठी थीं। उन्होंने गांव का दौरा करना चाहा था और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वहाँ न आने के लिए सलाह देकर धृष्टता दिखायी थी। प्रारम्भ में मैं इसका कारण नहीं समझ सका था। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से वहां न आने देने और जो कुछ वहां हुआ है उसको न दिखाने का एकमात्र कारण शायद विश्व से, संसद से और केन्द्रीय सरकार से सचाई को छुपाना था।

ऐसा हो सकता था यदि यह मामला इस सदन में न उठाया जाता और यदि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और अन्य मंत्रिगण नारायणपुर और अन्य स्थानों को जहां अत्याचार हुए थे, न जाते। अतः कानून और व्यवस्था कहां हैं।

जहाँ तक महाराष्ट्र का संबंध है जितना कम कहा जाये उतना ही बेहतर है। वहां पर स्थिरता नहीं थी। जिस पार्टी ने शासन किया था वह कई पार्टियों का समूह था, एक पार्टी की एक विचारधारा थी, दूसरी पार्टी की बिल्कुल विरोधी विचारधारा थी और तीसरी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। जब मंत्रिमंडल ने किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने, विधान को बनाने अथवा किसी को थोड़ा लाभ देना चाहा था तो जनसंघ ग्रुप ने यह कहा "नहीं, हमारी विचारधारा अलग है, हम अल्प-संख्यकों, मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और बौद्धों और अन्य वर्गों को सहायता नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम जाति प्रथा में विश्वास करते हैं।" जब श्री दंडवते जैसे समाजवादी दल के सदस्य कहते है "हम यह कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं।" अन्य दल कहते हैं "जी नहीं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।" परस्पर विरोधी विचारधाराओं और कार्यक्रमों वाली ऐसी पार्टियो द्वारा किस प्रकार स्थिर सरकार चलाना सम्भव है? यह असंभव है।

यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनता पार्टी पांच वर्ष तक शासन चलाने की वजाए 9/4 वर्ष में ही चली गई। ये खिचड़ी पार्टियां कभी भी टिक नही सकती थी, ये कभी भी जनता को स्थिर सरकार नहीं दे सकी; यह अपने संविधान को तोड़ना नहीं है तो इसे क्या कहा जा सकता है। यह जनता के हित में नहीं था, निश्चित रूप से यह संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं था क्योंकि संविधान में मांग की गई है कि स्थिर सरकार होनी चाहिये। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि समाज के समाजवादी ढांचे को लाने के बारे में कुछ विधान अवश्य बनाये जाने चाहिए। ऐसी बहुत-सी पार्टियों द्वारा, जो आपस में मिली थी और मिलने पर हर बार लड़ती झगड़ती रहीं थीं, ये सभी कार्यक्रम कभी भी शुरू नहीं किये जा सके।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : वे केवल लड़ने झगड़ने के लिये एकजुट हुए थे।

श्री आर० आर० भोले : जैसा मेरे मित्र ने कहा है कि वे केवल लड़ने-झगड़ने के लिए एक जुट हुए थे। अतः इन खिचड़ी पार्टियों के समूह द्वारा एक स्थिर सरकार की संभावना सम्भव नहीं थी। कानून और व्यवस्था भी असफल हो रही थी और राज्य की गतिविधियों के बारे में घोर कुप्रबन्ध था। अतः मेरे विचार से राष्ट्रपति पूर्णतया संतुष्ट हैं और इसीलिए उन्होंने इन सभी राज्य विधान सभाओं को भंग करने की उद्घोषणा की है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मगनगाई बरोट (अहमदाबाद) : महोदय यद्यपि हम राज्य विधान सभाओं के विघटन के बारे में सरकार के निर्णय पर ठीक तीन वर्ष बाद इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, फिर भी एक अन्तर है। कुछ विपक्षी मित्रों ने आरोप लगाया कि हम एक गलत पूर्वोदाहरण पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और कि हमने उस समय जनता के विरुद्ध जो कुछ कहा था, आज हम स्वयं वही कर रहे हैं। खैर, ऐसे मित्रों से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, वह यह कि पहले जो हो चुका है और अब जो हो रहा है इस बीच स्थिति बहुत बदल चुकी है।

जनता सरकार द्वारा 9 राज्य विधान सभाएं भंग किए जाने के बाद, इस सदन ने उस प्रश्न पर चर्चा की और विभिन्न दलों ने अनेक दलीलें दीं। साथ ही, यह मामला इस देश में सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय में गया, और विधान सभाओं को भंग करने के केन्द्रीय सरकार के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय **राजस्थान बसाम भारत संघ** के मामले में दिए गए फैसले में दिया गया है, जिसका उल्लेख इस महान सदन के समक्ष किया जा रहा है। मैं उस निर्णय के दो ही पैराग्राफ पढ़ कर सुनाऊंगा।

एक तो उस दावे के जवाब में है जो मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किया है। उनका दावा यह है कि संघीय व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरह की कार्यवाही न्यायसम्मत नहीं है, संवैधानिक नहीं है और उनके अनुसार, यह नैतिक नहीं है। दूसरा

तर्क यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार संघीयता के नाम पर विधान सभाओं को भंग कर सकती है, तो वास्तव में, यह एकात्मक व्यवस्था कार्य कर रही है। उस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों तर्कों का उत्तर दिया है, जो मैं अब प्रस्तुत करूंगा। मैं उन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उद्धृत करने की अनुमति चाहता हूं। राजस्थान बनाम संघ के मामले में उच्चतम न्यायायालय का कहना है :

"भारत संघ का स्वरूप एक तरह से संघात्मक है। लेकिन देश की प्रगति और विकास संबंधी आवश्यकताओं ने उसका संघीयस्वरूप काफी कम कर दिया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में राष्ट्रीय एकता लानी है, उसमें राजनीतिक और आर्थिक रूप से समन्वय स्थापित करना है और सामाजिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक रूप से उसका उत्थान करना है। इस तरह की व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशिन ढंग से देश के वैधानिक तथा व्यापक रूप से आयोजित विकास के मार्ग में राज्य सरकारें बाधा नहीं बन सकती·····। यदि देश में राजनीतिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और देश के सभी भागों का समन्वित आर्थिक विकास करने के लिए हमारे देश की उन विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है जिससे कि संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके जहां "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो।" और साथ ही अन्य आदर्श आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने हों तो केन्द्र के कठोर निदेश अवश्य भावी प्रतीत होते हैं।"

महोदय, उच्चतम न्यायालय ने जिस कठोर केन्द्रीय निदेश की सिफारिश की है उसमें एक बात और भी है। कहा जाता है कि केन्द्र अपना निर्णय राज्यों पर थोपना चाहता है और महोदय, यह कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया उत्तर कानूनी पहलू पर नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार की राजनीतिक बुद्धिमता पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय का कहना है :

"यदि संघ सरकार यह समझती है कि परिस्थितियों की मांग के अनुसार, राज्य सरकारों को अपने मतदाताओं के हित में शक्ति का उपयोग करते रहने के अपने नैतिक अधिकारों को लोगों की नजर में न्यायोचित ठहराने के लिए नए चुनाव कराने चाहिए, नहीं तो लोगों के असंतोष का प्रभाव न केवल कानून और व्यवस्था पर ही पड़ेगा, बल्कि किसी राज्य विशेष अथवा आम भारतीय नागरिकों, जो सब के सब एक अथवा दूसरे राज्य में रहते हैं, के प्रति संघ सरकार के कानूनी दायित्वों अथवा कर्तव्यों पर भी बुरा असर पड़ेगा, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान का अनुच्छेद 356 आकृष्ट नहीं होता।"

ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय से लिए गये दो उदाहरण हैं जिनका कहना है कि ऐसा करना भारत संघ का नैतिक कर्तव्य है क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं संकट में है।

अब मैं उसे राज्य का उल्लेख करूंगा जिसकी विधानसभा भंग की गई है और जहां से मैं आया हूं। गुजरात के बारे में जिसकी विधान सभा भंग कर दी गई है और जैसा कि माननीय

सदस्य, श्री बरिया ने ठीक ही कहा है, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं इस बात को तब से अभी तीन माह ही गुजरे हैं जब निर्वाचन आयोग ने यह कह कर अनुरोध किया है : "कृपया लोकसभा चुनावों के साथ ही चुनाव कराएं । अन्यथा, यदि आप अलग से चुनावों का आयोजन करेंगे तो गुजरात की जनता पर 3 करोड़ रु० के कर लगेंगे ।" और फिर भी, लोकतंत्र के नाम पर इस जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के साथ ही चुनावों का आयोजन करने की अपेक्षा गुजरात के लोगों पर 3 करोड़ रु० के कर थोपना उचित समझा । तब से तीन महीने बीत चुके हैं । लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । वे हार गये और बुरी तरह हारे । उन्हें न केवल सीटों से हाथ धोना पड़ा बल्कि मतों से भी और 26 सीटों में से. 25 सीटें कांग्रेस (आई) के पक्ष में गईं । केवल एक ही सीट उन्हें मिल सकी । 1977 में वह सीट उन्होंने दो लाख मतों से जीती थी लेकिन वह मार्जिन घटकर इस बार केवल 17000 ही रह गया । यही पूर्ण बहुमत है और जनता मन्त्री को सम्भवत: एक पल के लिए शर्म महसूस हुई, जिसे हम स्मासन वैराग्य कहते हैं, और उन्होंने त्याग पत्र देने की सोची । वह दिल्ली आए और ये जनता पार्टी के नेता, ये लोकतंत्रवादी, ये लोग दूसरी आजादी की बात करते हुए इकट्ठे हुए और उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री को यह सलाह दी, "इस्तीफा मत दो । मुकाबला करो ।" वे तब वापिस चले गये और मुकाबला करना शुरू कर दिया, और पहली बार यह घोषित किया "हम केन्द्रीय सरकार के कानून और निर्देश से बंधे हुए नहीं हैं, हम निवारक नजरबन्दी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जमाखोरों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे और उन्हें सींखचों के पीछे नहीं रखेंगे ।" गुजरात राज्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । कोई भी केन्द्रीय सरकार होती, यदि वह जनता की इच्छा को प्रतिबिम्बित करना चाहती , तब जनता ने दूसरे दल को अस्वीकार कर दिया था, और जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था—जब कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है और जब हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी, वह चुप नहीं बैठी रह सकती थी और अन्ततः उन्हें कुछ महीनों के लिए गुजरात विधान-सभा को भंग करना पड़ा । आप इस पर कैसे आक्षेप कर सकते हैं ।

हमने इस देश में जनता पार्टी शासन के तीन साल देखे । चौबीसों घन्टों उन्होंने यह रट लगाए रखी कि 1977 में जनता ने हमें अस्वीकार कर दिया था । यह सच है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ महीनों के लिए सत्ता से हटना पड़ा था, लेकिन दो बातें हुई । हम जनता के सम्मुख आए, उनके उन आयोगों के सम्मुख नहीं, जो जन-साधारण के दृष्टिकोण की वास्तविक कसौटी नहीं थे, और न ही उन की उन अदालतों में उपस्थित हुए. जहाँ स्वयं श्रीमती इन्दिरा गाँधी को तथा उनके परिवार को परेशान किया जाता था, जहां श्री संजय गांधी पर नित्य नए आरोप लगाए जाते थे, लेकिन हम जनता के सामने हाजिर हुए और जनता के फैसले को स्वीकार किया । जनता का फैसला क्या है ? जनता ने न केवल हमें बाइज्जत बरी कर दिया है, बल्कि पूर्णरूप से हमें बहाल कर दिया । जबकि हम आदरपूर्वक बहाल हो गये थे, जनता पार्टी को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया गया । उन्हें बरखास्त कर दिया गया और यदि परमात्मा ने चाहा तो उन्हें इस देश में स्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

श्री नावी पालकीवाला ने जनता पार्टी की विजय पर खुशियाँ मनाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई का कथित खुले पत्र में लिखा था कि दूसरी स्वतन्त्रता के सूर्य का उदय हुआ है, कि जनता करोड़ों लोगों में से एक—श्री देसाई की ओर देश से कांग्रेस शासन को समाप्त करने और एक नया इतिहास बनाने के लिए निहार रही थी। उन्होंने क्या इतिहास बनाया ?

मैं इण्डिया-टुडे के एक लेख को उधृत करना चाहता हूं, जो हमारी विजय के बाद नहीं लिखा गया था, बल्कि चुनावों के मौके पर 1 जनवरी 1980 को प्रकाशित हुआ था। जनता पार्टी के बारे में और नई स्वतन्त्रता के कार्यकरण के बारे में उसमें यह लिखा था :

"श्रीमती इन्दिरा गांधी को मोरारजी देसाई के निरर्थक नैतिकवाद, चरणसिंह के प्रधान-मंत्री पद को हड़पने के मूर्खतापूर्ण प्रयासों, राजनारायण की जोकरनुमा हरकतों और जगजीवनराम की दुविधा से इतना अधिक लाभ मिला, जितना कभी उसने सोचा भी न था।"

वर्ष 1979, जो कि बालवर्ष था, के बारे में यह मूल्यांकन किया गया था :

"संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इसे "बाल-वर्ष" घोषित किया था, लेकिन भारत में राजनीतिज्ञों ने बच्चों के खेल खेले। जनता पार्टी ने अपनी घटती हुई विश्वसनीयता को जय प्रकाश नारायण के निधन के समाचार की उस समय घोषणा करके पुख्ता कर लिया, जबकि पार्टी के संस्थापक बम्बई के अस्पताल में बीमारी से जुझ रहे थे, लेकिन अभी जीवित थे।"

—इस सदन ने उस समय संवेदना प्रस्ताव पारित कर दिया, जबकि बम्बई अस्पताल में बीमार आदमी अभी जीवित था—

"बिजली की अभूतपूर्व कमी ने औद्योगिक उत्पादन को आघात पहुंचाया ; साम्प्रदायिक दंगों ने अप्रैल में जमशेदपुर के इस्पात नगर को हिला दिया , और कानून के रक्षकों ने पूरे देश में अपनी लाठियों को उठाकर धर दिया और अनधिकृत विद्रोह का प्रदर्शन किया।"

इस देश में पुलिस ने शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसमें आगे लिखा था :

"यदि सिंहावलोकन किया जाए, तो यह निष्कर्षक निकलेगा कि भारत के इतिहास में यह सबसे अधिक विध्वंसकारी समय रहा है। एक ऐसा समय रहा है, जब राजनैतिक और सामाजिक, दोनों प्रकार की नैतिकता रसातल को पहुच गई। यह ऐसा दुःखपूर्ण समय था, जब घड़ी की सुइयों के पीछे घुमाना 9वें दशक के पन्डोरोस बाक्स को खोलने से अधिक आवश्यक समझा गया।"

केन्द्र में और राज्यों में शासन करते हुए उन्होंने देश का यह भला किया। एक दिन 'टाईम्स आंफ इण्डिया' में मैंने यह शीर्षक पढ़ा—"चरण मीट्स मोरारजी" (चरणसिंह मोरारजी से मिले)। ये दोनों एक ही दल के सदस्य थे, एक ही सरकार के मन्त्री थे। गृह मन्त्री और प्रधानमन्त्री की मुलाकात इस देश में समाचार बन गई थी।

वे इसी तरह से देश में शासन करने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसा कि मुगल शासकों के समय होता था, उनकी याचिकाएं आगरा अथवा दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा रही थी। अपने शासन के अन्तिम दिनों में यह राजनैतिक षडयन्त्रों और महलों के षडयन्त्र में जुट गया था। तीनों ही, को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी और इसलिए वे आपसी खट-पट में व्यस्त हो गए। प्रत्येक को ही जल्दी हो रही थी, प्रत्येक ने सोचा कि वही अन्तिम अवसर है और उसके पश्चात देश की दुदशा होने वाली हैं, इन्हीं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप, हम शासन में आये हैं, 1980 का चुनाव आया है और जनता ने स्थिति को समझा है. यह सच है कि कुछ समय के लिए वे जनता को यह विश्वास कराने में सफल हुए हैं कि कांग्रेसी शासन कुछ कठोर था, परन्तु उनका शासन कैसे था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन एक गलत शासन था परन्तु जनता ने इस बात को समझा है कि जब वे शासन में थे तो उस समय कोई शासन था ही नहीं। कांग्रेस शासन में कम से कम कोई शासन तो था, एक सरकार तो थी। परन्तु यहां, तो कोई सरकार ही नहीं थी। एक उर्दू के शायर के शब्दों में यदि मैं यह कहूं कि एक सरकार, जिसके शासन में थोड़ा अनुशासन था और विना सरकार, के शासन में कुछ अन्तर है। अख्तयार ग्वालियरी ने कहा है कि :—

"धूप भी तो छांव से अच्छी है जो गुम करे,
धूप में कम से कम छाया तो नजर आती है।"

भारतीय जीवन में, कम से कम 30 वर्षों के बाद. हम अपने आपको देख सकते हैं. हम विश्वास कर सकते है कि हम भारतीय हैं और किसी भी बाहरी देश में अपना सिर ऊंचा करके जा सकते हैं जहां कोई कहेगा कि यह उस देश के हैं जिसके नेता ने बंगलादेश को स्वाधीन करवाया था। एक सरकार वह भी थी जिसका विदेश मत्री चीन में शायद अपने अच्छे भोजन के पश्चात सो रहा होगा जबकि उन्हें भारत से भेजे गए इस संदेश से जगा दिया गया कि 'वापस आ जाओ क्योंकि आपके वहां के दौरे के दौरान ही उन्होंने एक दूसरे छोटे राष्ट्र पर आक्रमण कर लिया है।" वे हवाना गये, वहां उन्होंने एक स्थान के लिए चुनाव लड़ा और उन्हें मात्र एक मत मिला। मैं नहीं सोच सकता हूं कि भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का सम्मान इतना गिरा हो, इतने निम्न स्तर पर पहुंच गया हो जितना कि जनता सरकार के शासन के दौरान गया है। ये अन्तिम अवशेष हैं, ये नौ राज्य उस नमूने के अवशेष थे। देश एक स्वच्छ वातावरण चाहता है। देश जनता सरकार के केन्द्र से ही निकाले जाने से सन्तुष्ट नहीं होगा, देश तो चाहता है कि हमारे घर, कमरे और सभी किनारे स्वच्छ हो जांय, यह एक खुला अवसर है।

एक माननीय सदस्य : आपका भी सफाया हो जाएगा ।

श्री मगन भाई बरोट : हम इसे करेंगे परन्तु उसमें एक अन्तर होगा । जहां कांग्रेस इसे अकेले ही करेगी वहां जनता पार्टी द्वारा इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से किया जाएगा । हम इसे अकेले ही करेंगे, मेरे दोस्त को यह याद होगा कि नौ राज्यों तथा देश को स्वच्छ बनाने में तथा उनमें लोकतंत्र के अनुकूल वातावरण तैयार करने में यदि वे दो राज्य हमसे सहयोग नहीं करेंगे तो हम उन राज्यों की बिधान सभाओं को भीभंग कर देंगे..... । (व्यवधान) । यह जनता की इच्छा है कि देश की प्रगति को रोका नहीं जाना चाहिए और यही कारण है कि इस देश के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, एक पूरा फैसला जिस पर उच्चतम न्यायालय ने अपनी मुहर लगा दी हैं कि अब इस देश में एक संघ और राज्य होंगे, एक संघीय कार्यप्रणाली होगी, प्रगति होगी, पिछले तीन वर्षों के दौरान जो हल-चल रही है उसका सफाया कर दिया गया है, उसके बकायों को भी समाप्त कर दिया गया हैं और घर को स्वच्छ बना लिया गया है तथा राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ला दिया गया है । कांग्रेस इसे करेगी, केन्द्र में कांग्रेस इसे कर चुकी है और हमें विश्वास है साथ ही विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी यह जान लें कि नौ राज्यो में परिणामों को दीवारों पर लिख दिया गया है कि इन सभी नौ राज्यों में केवल कांग्रेस पार्टी ही शासन करेगी और जिस प्रकार संतरे को छीलने से उसकी फांकें अलग-अलग हो जाती हैं उसी प्रकार उन्होंने भी दिखा दिया है कि वे कुछ भी नहीं थे । इतिहास इस बात का उल्लेख करेगा कि भारत में कहीं जनता पार्टी नामक पार्टी बनाई गई थी । इतिहास उन्हें केवल एक ही पंक्ति दे पाएगा और उसके बाद इतिहास उन्हें भूल जाएगा । यही सब कुछ है जो होने जा रहा है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, 9 राज्यों की विधान सभाओं को भंग करने की केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही की मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं और इसको अवैधानिक, अनैतिक और अलोकतंत्रीय मानता हूं और यह भी मानता हूं कि यह कार्यवाही बदले की भावना से की गई है । 9 राज्यों में जहां पर लोकप्रिय सरकारें काम कर रही थीं, वहां की विधान सभाओं को सिर्फ इसलिए भंग कराया गया कि उन राज्यों में कांग्रेस (आई) को लोक सभा के चुनावों में बहुमत मिला ।

ग्राउन्ड यह देते हैं, दलील यह देते हैं कि सन् 1977 में जबकि जनता पार्टी की सरकार थी, (व्यवधान) मैं आप को अच्छी तरह से जानता हूं । **आई नो बैरी बैल** ।

श्री आरिफ मौहम्मद खां (कानपुर) : अलीगढ़ में जो कुछ हुआ, क्या वह लोकप्रिय सरकार करती है ।...(व्यवधान)... ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : आप ही करा रहे हैं । यह देख लीजिए । आप जरा शांत रहिए । थोड़ी धीरज रखिए ।

सभापति महोदय : एक मिनट, मैं आपकी सहायता करूंगा, पहले मैं उन सदस्यों को परामर्श दे दूं । ठीक इसी प्रकार से मैं आपको सलाह दूंगा । उसके बाद ही मैं उनसे कहूंगा कि वे इस प्रकार का कार्य न करें ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति जी, ये कल की बात कह रहे हैं, मैं आज की बात कह रहा हूं और इनके शासन की बात कह रहा हूं । अखबार में यह निकला है :

"पुलिस थाने में एक हरिजन की पीटे जाने से मृत्यु"

यह अहमदाबाद की घटना है, गुजरात की । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त राष्ट्रपति शासन है और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वह आपके सामने है हालांकि इनकी सरसार है । इन की मंशा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की विधान सभाओं को भी भंग करने की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार के चमचो ने, दलालों ने वहां पर जाकर वहाँ के विधायकों को लालच दिया, पैसा दिया और जबर्दस्ती उनसे दलबदल करवाया । इस तरह से वहां की सरकारें कायम रही और उनको इन्होंने भंग नहीं किया । आसाम में भी इनके चमचे और दलाल गये और आप ने अखबारों में पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले कि आसाम में भी कांग्रेस (आई) की सरकार बन रही है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ये किस संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं । यह लोक दल की वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं, श्रीमन् । यह संसद है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं इस संसद में आप से पहले आया हूं । मैं आपसे 10 साल पहले आया हूं ।...(व्यवधान)..

सभापति महोदय : सामान्यतया, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : इससे ज्यादा आपत्तिजनक शब्द इन्होंने कहे हैं । मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहे ।

सभापति महोदय : आप समझे नहीं, मैंने क्या कहा । मैंने यह कहा है । कि इस प्रकार के शब्द सर्व-साधारण रीति से हम हाऊस में इस्तेमाल नहीं करते हैं । ये पार्लियामेंटरी हैं या अनपार्लियामेंटरी, वह सवाल तो अलग होगा, मगर ऐसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते और आप के भाषण की गरिमा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करना अच्छा है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति जी, मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तब से हर प्रकार की परेशानियां बढ़ी हैं, कानून व व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । अलीगढ़ में 8 मार्च को, जहां पर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डीजल की

केरासियन आयल की, सीमेंट की और चीनी की शार्टेज हैं और शार्टेज कुछ बनावटी है क्योंकि ब्लैक में सारी चीजें मिल जाती हैं लेकिन उपभोक्ताओं को सही कीमत पर ये चीजें यह सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती है, इसके विरोध में कि ये चीजें सही कीमतपर और सही जरूरतमन्द आदमियों को मिलनी चाहिए, कुछ नवयुवक लोग प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उन की मांगों को मानने की बजाय वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 16 नौजवानों को जेल में भेजा।

इस तरह की बातें हो रही हैं। ये क्या अच्छी हैं ? यदि अच्छी नहीं हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी विकास के काम हो रहे थे वे सब ठप्प हो गए हैं : हमारे देश की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और जहां तक मैं समझता हूं कि अधिकतर हरिजन, पिछड़े वर्ग और उनसे भी ज्यादा गरीब वर्ग के लोग गाँवों में रहते हैं। एक तो वहां सूखे से फसल मारी गई, दूसरे कुछ इलाकों में ओलों ने फसल को चौपट कर दिया। काम के वदले अनाज देने की जो योजना चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। देहात में कारखाने और दूसरे उद्योग धंधे नहीं है। गरीब आदमी जब फसल का टाइम नहीं होता है तब वहां पर दूसरे कामों में गाँवों का मजदूर और गरीब आदमी लग जाता है। जैसे सड़कों के बनाने के काम में वह लग जाता है जिसमें पांच-छः रुपए रोज उसे मिल जाते हैं। लेकिन ये योजनायें भी सब ठप्प पड़ी हुई हैं। वहां पर अकाल पड़ा हुआ है।

मेरे बहुत से मित्रों ने एडमिट किया है कि बहुत-सी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। आज आप गांवों में जाकर देखें कि शोषित, मजदूर और गरीब किसान जो कि सुबह से लेकर शाम तक खून-पसीना बहाता है, एड़ी चोटी से लेकर पसीना वहाता है, तब जाकर उसको भोजन मिलता है। बिना काम के उसके बच्चे भूख से मर जाते हैं, बिना शिक्षा के रह जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था चला कर हमारी सरकार कल्याणकारी होने का दावा करेगी तो हम जैसे शोषित लोगों को बहुत परेशानी होगी। (व्यवधान) आपने इलेक्शन जीता था कि हम देश को स्थायी और मजबूत सरकार देंगे। यह आपकी किसी करनी का फल नहीं है। जनता पार्टी ने पिछले ढाई साल में जितना काम किया, अगर उनमें आपस की फूट नहीं होती तो आप कभी भी शासन में नहीं आ सकते थे। आप दो साल में देख लीजिएगा। मेरे जैसे आदमी को तो इसमें शक है कि विधान सभाओं के चुनाव कराये जाएंगे। कल, परसों ही गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा इरादा विधान सभाओं के चुनाव स्थगित करने का नहीं है। यह तो पाप सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आपका इरादा विधान सभाओं के चुनाव स्थगित करने का नहीं है तो यह स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी ? (व्यवधान) नेता कुछ भी कहें, आप उनके भुलावे में क्यों आते हैं? (व्यवधान)।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। यह ठीक नहीं है। मान लीजिए आप बोलने के लिए खड़े होते हैं और वह व्यवधान उत्पन्न करें तो आप अवश्य ही अध्यक्ष से कहेंगे कि वह उन्हें व्यवधान न डालने दें। इसी तरह से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके वक्तव्य में व्यवधान न डालें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति जी, हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत से मित्रों ने यह कहा कि लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस जीती है और 1977 में भी 9 विधान सभाओं को भंग किया गया था और माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। जहां तक मेरी समझ काम करती है, उस राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ एक-एक सीट मिली थी और इसके अलावा अन्य प्रदेशों में मामला बिल्कुल साफ हो गया था। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 85 में से 35 सीटों पर अपोजिशन पार्टी के लोग जीते हैं और 50 सीटों पर ही कांग्रेस आई जीती है। वहां पर एक चुनी हुई सरकार थी और वह सरकार अच्छी तरह से चल रही थी। गरीबों को, मजदूरों को वहां पर रोजगार मिल रहा था। वहां पर सरकार गिराने की क्या जरूरत थी ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बदले की भावना से किया गया है। मैं माननीय गृहमंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि वे बतायें कि विधान सभाओं के चुनाव होंगे या नहीं होंगे और होंगे तो महीने में, दो महीने में या तीन महीने में होंगे ? मैं उनसे एक आश्वासन यह भी चाहता हूं कि जिन जिन सूबों में कांग्रेस आई की सरकार नहीं बनेगी, क्या उन सूबों के लोक सभा के सदस्य इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लडेंगे ? क्या उनसे दुबारा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की परम्परा डालना कोई अच्छी बात नहीं है। यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है और वैधानिक परम्परा भी नहीं है। (व्यवधान) साल में दो साल में जो चुनाव होते हैं उनमें इस देश की जनता को भी आनन्द आता है। यह ठीक है कि 1980 में इस देश की जनता ने चौधरी चरणसिंह को गद्दी से उतार दिया। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में, साल में, दो साल में या पांच साल में कांग्रेस आई भी सरकार नहीं बना सकती है।

और बन नहीं सकती है—(इण्टरप्शंज)। दिल्ली की मैट्रोपोलिटन काउंसिल को भी भंग कर दिया गया है। यहां पर जिस तरह की ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, चूंकि आप भी दिल्ली में रहते हैं इस वास्ते वह भी आप से छिपी हुई नहीं होगी। इस की ओर आज ही सुबह हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था और गृहमंत्री जी से कहा था कि वह इस विषय पर कुछ बोलें। अभी 21 तारीख को उन्नीस साल का इस देश का एक होनहार नवयुवक जो था उसका मर्डर कर दिया गया—

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हमें इसका दुख है। परन्तु कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : उसकी लाश भी मिल गई है। वह छः मार्च से लापता था। यहां की पुलिस कितनी सक्षम है, कितनी एक्टिव है, कितनी बहादुर है कि अभी तक भी वह हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है। मैं समझता हूं कि जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं बदले की भावना से कर रहे हैं। बदले की भावना से कोई कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए।

देश में अछूत और कमजोर वर्ग के लोगों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। कोई ही ऐसा मनहूस दिन जाता होगा जिस दिन अखबारों में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों की घटनायें पढ़ने को न मिल जाती हों या सदन में इन घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान न खींचा जाता हो। इन लोगों के ऊपर एट्रासिटीज कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है बावजूद इसके कि सरकार घड़ियाली आंसू बहाती रहती है। वह केवल धोखा देती रहती है और लोगों को भ्रम में डालती रहती है। मैं समझता हूं कि इसके विषय में कोई भी ठोस कार्रवाई आपके पास करने के लिए नहीं है। देश में अराजकता की स्थिति जान-बूझकर पैदा की जा रही है। असम में जो कुछ बल हुआ वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह सब केन्द्रीय सरकार के इशारे पर हुआ है। जितनी भी गुंडागर्दी, चोरियां, लूट, डकैतियां, व्यभिचार हो रहा है उनका उपाय सरकार जान-बूझकर इसलिए नहीं कर रहीं है ताकि देश में फिर से एमरजेंसी लागू करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। लेकिन मेरा निवेदन है कि अब देश की जनता सजग है, वह जाग चुकी है और आपको ऐसा नहीं करने देगी।

नौ विधान सभाओं को अवैधानिक और अप्रजातांत्रिक तरीके से जो भंग किया गया है उसकी पुनः मैं बड़े शब्दों में निंदा करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : मैं विधानसभाओं को भंग करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं..... (व्यवधान)।

सभापति महोदय : कृपया अब आप कठिनाई को समझें।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : महोदय, संवैधानिक आधार के प्रश्न पर यहां चर्चा हो रही है, अब प्रमुख प्रश्न, जिस पर कि अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए यह है कि क्या विधान सभाओं को भंग करने से लोकतंत्र, संवैधानिक तथा कानून के नियमों के मानदंडों की अवहेलना की जा रही है, यही प्रमुख प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन तो यह होगा कि, वास्तविक स्थिति यह है, लोकतंत्र के सामान्य नियम बहाल हो गए है, संवैधानिकता संबंधी सामान्य नियमों का सम्मान किया गया है और कानून के अनुपालन को महत्व दिया गया है।

श्री चटर्जी ने यहां बोलते हुए कहा कि हमें उसमें विश्वास नहीं है। परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि हमारा अनुभव तो इसके विपरीत है। मैं यह बात सभा के सामने रखूंगा। यदि यह सुनिश्चय करना केन्द्रीय सरकार का संवैधानिक प्राधिकार है कि राज्य सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार चलती रहे तो फिर यह केन्द्रीय सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह कार्यवाही करें। यदि यह संवैधानिक दायित्व है तो फिर श्रीमती गांधी और अधिक इसकी उपेक्षा नहीं

कर सकतीं। जहां तक विधान सभाओं को भंग करने का संबंध है मेरे विचार से तो इसमें पहले ही विलंब हो गया है। यह कार्य तो उसी दिन कर लिया जाना चाहिए था जब यह सरकार सत्ता में आई थी। मैं आपके सामने भूतपूर्व कानून मन्त्री श्री शांतिभूषण द्वारा 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करूंगा। उनसे विशिष्ट रूप से यह पूछा गया था कि इस शक्ति का उपयोग करना भारत सरकार के लिए स्वैच्छिक है अथवा अनिवार्य है। उनका उत्तर बहुत स्पष्ट था और मैं उसे सभा के समक्ष रखूंगा क्योंकि इससे आपको सहायता मिलेगी। श्री शांति भूषण से पूछा गया था : यदि केन्द्र सरकार किसी राज्य सरकार की वैधता की परख करने के लिए इस नाजुक समय में अपनी इस शक्ति का उपयोग न करे तो क्या इसका अर्थ केन्द्र सरकार द्वारा अपना कर्तव्य न निभाया जाना होगा ? उन्होंने उत्तर दिया था :

"आखिर संविधान जब कभी भी कोई शक्ति प्रदान करता तो वह केवल देने के लिए ही नहीं होती। स्पष्टतः ही संविधान ने उन परिस्थितियों की परिकल्पना की होगी जिनमें इस शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। जब वे परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो केन्द्र के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उस शक्ति का उपयोग करें।

अतः यदि यह भारत सरकार के लिए एक दायित्व पूरा करने की बात न होती तो वह विधान सभा को भंग न करती; और मैंने कह दिया होता कि भारत सरकार ने इधर-उधर फेर-बदल होने के डर से अपना दायित्व नहीं निभाया। मैं कहता हूं कि यह भारत सरकार का एक संवैधानिक दायित्व हैं जो उसने निभाया है। मैं श्री शांतिभूषण की एक और टिप्पणी उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था : उन्हें यह समझ नहीं आता कि राज्य सरकारें लोगों से उनका मत जानने के लिए उनके पास जाने में क्यों आपत्ति कर रही हैं। मैं उनको उद्धृत करता हूं :—

"यदि हम लोगों की वास्तविक प्रभुसत्ता और सर्वोच्चता को मान्यता देते है, तो इस संबंध में कोई भी आपत्ति करना संभव नहीं है। यदि कोई यह दावा करता है कि उसे तो शासन करने की ईश्वरीय अधिकार प्राप्त है चाहे लोग उसे चाहें अथवा न चाहें, तब निस्संदेह ही उसे लोगों का मत प्राप्त करने में आपत्ति होगी।"

अतः केन्द्र सरकार ने जो शक्ति का प्रयोग किया है वह उसका संवैधानिक दायित्व है। मेरा निवेदन यह है कि यह काम तो कई माह पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इस एक माह के दौरान राज्य सरकार अनेक मक्कारियां कर चुकी है और उसने प्रशासन को कठिनाई में डाल दिया। उन लोगों ने अनेक भ्रष्ट प्रक्रियायें की हैं। मैं नहीं चाहता कि वे लोग और आगे ऐसा ही जिक्र करता जाऊं ? क्योंकि किसी अन्य सरकार पर मैं उनके उस भ्रष्ट कार्य

का साक्षात उदाहरण दे चुका जोकि उन्होंने पिछले एक माह और 10 दिन के दौरान उड़ीसा में किया है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जहाँ तक किसी लोकतांत्रिक निकाय को भंग करने का संबंध है यह कोई प्रसन्नताजनक कार्य तो नहीं है परन्तु लोकतन्त्र बहाल करने के लिए निश्चय ही ऐसा करना पड़ता है। मैं साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी के अपने साथियों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने कलकत्ता में क्या किया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक बोर्ड उल्लंघन कर दिया गया है और इन वर्षों के दौरान वे वहां कोई चुनाव नहीं करा सके। वहां केवल मनोनीत की गई समितियाँ कार्य कर रही हैं। वहां शैक्षिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गई है। कुछ लोगों ने आपकी वहाँ सूची व्यवस्था को बोगी डेमोक्रेसी रह कर पुकारा है। वे अब लोकतंत्र के रक्षक बन बैठे हैं। कानून के अनुसार शासन के हिमायती हैं। वह कानून संगत शासन होता क्या है ? ये दल कानून के अनुसार शासन का सहारा लेकर लोकतन्त्र को ही समाप्त कर रहे हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए। परसों हम केन्द्र तथा राज्यों के बीच के सम्बन्धों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 में केन्द्र सरकार को विशिष्ट रूप से यह शक्ति दी गई है जिससे कि वह राज्य सरकारों को कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने को बाध्य कर सके तथा इस संबंध में उन्हें निर्देश दे सके। अनुच्छेद २56 तथा 257 केन्द्र सरकार को विशिष्ट रूप से यह शक्ति देते हैं कि वह राज्य सरकार को केन्द्रीय कानूनों का अनुपालन करने हेतु बाध्य कर सके तथा उनके क्रियान्वयन के लिये निर्देश दे सकें। यदि सविधान से उक्त प्रावधान निकाल दिया जाता है जैसा कि माँग की जा रही है तो सारी संवैधानिक व्यवस्था असंतुलित हो जायेगीं। इस बात के लिए इस समय आन्दोलन किया जा रहा है।

"मैं एक और पहलू भी उजागर करना चाहूंगा। निस्सन्देह, हम एक तबसर पर वर्ष 1977 में राज्य विधान सभाओं को भंग किये जाने का विरोध कर रहे थे, परन्तु अन्ततः न्यायिक दृष्टि से हम औचित्य सिद्ध हो गया। और विभिन्न आधारों पर यह मामला तय हो गया था— न्यायालय ने केवल संतुष्टि के प्रश्न की जाँच की थी जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है, बल्कि उन्हें भंग किये जाने के आधार पर भी उच्च न्यायालय ने इस कार्य को न्यायोचित बताया था। हमें उसी पृष्ठभूमि में इस प्रश्न पर बिचार करना है।

सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्य राष्ट्रपति पद्धति का लोकतंत्र भी लोकतन्त्र ही है चाहे भारत में संसदीय लोकतंत्र नहीं चल पाता है तब राष्ट्रपति पद्धति ही लोकतांत्रिक प्रणाली भी चलाकर देख ली जानी चाहिये। श्री कामत ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, कहा था कि जहां तक संसदीय लोकतंत्र का संबंध है उसकी उपयोगिता भारत में तो समाप्त हो गई हैं और हमें दूसरी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का सहारा लेना चाहिये और प्रणाली राष्ट्रपति-पद्धति है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम देश में राष्ट्रपति पद्धति लागू करने जा रहे हैं परन्तु हमें इससे बिदकना भी नहीं चाहिए।

अब एक चुनौती दी गई है तथा हमें यह देखना है कि क्या भारत में यह प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है ; क्या इस देश में इस संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया जा सकता है अथवा नहीं । यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो भारत का इतिहास हमारी भर्त्सना करेगा । मेरा यह निवेदन है कि हमें कुछ ऐसे नियम तैयार करने हैं तथा जो सिद्धांत बहुत समय से बने हुये हैं उनका पालन किया जाना चाहिए तथा उनका सत्तरूढ़ दल तथा विपक्ष दोनों द्वारा पालन किया जाना चाहिये ।

अब दो शब्द पृथ्वीकरण (गिलिकिंग) के बारे में, जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहूंगा कि राज्यों के चुनावों और संसद के चुनावों को पृथक् पृथक क्यों किया गया। पूर्व में दोनों चुनाध एक साथ हुए थे । अब इनको अलग-अलग कर दिया गया है । जब चुनावों को पृथक किया गया था तब यह सोचा गया था कि इसमें भिन्न समस्याएं निहित हैं किन्तु अनुभव से हमें यह ज्ञात हुआ है कि दोनों चुनावों को एक साथ किया जाना चाहिये । श्री मोरारजी देसाई ने यह वायदा किया था कि अब से सभी चुनावों को साथ साथ किया जायेगा ।

सभापति महोदय, सरकार को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह वहां कार्य ब रने वाले लोगों में जनता के विश्वास को छीनले क्योंकि अन्ततोगत्वा इसका परिणाम वहां के प्रशासन का भंग होना होगा तथा राज्यों में प्रजातांत्रिक सरकारों का गिरना होगा ।

दूसरा पहलू यह हैं कि संसद में जिस पार्टी को बहुमत मिला है तथा जिसने मतदाताओं के समक्ष कुछ वायदे किये हैं और राज्यों में सत्ता ऐसी पार्टी के हाथों में है जो उन वायदों के बिल्कुल विरुद्ध है तो क्या उन वायदों को पूरा करना सम्भव हो सकता है ? सदन को इस बात पर विचार करना होगा । मेरा निवेदन है कि इस बारे में किसी को अधिक संवेदनशील अथवा तर्कहीन नहीं होना चाहिए । हमें सिद्धान्त निर्धारित करने चाहिए । भारत सरकार के लिए उन विधान सभाओं को भंग करने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था उन्हें एक माह पहले भंग कर दिया जाना चाहिए था ।

महोदय, हम प्रजातन्त्र की बात करते हैं । क्या यह प्रजातंत्र है कि हम अध्यक्ष के निदेशों का पालन नहीं करते ? क्या यह कानून का शासन हैं ? क्या यह प्रणाली चल सकती है ? मुझे याद है जिन दिनों डा० हिल्लो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि पहले वह प्रति दिन एक एस्प्रीन की टिकिया खाते थे किन्तु बाद में सदन को संभालना इतना कठिन हो गया कि दिन में दो टिकिया खानी पड़ती थी, उन्होंने जो सार्वजनिक वक्तव्य दिया था मुझे वह याद है । घिराव किया जा रहा हैं । क्या यह मजदूर संघ के आन्दोलन का हिस्सा है ? क्या यह ऐसा नहीं है ? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहा हैं कि घिराव विरोध प्रदर्शन का प्रजातांत्रिक तरीका नहीं

हैं। उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर भी लोग घिराव कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब हमें इस पर विचार करना चाहिए। जहाँ तक सत्तारूढ़ दल का सम्बन्ध है सत्तारूढ़ दल को जमने के लिए 100 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इस भावना में कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। उसके कार्यकारण, उसकी उपलब्धि, उनके कृत्यों अथवा उसकी गलतियों के बारे में कोई टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिए। नई सरकार से यह अपेक्षा कोई नहीं कर सकता कि वह रात भर में सारे काम कर दे। सरकार बनते ही विपक्ष को समस्याएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जहां तक विपक्षी दलों का सम्बन्ध हैं उनको भी 100 दिन की सुविधा मिलनी चाहिए। न्यायालय में क्या होता है ? न्यायालय 24 घंटे का समय दोषी व्यक्ति को प्रतिक्रिया के लिए समय देता हैं कि क्या वह दोष स्वीकार करता है अथवा क्या कहता है। अतः विपक्ष की उसकी हार के पश्चात कम से कम 100 दिन का समय अपनी प्रतिक्रिया दिखाने तथा स्वस्थ नीति निर्धारित करने के लिए मिलना चाहिए जिससे वही हमारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली को सुदृढ़ कर सकते, यह मेरा सादर निवेदन है। इस प्रश्न पर विचार करने के अतिरिक्त हमें प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। इस प्रस्ताव का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, **दि एसेंस आफ डेमोक्रेसी इज दि विल आफ दि पीपल**। जनता की इच्छाओं और अभिलाषाओं का प्रतिनिधित्व लोक सभा और विधान सभाओं में होता है। 24 मार्च, 1977 एक अच्छा दिन था। उस दिन जनता पार्टी के लोगों ने राजघाट पर यह शपथ ली थी कि हम देश को एक अच्छा शासन देंगे, देश में समता और स्वतंत्रता का राज्य होगा, गांधी जी के आदर्श हमारा मार्ग दर्शन करेंगे। जनता पार्टी के शासन को कांग्रेस वालों ने खत्म नहीं किया। राम किसी को मारे नही, नहीं हत्यारा राम। हमारे लिए इस बात पर विचार करना जरूरी है कि वह शासन कैसे खत्म हो गया। आज जब हम राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणाओं पर विचार कर रहे है, तोविरोधी दलों को इनका विरोध करने के बजाये इनका समर्थन करना चाहिए था। जब जनता उन लोगों के साथ नहीं रही और श्री बाबू भाई पटेल या किसी अन्य मुख्य मंत्री ने राजनैतिक नैतिकता से प्रेरित होकर घोषणा की कि मैं अपना पद छोड़ना चाहता हू, तो उसका विरोध क्यों किया गया ? उस समय के गृह मंत्री, श्री चरण सिंह, ने मुख्य मन्त्रियों को यह लैटर लिखा है :—

"प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञों का बहुत समय से यह मत रहा है कि जब विधायिका मतदाताओं की इच्छाओं और विचारों को व्यक्त नहीं करती तथा जब यह विश्वास करने के कारण हो कि विधायिका और मतदाताओं में प्रतीक है तब मतदाताओं का नया आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायका को भंग करना अत्यन्त उपयुक्त होगा, और आपके (सम्बद्ध मुख्य मंत्री)

राज्य में विद्यमान परिस्थितियों में राजनीतिक सर्वोच्च शक्ति प्राप्ती से अपील किया जाना न केवल स्वीकार्य है वरन अनिवार्य और आवश्यक है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य क्या अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(इसके बाद लोक सभा बुधवार 26 मार्च, 1980। 6 चैत्र, 1902 (शक्र) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)।